खण्ड-06 सत्र-08 (भाग-02) / अंक-104

सोमवार 26 अगस्त, 2019 / 04 भाद्रपद, 1941 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

आठवां सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-06, सत्र-08 (भाग-02) में अंक 102 के अंक 104 सम्मिलित हैं।)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

सी. वेलमुरुगन

सचिव

C. VELMURUGAN

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editting)

विषय सूची

सत्र-8 भाग (2) सोमवार, 26 अगस्त, 2019/04 भाद्रपद, 1941 (शक) अंक-104

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2.	शोक संवेदनाएं	3–5
3.	तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (प्रश्न संख्या – 41–47 एवं 50 और 51)	6–81
4.	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (प्रश्न संख्या – 48, 49 एवं 52–60)	81–139
5.	अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (प्रश्न संख्या – 159–227 (226, 227 को छोड़कर)	139–401
6.	अनुपूरक अनुदान मांगों (2019–20) का प्रस्तुतीकरण, विचार एवं पारण	401–406
7.	विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण	407
8.	विशेष उल्लेख (नियम–280)	408–438
9.	माननीय समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य (वृद्धावस्था पेंशन पर)	439
10.	प्रतिवेदनों पर सहमति	440–465
11.	अल्पकालिक चर्चा (नियम–55)	466–515

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-8 भाग (2) सोमवार, 26 अगस्त, 2019/04 भाद्रपद, 1941 (शक) अंक-104

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूचीः

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री अजेश यादव
6. श्री महेन्द्र गोयल
7. श्री राम चंद्र
8. श्री सुखबीर सिंह दलाल
9. श्री संदीप कुमार
10. श्री रघुविन्दर शौकीन
11. श्रीमती बंदना कुमारी
12. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
13. श्री राजेश गुप्ता
14. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
15. श्री सोमदत्त
16. सुश्री अलका लम्बा
17. श्री आसिम अहमद खान
18. श्री विशेष रवि
19. श्री शिव चरण गोयल
20. श्री गिरीश सोनी
21. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
22. श्री जरनैल सिंह

23. श्री राजेश ऋषि
24. श्री महेन्द्र यादव
25. श्री आदर्श शास्त्री
26. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
27. सुश्री भावना गौड़
28. श्री सुरेन्द्र सिंह
29. श्री विजेन्द्र गर्ग
30. श्री प्रवीन कुमार
31. श्री मदन लाल
32. श्री सोमनाथ भारती
33. श्रीमती प्रमिला टोकस
34. श्री नरेश यादव
35. श्री करतार सिंह तंवर
36. श्री प्रकाश
37. श्री अजय दत्त
38. श्री दिनेश मोहनिया
39. श्री सौरभ भारद्वाज
40. सरदार अवतार सिंह कालका जी
41. श्री सही राम
42. श्री नारायण दत्त शर्मा
43. श्री अमानतुल्लाह शान
44. श्री मनोज कुमार
45. श्री नितिन त्यागी
46. श्री एस.के. बग्गा
47. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
48. श्रीमती सरिता सिंह
49. श्री श्रीदत्त शर्मा
50. चौ. फतेह सिंह
51. श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही[1]

सत्र-8 भाग (2) सोमवार, 26 अगस्त, 2019/04 भाद्रपद, 1941 (शक) अंक-104

सदन अपराह्न 2.08 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय **(श्री राम निवास गोयल)** *पीठासीन हुए।*

शोक संवेदना

माननीय अध्यक्षः जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिनांक 24 अगस्त, 2019 को पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री अरूण जेटली का निधन हो गया। वे काफी समय से बीमार थे। राज्य सभा सांसद रहे श्री अरूण जेटली का जन्म 28 दिसम्बर, 1952 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने सेंट जेवियर्स स्कूल, दिल्ली से स्कूली शिक्षा प्राप्त की और वर्ष 1973 में श्रीराम कालेज ऑफ कॉमर्स से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद वर्ष 1977 में दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली। विद्यार्थी जीवन से ही वे राजनीति में सक्रिय हो गये थे और वे दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। वर्ष 1989 में वे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किये गये और वर्ष 1999 में केन्द्र सरकार में सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री बने। इसके बाद वे कानून, न्याय, कम्पनी मामले और जहाजरानी मंत्री बने। वे वर्ष 2009 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता नियुक्त किये गये। वे वर्ष 2014 में वित्त मंत्री बने और तपश्चात् रक्षा मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय जैसे

[1]*www.delhiassembly.nic.in* पर उपलब्ध।

महत्वपूर्ण मंत्रालयों को भी सम्भाला। वे वरिष्ठ एडवोकेट तथा कुशल और प्रभावी वक्ता थे तथा हमेशा शीर्ष भूमिकाओं में रहे। वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने कई बड़े नीतिगत फैसले लिये। अपनी बीमारी को उन्होंने कभी जिम्मेदारी पर हावी नहीं होने दिया और आराम करने की बजाय वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये लगातार कार्य किया।

उनके निधन से देश को अपूरर्णीय क्षति हुई है। उनके कार्य और व्यवहार को हमेशा याद किया जाता रहेगा।

मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से श्री अरूण जेटली के निधन पर हार्दिक शोक संवेदना प्रकट करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

(दिवंगत आत्मा के सम्मान में सदन द्वारा दो मिनट का मौन धारण किया गया।)

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आप सबको विदित होगा कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पी.वी. सिंधू ने स्विटजरलैंड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। कल रविवार दिनांक 25 अगस्त, 2019 को उन्होंने फाइनल में जापान की नोजोमी ओकुहारा को मात्र 38 मिनट में हराया। इसके साथ ही वह इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की एकमात्र खिलाड़ी बन गयी हैं। उनकी इस उपलब्धि से पूरा देश गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। आशा है, इससे भारतीय बैडमिंटन को नयी दिशा और नयी उँचाई प्राप्त होगी तथा नये खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से सुश्री

पी.वी. सिंधू को इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर हार्दिक बधाई देता हूँ तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।

माननीय खाद्य मंत्री (श्री राजेन्द्र पाल गौतम): अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि आज सदन में... हिमा दास ने इतिहास रचने का काम किया है। वह पहली ऐसी धाविका बनी है जिन्होंने 15–20 दिन के अंदर 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो उनके लिए भी एक–दो शब्द हम उनको बधाई देते हैं सदन की तरफ से। शुक्रिया।

माननीय अध्यक्षः आप ही बोल दीजिए, बोलिए।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम, माननीय समाज कल्याण मंत्रीः मैं अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से हिमा दास जी को इस चीज के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अभी पिछले महीने 20 दिन के अंदर 6 गोल्ड मेडल जीते और भारत की तरफ से जिस विश्व की प्रतियोगिता में ऐथलेटिक्स में कभी भी कोई आज तक गोल्ड नहीं जीत पाया, उसमें गोल्ड मेडल जीतने के बाद उनको जो उन्होंने भारत का जो गौरव बढ़ाया है, तो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से सभी देशवासियों का गौरव बढ़ाने के लिए हम सब लोग उनका धन्यवाद करें और हिमा दास भविष्य में देश का नाम रोशन करे, बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः मुझे श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा जी से ध्यानाकर्षण (नियम–54) का नोटिस प्राप्त हुआ है। मैं कई बार व्यवस्था दे चुका हूँ कि सदन में मेरी अनुमति के बिना कार्यसूची में सूचीबद्ध विषयों के अलावा किसी अन्य विषय को उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अतः माननीय सदस्य के इस नोटिस पर विचार करना असंभव है।

...(व्यवधान)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

माननीय अध्यक्षः प्रश्नकाल, श्री पंकज पुष्कर जी।

श्री पंकज पुष्करः माननीय समाज कल्याण मंत्री प्रश्न संख्या–41 का उत्तर देने का कष्ट करें।

क्या **माननीय समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि वृद्धावस्था पेन्शन योजना के अन्तर्गत लाभग्राहियों की अधिकतम संख्या निश्चित है;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदण्ड क्या हैं;

(ग) क्या यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस योजना के अन्तर्गत वंचितों की तुलना में इस योजना के अन्तर्गत अधिक जरूरतमंद लाभ प्राप्त करें;

(घ) यदि हाँ, तो इसका पूरा ब्यौरा दीजिए;

(ङ) क्या विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं कि इस पेन्शन योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए अधिक जरूरतमंद व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाए;

(च) यदि हाँ, तो इसका विवरण दीजिए; और

(छ) यदि नहीं, तो कारण बताइए?

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–41 का उत्तर निम्न प्रकार हैः

(क) जी हाँ;

(ख) वृद्वावस्था पेन्शन पात्रताः

- आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो;
- प्रार्थी आवेदन करने से पूर्व दिल्ली का कम से कम पाँच वर्ष का निवासी हो;
- परिवार की आय एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक न हो;
- प्रार्थी अन्य किसी संस्था से पेन्शन प्राप्त नहीं कर रहा हो;

(ग) पहले 'आओ पहले, पहले पाओ' के आधार पर नियमानुसार पात्रता पूर्ण होने पर आवेदन स्वीकृत (sanction) किये जाते हैं;

(घ) उपरोक्त (ग) के अनुसार;

(ङ) किसी भी आवेदक को प्राथमिकता/प्रधानता देने की विभाग की नीति नहीं है। 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर नियमानुसार पात्रता पूर्ण होने पर आवेदन स्वीकृत (sanction) किये जाते है;

(च) उपरोक्त (ङ) के अनुसार लागू नहीं होता; और

(छ) उपरोक्त (ङ) के अनुसार।

माननीय अध्यक्षः सप्लीमेंटरी?

श्री पंकज पुष्करः जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अनुरोध ये है कि एक तो पहला पूरक प्रश्न ये है कि जो अधिकतम संख्या निश्चित है पात्रता की, उसके बाद भी बहुत बड़ी संख्या में पात्र वृद्धावस्था पेन्शन के लिए मौजूद हैं और उसमें से बहुत ही निर्बल वर्ग के बहुत वंचित वर्ग के भी हैं तो उसके लिए सरकार की/मंत्रालय की क्या योजना है

कि वो भी कवर हो सकें और दूसरा प्रश्न ये है कि जो भाग 'ग' का है कि जो सर्वाधिक वंचित वर्ग है जैसे कि राशन की पात्रता तय करने में भी ये देखा जाता है कि सर्वाधिक निर्बल वर्ग का कौन है, सामाजिक रूप से उसका पिछड़ापन, उसका आर्थिक रूप से पिछड़ापन... तो अधिक पिछड़ेपन को संज्ञान में लेके क्या उनको वरीयता दी जा सके, इसके संबंध में मंत्रालय का/सरकार की क्या योजना है?

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः अभी तक माननीय अध्यक्ष जी, जो सीमा है, वो 5 लाख 30 हजार है। पहले 4 लाख 30 हजार थी और अभी करीब तीन साल पहले ये बढ़ाकर एक लाख संख्या बढ़ा कर 5 लाख 30 हजार कर दी गयी है और रही बात जो दूसरा सवाल इन्होंने किया कि सबसे ज्यादा कौन जरूरतमंद है, तो इसका पैमाना बड़ा मुश्किल है। पहले से ही जो पैमाना तय किया हुआ है कि उसकी जिनकी पारिवारिक इन्कम पूरी एक लाख या उससे कम है, वो उसके पात्र होंगे, तो उसको और किस तरह से इलेबोरेट किया जाए, ऐसा पैमाना तय करना बहुत मुश्किल है कि भई ज्यादा गरीब कौन है। चूँकि कोई सर्टिफिकेट एक लाख का ले आएगा, हो सकता है, कोई 50 हजार का भी इन्कम का सर्टिफिकेट ले आए, तो सर्टिफिकेट बनवाने मात्र से तो ये तय नहीं हो सकता कि वास्तव में वो कितना जरूरतमंद है। तो जो बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता था, वो डिपार्टमेंट ने आलरेडी लागू किया हुआ है, धन्यवाद।

श्री पंकज पुष्करः माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल एक पंक्ति में निवेदन ये है कि जो मल्टीपल डिप्राइवेशन है जैसे मैंने अनुरोध किया कि उसका सामाजिक स्तर पर पिछड़ापन, शैक्षिक स्तर पर पिछड़ापन या आर्थिक स्तर पर पिछड़ापन ये मिलाके वो योजना संभावित है। मैं मंत्री महोदय के...

माननीय अध्यक्षः नहीं पुष्कर जी, मंत्री जी ने उत्तर दे दिया जो प्रोफार्मा पहले से तय है, उसी आउटलाइन के आधार पर हम देते हैं।

श्री पंकज पुष्करः मंत्री महोदय का उत्तर है कि जो बेस्ट पॉसिबल है, उस तरीके से किया जा रहा है। मैंने जैसे निवेदन किया, फूड एंड सप्लाई में एक अन्त्योदय योजना के लिए अधिक निर्बल वर्ग के लिए संभव है उस पर।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः हाँ, माननीय मंत्री जी कुछ उत्तर दे सकते हैं तो बताएँ?

श्री पंकज पुष्करः जो भी संभव है, उसमें आगे की खोज करके कि अधिक पिछड़ेपन को मल्टीपल डिप्राइवेशन को ध्यान में रखके प्राथमिकता दी जाएँ।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः वैसे तो जैसा अभी हमारे साथी पंकज पुष्कर जी ने कहा कि जिस तरह ईडब्ल्यूएस का किया जाता है उस तरह हो। तो मैं बता दूँ, ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट तो लोग पैसे दे दे के बनवा लेते हैं। ऐसे ईडब्ल्यूएस के आप राशनकार्ड चेक करेंगे, अगर उसका सर्वे हो जाए तो पता लगेगा; ऐसे–ऐसे लोग हैं, जिनके घर बड़े लाखों रुपये किराया भी आ रहा है ऐसे लोगों ने भी बनवा लिये। तो ये पैमाना करना तय बहुत ही मुश्किल काम है। आलरेडी डिपार्टमेंट ने बेस्ट पॉसिबल वे निकालने के बाद ये तय किया था। उसके बाद भी अगर कोई अच्छा सजेशन हमारे साथी विधायक दे सकते हैं तो दें, उसको भी कंसीडर हम लोग करेंगे, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः राजेश जी।

श्री राजेश गुप्ताः धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ, सारा सदन इस बात की हामी भरेगा कि जो बुजुर्ग होते हैं, उनके जब आधार कार्ड लिंक करने की जो ये शर्त है, इससे बहुत तकलीफ होती है। क्योंकि एक सबसे बड़ी तकलीफ तो ये है कि उनकी कइयों की तो लकीरें इतनी हल्की हो गयी हैं, वो इतने बुजुर्ग हैं, तो आधार कार्ड पे आती नहीं हैं शायद। उसके बाद में बैंक वाले उसे लिंक नहीं कर पाते, बहुत सारे बुजुर्ग इसकी वजह से बहुत परेशान हैं। पीछे कुछ ऐसा आया था; मेरी खुद भी मंत्री जी से बात हुई थी कि आधार कार्ड लिंक करना उतना जरूरी नहीं है। तो इसपे स्पष्टता क्या है, वो थोड़ा स्पष्ट कर दें तो अच्छा होगा, धन्यवाद।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः एक तो मैं साथी गुप्ता जी को ये बता दूँ कि ये लिंक करने की ये जो शर्त है, हमने केबिनेट का फैसला करके रद्द कर दी थी। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि जो भी कोई ये सुविधा देने वाली जो भी स्कीम्स होंगी, उसके अंदर ये आधार कार्ड की आवश्यकता/जरूरत रहेगी तो वो इसलिए लागू है लेकिन इसकी वजह से किसी की पेन्शन अब विभाग में रुक नहीं रही है। उनको हमने कहा है कि धीरे–धीरे सब अपना आधार कार्ड डिपार्टमेंट में लिंक कराएँ लेकिन एक भी पेन्शन अब आधार कार्ड की वजह से इस वजह से नहीं रुक रही है कि उन्होंने आधार कार्ड जो है, लिंक नहीं कराया है। एक तो ये है। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि बहुत से बुजुर्ग हो जाते हैं और उनके हाथ के निशान नहीं आते, तो उसके बारे में यूडीआईडी वालों को मैंने खुद बुला के मीटिंग करके वो समस्या का समाधान करा दिया है। अगर किसी की आँखों की पुतली भी नहीं आती, कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है और उनकी आँखों की पुतली नहीं आती है या बुजुर्ग

होने की वजह से उनकी हाथों की रेखाएँ मिट गयी हैं, नहीं आती हैं, उसके बावजूद भी उसको स्पेशल केस बना के उनका आधार कार्ड आलरेडी बनाया जा रहा है, वो डायरेक्शन इशू होने के बाद अब बन रहे हैं उस तरह के। फिर भी अगर कोई ऐसा आए कि जिसका कोई नहीं बना रहा, तो वो हमें बताएँ, उनका हम लोग बनवा देंगे, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः राखी बिड़ला जी।

सुश्री राखी बिड़लाः अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि भविष्य में अभी ओल्ड एज पेन्शन निकलने की कोई संभावनाएँ हैं, जैसे विधवा पेन्शन और विकलांग पेन्शन 24 घंटे सातों दिन रहती है लेकिन ओल्ड एज पेन्शन पिछले लगभग पिछले साल आई थी वो भी लिमिटेड आई थी। तो अभी भविष्य में कोई ऐसी योजना है तो उस पर प्रकाश डालें? धन्यवाद।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः मैं बता दूँ सदन को कि हमारे लगभग सभी विधायक साथी इस मुद्दे पर बार–बार बात करते रहे हैं कि कुछ संभावना हो तो कुछ बढ़ाया जाये। यहाँ तक कि आपने भी कई बार कहा है तो इस पर पहले से ही माननीय मुख्य मंत्री जी और उप मुख्य मंत्री जी इसको विचार कर रहे हैं तो जल्दी ही इसके बारे में सूचित किया जायेगा सबको।

माननीय अध्यक्षः विशेष रवि जी।

श्री विशेष रविः मेरा क्वेश्चन ये है कि क्योंकि इसमें जो–जो चीजें चाहिए किसी को पेन्शन लगाने के लिए, उसमें ये नहीं लिखा हुआ है। अगर किसी बुजुर्ग के ऐकाउंट में 50 हजार रुपये 40 हजार रुपये तीस हजार रुपये इसके आसपास की राशि होती है तो क्या वो पेन्शन लेने के

लिए इलीजीबल नहीं है। क्योंकि कई बार उनके कहीं से बच्चे ने पैसे डाल दिये या उनके कोई जोड़ रखे थे, वो उन्होंने ऐकाऊंट में डाल दिये या किसी भी कारण से उनके 50 हजार 40 हजार रुपये ऐकाउंट में हैं तो क्या वो ऐलीजिबल कैटेगरी में नहीं आयेंगे? क्योंकि इसमें नहीं लिखा हुआ, हमने जो चार बिंदु लिखे हुए हैं, उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि वो अगर उनके ऐकाउंट में पैसे हैं तो वो नहीं आयेंगे। इस पर कलेरिटी रहनी चाहिए।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूँ कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 35 चालीस हजार 50 हजार किसी के ऐकाउंट में पैसे आ जाते हैं तो उनकी पेन्शन काट दी जायेगी। हाँ, उसमें एक लाख की जरूर सीमा है कि अगर एक लाख उनके ऐकाउंट में आता है, होता है। तो ये माना जाता है कि इसका मतलब उनके सोर्स आफ इन्कम उस तरह का है तो इसलिए उनकी काट दी जाती है लेकिन तीस चालीस 50 हजार साठ हजार इस तरह का कोई प्रोवीजन नहीं है।

श्री विशेष रविः ये नियम है कि एक लाख रूपये होगा, तभी होगा या अभी...

माननीय अध्यक्षः भई विशेष जी, क्लीयर हो गया है बिल्कुल क्लीयर।

श्री विशेष रविः सर, मैं नियम की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अक्सर ये होता है, हम जब डीओ से बात करते हैं तो उनको भी जानकारी नहीं होती है। हम चाहते हैं कि हम नियमों से चलें। अगर नियम है कि एक लाख रुपये से कम अगर उसके ऐकाउंट में हैं तो पेन्शन लगेगी तो हम वैसे देखें। अगर नियम ये है कि एक लाख से एक रुपया ऊपर होगा

तो पेन्शन नहीं लगेगी। तो हम बात ही नहीं करेंगे वैसे। नियम क्या है, उस पर क्लेरिटी हो जाये कि क्या एक लाख रुपये का कोई नियम बना हुआ है या कोई नियम नहीं है और सिर्फ हम अंदाजे से या डीओ अपने आप अपनी समझ से काम करते हैं?

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष जी, मैं इसकी जानकारी सदन को अभी प्रश्न काल के दौरान ही दे दूँगा इस सवाल का।

अध्यक्ष महोदयः जरनैल जी। आपका क्वेश्चन हो गया? महेन्द्र गोयल जी, लास्ट।

श्री महेन्द्र गोयलः अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि एक लाख रुपये की आपकी ठीक है लेकिन मान लो एक साल में दो साल में तीन साल में उसके बैंक ऐकाउंट के अंदर कोई टर्न ओवर होती है एक लाख से ऊपर की राशि की मान लो डेढ़ लाख की हो गई, दो लाख की हो गयी, उसकी तब भी नहीं लगती। क्योंकि पैसा व्यक्ति बैंक के अंदर सेफ समझता है और वो जरूरतमंद है। जब दो साल के अंदर मान लो एंट्री उसकी एक लाख रुपये से ऊपर की क्रॉस कर जाती है तो उसकी पेन्शन नहीं लगती वो जब कि उसका हक बनता है एक लाख रुपये का बैलेंस वन टाइम चाहिए न कि एंट्री का चाहिए। इस नियम के अंदर ये संशोधन किया जाये कि एक लाख रुपये की वन टाइम के अंदर उसके वहाँ पर हुई है। यदि पैसा जिस समय वो पेन्शन लगवा रहा है, उस समय में नहीं होना चाहिए, बाकी के समय में यदि टर्न ओवर हुई है तो उसका कोई कसूर नहीं है।

माननीय अध्यक्षः क्वेश्चन निकालिए ना इसमें से, आप क्या पूछना चाहते हैं?

श्री महेन्द्र गोयलः इसके अंदर जो पेन्शन के लिए हमारा प्रावधान है, जैसे विशेष रवि जी ने बोला कि 40 पचास हजार या लाख रुपये मंत्री जी ने उसके लाख रुपये की बात कही। मेरा जो कहने का आशय है संशोधन के लिए है कि एक लाख रुपये से जैसे ऊपर क्रॉस कर जाती है टर्न ओवर, उस बैंक के अंदर तो बैंक के द्वारा बाद में वो पेन्शन समाज कल्याण विभाग के द्वारा लगाई नहीं जाती। उस नियम में संशोधन की माँग कर रहा हूँ।

माननीय अध्यक्षः राजेन्द्र जी, बताइये क्या कह रहे हैं?

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः आपका जो सवाल है, इस पर जल्दी विभाग से विचार करके इसका कोई समाधान निकाला जायेगा। अभी तक तो ये है कि अगर एक साल में टर्न ओवर एक लाख क्रॉस करती है तो उसकी काट दी जाती है।

श्री महेन्द्र गोयलः धन्यवाद। यदि आप संशोधन करते हैं तो शायद बहुत सी पब्लिक को इसका फायदा होगा।

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या–42 राजेश जी।

श्री राजेश गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–42 प्रस्तुत हैः

क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वजीरपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित उन होटलों, मोटलों तथा रेस्तरां का विवरण दीजिए जिनके पास अग्नि शमन विभाग द्वारा जारी वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र है;

(ख) क्या वजीरपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कुछ ऐसे संस्थान हैं, जिनके पास यह अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है;

(ग) इसे सुनिश्चित करने की पद्धति क्या है कि होटल, रेस्तरां, स्कूल, मंदिर, मस्जिद या अन्य धार्मिक स्थल जैसे सार्वजनिक स्थल के पास अग्नि शमन विभाग का वैध अनापत्ति प्रमाण–पत्र हो;

(घ) वर्ष 2015, 2016, 2017, 2018 एवं 2019 में इस सम्बन्ध में अग्नि शमन विभाग द्वारा जारी नोटिसों का विवरण दीजिए;

(ङ) क्या अग्निशमन विभाग द्वारा किन्हीं ऐसे परिसरों को बंद किया गया है, जिनके पास वैध अनापत्ति प्रमाण–पत्र नहीं था; और

(च) यदि हाँ, तो उनका विवरण दीजिए?

श्री सत्येन्द्र जैन (स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या–42 का उत्तर निम्न हैः

(क) दिल्ली अग्निशमन सेवा के पास उपलब्ध रिकॉर्ड दिल्ली अग्नि सेवा एक्ट व दिल्ली अग्नि सेवा रूल्स 2010 के अनुरूप किये गये हैं;

वजीरपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में वजीरपुर फॉयर सब डिवीजन आता है, उसमें स्थित उन होटलों, मोटलों तथा रेस्तरां का विवरण जिनके पास अग्नि शमन विभाग द्वारा जारी वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र है, की सूची संलग्न है (संलग्नक–1) इसके अतिरिक्त यह सूचित किया जाता है कि इस विभाग द्वारा जारी किये सभी फॉयर सेफ्टी सर्टिफिकेट निरीक्षण रिपोर्ट सहित विभागीय वेब साइट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है;

(ख) जी हाँ, दिल्ली अग्नि शमन सेवा के रिकॉर्ड के अनुसार उपरोक्त प्रकार के कुछ संस्थानों में जिनमें त्रुटियाँ/कमियॉ पायी गयी, उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया, उनकी सूची संलग्न है। (संलग्नक–2);

(ग) दिल्ली अग्नि शमन सेवा, दिल्ली फायर सर्विस एक्ट 2007 व रूल्स 2010 के अंतर्गत कार्य करती है। जो भवन रूल–27 के अंतर्गत कार्य करती है। उनके नक्शे जो कि दिल्ली बिल्डिंग बाइ लॉज के अनुरूप बनाये गए हों और पूर्ण विवरण दिया गया हो, लोकल अथॉरिटी के द्वारा इस विभाग को रूल–34 के अंतर्गत अग्रेषित किये जाते हैं। वर्तमान में यह प्रक्रिया ऑनलाइन चल रही है। ऐसे भवनों को फॉयर सेफ्टी गाइडलाइन्स जारी किये जाते हैं। तत्पश्चात रूल–33 में दिए गए फॉयर सेफ्टी प्रावधानों/उपकरणों का निरीक्षण किया जाता है। अन्यथा त्रुटि–पत्र जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो भवन पूर्व निर्मित हैं, उनमे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संदर्भ मिलने पर उपरोक्त नियमानुसार कार्रवाई की जाती है;

(घ) वर्ष 2018 में 02 व्यावसयिक भवनों और 2019 में 01 भवन (कोचिंग सेंटर) को दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा नोटिस जारी किया गया;

(ङ) जी नहीं, जिन भवनों में फॉयर सेफ्टी प्रावधान संतोषजनक नही पाए गए हों, उन्हें त्रुटि–पत्र जारी किया जाता है और कम्प्लाइंस लेटर मिलने पर दोबारा निरीक्षण किया जाता है; और

(च) कृपया उपरोक्त विवरण का अवलोकन करे।

संलग्न

Wajirpur Subdivision

	Hotels	**Status**
1	Hotel City Park Pitam Pura New Delhi	FSC
2	Plot No. 10 Road No. 42 Pitam Pura Community Centre Sewa Hotel & Resorts	FSC
3	Premier INN Hotel/Premier INN India Distt Centre Shalimar Place Shalimar Bagh Outer Ring Road (Brilliant) (Argon Hotel Pvt. Ltd.)	FSC
	Motel	
	Nil	
	Restaurant	
1	Sagar Ratna B-2/1 Ashok Vihar Pase-II	FSC
2	02 Oxygen and Multi Cuisine Rest 23-A NN Tower Block-B Road No. 44 Pitam Pura Delh FSCI Gola Sizzler	FSC
3	Pind Balluchi 114, 115 1st Floor PP Tower C-123 Netaji Subhash Palace Pitam Pura (Evam Hospitality)	FSC
4	The Mohans Rest 3-4 Central Mkt Ashok Vihar Delhi (Mittal Hotel) (Multicusine Bar Restt & Banquet)	FSC
5	Bercos Holy Shrine Hotels Pvt. Ltd. P. No. 18 Road No. 44 Rani Bagh Comm Complex Pitam Pura Delhi	FSC
6	Pacific Asia P No. G-3 Shop No. 2 Pitam Pura Cascade Shopping Centre Netaji Subhash Puce Pitam Pura	FSC
7	Sanjha Chulha Rest Pvt. Ltd. 361 Kohat Enclave Pitam Pura	FSC
8	All Heaven Rest B-97 Wazirpur Industrial Area Delhi	FSC
9	Mohan Leela Royal Restt A- 8/3 Wazirpur Industrial Area for Mittal Hotels	FSC
10	Mc Donalds Connaught Plaza Rest S. No. 17 G F B Block Comm Centre Park Mall Shalimar Bagh Shop in Park	FSC
11	Mughal Grantha 116-117 FF NDM Mall Netaji Subhash Place Pitam Pura	FSC

12	Pizza Hut Rest G 5 Aggarwal Millenuum Tower (Devyani International)	FSC
13	Haldi Ram Product 103, 125, 126, 127 D Mall Netaji Subhash Place Pitam Pura	FSC
14	MC Donalds Connaught Plaza Rest S. No. 17 G F B Block Comm Centre Park Mall Shalimar Bagh Shop in Park	FSC
15	Mughal Grantha 116-117 FF NDM Mall Netaji Subhash Place Pitam Pura	FSC
16	Pizza Hut Rest G 5 Aggarwal Millenuum Tower (Devyani International)	FSC
17	Haldi Ram Product 103, 125, 126, 127 D Mall Netaji Subhash Palace Pitam Pura	FSC
18	Green Launge G 39 & 40 Aggarwal City Mall Road P. No. 5 Road No. 44 Pitam Pura GF	FSC
19	Green Launge LGF 1 & LGF 2 Aggarwal City Mall P. No. 5 Road No 44 Pitam Pura LGF	FSC
20	MC Donalds Anchor 1 GF D Mall A 1 Netaji Subhash Palace Pitam Pura	FSC
21	Kaleva World Restt GD 21 Pitam Pura (Near Opp Metro Piller No. 368)	FSC
22	Barbeque Nation Restaurant Unit No. 101 & 102 FF A 7 Netaji Subhash Palace Pitam Pura Distt Centre WP	FSC
23	Suravic Restaurant 101 FF Plot No. C 456 Cyber Plaza Tower Netaji Palace	FSC
24.	Barshala FF 23 A Road No. 44 NN Tower Community Centre Pitam Pura	FSC
25	Bikanerwala Food Shop No. 102 FF ITL Twin Tower B 9 Netaji Subhash Place Pitam Pura	
26	Xpose Lounge and Bare 200, 200A & 200B SF ITL Twin Tower Plot No. B 9 Netaji Subhash Place Pitam Pura	FSC
27	Sandoz Restt B 2/20 Ashok Vihar Phase-II	FSC

1.	MC Donald Family Restt at DT City Centre Shop No. 2, 3 & 4 GF Block A Community Centre Shalimar Bagh	Shortcoming
2	Sagar Ratna FD 2 GF Pitam Pura	Shortcoming
3	Burger King Restt at PP Tower C-1, 2, 3 D Mall Netaji Subhash Place Pitam Pura Distt Centre Wazirpur	Shortcoming
4	Fiery Grills 306 Netaji Subhash Place Pitam Pura in D Mall for Wow Hotel	Shortcoming
5	Alcoholic Lounge Unit No. 114 to 116 FF North Square Mall Netaji Subhash Place Pitam Pura	Shortcoming
6	Barshala Unit No. G 6, 7 & 8 G 19, 20 & 21 GF Inderlok Metro Station	Shortcoming
7	Barshala Unit No. 1A & 1B FF Big JOS Tower Netaji Subhash Place Pitam Pura	Shortcoming
8	Vickey Food Corporation C 38/1 Lawrance Road Indl. Area	Shortcoming
9	Lallan Top D 1 GF 32 Pearls Omaxe Mall Netaji Subhash Place	Shortcoming
10	Rooftop Restro Shop No. 7 DDA Mkt BU Block Pitam Pura	Shortcoming
11	Jubilant Food Work Domino Pizza Shop No. G 11, 12 & 17 P. No. C 4, 5, 6 Aggarwal Plaza Netaji Subhash Place Pitam Pura	Shortcoming
12	Laddi ka Dhaba C 8 Shop No. 8 DDA Mkt. Keshav Puram Pura	Shortcoming
13	The Blessing Bliss P. No. 04 LSC Junction 80 FT Road Pitam Pura	Shortcoming
14	Kesar G 1, 2 & 3 GF Aagarwal 1708 Chamber LSC K Vihar Pitampura	Shortcoming

15	Chatoreee Pure Veg G 6-12 GF GU Block Vardhman Century Plaza Pitam Pura	Shortcoming
16	Chaska Restaurant Shop No. 2-3 Maya Complex GU Block Pitam Pura	Shortcoming
17	Tisys by FFS Hospility P. No. 5 New Wardhaman Mkt West Enclave Pitam Pura	Shortcoming
18	BTW India Pvt. Ltd. WZ 664 FF Rishi Nagar Rani Bagh	Shortcoming
19	Moti Mahal Deluxe 157 Opp Kapil Vihar Pitam Pura	Shortcoming
20	DRS Foods P. No. 4 GF Vaishau Enclave Pitam Pura	Shortcomiwr
21	Themis Kitchen Shop No. 251 SF P. No. E-1, 2, 3 Aggarwal Millenium Tower DCWP NS Place Pitam Pura for Faction Hospitality	Shortcoming
22	Jubiliant Food Works Shop No. 3 P. No. 3 GF FF LSC Shalimar Bagh (Dominos Pizza)	Shortcoming
23	Moment Bar & Lounge FF 101, 102, 103, 104 North Square Mall Netaji Shubash Palace Pitam Pura (Armaan Enterprises)	Shortcoming
24	Cafè Desire 101 FFD Mall Netaji Shubash Palace Pitam Pura	Shortcoming
25	Kays Cafè the Fun & Food Gallery P. No. 29 GF MEZZ Central Mkt Ashok Vihar Phase-I	Shortcoming
26	Dominos Pizza FCT 3rd Floor Food Court DTJ City Centre Shalimar Bagh	Shortcoming
27	Culinaria by Meet 66 Shakti Vihar Pitam Pura	Shortcoming
28	Friendz Hospitality P. No. C 1 FF Gunjan Tower LSC J Block Ashok Vlhar (Wazirpur)	Shortcoming

29	Masters Shop No. 78 GF Deep Cinema Complex Central Mkt Ashok Vihar Phase-I	Shortcoming
30	Grand Vision Hospitality B 1/7 GF Ashok Vihar Ph-II	Shortcoming
31	Shiv Nath Rai Sumer Chand Confectionary at Shop No. 5 Vaishali Main Road No. 41 Pitam Pura	Shortcoming
32	Celebration 271 SF P. No. 3 Comm. Centre Road No. 44 Pitam Pura Rani Bagh	Shortcoming
33	Domino Pizza KD 1 & 2 LSC Mkt Pitam Pura for Jubiliant Food Works	Shortcoming
34	Kishan Gopal Dhaba at L 200 GF Shastri Nagar Delhi	Shortcoming
35	Pikwik Restt No. 66 Shakti Vihar Pitam Pura New Delhi	Shortcoming
36	Saleem Muglai Food 34 BGF J Block DDA Mkt Ashok Vihar (Take Away)	Shortcoming
37	Shanu the Food Shop No. 31 DDA Mkt Keshav Puram	Shortcoming
38	Bharat Sweet House AB 9 Shalimar Bagh	Shortcoming
39	Haveli Ram Residency Sweet & Restt No. 120 GF FF Shakti Vihar Pitam Pura	Shortcoming
40	Changezi Chicken Shop No. 6 GF Durga House LSC Plot No. 8 DP Block Pitam Pura	Shortcoming
41	Jitender Punjabi Dhaba Shop No. 1 VP Block DDA Mkt Pitam Pura	Shortcoming
42	Avond 4 on 44 Restt No. 112 FF Aggarwal City Mall Road No. 44 Complex Near M2k Cinema Pitam Pura	Shortcoming
43	Peshawari (Kohatwale) G 2 GF Sagar Complex CD Block Pitampura	Shortcoming
44	Madrina Restt B 1/7 Ashok Vihar Ph-II Grand Vision	Shortcoming
45	Coffee Lounge GF Plot No. A1 Community Centre Pitampura Road No. 43 Mangolpuri Indl. Area Ph-II	Shortcoming

46	Reloaded Restt SF Plot No. A2 Community Centre Pitampura Road No. 43 Mangolpuri Indl. Area Ph-II	Shortcoming
47	Dominos Pizza Shop No. 2, 3, 4, 25, 26, 27 LSC Market Pkt. B Ashok Vihar	Shortcoming
48	Starbucks Coffee G 10 11 Plot No. A 2 3 4 NSP Wazirpur	Shortcoming
49	Golden Berry 108-111 FF Aggarwal City Mall Plot No. 4 Pitampura	Shortcoming
50	Dons Den Unit No. 202 SF PP Tower Netaji Subhash Place Pitam Pura	Shortcoming
51	Pole Star Plot No. 3371 Aggarwal City Mall Road No. 44 Pitam Pura Delhi	Shortcoming
52	Metro Grill RET (A Unit of NAC International) Shop No. 21-25 F Floor CSC Mkt Sandesh Vihar Pitam Pura	Shortcoming
53	KFC Rest No. 2 Ground Floor Ansal MGF Metro Plaza Subhash Place Metro Station Pitam Pura Delhi	Shortcoming
54	Salona Rest/Banquet Hall A9/2 Wazirpur Indl. Area Delhi	Shortcoming
55	The Terrace at 391 IIIrd Floor P. No. 5 Aggarwal City Mall Rani Bagh Pitam Pura Chunmun Store	Shortcoming
56	Jay EMM Vigor & Vitality Mam Ram Majesty Mall 3rd Floor P. No. 2 Rd. No. 43	Shortcoming
57	Mcdonalds Family Rest M2K Multiplex Comm. Centre Rd. No. 44 Pitam Pura	Shortcoming
58	Alfa Spice Rest 34 Comm Centre Wazirpur Indl. Area	Shortcoming
59	Haldi Ram A 94/5 Indl. Area Wazirpur	Shortcoming
60	Haldiram Bhujiawala Plot No. A-94/4 Wazirpur Indl Area	Shortcoming
61	Bellagio/Flamingo 13-14 Community Centre Ashok Vihar Phase-II	Shortcoming

RULE 27 OF DELHI FIRE SERVICE RULES

27. Classes of occupancies likely to cause a risk of fire. The following classes of occupancies for the purposes of sub-section (1) of section 25 of the Act shall be construed to likely cause a risk of fire, namely:-

(1) Pandal having seating capacity more than 50 persons or covered area more than 50 square meters.

(2) Residential buildings (other than hotels and guest houses) having height more than 15 meters or having ground plus four upper stories including mezzanine floor.

(3) Hotels and guest houses having height more than 12 meters having ground plus three upper stories including mezzanine floor.

(4) Educational buildings having height more than 9 meters or having ground plus two upper stories including mezzanine floor.

(5) Institutional buildings having height more than 9 meters or having ground plus two upper stories including mezzanine floor.

(6) All Assembly buildings.

(7) Business buildings having height more than 15 meters or having ground plus four upper stories including mezzanine floor.

(8) Mercantile buildings having height more than 9 meters or having ground plus two upper stories including mezzanine floor.

(9) Industrial buildings having covered area on ail floors more than 250 square meters.

(10) Storage buildings having covered area on all floors more than 250 square meters.

(11) All Hazardous buildings having covered area on all floors more than 100 square meters.

(12) Underground Structures.

33. Minimum standards for fire prevention and fire safety for buildings. (1) The minimum standards for fire prevention and fire safety for buildings as may be applicable with reference to the height of the building and class of occupancy for the purposes of section 32 and section 35 of the Act shall be as are provided in the building bye-laws or National Building Code of India 2005 relating to the following matters:-

(1) Access to building.

(2) Number, Width, Type and Arrangement of exits.

(3) Protection of Exits by means of fire check door (s) and or pressurization.

(4) Compartmentation.

(5) Smoke Management System.

(6) Fire Extinguishers.

(7) First-Aid Hose Reels.

(8) Automatic fire detection and alarming system.

(9) MOEFA.

(10) Public Address System.

(11) Automatic Sprinkler System.

(12) Internal Hydrants and Yard Hydrants.

(13) Pumping Arrangements.

(14) Captive Water Storage for fire fighting.

(15) Exit Signage.

(16) Provision of Lifts.

(17) Standby power supply.

(18) Refuge Area.

(19) Fire Control Room.

(20) Special Fire Protection Systems for Protection of special Risks:

Provided that classes of occupancies or buildings or premises for which fire prevention and fire safety measures are not provided in the building bye-laws or National Building Code of India 2005, the Director may require owner or occupier of such occupancies or buildings or premises to provide fire prevention and fire safety measures in accordance with international standards as may be provided by the Fire Prevention Wing.

अध्यक्ष महोदयः सप्लीमैंटरी, राजेश जी।

श्री राजेश गुप्ताः अध्यक्ष जी, मैं माननीय गृह मंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि जवाब में ही है और इसके पीछे भी इन्होंने एक पूरी लिस्ट दी है, मुझे विभाग ने जिसके अंदर 61 ऐसी रेस्टोरेंट इन्होंने बताये हैं जिसमें शार्ट कमिंग्स हैं। 61, सिर्फ तीन होटल ऐसे हैं जिनमें इन्होंने सर्टिफिकेट दिया है। 27 रेस्टोरेंट ऐसे हैं। पीछे कई घटनाएँ ऐसी हुई और काफी सारी दिल्ली सरकार ने उसके अंदर कुछ कहा कि भई इनको ठीक करा जाये। कहीं सीढियों में कुछ रखा हुआ है; बहुत सारी डिबेटस पर हमने सुना अगर 61 में शार्ट कमिंग्स हैं और सिर्फ तीन होटल और 27 रेस्टोरेंटस और अभी तो इसके अंदर जो मैंने और पूछा था जिसमें मंदिर या सार्वजनिक स्थल... चाहे वो स्कूल हों, चाहे हॉस्पीटल हों, सबके बारे में पूछा था। वो तो उसकी जानकारी नहीं आई है तो फिर ऐसे में कोई दुर्घटना अगर हो जाती है क्योंकि ये तो शॉर्ट की तरफ नोटिस भी अगर आप देखें तो जवाब के अंदर जैसा कि बताया गया कि सिर्फ एक को नोटिस दिया गया। अगर इसमें भगवान न करे कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेवार होगा? क्योंकि उस वक्त ये होता है कि एमसीडी ये कह

देती है कि फॉयर बता दे। फॉयर बताये या एमसीडी तो इनकी साथ में क्या किया जा रहा है? क्या इनको निर्देश दिये गये हैं कि कितने समय के लिए देने हैं, इसका जवाब दिया जाये।

अध्यक्ष महोदयः शार्ट करेंगे।

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः मैं बता रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं क्लीयर करना चाहता हूँ कि जब तक एनओसी नहीं मिलता तब तक तो वो अपनी सर्विसेज चला ही नहीं सकते जिसमें भी शार्ट कमिंग है। इसका मतलब वो चल नहीं सकती। अगर चल रही है तो बिल्कुल इल्लीगल है। तो वहाँ पर कोई इशू नहीं बनता है कि वो चल रही होगी या किस की जिम्मेदारी होगी। सिर्फ जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उस ओनर की होगी जो बिना एनओसी के वो चला रहा है। जब तक एनओसी नहीं मिलेगा तब तक वो चला ही नहीं सकता।

श्री राजेश गुप्ताः मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि फॉयर डिपार्टमेंट एमसीडी को चिटठी लिखे कि इन्हें बंद कराया जाये।

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि जिनको शॉर्ट कमिंग इशू की गयी है, आप चैक कर लीजियेगा अगर इनमें से कोई भी चल रहा है तो आप मेरे संज्ञान में लाइएगा, जरूर उन को सबको बंद करा दिया जायेगा।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। प्रश्न संख्या–43, मनोज जी।

श्री मनोज कुमारः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। मैं माननीय परिवहन मंत्री जी से प्रश्न संख्या–43 का उत्तर चाहूँगा। प्रश्न संख्या–43।

(क) कोण्डली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मयूर विहार तृतीय चरण में सार्वजनिक परिवहन के लिए उपलब्ध बसों का विवरण दीजिए;

(ख) क्या इस क्षेत्र में बसों की कमी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) क्या इस क्षेत्र में जर्जर बस स्टैन्डों का जीर्णोद्धार करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव है?

माननीय परिवहन मंत्री (श्री कैलाश गहलोत): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–43 का उत्तर निम्न है:

(क) कोण्डली विधान सभा क्षेत्र से होकर दिल्ली परिवहन निगम की 22 रूटों पर कुल 209 बसें परिचालन में हैं तथा 18 स्पेशल फेरे परिचालन हेतु अनुसूचित हैं, जिनका ब्यौरा परिशिष्ट–क पर उपलब्ध है। इनमें से 12 रूटों पर कुल 81 बसें, 18 स्पेशल फेरे मयूर विहार फेज–3 से होकर परिचालन में हैं, जिनका ब्यौरा परिशिष्ट–'क' पर उपलब्ध है;

इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में क्लस्टर सेवा के अंतर्गत 05 रूटों पर बसें परिचालित है जिनका ब्यौरा परिशिष्ट–'ग' पर उपलब्ध है;

कोण्डली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मयूर विहार तृतीय चरण में चलने वाली प्राइवेट मिनी स्टेज कैरिज बसों का ब्यौरा परिशिष्ट–'घ' पर उपलब्ध है;

(ख) (1) वर्तमान में दिल्ली परिवहन निगम के बेडे में 3781 (2506 नॉन एसी और 1275 एसी) लो फ्लोर सीएनजी बसें है;

दिल्ली परिवहन निगम 1000 नई एसी लो फ्लोर सीएनजी बसों को खरीदने की प्रक्रिया में हैं जिसके लिए निविदा दिनांक 26.07.2019 को जारी कर दी गयी है और जमा निविदाएँ दिनांक 06.09.2019 को खोली जाएँगी;

बसों को खरीदने का ऑर्डर देने की सम्भावित तिथि 22.10.2019 है और बसें जनवरी 2010 से आनी शुरू हो जाएगी। ये सारी 1000 नई बसें वर्ष 2020 में आने की संम्भावना है;

इसके अतिरिक्त डीटीसी की 300 एसी लो फ्लोर इलैक्ट्रिक बसें (आपक्स मॉडल) भारत सरकार की फेम–2 की योजना के अन्तर्गत आबंटित की गयी है। इन बसों का दिसम्बर 2019 तक ऑर्डर होने की संभावना है और सारी 300 बसों का वर्ष 2020 में आने का अनुमान है;

(2) क्लस्टर सेवा के अंतर्गत 1000 स्टैंडर्ड फ्लोर बसें, 1000 लो फ्लोर एसी बसें तथा 385 इलैक्ट्रिक बसें अगस्त 2019 से अप्रैल 2020 तक बेड़े में सम्मिलित होंगी;

(3) नई बसें आने के उपरांत इस क्षेत्र के रूटों पर भी बसें बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है; और

(ग) जी हाँ, पूरी दिल्ली में कुल 1397 नए बस क्यू शैल्टर्स बनाए जाने प्रस्तावित हैं जिसमें कोंडली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मयूर विहार तृतीय चरण के अन्तर्गत आने वाले बस क्यू शैल्टर्स भी इसमें सम्मिलित हैं।

परिशिष्ट 'क'

Details of Bus Service from Kondli Constituency

Sl. No.	Route No.	From	To	No. of Buses
1	2	3	4	5
1	33	Noida Sec-43 P.C. Sadar Pur	Bhajan Pura	50
2	33A	Noida Sec-43 P.C. Sadar Pur	Chauhan Patti	2
3	34A	Mayur Vihar Phase-III Paper Market Paper Market	Lado Sarai Terminal	14
4	118EXT	Mayur Vihar Phase-III	Mori Gate (T)	17
5	211	Mayur Vihar Phase-III	Mori Gate (T)	14
6	211B	Mayur Vihar Phase-III (Via Paper Market)	Mori Gate (T)	14 Trip
7	306	Kalyan Puri	Nehru Place Terminal	10
8	307A	Mayur Vihar Phase-II	N.D. Rly. Station Gate No-2	5
9	309	Kalyan Puri	Anand Parbat	38
10	319	Noida Sec-43 P.C. Sadar Pur	Shahdara (T)	13
11	319A	Noida Sec-43 P.C. Sadar Pur	Shahdara (T)	3

1	2	3	4	5
12	344	Kalyan Puri	Hauz Khas (T)	1
13	344 Exp.	Mayur Vihar Ph-3	AIIMS	1 Trip
14	348	Mayur Vihar Phase-III Paper Market Paper Market	Mori Gate (T)	5
15	378	Mayur Vihar Phase-III Paper Market Paper Market	Kendriya Terminal	6
16	390	Mayur Vihar Phase-I Terminal	Kendriya Terminal	3
17	391	Kalyan Puri	Kendriya Terminal	3
18	398	Mayur Vihar Phase-III Paper Market Paper Market	Dhaula Kuan	5
19	611	Mayur Vihar Phase-III (Via Paper Market)	Dhaula Kuan	19
20	611 B	Mayur Vihar Phase-III	Nehru Place Terminal	2 Trip
21	611 DND Exp.	Mayur Vihar Phase-III	R.K. Puram Sec-1	1 Trip
22	0118 Ext NS	Mayur Vihar Phase-III (Via Paper Market)	Mori Gate (T)	1
		Total		209+18 Trip

परिशिष्ट 'ख'

Details of Bus Service from Mayur Vihar Phase-III

Sl. No.	Route No.	From	To	No. of Buses
1	34A	Mayur Vihar Phase-III Paper Market Paper Market	Lado Sarai Terminal	14
2	118 Ext.	Mayur Vihar Phase-III Paper Market Paper Market	Mori Gate (T)	17
3	211	Mayur Vihar Phase-III Paper Market Paper Market	Mori Gate (T)	14
4	211 B	Mayur Vihar Phase-III (Via Paper Market)	Mori Gate (T)	14 Trip
5	344 Exp.	Mayur Vihar Phase-III	AIIMS	1 Trip
6	348	Mayur Vihar Phase-III Paper Market Paper Market	Mori Gate (T)	5
7	378	Mayur Vihar Phase-III Paper Market Paper Market	Kendriya Terminal	6
8	398	Mayur Vihar Phase-III Paper Market Paper Market	Dhaula Kuan	5
9	611	Mayur Vihar Phase-III (Via Paper Market)	Dhaula Kuan	19
10	611 B	Mayur Vihar Phase-III (Via Paper Market)	Nehru Place Terminal	2 Trip
11	611 DND Exp.	Mayur Vihar Phase-III (Via Paper Market)	R.K. Puram Sec-1	3 Trip
12	0118 Ext. NS	Mayur Vihar Phase-III (Via Paper Market)	Mori Gate (T)	1
		Total		81+18 Trip

परिशिष्ट 'ग'

Sl. No.	Route No.	From	To	Number of Cluster Buses in Operation	Via
1	211	Mayur Vihar Phase-III	Mori Gate Terminal	18	Mayur Vihar Phase-III, New Kondli A-1 (Crossing), Kalyan Puri Xing, National Highway Xing, Seelam Pur Metro Station, Mori Gate Terminal
2	206	Mayur Vihar Phase-III Terminal/Paper Market	Bhajan Pura	7	Mayur Vihar Phase-I, New Kondli A-1 (Crossing), Kalyan Puri Xing, National Highway Xing, Seelam Pur Metro Station, Bhajan Pura.
3	348	Mayur Vihar Phase-III Terminal/Paper Market	Mori Gate Terminal	13	Mayur Vihar Phase-III, New Kondli A-1 (Crossing), Kalyan Puri Xing, East Vinod Nagar Depot. Mother Dairy, Bhajan Pura, ITO Ring Road, Ambedkar Stadium Terminal, Red Fort, Mori Gate Terminal.
4	611	Mayur Vihar Phase-III	Dhaula Kuan (ARSD College)	10	Mayaur Vihar Phase-III, New Kondali A-1, Kalyanpuri, Trilokpuri 13 Block, Akasher Dham Mandir (Pusta Xing), AIIMS, South Moti Bagh R.R., Dhaula Kuan (ARSD College).
5	311A	Anand Vihar ISBT	Ambedkar Nagar Terminal	12	Anand Vihar ISBT, National Highway 24 Crossing, Kalyan Puri Terminal, Trilokpuri 13-Block, Pocket-5 Mayur Vihar Phase-I, Akhardham Temple, ISBT Sarai Kale Khan, Hamdard Nagar/ Sangam Vihar, Ambedkar Nagar Terminal.
			Total No. of Buses	60	

परिशिष्ट 'घ'

क्रम सं.	रूट सं.	कहां से कहां तक	कुल बसें
1.	एफ–302	मयूर विहार फेस–III से आईटीओ	01
2.	एफ–303ए	मयूर विहार फेस–III से शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन	12
3.	एफ–313ए	मयूर विहार फेस–III से नानक सर	28
4.	एफ–253ए	मयूर विहार फेस–III से सीलमपुर मेट्रो स्टेशन	43
5.	एफ–259ए	मयूर विहार फेस–III से सीमापुरी	13
	मेट्रो रूट		
1.	एमएल–53ए	मयूर विहार फेस–III से सीमापुरी टर्मिनल	2
2.	एमएल–53	मयूर विहार फेस–III से दिलशाद गार्डन	8

माननीय अध्यक्षः सप्लीमेंटरी मनोज जी।

श्री मनोज कुमारः अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहूँगा कि जो द्वितीय चरण है, ये कब तक आरंभ होने की संभावना है?

माननीय परिवहन मंत्रीः क्या? मैं समझ नहीं पाया पूरा क्वेश्चन क्या है?

श्री मनोज कुमारः आपने उत्तर में दिया है कि कोंडली विधान सभा में नये बस क्यू शैल्टर्स बनाये जाने प्रस्तावित हैं जिसमें कोंडली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मयूर विहार तृतीय चरण के अंतर्गत आने वाले बस क्यू शेल्टर भी शामिल हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो तृतीय चरण है, ये कब तक शुरू हो जायेगा?

माननीय परिवहन मंत्रीः बस क्यू शैल्टर... अध्यक्ष जी, ये इशु पहले भी इस सदन में काफी बार उठाया गया है और उसकी सारी फॉर्मेलिटीज जो हैं, वो पूरी हो चुकी हैं। फाइल जो है, फाइनांस डिपार्टमेंट और जितने भी कंसर्ड डिपार्टमेंट उसमें जाके आई थिंक बहुत जल्द इसका कैबिनेट नोट पुट अप हो जायेगा।

माननीय अध्यक्षः हाँ, संजीव जी।

श्री संजीव झाः अध्यक्ष महोदय, पिछले चार साल से ये ही हो रहा है कि हर बार यही कहा जाता है हाउस में कि अगले चरण में हो जायेगा। अब तो तीन महीने बाद चुनाव भी आने हैं। ये चरण क्या चुनाव के बाद आयेगा, चुनाव से पहले हो जायेगा कि अगला चरण हम चुनाव तो नहीं कह रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः नहीं, वैसे कैलाश जी, इसका एक निर्णय हम अभी तक नहीं कर पाये हैं।

माननीय परिवहन मंत्रीः सर, इसमें डिपार्टमेंट द्वारा काफी इसमें एक्सरसाइज की गयी जैसा कि पहले भी मैंने इस पूरे सदन के माध्यम से ये बीच में रखा था लेकिन जो भी एमएलए, एमएलएज की रिक्वेस्ट अलग–अलग जगह से आ रही हैं, वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा आपको ये

जानकर कि लगभग जितनी भी रिक्वेस्ट एमएलएज से आई हैं, वो अलग–अलग जगह बस क्यू शैल्टर्स ट्रांसपोर्ट द्वारा वो एमएलए फंड के द्वारा लगायी जा रही हैं। लगभग आई थिंक अरांउड 70 बस क्यू शेल्टर आलरेडी इंस्टॉल किये जा चुके हैं। और रिमेनिंग जो 80 बस क्यू शेल्टर्स की रिक्वेस्ट है अलग–अलग एमएलएज की, उनको भी बहुत जल्दी मेरे ख्याल से विद इन... मे बी अनदर टू वीक्स उसके टैंडर्स लोट कर दिये जाएँगे।

माननीय अध्यक्षः नहीं, उनका प्रश्न ये है डिपार्टमेंट द्वारा, विभाग द्वारा जो शेल्टर लगने थे, उनमें देरी का क्या कारण है। कब तक संभव हो सकेगा? संजीव झा जी का क्लीयर क्वेश्चन ये है।

माननीय परिवहन मंत्रीः स्पीकर साहब, उसमें देरी का कारण ये है कि मल्टीप्ल टाइम टैंडर्स आर फेल्ड। जो बार–बार टैंडर लगाये गये क्योंकि ये जितने भी लगभग 1397 जो हम बस क्यू शेल्टर्स कह रहे हैं ये सारे मोस्टली रूरल एरियाज में हैं जो कि बाहरी दिल्ली की जितनी विधान सभा हैं, दो बार टैंडर आल्रेडी फेल हो चुके हैं। इस बार फिर हमने पीडब्ल्युडी का रिक्वेस्ट किया है कि उसको नये तरीके से पूरे एस्टीमेटस बनाके वो सारी फॉरमैलिटीज पूरी हो गयी हैं सर। आई थिंक विद इन मे बी टू वीक्स।

माननीय अध्यक्षः कैलाश जी, मैं... संजीव जी, मैं क्लीयर कर रहा हूँ। कैलाश जी, मैं अगर फंड देता हूँ, उसका टैंडर लग जाता है; तीन–चार महीने में काम हो जाता है। दिक्कत ये है कि मेरे एमएलए द्वारा दिये गये, मेरे यहाँ भी शेल्टर लगे हैं। एमएलए फंड से लगे हैं। तो इसका मतलब ये अर्थ जाता है कि विभाग के पास या तो फाइनेंस की कमी है या विभाग टैंडर नहीं लगाना चाहता।

माननीय परिवहन मंत्रीः नहीं, सर, दो बार टैंडर्स लगाये गये हैं। सर, स्मॉल क्वांटिटीज में जो टैंडर लगते हैं, दो के... चार के... या दस के... तो उसको एमएलए फंड द्वारा जो है, उसमें टैंडर में रिस्पोंस आये जा रहा है। लेकिन दो बार जब 1397 की अलग–अलग क्लस्टर्स बनाके जब टैंडर्स लगाये गये तो दोनों बार उसमें कोई रिस्पोंस नहीं आया। वो तो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। मतलब Anyways, I can not lie in this august House.

माननीय अध्यक्षः इसको थोड़े–थोड़े करके लगा लीजिए। काम तो पूरा होना है जी।

माननीय परिवहन मंत्रीः तो इस बार.. इस बार...

माननीय अध्यक्षः नहीं, संजीव जी, हो गया आपका प्लीज। एक सप्लीमेंटरी और नहीं। मनोज जी, हो गया आपका। नहीं, अब नहीं, अब नहीं, बस। हाँ ऋषि जी। मनोज जी, आपको मैंने समय दिया सप्लीमेंटरी का। नहीं, अभी बीच में ब्रेक हो गया न। फिर रह जायेंगे। और क्वेश्चन भी हैं नहीं प्लीज।

श्री राजेश ऋषिः अध्यक्ष जी, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः नहीं हो सकता है, आपका क्वेश्चन निकल आये। ऋषि जी।

श्री राजेश ऋषिः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि...

श्री मनोज कुमारः एक बस शेल्टर एक मकान के ऊपर गिर चुका है।

श्री राजेश ऋषिः मैं वही बात कर रहा हूँ।

श्री मनोज कुमारः जो खत्म हो चुके हैं, कम से कम उनको हटवा दिया जाये।

श्री राजेश ऋषिः मनोज भाई, वही बात बात कर रहा हूँ मैं भी।

श्री मनोज कुमारः वो मकान के ऊपर गिर चुका है। एक हफते से वो मकान के ऊपर गिरा था, अब पता नहीं। उन लोगों ने... आरडब्लूए ने मिलके वो बस शेल्टर हटाया है या डिपार्टमेंट ने हटाया है। इतनी बुरी हालत है अध्यक्ष जी।

माननीय परिवहन मंत्रीः ऐसी जितनी भी... अगर कुछ कंपलैंट आती हैं तो तुरंत उसपे कार्रवाई करके उसको हटा दिया जाता है। अगर मैं मनोज जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो डिटेल्स शेयर कर लें तो we will take prompt action.

माननीय अध्यक्षः हाँ जल्दी करिए। ऋषि जी।

श्री राजेश ऋषिः अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे क्षेत्र के अंदर बस शेल्टर्स बने हुए हैं, जो टूरिज्म विभाग ने शुरू में बनाके डीडीए के टाइम में दिये थे जिसमें दो–दो दुकानें अलॉट थीं, वो आज बिल्कुल जर्जर हाल में हैं। कई टूट के गिर चुके हैं। बहुत बुरे हाल में हैं। इसको मैं पहले भी उठा चुका इस बात को कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो दुकानें थीं, वो चार–चार, दो–दो, तीन–तीन मंजिल बन चुकी। टॉयलेट बना लिए उन्होंने। आसपास की जगह घेर ली। बस शेल्टर में खड़ा होने की जगह नहीं है। क्या कोई ऐसा आपका आगे है कि उसको बनाने जाएँगे या उन लोगों ने जिनको छोटी दुकानें मिली

थी, आज उन्हों चार गुणी कर ली, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करने जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ आपसे?

माननीय परिवहन मंत्रीः नहीं, डेली गवनर्मेंट द्वारा कोई ऐसे बस के शैल्टर्स हैं जो आप कह रहे हैं कि इन्क्रोच हो गये क्योंकि कुछ समय पहले हमने जितने भी बस क्यू शेल्टर्स, इनका सबका सर्वे भी कराया था। तो ऐसी कोई चीज या तो सर, ये डेली गवनर्मेंट द्वारा नहीं बल्कि डीडीए द्वारा या कुछ ये बस क्यू शेल्टर्स बनाये गये होंगे।

श्री राजेश ऋषिः सर, टूरिज्म वालों ने बनाये थे; डीडीए के टाइम में और ये मेरी जनकपुरी के अंदर 7 ऐसे हैं, बड़े–बड़े बने हुए और एक में तो अभी आपने शायद टैम्पो स्टैंड भी...

माननीय अध्यक्षः आप लिख के दे दीजिए जो–जो हैं, सातों लिख के दे दीजिए।

माननीय परिवहन मंत्रीः सर विद योअर परमिशन कमिशनर ट्रांसपोर्ट यहाँ पर हैं, आई एम डायरेक्टिंग हिम कि इसकी जो भी डिटेल्स हों, वो तुरंत पता करके अगर दिल्ली सरकार द्वारा हैं तो उनको तुंरत हटाया जाए।

माननीय अध्यक्षः देखिए, वैसे गहलोत जी माननीय मंत्री जी, दिल्ली में पुराने शेल्टर जो जर्जर हो चुके हैं बहुत ज्यादा, उनको सर्वे करके उनको हटाना चाहिए और वो बहुत खतरनाक हैं। वहाँ कोई बस जाती नहीं, रुकती नहीं, न बस का कोई लेना–देना है। उसकी पॉलिसी बनाकर वो हटा दिये जाएँ तो भी एक अच्छा दृश्य बनेगा।

माननीय परिवहन मंत्रीः इसको सर, बिल्कुल कर दिया जाएगा तुंरत।

माननीय अध्यक्षः श्री जगदीश प्रधान जी।

श्री जगदीश प्रधानः प्रश्न संख्या–44 का मंत्री जी से निवेदन करूंगा, उसका उत्तर देने की कृपा करें:

(क) क्या यह सत्य है कि खजूरी खास फ्लाई ओवर से चाँद बांग तक लोक निर्माण विभाग की सड़क पर अत्यधिक अवैध कब्जा होने के कारण क्षेत्र में यातायात अवरूद्ध रहता है;

(ख) यदि हाँ, तो यातायात अवरूद्ध और दुर्घटनाओं की समस्या के समाधान करने के लिए इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) कब तक इन अवैध कब्जों को हटा दिया जाएगा?

मानननीय लोक निर्माण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, उत्तर निम्न प्रकार हैं:

(क) जी हाँ, खजूरी खास फलाईओवर से चाँद बाग तक लोक निर्माण विभाग की सर्विस रोड एवं फुटपाथ पर फल, सब्जी विक्रेताओं, कार रिपेयरिंग वर्कशॉप, वाहनों का अवैध पार्किंग एवं रेहड़ी पटरी इत्यादि द्वारा स्थायी रूप से कब्जा किया गया है;

(ख) एसटीएफ की मदद से समय–समय पर हटाया जाता है (संलग्न–तीन पत्र); और

(ग) अवैध कब्जे को हटाने की समय सीमा एमसीडी द्वारा एसटीएफ की मीटिंग बुलाकर ही तय की जाती है।

संलग्नक

GOVT. OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
PUBLIC WORKS DEPARTMENT

कार्यालय सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि. (उ.पू.) एम–सड़क,
उपमंडल एम–2132,
यमुना विहार दिल्ली–53
फोन नं. 011–22919731

Office of Assistant Engineer
PWD, (N.E.) M-Road,
Sub-Division M-2132,
Yamuna Vihar Delhi-53
Phone No.-011-22919731

पत्र संख्याः– 23(अति.)सं.अभि.–II / सि.स.अनु. / एम–213 / 285 दिनांक 16.4.19

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी (SDM),
उत्तर पूर्वी ज़िला, सीलमपुर,
दिल्ली–110053

विषयः– मेन वजीराबाद रोड पर भजनपुरा मार्किट के साथ सर्विस रोड एवं फुटपाथ से अतिक्रमण एवं अवैध पार्किंग को हटवाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में आपको सूचित कराना है कि मेन वजीराबाद रोड पर भजनपुरा मार्किट के साथ सर्विस रोड एवं फुटपाथ पर लोगों द्वारा देहड़ी–पटरी, वाहन पार्किंग एवं दुकानदारों द्वारा स्टेप्स, रैम्स बनाकर, बिक्री हेतु वाहनों की अवैध पार्किंग इत्यादि द्वारा रोड पर अवैध रूप से कब्ज़ा किया हुआ है। इस प्रकार के अतिक्रमण के कारण सड़क एवं फुटपाथ अवरुद्ध हो जाता है तथा सरकारी ज़मीन का दुरूपयोग होता है। साथ

ही यातायात एवं पैदल चलने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है। इस संबंध में आम जनता द्वारा इस कार्यालय में शिकायतें प्राप्त होती रहती है। हालांकि कुछ समय पहले ही भजनपुरा मार्किट के पास फुटपाथ पर बनी झुग्गियों एवं अन्य अवैध अतिक्रमण को हटवाया भी गया था।

अतः आपसे अनुरोध है कि SIF द्वारा इस अतिक्रमण के अंतर्गत अवैध कब्ज़े एवं अन्य सामग्री को हटवाने हेतु उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिसमें लोक निर्माण विभाग आपका सहयोग करेगा। जिससे जनता को असुविधा उत्पन्न न हो तथा सरकारी ज़मीन एवं फुटपाथ पर कब्ज़ा न हो। कृपया अतिक्रमण हटवाने से सम्बंधित प्रोग्राम की जानकारी इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि. (उ.पू.) सड़क,
उपमंडल एम–2132, यमुना विहार,
दिल्ली–53

प्रतिलिपिः–

1. डिप्टी कमिश्नर, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, शाहदरा (नार्थ जोन), केशव चौक, नज़दीक श्याम लाल कॉलेज, दिल्ली–110032 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. कार्यपालक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मंडल, एम–213, शास्त्री पार्क, दिल्ली–53 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. थानाध्यक्ष, थाना भजनपुरा, दिल्ली–53 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. थानाध्यक्ष, थाना खजूरी ख़ास, दिल्ली–94 को सचूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक अभियन्ता

GOVT. OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
PUBLIC WORKS DEPARTMENT

कार्यालय सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि. (उ.पू.) एम–सड़क,
उपमंडल एम–2132,
यमुना विहार दिल्ली–53
फोन नं. 011–22919731

Office of Assistant Engineer
PWD, (N.E.) M-Road,
Sub-Division M-2132,
Yamuna Vihar Delhi-53
Phone No.-011-22919731

Email Id - aepwdm2132@gmail.com

पत्र संख्याः– 23(अति.)सं.अभि.–II/सि.स.अनु./एम–213/285 दिनांक 16.4.19

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी (SDM),
उत्तर पूर्वी ज़िला, सीलमपुर,
दिल्ली–110053

विषयः– मेन वजीराबाद रोड पर भजनपुरा रेड लाइट से खजूरी चौक तक सर्विस रोड एवं फुटपाथ से अतिक्रमण एवं अवैध पार्किंग को हटवाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में आपको सूचित कराना है कि मेन वजीराबाद रोड पर भजनपुरा रेड लाइट से खजूरी चौक तक सर्विस रोड एवं फुटपाथ पर सड़क के दोनों तरफ लोगों द्वारा रेहड़ी–पटरी, वाहन पार्किंग एवं दुकानदारों द्वारा स्टेप्स, रैम्स बनाकर, बिक्री हेतु वाहनों की अवैध पार्किंग इत्यादि द्वारा रोड पर अवैध रूप से कब्ज़ा किया हुआ है। इस प्रकार के अतिक्रमण के कारण सड़क एवं फुटपाथ अवरुद्ध हो जाता है तथा सरकारी

ज़मीन का दुरूपयोग होता है। साथ ही यातायात एवं पैदल चलने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है। इस संबंध में आम जनता द्वारा इस कार्यालय में विभिन्न पोर्टल्स (PGMS, LG, WIMS) पर शिकायतें प्राप्त होती रहती है। जिनका निवारण हेतु उचित कदम उठाना अति आवश्यक है जो कि आपके सहयोग से encroachment removal programm schedule करके ही संभव है। हालांकि इस संबंध में आपको इस कार्यालय द्वारा कई बार पत्र द्वारा सूचित भी किया जा चुका है।

अतः आपसे अनुरोध है कि SIF द्वारा इस अतिक्रमण के अंतर्गत अवैध कब्ज़े एवं अन्य सामग्री को हटवाने हेतु उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिसमें लोक निर्माण विभाग आपका सहयोग करेगा। जिससे जनता को असुविधा उत्पन्न न हो तथा सरकारी ज़मीन एवं फुटपाथ पर कब्ज़ा न हो। कृपया अतिक्रमण हटवाने से सम्बंधित प्रोग्राम की जानकारी इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि. (उ.पू.) सड़क,
उपमंडल एम–2132, यमुना विहार,
दिल्ली–53

प्रतिलिपिः–

1. डिप्टी कमिश्नर, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, शाहदरा (नार्थ जोन), केशव चौक, नज़दीक श्याम लाल कॉलेज, दिल्ली–110032 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. कार्यपालक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मंडल, एम–213, शास्त्री पार्क, दिल्ली–53 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3. ACP Traffic Police, North-East Distt, Nand Nagri Police Station, Nand Nagri, Delhi-110093 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4. ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर, खजूरी, थाना भजनपुरा, दिल्ली–110053 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

5. थानाध्यक्ष, थाना भजनपुरा, दिल्ली–53 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4. थानाध्यक्ष, थाना खजूरी ख़ास, दिल्ली–94 को सचूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक अभियन्ता

GOVT. OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
PUBLIC WORKS DEPARTMENT

कार्यालय सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि. (उ.पू.) एम–सड़क,
उपमंडल एम–2132,
यमुना विहार दिल्ली–53
फोन नं. 011–22919731

Office of Assistant Engineer
PWD, (N.E.) M-Road,
Sub-Division M-2132,
Yamuna Vihar Delhi-53
Phone No.-011-22919731

Email Id - aepwdm2132@gmail.com

पत्र संख्याः– 23(अति.)सं.अभि.–II / सि.स.अनु. / एम–213 / 423 दिनांक 01.07.19

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी (SDM),
उत्तर पूर्वी ज़िला, सीलमपुर,
दिल्ली–110053

विषयः— मेन वजीराबाद रोड पर भजनपुरा रेड लाइट से खजूरी चौक तक (दोनों ओर) सर्विस रोड एवं फुटपाथ से अतिक्रमण एवं अवैध पार्किंग को हटवाने के संबंध में।

संदर्भः— इस कार्यालय के पत्र संख्या—23(अति.)सं.अभि.—II/सि.स.अनु./एम—213/285 दिनांक 16.04.2019

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवशोधन करें जिसके द्वारा आपको सूचित कराया गया था कि मैन वजीराबाद रोड पर भजनपुरा रेड लाइट से खजूरी चौक तक सर्विस रोड एवं फुटपाथ पर सड़क के दोनों तरफ लोगों द्वारा रेहड़ी—पटरी, वाहन पार्किंग एवं दुकानदारों द्वारा स्टेप्स, रैम्स बनाकर, बिक्री हेतु वाहनों की अवैध पार्किंग इत्यादि द्वारा रोड पर अवैध रूप से कब्ज़ा किया हुआ है। परंतु अभी तक भी आपके कार्यालय द्वारा encroachment removal programm schedule नहीं कराया गया है। इस प्रकार के अतिक्रमण के कारण सड़क एवं फुटपाथ अवरुद्ध हो रहा है। तथा सरकारी ज़मीन का दुरूपयोग होता है। साथ ही यातायात एवं पैदल चलने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है। आपको यह भी बताना आवश्यक है कि भजनपुरा सददे की repair तथा renovation का कार्य प्रगति पर है परन्तु सददे के प्रयोग हेतु दोनों तरफ के फुटपाथ पर रेहड़ी—पटरी वालों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण के कारण सददे का उपयोग करने वालों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में आम जनता द्वारा इस संबंध में इस कार्यालय को में विभिन्न माध्यमों द्वारा शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। जिनका निवारण हेतु उचित कदम उठाना अति आवश्यक है जो कि आपके सहयोग से encroachment removal programm schedule करके ही संभव है।

अतः आपसे अनुरोध है कि SIF द्वारा इस अतिक्रमण के अंतर्गत अवैध कब्ज़े एवं अन्य सामग्री को हटवाने हेतु उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिसमें लोक निर्माण विभाग आपका सहयोग करेगा। जिससे जनता को असुविधा उत्पन्न न हो तथा सरकारी ज़मीन एवं फुटपाथ पर कब्ज़ा न हो। कृपया अतिक्रमण हटवाने से सम्बंधित प्रोग्राम की जानकारी इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि. (उ.पू.) सड़क,
उपमंडल एम–2132, यमुना विहार,
दिल्ली–53

प्रतिलिपिः–

1. डिप्टी कमिश्नर, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, शाहदरा (नार्थ जोन), केशव चौक, नज़दीक श्याम लाल कॉलेज, दिल्ली–110032 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2. कार्यपालक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मंडल, एम–213, शास्त्री पार्क, दिल्ली–53 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3. DCP, न्यू सीलमपुर, शाहदरा, दिल्ली–110032 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4. ACP Traffic Police, North-East Distt, Nand Nagri Police Station, Nand Nagri, Delhi-110093 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4. ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर, खजूरी, थाना भजनपुरा, दिल्ली–110053 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

5. थानाध्यक्ष, थाना भजनपुरा, दिल्ली–53 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4. थानाध्यक्ष, थाना खजूरी ख़ास, दिल्ली–94 को सचूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक अभियन्ता

माननीय अध्यक्षः सप्लीमेंटरी।

श्री जगदीश प्रधानः अध्यक्ष जी, वजीराबाद रोड जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, एक–एक, दो–दो घंटे डेली जाम रहता है वहाँ और मंत्री जी से इतनी मेरी प्रार्थना है कि जो अधिकारी इसमें काम नहीं सही से.. उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि एक आदमी दस बाई दस की दुकान लेता है और बाहर 50 गाड़ियाँ फॉर सेल करके बाहर खड़ी कर देता है और लोगों को पैदल चलने के लिए भी वहाँ जगह नहीं है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस पर कोई सख्त कदम उठाये जायें ताकि वहाँ एक बार हटने के बाद दोबारा फल–फ्रूट की मंडी न लगे। क्योंकि वहाँ रेहड़ी ही नहीं लगती, एक–एक आदमी ने 20 बाई 20 के थड़े बना रखे हैं पक्के और लोगों के लिए पैदल चलने के लिए वहाँ रास्ता नहीं है।

माननीय अध्यक्षः ठीक है। माननीय मंत्री जी।

लोक निर्माण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, समय–समय पर एमसीडी को लिखा गया है और मैं सदन को बताना चाहूँगा कि सड़कों के ऊपर इन्क्रोचमेन्ट हटाने का पूरा का पूरा अधिकार एमसीडी और एसटीएफ को है। पीडब्ल्यूडी की तरफ से मैं पूरा आश्वासन देना चाहता हूँ कि जिस दिन भी प्रोग्राम बनेगा, जेसीबी मशीन या लेबर या जो भी चीज़ लगानी

होगी, लगाएँगे और दुबारा से.. मैं तो बल्कि प्रधान जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि एमसीडी को जरा एक बार कह दें। जिस दिन का वो प्रोग्राम बनाएंगे, हम सब हटवा देंगे।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। श्री बग्गा जी।

श्री एस.के. बग्गाः माननीय लोक निर्माण मंत्री जी प्रश्न संख्या–45 का उत्तर देने का कष्ट करें जो कि निम्नानुसार हैः–

क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) वर्ष 2017–18 और 1.4.2018 से 30.6.2018 तक की अवधि के दौरान कृष्णा नगर विधान सभा क्षेत्र के नालों की सफाई का तिथिवार एवं स्थानवार विवरण बताइए;

(ख) उक्त नालों की सफाई के लिए खर्च की गयी धनराशि का पूरा ब्यौरा दीजिए और इसमें ठेकेदारों के नाम, उनके पते और प्रत्येक ठेकेदार को भुगतान की गयी धनराशि का पूरे विवरण का उल्लेख दिया जाएं;

(ग) 2017–18 और 01.04.2018 से 30.06.2018 तक की अवधि के दौरान कृष्णानगर विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा बिछाई/बनाई गयी सडकों और उन पर खर्च की गयी धनराशि का पूरा ब्यौरा दीजिए; और

(घ) कृष्णा नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में तैनात लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के पूर्ण संपर्क विवरण बताइए?

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या–45 का उत्तर निम्न प्रकार से हैः

(क)

Period	Date	Location	Total Quantity
2017-18	16-03-20017 to 22-06-2017	Patargang Road (Khureji Redlight to Jheel)	2665
	22-06-2017 to 24-07-2017	Disused Canel Road	
	03-08-2017 to 12-08-2017	Gagan Vihar Road	
01-04-2018 30-062018	01-05-2018 to 24-06-2018	Khureji Red Light to Jheel	2214 CUM
	12-05-2018 to 28-05-2018	Gagan Vihar Road	
	27-05-2018 to 19-06-2018	Disused Canal Road	

(ख) 2017—18:— राशि रू0 23.00 लाख (लगभग)

2017—18 — ठेकेदार का नाम— मैसर्स साई ट्यूबवेल, 65/18 न्यू रोहतक रोड, करोलबाग, नई दिल्ली—110005;

01.04.2018 से 30.06.2018— राशि रू0 18.00 लाख (लगभग);

01.04.2018 स 30.06.2018:— ठेकेदार का नाम मैसर्स शिवा कन्सट्रक्शन कम्पनी, के—15/27, गली नं.—15,वेस्ट घोण्डा, दिल्ली—110053;

(ग) वर्ष 2017–18 में Providing and laying Microsurfacing and thermoplastic paint on Patparganj road from Vikas Marg To Jheel Chowk. खर्च धनराशि रुपये 8510,749 है और 01.04.2018 से 30.06.2018 तक की अवधि में कोई भी सड़क बिछाई/बनाई नहीं गयी हैं; और

(घ) वर्तमान में निम्नलिखित अधिकारी कृष्णा नगर विधान सभा क्षेत्र की सडकों की देख–रेख के जिम्मेदार हैः

1. श्री राकेश त्रिपाठी, कार्य. अभि. मो.–9868303770
2. श्री विरेन्द्र कुमार, सहा. अभि. मो.–9958993849
3. श्री प्रताप सिंह, कनि. अभि. मो.–7838147424।

माननीय अध्यक्षः सप्लीमेन्टरी।

श्री एस.के. बग्गाः सर, गीता कालोनी के पास जो पुश्ता रोड जा रही है, सड़क पार करने के लिए लोगों को बहुत दिक्कत होती है। क्या ओवर फुटब्रिज का कोई प्रावधान है, बनाने के लिए;

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से ये कहना चाहूँगा कि एक तो ये प्रपोजल भेज दें और चाहें तो अगर इनका एमएलए फण्ड बचा हो तो उससे बहुत जल्दी बन सकता है क्योंकि अगर बच जायेगा तो तीन करोड़ रुपये खर्च भी हो जाएँगे इनके जल्दी से। तो एमएलए फण्ड से दें दें तो तुरन्त बना देंगे।

माननीय अध्यक्षः श्री एस.के. बग्गा जी।

श्री एस.के. बग्गाः सर, एमएलए फण्ड अवलेबल नहीं है।

माननीय लोक निर्माण मंत्री: तो आप प्रपोजल दे दीजिए अगर नहीं है तो। मैंने आपको रिक्वेस्ट किया अगर है तो उससे करा देंगे, वरना बनवा देंगे।

माननीय अध्यक्ष: श्री नितिन त्यागी जी।

श्री नितिन त्यागी: अध्यक्ष महोदय, एक डिसयूज कैनाल रोड पड़ते हैं जिस पर नाला नीचे है उसके रोड के नीचे है। वो एक तरफ कृष्णा नगर कांस्टीट्यूएन्सी और एक तरफ लक्ष्मी नगर कांस्टीट्यूएन्सी है और लक्ष्मी नगर के भी अधिकांश नाले जाके उसमें मिलते हैं और आशा करता हूँ कि कृष्णा नगर के भी उसमें पड़ते होंगे। उसकी हर साल डिसिल्टिंग होती है। तो सर, उसकी डिसिल्टिंग जो है, जितना वो ओपन एरिया है, उतने में हो पाती है। बाकी एरिया उसका बहुत सारा ऐसा है जो कि सड़क के नीचे आ जाता है। उस एरिया की नहीं होती। सर, उसका कोई प्लानिंग अगर हो तो बताइए। क्योंकि वो फिर बहुत जल्दी भर भी जाता है फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

माननीय लोक निर्माण मंत्री: ये एक बड़ी गम्भीर सी समस्या है कि सड़क जो कवर की गयी, बाद में तो सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के ऑर्डर से नाले कवर होना बन्द हो गये हैं परन्तु जो कवर्ड है, उसके अन्दर से अब आदमी भी अन्दर नहीं जा सकते हैं। वो भी एलाउ नहीं है। तो इसके लिए बैठ के डिस्कस करते हैं कि कैसे किया जा सकता है। दूसरी समस्या बहुत गम्भीर समस्या ये भी है कि नालों के अन्दर कूड़ा डाला जाता है और कई बारी तो पूरा का पूरा ट्रकों से डाला जाता है। मतलब उसको ये समझ लें कि गार्बेज डम्पिंग ग्राउन्ड बनाया जाता है। माननीय सदस्य

ने जैसे बताया कि एमसीडी के द्वारा भी डाले जाते हैं। ये बहुत बड़ी गम्भीर समस्या है कि नालों के अन्दर सिर्फ पानी ही नहीं चलता है, उसे कूड़ेदान बना दिया गया है। उसको बार–बार सफाई कराने के बावजूद भी कुछ ही दिनों के अन्दर फिर से कूड़ा उसके अन्दर इकट्ठा हो जाता है। इसके लिए बैठके कुछ सुझाव निकालना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या–46, श्री जरनैल सिंह जी।

श्री जरनैल सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या–46 का उत्तर माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ जो कि निम्न प्रकार से हैः

क्या **माननीय परिवहन मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली की सड़कों पर बैटरी से चल रहे रिक्शा की संख्या बताइए;

(ख) बैटरी में चलने वाले पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत रिक्शा का पूरा विवरण दीजिए;

(ग) क्या इन बैटरी रिक्शा के भलीभांति एवं विधिपूर्वक संचालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हाँ, तो इसका पूरा विवरण बताइए;

(ङ) क्या इन वाहनों को खरीदने के लिए सरकार किसी प्रकार की सब्सिडी देती है;

(च) यदि हाँ, तो इस स्कीम का पूरा ब्यौरा दीजिए, इसमें सब्सिडी प्राप्त कर चुके व्यक्तियों की संख्या तथा प्राप्त की गयी धनराशि का ब्यौरा शामिल हो; और

(छ) सब्सिडी प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षारत व्यक्तियों की संख्या बताइए?

माननीय अध्यक्षः माननीय परिवहन मंत्री जी।

माननीय परिवहन मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या–46 का उत्तर निम्नानुसार हैः

(क) दिल्ली की सड़कों पर चल रहे कुल बैटरी रिक्शाओं की संख्या उपलब्ध नहीं है। अपितु दिनांक 31.07.2019 तक दिल्ली में पंजीकृत बैटरी ई–रिक्शाओं की संख्या 71092 है;

(ख) बैटरी से चलने वाली पंजीकृत ई–रिक्शा की संख्या 71092 है तथा गैर पंजीकृत ई–रिक्शा का डाटा उपलब्ध नहीं है;

(ग) जी हाँ, बैटरी रिक्शा के भलीभांति एवं विधिपूर्वक संचालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा ई–रिक्शा सेवा स्कीम बनाई गयी है;

(घ) इस स्कीम की प्रतिलिपि संलग्न है;

(ङ) प्रत्येक ई–रिक्शा मालिक को निर्धारित दस्तावेजों को पूर्ण करने के पश्चात पंजीकृत ई–रिक्शा पर सिर्फ एक ही बार 30 हजार रूपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है;

(च) दिनांक 31.07.2019 तक सब्सिडी प्राप्त कर चुके व्यक्तियों की संख्या 50045 है जिसकी कुल वितरित राशि 1042395000/– रूपये है एवं 6929 व्यक्तियों की सूची पे एण्ड एकाउन्टस को भेज दी गयी है; और

(छ) सब्सिडी प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षारत व्यक्तियों की संख्या 12653 है।

संलग्न

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI TRANSPORT DEPARTMENT, 5/9, UNDER HILL ROAD, PELHI-110054

No.F. DC/ARU/TPT/2014/245/1724 Dated: 29th December, 2014

E-RICKSHAW SEWA SCHEME

Preamble

Electric rickshaws or E-rickshaws are three-wheeled vehicles, e-powered exclusively by electric motors whose traction energy is supplied exclusively by batteries. Delhi has witnessed a sizable increase in the number of these e-Rickshaws in the last few years. These E-rickshaws have become a popular mode of transport for providing first and last mile connectivity, especially to and from the metro stations in Delhi.

Ministry of Road Transport and Highways, GOI vide notifications no. GSR.709 (E) & S.O. 2590 (E) dated 08.10.2014 amended the Central Motor Vehicles Rules, 1989 for regulation of E-rickshaws under the Motor Vehicles Act, 1988 and rules framed thereunder. Pursuant to the issue of these notifications, Transport Department, Government of Delhi frames the following scheme containing guidelines for the operation & regulation of the E-rickshaws in the NCT of Delhi with an emphasis to further augment the convenience, safety and security of the commuters:-

I: Salient features of the scheme

The scheme - 'E-rickshaw Sewa' is aimed at allowing the plying of E-rickshaws in the NCT of Delhi subject to the compliance with the following conditions:-

1. 'E-rickshaw' shall be battery operated transport vehicle with seating capacity of four persons excluding the driver, with maximum luggage

of 40 Kgs as defined under the notification bearing No. GSR.709 (E) dated 8lb October, 2014 of the Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India.

2. The concerned model of E- rickshaw must be duly approved in accordance with the provisions of section 126 of Motor Vehicles Act, 1988, notification no. GSR.709 (E) dated 8th October, 2014 and S.O. 2590 (E) dated 8th October, 2014 of Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India.

3. These vehicles shall be registered as transport vehicles under the registration series DL-1ER and shall be granted contract carriage permits (without fare meter).

4. These E- rickshaws vehicles can ply on the roads of Delhi except on the roads where their plying is prohibited as notified by the Transport Department from time to time.

5. The vehicle should be equipped with First aid box and Fire extinguisher.

6. The name, address and telephone number of permit holder shall be painted on the left side of the vehicle.

7. The helpline number (42-400-400) of the Transport Department & that of Delhi Police (1095) shall be displayed on both inside and outside of the vehicle.

8. Every E-rickshaw shall be affixed with a Yellow color reflective strip on its rear side.

9. The dimensions of the vehicle should not exceed length of 2.8 meters, 1.8 meters height and 1 meter width.

10. Every E-rickshaw should have valid fitness certificate issued from the Transport Department.

II: Documents required for the grant/renewal of registration, certificate of fitness and permit.

(a) Application for registration of a motor vehicle (Form-20)

(b) Sale Certificate in Form 21, as applicable.

(c) Certificate of Roadworthiness (Form-22), as applicable.

(d) Application for a Contract Carnage Permit (Form-P.C.A.)

(e) Manufacture's Invoice for initial registration

(f) Sale Invoice

(g) Form 34 (in case of Hypothecation)

(h) Copy of Certificate of fitness

(i) Valid Insurance Certificate; and

(j) Original Letter of Intent (LOI) - wherever applicable.

III: Permit Conditions

1. The vehicle will operate on Contract Carriage Permit.
2. The owner of E-rickshaw should possess a valid license to drive the E-rickshaw and Public Service Badge.
3. The applicant should not own any other E-rickshaw or transport vehicle with permit.
4. These vehicles may ply on the roads of Delhi except on the roads where plying of the E- rickshaws is prohibited as notified, from time to time, by the Transport Department.
5. The ownership of an E-rickshaw shall not be transferable, except in case of death of permit holder as prescribed in section 82 of Motor Vehicles Act, 1988 and rules framed there under.

6. The number of passengers must not exceed the registered seating capacity of four passengers excluding driver. The driver would not allow any passenger to sit on the driver's seat. Standing of passengers shall not be allowed.

7. The vehicle must be equipped with a first -aid box and fire extinguisher.

8. The name, address and telephone number of permit holder shall be painted on the left side of the exterior body of the vehicle.

9. The helpline numbers 42-400-400 of the Transport Department and 1095 of the Delhi Police shall also be displayed on the vehicle.

10. The driver should wear the uniform in Grey Colour as prescribed by the State Transport Authority Delhi. He/she shall display the Public Service Vehicle Badge on uniform on his/her left side of the chest.

11. The vehicle shall bear a Yellow colour reflective strip on its rear side.

12. While on duty, the driver shall not be under influence of drugs /liquor. He shall also not play any audio device in the vehicle during duty hours.

13. In case, an incident of indecent behavior or molestation or eve teasing against a woman takes place in an E-rickshaw; it shall be the duty of the driver/permit holder to inform the Police immediately and take the victim to the nearest Police Station/Police Post/PCR van.

14. The driver shall not misbehave with the passenger/intending passenger.

15. The driver shall extend help and assistance to senior citizens and differently abled persons, while boarding and alighting the vehicles.

16. The permit holder shall ensure charging of the batteries of the E-rickshaw through his own means in an authorized/ legal manner.

17. No hazardous chemical or explosive or inflammable material etc. will be allowed to be carried in the vehicle.

18. The permit holder shall dispose the used lead acid batteries only through an authorized E-waste disposal agency.

19. The vehicle shall be kept in a neat and clean condition at all times during the operation.

20. The permit holder shall comply with all the applicable permit conditions required as per provisions of section 84 of MV Act, so far as they apply to the holder of the permit.

21. The State Transport Authority may after giving notice of not less than one month:-

    (a) vary any of the conditions of Permit; and

    (b) attach to the permit further conditions as it may deem fit, in public interest.

DEPUTY COMMISSIONER
AUTORICKSHAW UNIT, BURARI

माननीय अध्यक्षः सप्लीमेन्टरी।

श्री जरनैल सिंहः अध्यक्ष जी, बेरोजगारी के इस दौर में जहाँ रोज ही बड़ी सारी कम्पनियॉ बन्द हो रही हैं, लोगों की नौकरी जा रही है तो इस चीज में तो कोई डाउट नहीं है कि बैट्री रिक्शा ने लाखों लोगों को रोजगार दिया है पर इसके साथ–साथ ट्रैफिक की कुछ दिक्कतें बढ़ गयी हैं। मैं उसी का जवाब जानना चाह रहा था भाग– 'घ' प्वाइन्ट के अन्दर कि क्या इसको विधिपूर्वक चलाने के लिए कोई ट्रैफिक अपना परिवहन डिपार्टमेन्ट काम कर रहा है तो इसके जवाब में आया कि ये ई–रिक्शा सेवा स्कीम बनाई गयी है। मैं उम्मीद कर रहा था उसमें इसके संचालन को लेकर, इनके स्टैण्ड बनाने को लेकर कुछ लिखा होगा पर उस पूरी स्कीम को मैंने पढ़ लिया है। उसमें कुछ भी नहीं लिखा है। मैं तिलक

नगर चौक की अगर बात करूँ अध्यक्ष जी। एक छोटा सा चौक है और वो पूरी तरह से ई–रिक्शा से घिरा रहता है। लोग पैदल भी नहीं निकल पाते और दिल्ली के हर चौक की ये समस्या बन गयी है।

माननीय अध्यक्षः क्वेश्चन पूछिए।

श्री जरनैल सिंहः क्वेश्चन ये है कि उसका सुधार कैसे हो पाएगा? परिवहन विभाग ई–रिक्शा से होने वाली ट्रैफिक की समस्या को खत्म करने के लिए क्या काम कर रहा है?

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

माननीय परिवहन मंत्रीः स्पीकर सर, ये कम्पलेन्टस कुछ और जगह से भी आती हैं बट जो प्राइमरी रिसपॉन्सिबिल्टी ट्रैफिक मैनेजमेन्ट की है, वो ट्रैफिक पुलिस की है। तो जहाँ से भी कम्पलेन्ट आती है, वो रिक्वेस्ट जो है, वो ट्रैफिक पुलिस को हम भेज देते हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट के पास ऐसी कोई उनको रेगुलेट करने की डे–टू–डे बेसिस पर फेसिल्टी नहीं है।

माननीय अध्यक्षः जरनैल जी का जो क्वेश्चन है, वो ये है; क्या कोई सरकार ऐसे नियम बनाने का प्रयास कर रही है कि उनको एक जगह खड़े होकर वो विधिवत एक स्थान उनको एलॉट किए जाएं।

माननीय परिवहन मंत्रीः स्पीकर सर, अभी कुछ टाइम पहले जो आटोज की जितनी भी रिक्वेस्ट थी, तो लगभग दिल्ली में एराउन्ड 500 और ऑटो नये स्टैण्ड जो है, वो नोटिफाइ किये गये हैं। ई–रिक्शा उसकी ऐसी कोई रिक्वेस्ट अभी तक नहीं है। अगर है तो उस पर हम उचित कार्रवाई करने को तैयार हैं।

माननीय अध्यक्षः अब जरनैल सिंह जी से रिक्वेस्ट आ गयी न जी?

माननीय परिवहन मंत्रीः नहीं, आपने.. हाँ अगर वो स्पेसिफिक प्वाइन्ट अगर देते हैं तो उस पर वी विल फॉरवर्ड दि रिक्वेस्ट।

माननीय अध्यक्षः जरनैल जी।

श्री जरनैल सिंहः देखिए, एक बार आप सेन्स ऑफ हाउस ले लें। मेरे को लगता नहीं, किसी की विधान सभा में ऐसा कोई चौक होगा जहाँ ई–रिक्शा से दिक्कत न हो। पूरी दिल्ली की ये समस्या है। तो डिपार्टमेन्ट इस पर पालिसी बना ले, अभी यहीं से लेके संज्ञान।

माननीय परिवहन मंत्रीः सर, इश्यू जो है, उनको रेगुलेट करने का है। Which has to be done by the Traffic Police.

माननीय अध्यक्षः कमान्डो सुरेन्द्र सिंह।

श्री सुरेन्द्र सिंहः सर जी, जो है माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाह रहा हूँ जैसे इस क्वेश्चन के अन्दर था कि जी, जो रजिस्टर्ड रिक्शा है, वो तो रिक्शा इतनी है और जो अन–रजिस्टर्ड रिक्शाएँ हैं, उनका कोई ब्यौरा नहीं है; कई हजार जो ई–रिक्शा है जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाये। उन रिक्शाओं को पॉच नम्बर वाले उठा लेते हैं, इम्पाउन्ड कर लेते हैं। जो रिक्शाएँ जो है ना, छूट नहीं रही है। जिनके ऊपर भारी चालान वगैरह दिया जाता है और बहुत सारे लोगों की रिक्शाएँ जो है ना, गोदाम के अन्दर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट के अन्दर हैं और कोई ऐसी पालिसी नहीं है इस टाइप की जो उन रिक्शाओं को छोड़ा जाये तो उनके ऊपर जो है ना, क्या कोई ऐसी पॉलिसी आ रही है, जो गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से ई–रिक्शा लेता है, अपनी पाई–पाई को जो है ना, जोड़ी हुई को लेकर

वो एक लाख रुपए की रिक्शा लेता है, ना तो वो सब्सिडी ले पाता है क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया किसी कारण से।

माननीय अध्यक्षः सुरेन्द्र जी, क्वेश्चन निकालिए ना।

श्री सुरेन्द्र सिंहः उसका क्वेश्चन ये है सर, जो रिक्शा इम्पाउंड कर रखी है, जो उठा रखी है ई–रिक्शाएँ, उनको छोड़ने के ऊपर डिपार्टमेंट का क्या विचार है, वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे है। ई–रिक्शा जो बिना नम्बर के इम्पाउंड कर दी जाती हैं।

माननीय अध्यक्षः ये उनका क्वेश्चन समझ में आ गया ना जी, जो ई–रिक्शा पुलिस ने उठा के थाने में बंद की गयी हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं थी, उनको छोड़ने का कोई पॉलिसी, नियम हम बना रहे हैं या है। बैठिए, बैठ जाइए, कमांडो जी।

माननीय परिवहन मंत्री (श्री कैलाश गहलोत): जो रिक्शा इम्पाउंड किए हुए हैं या तो वो पुलिस ने या ट्रैफिक जो इन्फोर्समेंट विंग है, तो उनकी क्या फॉर्मेलिटीज हैं, वो मैं पता करके इस सदन को मैं अपडेट कर दूँगा सर।

श्री सौरभ भारद्वाजः सर, वो पैसा लेती है ट्रैफिक पुलिस, ये सबको पता है, क्या कर रही है पुलिस। इसमें सरकार का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कुछ करे, पुलिस की सिर्फ यही फॉरमैलिटी है।

माननीय अध्यक्षः सौरभ जी, न तो आपने इजाजत ली, प्लीज आप हाथ खड़ा कर लीजिए, मैं समय दूँगा। प्रवीण जी की बारी है, नहीं राजेश जी, प्रवीण जी। जो नहीं बोल पाए हैं, उनको थोड़ा समय दे देने दीजिए।

श्री प्रवीण कुमारः अध्यक्ष जी, एक बात जानना चाहता था जैसे कि लाजपत नगर फलाईओवर के नीचे रिक्शा खड़े होते हैं, जिसके कारण जो

है, डीटीसी की बसें सारी फलाईओवर के ऊपर से जाती हैं, क्योंकि वो ट्रैफिक के कारण नीचे से कई बार नहीं जा पाती हैं।

माननीय अध्यक्षः नहीं प्रवीण जी, क्वेश्चन लीजिए ना जी।

श्री प्रवीण कुमारः तो जो बसें फलाईओवर के ऊपर से जाती हैं जिसके नीचे बुजुर्ग जो है, वेट करते रहते हैं लेकिन बसें जो फलाईओवर के ऊपर से चली जाती हैं उसके ऊपर, डीटीसी के ऊपर या ट्रैफिक या ड्राइवर्स के ऊपर क्या एक्शन लिया गया, क्या एक्शन लिया जा सकता है, डीटीसी के ड्राइवर पर?

माननीय अध्यक्षः आप समझ रहे हैं मंत्री जी। नहीं, भावना जी, ऐसे नहीं। मैं देख रहा हूँ बराबर, मैंने सब जगह देखा है। पहले मैंने सब जगह देखा, दो मिनट अब रुकिए, हाँ जी, मंत्री जी।

माननीय परिवहन मंत्रीः प्रवीण भाई की जो रिक्वैस्ट है, वो ये है कि डीटीसी की जो बसें हैं, वो फलाईओवर के ऊपर से न जाएँ। मैं उनको इनश्योर कर रहा हूँ कि वो डीटीसी की बसें फलाईओवर पर नहीं जाएँगी, वो नीचे से जाएँगी, लेकिन अगर नीचे की रोड है, वो एन्क्रोच्ड है, फॉर *व्हाटएवर रीजन्स,* तो वो बसें नहीं जा सकती वहाँ पे।

श्री प्रवीण कुमारः अलग स्टैंड बनवा दो।

माननीय परिवहन मंत्रीः स्टैंड बनने से एन्क्रोचमेंट थोड़े ही खत्म हो जाएगा।

माननीय अध्यक्षः चलिए सौरभ जी। इसके बाद भावना जी।

श्री सौरभ भारद्वाजः सर, ये जो ई–रिक्शा की प्रॉब्लम है, ये बड़ी प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ सरकार से, मैं ये बात समझता हूँ कि ये ट्रैफिक के

पास आता है, ट्रैफिक पुलिस के पास आता है, बट ट्रैफिक पुलिस को भी जो पावर्स हैं, वो दिल्ली सरकार ने डेलीगेट कर रखी हैं, ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट ने डेलीगेट कर रखी है, वो पावर्स। तो उसके अंदर कुछ संशोधन करके, कुछ उनको इस तरीके के इन्सट्रक्शन दी जाएँ कि, इनको हम ये नहीं कह रहे की खत्म कर दो, बट इनको किस तरह से रेगुलराइज किया जाए।

माननीय अध्यक्षः हाँ, माननीय मंत्री जी।

माननीय परिवहन मंत्रीः सर, इसके बारे में मैं डिसक्शन करके और जो भी हम इफैक्टिव स्टैपस ले सकते हैं, मैं जरूर इस सदन के बीच वो चीज रखूँगा।

माननीय अध्यक्षः हाँ, भावना जी।

सुश्री भावना गौडः अध्यक्ष महोदय, मैं ई–रिक्शा से संबंधित.. मंत्री जी से दो तरह के प्रश्न जानना चाहूँगी। एक तो जो पंजीकृत रिक्शा हमारे यहाँ चल रहे हैं और गैर पंजीकृत रिक्शा चल रहे हैं, हमारी विधान सभाओं में कितने–कितने रिक्शा चल रहे हैं। इस तरह की कोई पॉलिसी सरकार बना रही है या नहीं बना रही है? और अगर बना रही है तो ये कब तक हम लोगों को इस तरह जानकारी मिल जाएगी कि हमारी विधान सभाओं में पंजीकृत रिक्शे कितने हैं और गैर पंजीकृत तरीके से कितने रिक्शा चल रहे हैं?

दूसरा, जो सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं और आपके यहाँ क्यू में लगे हैं और बहुत दिन से क्यू में लगे हैं तो उनको सब्सिडी कब तक मिलेगी, ये जानकारी चाहती हूँ, धन्यवाद।

माननीय परिवहन मंत्रीः सर, डिपार्टमेंट के पास विधान सभा वाइज डेटा अगर एमएलएज की रिक्वैस्ट है तो उनको हम उस तरीके से सेग्रिगेट करा देंगे। लेकिन जहाँ तक बात क्यू की है, हमारे पास जितनी भी रिक्वैस्ट टांस्पोर्ट डिपार्टमेंट के पास आई, ई—रिक्शाज की, काफी बड़ी सभा जो है सर, स्टेडियम में की गयी जहाँ पे हजारों की संख्या में ई—रिक्शा वाले सब आए थे, जब सब्सिडी देना स्टार्ट किया। तो लगभग सेवेन्टी थाउजेंड जो रजिस्टर्ड ई—रिक्शाज हैं, उसमें से 50 हजार के तो हम ऑलरेडी सब्सिडी दे चुके हैं, बाकी जितने भी केसिसिज हैं, वो सिर्फ हैल्डअप हैं क्योंकि उनके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटस हैं, वो पूरे नहीं है। *दिस केन, आई थिंक* गिव ऐश्योरेंस बिफॉर द ऑगस्ट हाउस। अगर ऐसे कोई भी आपके पास केसिसिज हैं।

माननीय अध्यक्षः बाकि सबके सप्लीमेंटरी रह जाएंगे।

सुश्री भावना गौडः मैं ओलरेडी आपको पत्र एक लिखकर के दे चुकी हूँ, तो उसको थोड़ा सा आप दिखवा लें।

माानननीय परिवहन मंत्रीः हाँ, आप दे चुकी हैं, उसको बिल्कुल क्लीयर कराने की कोशिश करेंगे।

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या—47 श्री महेंद्र गोयल जी।

श्री महेन्द्र सिंह गोयलः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या—47 प्रस्तुत हैः

क्या **माननीय श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि इस समय श्रमिक कार्ड जारी नहीं किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) श्रमिक कार्ड जारी करने के लिए अपनायी जाने वाली प़द्धति का ब्यौरा दीजिए;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि पहले जारी किए गए श्रमिक कार्ड नवीनीकृत नहीं किए जा रहे हैं; और

(ङ) रिठाला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में विद्यमान श्रमिक कार्ड धारियों का पूरा विवरण दीजिए?

माननीय श्रम मंत्री (श्री गोपाल राय) : माननीय अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या–47 का उत्तर प्रस्तुत है;

(क) दिल्ली भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिक कार्ड जारी किए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया दिनांक 16.11.2018 से ऑनलाइन हो गयी है;

(ख) उपरोक्त के अनुसार;

(ग) निर्माण श्रमिक बोर्ड जारी करने के लिए अपनाई जाने वाली पद्वति का ब्यौरा अनुलग्नक 'क' में दिया गया है;

(घ) निर्माण श्रमिकों के पहले से जारी किए गए निर्माण श्रमिक कार्ड नवीनीकृत किए गए जा रहे हैं; और

(ङ) दिल्ली भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिकों का आँकड़ा विधान सभा के अनुसार एकत्रित नहीं किया जाता है। यह आँकड़ा जिला अनुसार बनाया जाता है, जो नौ डिस्ट्रिक्ट में अलग–अलग जगहों पर रजिस्टर्ड होते हैं।

अनुलग्नक "क"

निर्माण श्रमिकों की पंजीकरण प्रक्रिया

1. प्रक्रियाः

- संबंधित जिले में बोर्ड स्टाफ द्वारा आवेदन की प्राप्ति
- आवेदन की प्रविष्टि व दिनांक और अस्थायी रसीद
- संबंधित तिले के प्रबंधक संचालन के कार्यालय को प्रेषित करना।
- संबंधित जिले के प्रबंधक संचालन द्वारा दस्तावेजों की पुष्टि/जांच।
- यदि दस्तावेजों में कमी है तो श्रमिक को उस कमी के बारे में सूचित करना।
- दस्तावेजों के सही पाये जाने पर संबंधित जिले के प्रबंधक संचालन द्वारा पास करके पंजीकरण अधिकारी को भेजना।
- अनुमोदन अधिकारी/पंजीकरण अधिकारी की स्वीकृति।
- श्रमिक द्वारा अपेक्षित योगदान राशि 25/- (रुपये 20/- वार्षिक योगदान + रुपये 5/- पंजीकरण शुल्क) और योगदान व पंजीकरण शुल्क के लिए रसीद जारी करना।
- संबंधित जिले में बोर्ड कर्मचारियों द्वारा पास बुक का प्रिंटिंग।
- श्रमिक को पास बुक जारी करना।

माननीय अध्यक्षः सप्लीमेंटरी।

श्री महेन्द्र सिंह गोयलः अध्यक्ष जी, जैसे कि मुझे मालूम हुआ है कि बहुत से निर्माण श्रमिकों को, उनको जो राशि मिलनी चाहिए, सहायता राशि, उनको ठीक से नहीं मिल पा रही है। विधान सभा वाइज जैसे मंत्री साहब ने बोला कि वो डेटा नहीं है, जिले के अनुसार डेटा है। जिले का आप हमें डेटा दे दें ताकि मैं अपनी रिठाला विधान सभा के उसमें से डेटा छाँट के जो भी निर्माण श्रमिक सुविधाओं से वंचित रहते हैं, उनसे हम सम्पर्क कर लें और ताकि उनको वो सुविधाएँ मिल जाएँ। ये मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप जिले का डेटा दे दें, धन्यवाद।

श्री गोपाल राय, श्रम मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी को जिले का डेटा जो भी ये चाहेंगे, उपलब्ध करा दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्षः एनी सप्लीमेंटरी? हाँ, भावना जी।

सुश्री भावना गौड़ः आदरणीय मंत्री जी पिछली बार मैंने स्वयं ये प्रश्न लगाया था और आपने मुझे प्रोमिस किया था कि विधान सभा वाइज डाटा आप हमें उपलब्ध करवाएंगे जो अभी तक नहीं हो पाया।

माननीय श्रम मंत्री (श्री गोपाल राय)ः अभी चूंकि वो रजिस्ट्रेशन की जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज है, इसलिए उसको सेगरिगेट ही किया जा सकता है, क्योंकि जब तक वो पूरी प्रक्रिया चेंज नहीं होगी, तब तक तो उसको अलग–अलग करना मुश्किल है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः महेन्द्र जी, अब हो गया।

श्री महेन्द्र सिंह गोयलः नहीं, सिर्फ इसी में ही है। ये जो आपने जिले का डेटा बोला है, ये हमें कब तक मिल जाएगा?

माननीय श्रम मंत्रीः ये डेटा आप जिस डिस्ट्रिक्ट का बताएंगे, आप हमें बता दीजिए, उसका उपलब्ध करा देंगे।

श्री महेन्द्र सिंह गोयलः नॉर्थ–वैस्ट डिस्ट्रिक्ट का?

माननीय श्रम मंत्रीः तो उसको हम करवा देंगे डिपार्टमेंट से, विद इन अ वीक।

श्री महेन्द्र सिंह गोयलः धन्यवाद। नॉर्थ–वैस्ट डिस्ट्रिक्ट का विद इन वीक मिल जाएगा, ठीक, थैंक्यू।

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या–48 जगदीप जी, अनुपस्थित। प्रश्न संख्या–49 सुखवीर सिंह दलाल जी, अनुपस्थित। प्रश्न संख्या–50 शिवचरण गोयल जी।

श्री शिवचरण गोयलः धन्यवाद अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या–50 प्रस्तुत हैः

क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मोती नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की अवैध कब्जे वाली सड़कों के नाम, इनकी संख्या, और स्थान बताइये;

(ख) समय–समय पर इन अवैध कब्जों के विरूद्ध की गयी कार्रवाई का विवरण बताइये; और

(ग) इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए विभाग की भावी कार्य योजना क्या है?

मंत्री जी ने क्या कहा है, देखना है।

माननीय अध्यक्षः नहीं–नहीं, ये तो ऐसा नहीं है, पीडब्ल्युडी रोडस का 50वां।

माननीय लोक निर्माण मंत्री (श्री सतेन्द्र जैन): सर, मैंने 48 नम्बर ले लिया, 48 नम्बर भी मेरे पास था।

माननीय अध्यक्षः इसमें तो डीडीए से रिलेटिड नहीं है।

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः गलती से हो गया, सॉरी।

माननीय अध्यक्षः भई दो मिनट मंत्री जी को उत्तर तो देने दो।

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 50 का उत्तर निम्न प्रकार हैः

(क) ये सड़कों की लिस्ट है, 11 सड़कें हैं जिनके ऊपर कब्जा है,

1. रामा रोड – विभिन्न स्थानों पर, बी–58 से पटेल रोड;
2. रोहतक रोड, सब–वे के साथ–2 एवं नियर अशोका पार्क मेट्रो स्टेशन के पास;
3. रिंग रोड–राजौरी गार्डन मार्बल मार्किट, मायापुरी;
4. शिवदास पुरी मार्ग–नजरफगढ़ डेन से कर्मपुरा फ्लाईओवर तक विभिन्न स्थानों पर;
5. नजफगढ रोड–राजा गार्डन से कर्मपुरा फ्लाईओवर जखीरा तक;
6. सतगुरू राम सिंह मार्ग–मायापुरी से पटेल रोड दोनों तरफ;
7. 80 फुटा रोड–फुटपाथ पर दोनों साइड;

8. मिलन सिनेमा रोड–विभिन्न स्थानों पर दोनों तरफ;

9. बस रूट बी–14–विभिन्न स्थानों पर दोनों तरफ;

10. सड़क एच–1 से आई–47–विभिन्न स्थानों पर दोनों तरफ;

10. पंकज बत्रा मार्ग–विभिन्न स्थानों पर दोनों तरफ;

(ख) उपराज्यपाल महोदय के आदेश सं. एफ–आरएन/जेएस/मीटिंग/रोड ब्लॉक/सीसी/2017/ए4403 दिनांक 6.6.2017 (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार सड़कों से अनाधिकृत कब्जों को हटाने की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम की है। लोक निर्माण विभाग द्वारा अनाधिकृत कब्जों को हटाने के लिए जेसीबी और लॉजिस्टिक सपोर्ट उपलब्ध कराई जाती है एवं इन सड़कों पर अनाधिकृत कब्जों को हटाने के लिए समय–समय पर दिल्ली नगर निगम एवं संबंधित एस.डी.एम को लिखित में अवगत कराया जाता है। विभाग द्वारा इस सबंध में लिखे गये 13 पत्र संलग्न हैं (अनुसंलग्नक–ए[2]); और

(ग) भविष्य में भी वर्तमान की भांति इन सड़कों पर अनाधिकृत कब्जों को संबंधित विभाग एवं एमसीडी/एसडीएम के आदेशानुसार हटा दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न से पहले एक बारी बात क्लीयर कर देता हूँ; जितनी भी सड़कें हैं, पीडब्ल्यूडी की सड़कें भी हैं, उसके ऊपर एन्क्रोच्मेंट हटाने की पूर्ण जिम्मेदारी एमसीडी की ही है और वो एसडीएम और एमसीडी के आदेशानुसार जिस दिन का प्रोग्राम बनता है, पीडब्लुडी सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है और वो... हम हमेशा तैयार हैं। आप जिस भी सड़क के ऊपर प्रोग्राम बनवा देंगे, उस दिन पूरी तरह साफ कर दिया जाएगा।

..(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः उनका सप्लीमेंटरी एक बार ले लूँ, समय हो गया।

श्री शिव चरण गोयलः सर, इसको किस तरह से इम्पलीमेंट किया जाएगा? हम तो कई बारी ये कम्पलेंट कर चुके है हटाने के लिए, हर बारी लेटर जाते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है।

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं दुबारा से बताना चाहता हूँ कि अनअथॉराइज एन्क्रोच्मेंट को हटाने की पूर्ण जिम्मेदारी एमसीडी की है और एमसीडी को जब भी, जो भी दिन प्रोग्राम बनेगा, बार–बार उनको पत्र लिखे जाते हैं, पीडब्ल्युडी के पास कोई भी वैधानिक अधिकार नहीं है हटाने के।

...(व्यवधान)

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः एसटीएफ एंड एमसीडी।

...(व्यवधान)

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः हाँ, तो उस पर भी पत्र लिखे गए हैं, वो नहीं मान रहे। इसके लिए मैंने बताया ना जिस दिन भी प्रोग्राम बनेगा...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मंत्री जी बोल रहे है, दो मिनट रुक जाइए।

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः आपकी 11 सड़कें हैं, जहाँ पर आपने बताया, कब्जा है। हमने आपको पत्र भी दे दिए हैं कि ये पत्र सब लिखे गए हैं। जिस दिन भी प्रोग्राम बनेगा, पीडब्ल्यूडी की तरफ से हम पूरी तरह

से आश्वासन देते हैं कि वहाँ पर जितनी भी मशीनें चाहिए, जेसीबी चाहिए, वो सब कुछ, वो सारे के सारे अरेंज कर दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बस, राजेश जी। इस पर, माननीय मंत्री जी इसी विषय पर इससे पहले, तीन—चार क्वेश्चन पहले पूरा उत्तर दे चुके हैं एन्क्रोच्मेंट के विषय में।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, अब नहीं, अब नहीं, प्लीज।

श्री राजेश गुप्ताः अध्यक्ष जी मेरा, क्योंकि ये सवाल सभी का है और मैंने भी इसके ऊपर पहले भी सवाल लगाया था जो अब अनस्टार्ड में आया हुआ है। मेरा ये कहना है कि आज टेक्निक का जमाना है अगर एमसीडी की जिम्मेवारी है तो क्यों नहीं उसकी रिकॉर्डिंग करके और फेसबुक लाइव कर दिया जाता और अगर वो काम दुबारा नहीं होता है तो दुबारा डीसी की जिम्मेवारी बनाई जाए उसके अंदर। अगर हम बार—बार ये कहते रहेंगे कि एमसीडी कर दे और वो नहीं करेंगे तो कैसे काम बनेगा? तो इसको टेक्निक को बीच में लाया जाए, क्या ये नहीं हो सकता, ये मेरा सवाल है?

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, कोई भी टेक्निक पैसे के आगे चलती नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई बातचीत नहीं आपस में, प्लीज। मैं और कोई

नहीं ले रहा हूँ सप्लीमेंटरी इसमें, प्लीज। मैं कोई सप्लीमेंटरी नहीं ले रहा हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, एक मिनट.. सुन लीजिए। ऐसा है कोई भी टेक्निक पैसे के आगे फेल हो जाती है और सर्वविदित है...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी, अगर चर्चा करवानी थी, कोई नियम में, कोई तो देगा ना लिखकर। हमको तब याद आने लगता है जब सदन चल रहा होता है।

...(व्यवधान)

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः क्योंकि ये सर्वविदित है कि जितने भी कब्जे किए जाते हैं, उसके अंदर पुलिस को भी और एमसीडी को भी मंथली पैसा मिलता है और बिना पैसे लिए कोई भी सड़क, कोई भी सदस्य बता दे कि उस पर कब्जे जो दुकानदारों ने कर रखे हैं, वो चल सकते हैं। अब मंथली मिल रहा है, उसके अंदर तो कुछ कर नहीं सकते हैं। और जिम्मेदारी मुझे तो लगता है सदन को बैठकर इस जिम्मेदारी को बदल देनी चाहिए, कम से कम पीडब्ल्यूडी रोड की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी को दे दें कि इसके अंदर कानून बना दिया जाए और वो जिम्मेदारी दे दें। हम बिल्कुल साफ करा दें, इस बात की गारंटी लेते है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई विशेष रवि जी, बिना अनुमति के नहीं, प्लीज। तोमर जी का एक बहुत महत्वपूर्ण है और श्रमिक विभाग से जुड़ा हुआ

है, उसका 'ख' और 'ग' भाग, तोमर जी जल्दी करिए, बस अंतिम। इस पर सप्लीमेंटरी भी कोई नहीं है।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–51 प्रस्तुत हैः

क्या **माननीय श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मार्च, 2015 से त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र में जारी श्रमिक कार्डों की संख्या बताइये, इसका पूरा ब्यौरा बताइए;

(ख) श्रमिक कार्ड जारी करने के लिए अपनाई जाने वाले पद्धति एवं अपेक्षित दस्तावेजों का पूरा ब्यौरा बताइए; और

(ग) दिल्ली सरकार द्वारा संचालित श्रमिकों के लिए सभी कल्याणकारी योजनाओं का पूरा ब्यौरा दीजिए?

माननीय श्रम मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 51 का उत्तर निम्न प्रकार हैः

(क) जैसा मैंने पहले भी बताया था, पहले प्रश्न के जवाब में, दिल्ली भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिकों का आंकड़ा विधान सभा के अनुसार एकत्रित नहीं किया जाता, ये जिला वाइज किया जाता है और माननीय सदस्यों को अगर जिला के अनुसार आँकड़ा चाहिए तो वो उपलब्ध कराया जा सकता है;

(ख) निर्माण श्रमिक कार्ड जारी करने के लिए अपनायी जाने वाली पद्वति एवं अपेक्षित दस्तावेजों का पूरा ब्यौरा अनुलग्नक 'क' मे दिया गया है;

(ग) दिल्ली सरकार द्वारा संचालित निर्माण श्रमिकों के लिए सभी कल्याणकारी योजनाओं का पूरा ब्यौरा अनुलग्नक 'ख' में दिया गया है;

अनुलग्नक "क"

निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज व प्रक्रिया

1. उपर्युक्तसेवाओं के लिए आवष्यक दस्तावेज/षुल्कः–

(क) फॉर्म संख्या XXVII में पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र।

(ख) आयु प्रमाण – आवेदक की आयु के समर्थन में किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा जारी किए गए किसी प्रमाण पत्र/दस्तावेज (जैसे मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि)। उपर्युक्त दस्तावेजों में से किसी एक ही अनुपस्थिति में, कार्यकर्ता द्वारा शपथ पत्र, उसकी उम/जन्म तिथि का उल्लेख, नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत प्रमाणित।

(ग) निर्माण क्षेत्र में 90 दिनों के रोजगार के लिए रोजगार प्रमाण पत्र (नियोक्ता/ट्रेड यूनियन/सहायक श्रम आयुक्त द्वारा जारी)।

(घ) स्थानीय पता प्रमाण–स्थानीय पते प्रमाण के लिए निम्नलिखित दस्तोवजों में से कोई भी माना जाएगा–

1. राशन कार्ड फोटो के साथ
2. बैंक/डाकघर पास बुक (फोटो के साथ)
3. पानी का बिल
4. बिजली का बिल
5. टेलीफोन का बिल

6. मतदाता पहचान पत्र (फोटो के साथ)

7. मान्य/वैध ड्राईविंग लाइसेंस

8. आधारकार्ड

9. पासपोर्ट (भारत सरकार द्वारा जारी)

10. दिल्ली सरकार के विभागीय आयुक्त/उप आयुक्त/एसडीएम आदि द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र

11. संपत्ति/हाउस कर रसीद

12. उप–पंजीयक दिल्ली के कार्यालय में पंजीकृत संपत्ति की सेल डीड

13. उप–पंजीयक दिल्ली के कार्यालय में पंजीकृत किराया अनुबंध

14. नियोजित श्रमिक के संबंध में नियोक्ता/ठेकेदार द्वारा जारी 90 दिन का रोजगार प्रमाण पत्र

15. श्रम चौक श्रमिकों के संबंध में पंजीकृत निर्माण श्रमिक यूनियन द्वारा जारी 90 दिन का रोजगार प्रमाण पत्र

(ङ) स्थायी पता प्रमाण (आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र)

(च) बैंक खाता विवरण

(छ) मोबाइल नंबर

(ज) 2 पासपोर्ट आार की फोटो

(झ) पंजीकरण शुल्क रु. 5/– (पंजीकरण के समय एक बार) और वार्षिक योगदान रु. 20/–

अनुलंग्नक "क"

निर्माण श्रमिकों की पंजीकरण प्रक्रिया

2. **प्रक्रियाः—**

- संबंधित जिले में बोर्ड स्टाफ द्वारा आवेदन की प्राप्ति।
- आवेदन की प्रविष्टि व दिनांक और अस्थायी रसीद।
- संबंधित जिले के प्रबंधक संचालन के कार्यालय को प्रेषित करना।
- संबंधित जिले के प्रबंधक संचालन द्वारा दस्तावेजों की पुष्टि/जांच।
- यदि दस्तावेजों में कमी है तो श्रमिक को उस कमी के बारे में सूचित करना।
- दस्तावेजों के सही पाये जाने पर संबंधित जिले के प्रबंधक संचालन द्वारा पास करके पंजीकरण अधिकारी को भेजना।
- अनुमोदन अधिकारी/पंजीकरण अधिकारी की स्वीकृति।
- श्रमिक द्वारा अपेक्षित योगदान राशि 25/— (रुपये 20/— वार्षिक योगदान + रुपये 5/— पंजीकरण शुल्क) और योगदान व पंजीकरण शुल्क के लिए रसीद जारी करना।
- संबंधित जिले में बोर्ड कर्मचारियों द्वारा पास बुक का प्रिंटिंग।
- श्रमिक को पास बुक जारी करना।

अनुलंग्नक "ख"

दिल्ली सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए चलाई जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं का विवरण

1. प्रसूति लाभ (नियम 271) — प्रसूति लाभ 30,000/— रु. (केवल दो बच्चों तक) (पात्रता — पंजीकरण की तिथि से)।

2. गर्भपात के लिए वित्तीय सहायता {(नियम 271(क)} – रु. 3.00/– (पात्रता – पंजीकरण की तिथि से)।

3. पेंशन (नियम 273) – 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन रु. 3,000/– प्रति माह एवं रु. 300/– की वृद्धि हर वर्ष (पात्रता – एक वर्ष की सदस्यता)।

4. मकान खरीदने या बनाने के लिए अग्रिम (नियम 274) – रु. 3,00,000/– तक की राशि का ऋण (पात्रता – दस वर्ष की सदस्यता शेष रहने पर)। रु. 5,00,000/– तक की राशि का ऋण (पात्रता – पंद्रह वर्ष की सदस्यता शेष रहने पर)।

5. अक्षमता पेंशन (नियम 275) – रु. 3,000/– प्रति माह (पात्रता – पंजीकरण की तिथि से)।

6. अपंग (नियम 275) हो जाने पर रु. 1,00,000/– तक की अनुग्रह राशि (पात्रता – पंजीकरण की तिथि से)।

7. निर्माण संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए ऋण (नियम 276) – रु. 20,000/– (पात्रता – एक वर्ष की सदस्यता)।

8. निर्माण संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान {नियम 276 (क)} – (5 वर्ष में एक बार) रु. 5,000/– (पात्रता – तीन वर्ष की सदस्यता)।

9. श्रमिक की मृत्यु पर अन्त्योष्टि के लिए वित्तीय सहायता रु. 10,000/– (पात्रता – पंजीकरण की तिथि से)।

10. मृत्यु लाभ का भुगतान (नियम 278) – श्रमिक की प्राकृतिक मृत्यु होने पर नामांकित/आश्रितों को रु. 1,00,000/– का मुआवजा/अनुग्रह राशि (पात्रता – पंजीकरण की तिथि से)।

श्रमिक की कार्य के दौरान मृत्यु होने पर नामांकित/आश्रित सदस्य को मृत्यु मुआवजा/अनुग्रह राशि रु. 2,00,000/– (पात्रता – पंजीकरण की तिथि से)।

11. लाभार्थियों के लिए चिकित्सा सहायता (नियम 280)–चिकित्सा सहायता अधिकतम रु. 2000/– तक की राशि पहले दिन से पांच दिन तक एवं रु. 200/– अतिरिक्त दिन के लिए दुर्घटना एवं पलास्ट्र के लिए रु. 10,000/– तक की राशि (पात्रता – पंजीकरण की तिथि से)।

12. षिक्षा के लिए वित्तीय सहायता (पात्रता – (i) से (iii) पंजीकरण की तिथि से एवं (iv) से (ix) तक एक वर्ष से अधिक की सदस्यता)।

(i) कक्षा – 1 से 8 तक रु. 500/– प्रति माह।

(ii) कक्षा – 9 से 10 तक रु. 700/– प्रति माह।

(iii) कक्षा – 11 से 12 तक रु. 1000/– प्रति माह।

(iv) स्नातक स्तर रु. 3,000/– प्रति माह।

(v) आईटीआई पाठ्यक्रम सं. 4,000/– प्रति माह।

(vi) एलएलबी (पांच वर्ष) पाठ्यक्रम रु. 4,000/– प्रति माह।

(vii) पालिटैकनिक डिपलोमा पाठ्यक्रम रु. 5000/– प्रति माह।

(viii) एलएलबी (तीन वर्ष) पाठ्यक्रम रु. 3000/– प्रति माह।

(ix) इंजीनियरिंग, मेडिसन, एमबीए जैसे तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए रु. 10,000/– प्रति माह।

(x) **दूरस्थ शिक्षा/ओपन लर्निंग स्कूल/कॉलेज/प्राइवेट अध्ययन और मान्यता प्राप्त स्कूल/कॉलेज/संस्थान से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संदर्भ में – नियमित अध्ययन के लिए**

स्वीकृत अनुदान का 75 प्रतिशत। यह वित्तीय सहायता किसी भी स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के लिए केवल एकबारगी दी जाएगी।

13. विवाह के लिए वित्तीय सहायता (नियम 282) – स्वयं एवं बच्चों विवाह (केवल दो बच्चों तक) के लिए वित्तीय सहायता – (पात्रता – तीन वर्ष की सदस्यता):–

    (क) पंजीकृत महिला सदस्य के विवाह पर – रुपये 51,000/–

    (ख) पंजीकृत पुरुष सदस्य के विवाह पर – रुपये 35,000/–

    (ग) पंजीकृत सदस्य की पुत्री के विवाह पर – रुपये 51,000/–

    (घ) पंजीकृत सदस्य की पुत्र के विवाह पर – रुपये 35,000/– (नियम 282)

14. पारिवारिक पेंशन रु. 1,000/– पेंशनधारक द्वारा प्राप्त की जा रही राशि का 50 प्रतिषत अथवा रु. 1,000/–, इनमें से जो अधिक हो। (पात्रता – एक वर्ष की सदस्यता)।

15. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ (पात्रता – पंजीकरण की तिथि से)।

16. पंजीकृत श्रमिकों व उनके परिवार के सदस्यों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना {नियम 283 (A)} (पात्रता–पंजीकरण की तिथि से)।

17. पंजीकृत श्रमिकों व उनके परिवार के सदस्यों के कौशल विकास के लिए निर्माण अकादमी की स्थापनाक करना {नियम 283 (A)} (पात्रता–पंजीकरण की तिथि से)।

18. पंजीकृत श्रमिकों को उपयोगिता की वस्तुएं उपलब्ध कराना {नियम 283 (B)} (पात्रता – एक वर्ष की सदस्यता)।

माननीय अध्यक्षः सप्लीमेंटरी, बस एक सप्लीमेंटरी।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः मंत्री जी, आपसे निवेदन है कि जैसे महेन्द्र गोयल जी को आप उपलब्ध करा रहे हैं पूरे जिले का ब्यौरा और हमारा जिला भी... सर, एक कॉपी मुझे भी भेज देना।

माननीय अध्यक्षः वो कहा है, जिले का आप लिखकर दे दीजिए।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः ठीक है। सारों का आएगा?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः वो आप देख लीजिए।

माननीय श्रम मंत्रीः डिस्ट्रिक्ट वाइज है, जिसको जिस डिस्ट्रिक्ट का चाहिए, उसको उस डिस्ट्रिक्ट का मिल जाएगा।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः मेरा तो नॉर्थ वेस्ट है। मेरा और महेन्द्र जी का एक ही है। तो इनकी कॉपी बनेगी, तो मेरा भी भिजवा दीजिए एक कॉपी।

माननीय श्रम मंत्रीः ठीक है।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

48. श्री जगदीप सिंहः क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि तिहाड़ झील को ढ़कने के लिए संबंधित विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को अंत तक पूर्ण न करने के क्या कारण है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

माननीय शहरी विकास मंत्रीः (क) से (ग) **दिल्ली विकास प्राधिकरणः** दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रश्न भेजा गया था। इस संदर्भ में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र सं. एफ. 5(3)/मिस./2015/पी एंड सी/वीएस/769 दिनांक 2 अगस्त, 2018 द्वारा यह सूचित किया है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239एए(3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए विधान सभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के सम्बन्ध में सभा द्वारा उठाये गये प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(आयुक्त एवं सचिव कार्यालय)
ब्लॉक–बी, विकास सदन, आईएनए नई दिल्ली–110023

सं. एफ5(3)/मिस./2015/पी एंड सी/वीएस/769 दिनांक 2 अगस्त, 2018

सेवा में

श्री संदीप मिश्रा,
विशेष सचिव (संसद अनुभाग),
शहरी विकास विभाग, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार,
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय,
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–11002

विषयः छठी दिल्ली विधान सभा के 7वें सत्र के दूसरे भाग में दिनांक 07.06.2018 को उठाए गए अतारांकित प्रश्न के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 09.07.2018 के अपने पत्र सं. एफ–53 (यूएसक्यू)/बजट सेशन–सैंकड–जून–2018/दिल्ली असेंबली/यूडी/डी 7175–7176 का अवलोकन करें, जिसकी संदर्भ सं. एफयूएसक्यू/बजट सेशन–II जून, 2018/दिल्ली असेंबली/यूडी/डी–6983–43 (यूएसक्यू–80), 6925–34 (क्यूएसक्यू–78), 6977–80 (क्यूएसक्यू–89) तथा 6901–6904 (क्यूएसक्यू–70) दिनांक 29.05.2018 तथा अनुपूरक फर्स्ट डी–7066 से 7068 दिनांक 13.06.2018 है, जिसके द्वारा संदर्भित विषय पर उत्तर तैयार करने के लिए विभाग की उपयुक्त सामग्री प्रेषित करने के लिए कहा गया था।

इस संबंध में, यह बताया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 239एए(3)(क) के अनुसार विधान सभा के पास राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में आने वाले किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, केवल उन मामलों को छोड़कर जो राज्य सूची की प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं तथा सूची की प्रविष्टि 64, 65 तथा 66 से कुछ हद तक संबंधित हैं क्योंकि ये उक्त प्रविश्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं। अतः आरक्षित विषयों अर्थात् प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 में उल्लिखित विषयों पर राज्य सरकार के पास न तो कानून बनाने की शक्तियां हैं और न ही कार्यकारी कार्रवाई करने की शक्तियां। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 29 में यह वर्णित है कि प्रश्नों की विषय सामग्री प्रशासन के मामलों से संबंधित होनी चाहिए, जिसके लिए सरकार उत्तरदायी है।

अतः दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239एए(3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए विधान सभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह

भी बताया जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के संबंध में सभा द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए क्योंकि दि.वि.प्रा. केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है।

तथापि, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के विकास कार्य और सार्वजनिक कल्याण में दि.वि.प्रा. की भूमिका से संबंधित मामलों के संबंध में दि.वि.प्रा. रा. रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त पत्राचार के उत्तर देना जारी रखेगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डी. सरकार)
आयुक्त एवं सचिव

49. श्री सुखबीर सिंह दलालः क्या **माननीय परिवहन मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि मुंडका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 01.01.2015 से क्षेत्रीय विधायक द्वारा बार—बार अनुरोध करने के बावजूद अपेक्षित संख्या में बस स्टैंड उपलब्ध नहीं कराए गये हैं।

(ख) मुंडका विधान सभा क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में बसें उपलब्ध न कराये जाने के कारण बताइये;

(ग) बसों के आने जाने के लिए पर्याप्त स्थान होने के बावजूद हिरण कूदना गांव से नजफगढ़ तक बस सुविधा न उपलब्ध कराने के कारण बताइये;

(घ) सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पास सैंक्शन न खोलने के कारण बताइये; और

(ङ) मुंडका विधान सभा क्षेत्र में पहले बंद किये गए बस रूटों को दोबारा चालू न करने के कारण बताइये?

माननीय परिवहन मंत्रीः (क) माननीय क्षेत्रीय विधायक द्वारा मुंडका विधान सभा क्षेत्र में बस शैल्टर्स बनाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए। इस संदर्भ में डीटीआईडीसी द्वारा माननीय विधायक को अवगत करा दिया गया है कि 1397 बस क्यू शैल्टर्स बनाने की प्रक्रिया विचाराधीन है जिसमें और उनके क्षेत्र में भी पुराने बस शैल्टर्स के स्थान पर नए बस शैल्टर्स बनाए जाने हैं जो कि 1397 बस क्यू शैल्टर्स की सूची में सम्मिलित हैं, परन्तु वर्तमान में दिल्ली सरकार द्वारा 1397 नए बस क्यू शैल्टर्स बनो का कार्य लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को सौंप दिया गया है;

(ख) (i) वर्तमान में दि.प.नि. के बेड़े में 3781 बसें व 446 रूट परिचालन के लिए अनुसूचित हैं। इनमें से मुंडका विधान सभा क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर 59 रूटों पर कुल 363 बसें व 13 स्पेशल फेरे परिचालन हेतु अनुसूचित है। जिनका ब्यौरा **परिशिष्ट–'क'** पर उपलब्ध है।

(ii) दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार दिल्ली में परिवहन व्यवस्था के लिए 11000 बसों का होना जरूरी है और दिल्ली सरकार के निर्णय अनुसार दिल्ली परिवहन निगम के बेडे में 5500 बसें तथा क्लस्टर स्कीम में 5500 बसें करने का निर्णय है।

इस समय दिल्ली परिवहन निगम के बेडें में 3761 (2506 नोन एसी और 1275 एसी) लो फ्लोर सीएनसी बसें है।

दिल्ली परिवहन निगम 1000 नई एसी लो फ्लोर सीएनजी बसों को खरीदने की प्रक्रिया में है जिसके लिए निविदा दिनांक 26.07.2019 को जारी कर दी गई है और जमा निविदाओं को दिनांक 06.09.2019 को खोला जाएगा।

बसों को खरीदने का आर्डर देने की सम्भावित तिथि 22.10.2019 है और बसें जनवरी, 2020 से आनी शुरू हो जाएगी। ये सारी 1000 नई बसें वर्ष 2020 में आने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त डीटीसी 300 एसी

लो फ्लोर इलैक्ट्रिक बसें (OPEX Model) जो भारत सरकार की FAME-II की योजना के अंतर्गत दि.प.नि. को आवंटित की गई है इन बसों का दिसम्बर, 2019 तक आर्डर होने की अनुमान है और सारी 300 बसों का वर्ष 2020 में आने की सम्भावना है।

(iii) क्लस्टर सेवा के अंतर्गत 1000 स्टैंडर्ड फ्लोर बसें, 1000 लो फ्लोर एसी बसें तथा 385 इलैक्ट्रिक बसें अगस्त, 2019 से अप्रैल, 2020 तक बेड़े में सम्मिलित होंगी।

(iv) नई बसें आने के उपरांत इस क्षेत्र के रूटों पर भी बसें बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है;

(ग) उपरोक्त 'ख' अनुसार;

(घ) पासधारकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए दि.प.नि. द्वारा 40 पास अनुभाग खोले हुए हैं, जिनकी सूची **परिशिष्ट–'ख'** पर है। जिनमें से 18 पास अनुभाग दो पारियों में कार्यरत हैं, जोकि दिव्यांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त दिव्यांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिये ऑनलाइन सुविधा "www.dtcpass.delhi.gov.in" पर भी दिल्ली सरकार की (Door Step Delivery of Public Services Phase-III) के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को पास सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी; और

(ङ) मुंडका विधान सभा क्षेत्र कुछ रूट बसों की कमी व कुछ रूट लो फ्लोर बसों के परिचालन अनुरूप सड़क मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण पिछले कुछ समय से अस्थाई रूप से बंद है। जैसे ही नई बसें दि.प.नि. तथा क्लस्टर के बेड़े में शामिल होगी, तत्पश्चात इन रूटों के सड़क मार्ग की सर्वे करवाकर इन रूटों पर भी बसें चलाने की कार्रवाई की जायेगी।

परिशिष्ट–'क'

Details of Routes, Originating & Passing through Mundka Vidhan Sabha Constituency

Sl No.	Route No.	From	To	No. of Buses
1	2	3	4	5
1	114	Qutabgar	Old Delhi Rly Station	15
2	236	Anand Vihar ISBT	Quamruddin Nagar	L8
3	254	Quamruddin Nagar	Babar Pur Extn.	22
4	539	Nangloi	Mehraulit	5
5	567	Quamruddin Nagar	Sarai Kale Khan (ISBT)/Lajpat	16
6	701	Najafgarh	Narela Terminal	4
7	708	Najafgarh	Narela	23
3	741	Jyonti Shivalaya	Mangla Puri	2
9	915	Majra Dabas	Karam Pura Terminal	1
10	918	Quamruddin Nagar	Delhi Sectt.	5
11	921	Rani Khera	Old Delhi Rly. Station	2
12	923	Najafgarh Terminal	Old Delhi Rly. Station	2
13	924	Majra Dabas	Old Delhi Rly. Station	2
14	926	Tikri Border	Old Delhi Rly. Station	11
15	928	Garhi Randhala	Karam Pura Terminal	5
16	934	Neelwal	Karam Pura Terminal	2
17	935	Majra Dabas	Azad Pur Terminal	3
18	941	Katewara Village	Karam Pura Terminal	2
19	947	Sawda Ghevera JJ	IGI Airport Terminal-2	2

1	2	3	4	5
20	943	Kanjhawala Chowk	Narela Terminal	1
21	949	Tikri Border	Delhi Sectt.	20
22	962	Kanjhawala Village	Kendriya Terminal	1
23	963	Bakarwala JJ Cly.	Shivaji Stadium	2 Trips
24	966	Quamruddin Nagar	Nizamuddin Rly. Station	23
25	972	Harewali Village	Uttam Nagar (T)	5
26	978	Najafgarh	Azad Pur(T)	32
27	979	Mubarak Pur Dabas	Narela Terminal	2
23	980	Quamruddin Nagar	Sarai Kale Khan	6
29	991	Mubarakpur Dabas	Shivaji Stadium	10
30	114A	Auchandi Border	Azad Pur Terminal	4
31	114B	Katewara Village	Azad Pur Terminal	1
32	114 Ext.	Jat Khore	Azad Pur (T)	1
33	174 STL	Jyonti Village Shivalaya	Azad Pur (T)	2
34	182A	Kanjhawala Village	ISBT Kashmere Gate	6
35	219 STL	Hiran Kudna X-Ing	Old Delhi Rly. Station	5
36	236 Ext.	Savda-Ghevra JJ Cly.	Anand Vihar ISBT	5
37	567A	Mundka/Mubarakpur	Nehru Place Terminal	4
38	741A	Katewara Village	Uttam Nagar (T)	6 Trips
39	325A	Tikri Border	Tilak Nagar	3
40	921 Ext.	Mubarakpur Dabas	ISBT Kashmere Gate	3
41	938A	Tikri Border	Azad Pur Terminal	4
42	938B	Mundka Metre Station	Rithala Metro Station	2
43	947A	Sawda Ghevera JJ	Bhati Mines	1

1	2	3	4	5
44	949A	Sawda Ghevera JJ	Jheel	5
45	949 Ext.	Sawda Ghevera JJ	Sarai Kale Khan (ISBT)	5
46	S62A	Majra Dabas	Shivaji Stadium	2
47	Bawana Circular	Bawana	Bawana	2
48	Bawana Circular	Bawana	Bawana	1
49	GL-91	Mundka	Shivaji Stadium	5
50	Gramin Mudrika (1)	Azad Pur Terminal	Azad Pur Terminal	6
51	Gramin Mudrika (1)	Azad Pur Terminal	Azad Pur Terminal	6
52	NCR	N.D. Rly. Stn. Gate No. 2	BahadurGarh	17
53	NCR	Narela (T)	Bahadur Garh	12
54	NCR	Karam Pura Terminal	Bahadur Garh	10
55	0114	Old Delhi Railway Station	Qutab Garh	1 Trip
56	0219	Old Delhi Railway Station	Mubarak Pur Dabas	2 Trips
57	0236	Anand Vihar ISBT	Qumruddin Nagar	2
58	0926	Old Delhi Railway Station	Tikri Border	2
59	0929	Old Delhi Railway Station	Mubarak Pur Dabas	2 Trips
		Total		363+13 Trips

परिशिष्ट–'ख'

Pass Section Zone Winse/Code No. of Pass Section-2019

Sl. No.	Pass Section	Code No.	F.No.	Depot	Shift
1	2	3	4	5	6
			North Zone		
1.	Azad Pur	10	27240104	Subhash Place	Double
2.	Alipur	53	27204149	Narela	Single
3	Burari	59	27612576	G.T.K	"
4.	Bawana	52	27754868	Bawana	"
5	Kanjhawla	55	25951248	Kanjhawla	"
5	Narela	57	27284420	Narela	"
7.	North Campus	62	27662176	B.B.M-1	"
8.	Rohini Sec-22	12		Rohini-1	"
9.	Sultan Puri	56	25962172	Nangloi	"
10.	Timar Pur	61	23810833	B.B.M-1	"
11.	Wazirpur	11	27190105	Wazir Pur	Double
			South Zone		
12	Central Sectt.	43	23092800	S.N.D	Single
13.	Hauz Khas	41	26511533	V.V.D	"
14.	Jamia Millia	46	26985269	S.V.D	"
15.	J.N.U	48	26741192	V.V.D	"
16.	Lajpat Nagar	47	29841274	S.N.P.D	Double
17.	Mehrouli	45	26541937	A.N.D	"
18.	Nehru Place	42	26229138	K.J.D	"

1	2	3	4	5	6
19.	South Campus	44	24111971	V.V.D	Single
20.	Sarojni Nagar	40	24101889	S.N.D	Double
			West Zone		
21.	Air Port (IGI)	49	125654119	Dwarka-8	Single
22.	Dwarka-2	33	25081275	Dwarka-2	Double
23.	Harinagar-1	31	28520612	HND-1	"
24.	Karol Bagh	64	23535342	Nariana	"
25.	Mangol Puri	54		Peera Garhi	Single
26.	Najafgarh	51	28012312	D.K.D	"
27.	Punjabi Bagh	30	25411571	Maya Puri	Single
28.	Peera Garhi	50	25286805	Peera Garhi	"
29.	Shadi Pur	63	25871712	Shadi Pur	"
30.	Uttam Nagar	32	25377000	Keshav Pur	"
			East Zone		
31.	Babar Pur	19	22832805	Nand Nagri	Single
32.	Delhi Gate	70	23724528	Raj Ghat-1	Double
33.	Hasan Pur	22	22247146	Hasan Pur	"
34.	Jheel (Manual)	24		Hasan Pur	Single
35.	Kashmiri Gate	60	23861477	Raj Ghat-1	Double
36.	Nand Nagri	21	22592282	Nand Nagri	"
37.	Red Fort	71	23258726	Raj Ghat-1	Single
38.	Shahdra	20	22328297	Nand Nagri	"
39.	Seema Puri	23	22356370	Gaji Pur	"
40.	Scindia House	01	23737180	Scindia House	Double

52. श्री राजेश ऋषिः क्या **माननीय गृह मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जनकपुरी (ए–1 जनकपुरी, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर) स्थित नर्सिंग होम, कोचिंग संस्थान, पेइंग गेस्ट हाउस और होटलों को जारी अग्नि सुरक्षा क्लीयरेंस प्रमाण पत्रों का पूरा ब्यौरा दीजिये और इन प्रमाण पत्रों को जारी करने वाले प्राधिकरण/प्राधिकारियों का पूरा ब्यौरा दीजिये और इन प्रमाण पत्रों को जारी करने वाले प्राधिकरण/प्राधिकारियों का पूरा ब्यौरा दे;

(ख) जिन मामलों में प्रमाण पत्र जारी नहीं किये गए थे उन मामलों का पूरा विवरण उनके कारणों सहित बताइये;

(ग) क्या जनकपुरी ए–1 ब्लॉक स्थित पेइंग गेस्ट हॉउसों को अग्नि सुरक्षा क्लीयरेंस प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जिसमें आग लगने के कारण 5 लड़कियों की मृत्यु हो गयी थी;

(घ) यदि हां, तो इसकी प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए;

(ङ) यदि नहीं, तो इस मामले में की गयी कार्यवाही का पूरा ब्यौरा बताइये; और

(च) जनकपुरी विधान सभा एरिया में अग्नि सुरक्षा विभाग से अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके होटलों, समाराहों हालो, नर्सिंग होम, अस्पतालों, कोचिंग सेंट्रो, कारखानों, शॉपिंग परिसर, माल, मार्किट, विभागीय स्टोरों का पूरा विवरण सविस्तार दीजिए।

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) जनकपुरी सब डिवीजन के अंतर्गत स्थित नर्सिंग होम, कोचिंग संस्थान, पेइंग गेस्ट हाउस और होटलों जिनके पास अग्नि शमन विभाग द्वारा जारी वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र है, की सूची संलग्न

है (संलग्न–I); अनापत्ति प्रमाण पत्र निदेशक या चीफ फायर अफसर द्वारा जारी किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह सूचित किया जाता है कि इस विभाग द्वारा जारी किये सभी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट निरीक्षण रिपोर्ट सहित विभागीय वेब साइट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है;

(ख) दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली फायर सर्विस एक्ट 2007 व रूल्स 2010 के अंतर्गत कार्य करती है। जो भवन रूल 27 के अंतर्गत आते हैं उनके नक्शे जो कि दिल्ली बिल्डिंग बाई लॉज के अनुरूप बनाये गए हो और पूर्ण विवरण दिया गया हो, लोकल अथॉरिटी के द्वारा इस विभाग को रूल 34 के अंतर्गत अग्रेषित किये जाते हैं। वर्तमान में यह प्रक्रिया ऑनलाइन चल रही है। ऐसे भवनों को फायर सेफ्टी गाइलाइन्स जारी किये जाते हैं तत्पश्चात रूल 33 में दिए गए फायर सेफ्टी प्रावधानों/उपकरणों का निरीक्षण किया जाता है और संतोषजनक न पाए जाने पर त्रुटि पत्र जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो भवन पूर्व निर्मित है उनमें प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संदर्भ मिलने पर उपरोक्त नियमानुसार ही कार्रवाई की जाती है;

(ग) जी नहीं, वर्णित पीजी को सुरक्षा क्लीयरेंस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था क्योंकि यह पीजी रूल 27 में वर्णित भवनों में नहीं आता था। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि उस अग्नि दुर्घटना में किसी की मृत्यु नहीं हुई थी;

(घ) कृपया उपरोक्त विवरण का अवलोकन करें;

(ङ) कृपया उपरोक्त विवरण का अवलोकन करें;

(च) सूची संलग्न है (संलग्नक–2)। इसके अतिरिक्त यह सूचित किया जाता है कि इस विभाग द्वारा जारी किये सभी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट निरीक्षण रिपोर्ट सहित विभागीय वेब साइट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

संलग्न—1

	College & Institute	
1.	Maharaja Surajmal Institute C 4 Janakpuri (On Line 100 47170) (MIST Block MSIP Block Hostel Block)	FSC
2.	Mata Leelawati Sikshan Sansthan D 29 Institutional Area Janakpuri for IITM GGSIU	FSC
3.	IETE Institute of Electronics & Telecommunication Engineers at P. No. 16/1-2 Institutional Area Pankha Road Janakpuri	FSC
4.	Kamal Institute of Higher Education & Advance Technology K1 Extn. Mohan Garden Uttam Nagar	FSC
	Hotel	
1.	Hotel Grand Westend Plot No. 6 (G 6) Community Centre Vikaspuri (Marko Agro Housing & Finance)	FSC
2.	Signature Grand Site No. 1-A Sub Distt. Centre Hari Nagar (ACG Hospitality)	FSC
3.	Plot No. 1B Sub Distt. Centre Hari Nagar DG Estate (S.K. Premium Park - JMD Abode & Banquets)	FSC
4.	Plot No. 1C Sub Distt. Centre Hari Nagar (IRIS Hometel) (S. Chand & Co.) Tulip	FSC
	Distt. Centre	
1.	Plot No. 17 Distt. Centre JKP Club Janakpuri	FSC
2.	Plot No. 8 Distt. Centre JKP Jyoti Shikhar	FSC
3.	Westend Mall Distt. Centre Janakpuri (P. No. 15-16) for PP Buildwell Pvt. Ltd.	FSC
4.	Plot No. 17 Distt. Centre JKP Club Janakpuri	FSC

Community Centre

1.	Plot No. A Block A Comm. Centre Vikas Puri (Reliance Prolific Commercial)	FSC

Hospital

1.	Mata Chanan Devi Hospital C 1 Janakpuri	FSC
2.	Super Speciality Wing DDU Hospital C 2B Janakpuri	FSC

संलग्न–2

College & Institute

1.	Indira Gandhi Institute of Physical Education and Sports Science B Block Vikaspuri	FSC
2.	Maharaja Surajmal Institute C 4 Janakpuri (On Line 100 47170) (Mist Block MSIP Block Hostel Block)	FSC
3.	Mata Leelawati Sikshan Sansthan D 29 Institutional Area Janakpuri for IITM GGSIU	FSC
4.	Management Education and Research Institute 53-54 Institutional Area Janakpuri	FSC
5.	IETE Institute of Electronics and Telecommunication Engineers at P. No. 16/1-2 Institutional Area Pankha Road Janakpuri	FSC
6.	Kamal Institute of Higher Education and Advance Technology K 1 Extn. Mohan Garden Uttam Nagar	FSC
7.	Bharti College C 4 Janakpuri	Shortcoming

Coaching Centre

1.	Rao Edu. Solutions Pvt. Ltd. UGF FF A 1/173 Janakpuri	Shortcoming
2.	Aakash Educational Services Pvt. Ltd. Basement of A 1/172 Janakpuri	Shortcoming

3.	Aakash Educational Services Pvt. Ltd. A 1/21 Janakpuri	Shortcoming
4.	Aakash Educational Services Pvt. Ltd. G FF SF A 1/23 Janakpuri Main Najafgarh Road	Shortcoming
5.	Aakash Educational Services Pvt. Ltd. FF A 1/24 Janakpuri	Shortcoming
6.	Aakash Educational Services Pvt. Ltd. A 1/165 Janakpuri	Shortcoming
7.	Aakash Educational Services Pvt. Ltd. GF FF SF A 1/23 Janakpuri Main Najafgarh Road	Shortcoming
8.	Aakash Educational Services Pvt. Ltd. RZ 17 18 & 73 Block B 1 Sewak Park Uttam Nagar	Shortcoming
	Hotel	
1.	Hotel Grand Westend Plot No. 6 (G 6) Community Centre Vikas Puri (Marko Agro Housing & Finance)	FSC
2.	Signature Grand Site No 1-A Sub Distt. Centre Hari Nagar (ACG Hospitality)	FSC
3.	Plot No. 1B Sub Distt. Centre Hari Nagar DG Estate (S.K. Premium Park - JMD Abode & Banquets)	FSC
4.	Plot No. 1C Sub Distt. Centre Hari Nagar (IRIS Hometel) (S. Chand & Co)	FSC
	Distt. Centre	
1.	Plot No. 17 Distt. Centre JKP Club Janakpuri	FSC
2.	Plot No. 8 Distt. Centre JKP Jyoti Shikhar	FSC
3.	Westend Mall Distt Centre Janakpuri (P No 15-16) for P P Buildwell Pvt. Ltd .	FSC
4.	Plot No 17 Distt. Centre JKP Club Janakpuri	FSC
5.	Plot No 13 Distt. Centre JKP (LIC)	NOC
6.	Plot No 1, 2, 5, 7A Distt. Centre JKP DDA Bldg.	NOC

7.	Plot No 11 Distt. Centre JKP Kirti Shikar	NOC
8.	Plot No 3 Distt. Centre JKP Jaina Tower-I	NOC
9.	Plot No. 10 Distt. Centre JKP Vishal Tower	NOC
10.	Plot No. 6 Distt. Centre JKP Jaina Tower-II	NOC
11.	Plot No. 14 Distt. Centre JKP Sagar Tower	NOC
12.	Vishwa Sadan Plot No. 9 Distt. Centre Janakpuri	NOC
13.	Plot No. 7 Distt. Centre JKP Suneja Tower-I	Shortcoming
14.	Plot No. 12 Distt. Centre JKP Suneja Tower II	Shortcoming
	Community Centre	
1.	Plot No. A Block A Comm. Centre Vikaspuri (Reliance Prolific Commercial)	FSC
2.	G 27 Comm. Centre Vikaspuri	NOC
3.	Mahatta Tower Ltd. 54 B Block CC Janakpuri	NOC
4.	Plot No. 60A Block Comm. Centre Janakpuri	NOC
5.	Plot No. C II Janakpuri	NOC
6.	Ansal Majestic Tower G 17 Comm. Centre Vikaspuri	Shortcoming
	Hospital	
1.	Mata Chanan Devi Hospital C1 Janakpuri	FSC
2.	Super Speciality Wing DDU Hospital C 2B Janakpuri	FSC
3.	Medfort Hospital A3/24 (3rd Floor) Janakpuri	Shortcoming
4.	Bhagat Hospital D II 48/49 Janakpuri (Nursing Home)	Shortcoming
5.	Amar Leela Hospital & Heart Centre B 1/6 Janakpuri Main Najafgarh Road	Shortcoming
6.	Gaudium Women Hospital B 1/51 Janakpuri	Shortcoming

7.	Dr. Jain Dental & Implant Clinic 2B/54A Janakpuri	Shortcoming
8.	Amar Leela Hospital & Heart Centre B 1/6 Janakpuri Main Najafgarh Road	Shortcoming
9.	Tomar Medical Centre D2/42 Janakpuri New Delhi-58 DR A Tomar	Shortcoming
10.	All Care Dental & Implant Centre GG 1/141 B Vikas Puri New Delhi 18 (First Floor-Clinic)	Shortcoming
11.	Genesis Hospital C1/130 Janakpuri and C1/129	Shortcoming
	MISC	
1.	Currency Administration Branch Janakpuri A1 181 282 Pankha Road Janakpuri	Shortcoming
2.	Reliance Fresh JIO C 62 DDA Shopping Complex Community Centre Janakpuri	Shortcoming
3.	Currency Chest State Bank of India Janak Cinema Complex Pankha Road C Block Janakpuri	Shortcoming
4.	UCO Bank Currency Chest Janakpuri	Shortcoming
5.	Fizzy Fashions E 2 94/95 Chenkya Place 30 ft. Road Opp Janakpuri for Sh. Kulbir Madan (MFG Readymade Garments)	Shortcoming
6	Acacia Fashion at 13D/1 2nd Floor Asalatpur Opp A2 Gurdwara Janakpuri ND 58 (Monika Sharma) Export Garment Accessories	Shortcoming
7	State Bank of India SBI Currency Chest Admn Branch A 1/281, 282 Pankha Road Janakpuri	Shortcoming
8.	Narayana IIT/PMT Academy A 1/171 A Janakpuri	Shortcoming

53. श्री गिरीश सोनीः क्या **माननीय समाज कल्याण मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि मादीपुर विधान सभा क्षेत्र की कुछ कॉलोनियों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अल्पसंख्यक/पिछड़े वर्गों की श्रेणी में आती है;

(ख) यदि हां, तो इन कॉलोनियों की संख्या बताइये और इसका विवरण दीजिए; और

(ग) अब तक इन कॉलोनियों में किए गए विकास कार्यों का विवरण बताइये?

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः (क) जी हां, परन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए दिल्ली में कॉलोनियों का कोई वर्गीकरण नहीं है। यद्यपि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बस्ती सुधारीकरण योजना के अंतर्गत उन प्रगणक ब्लॉकों में सुधारीकरण किया जाता है, जहां जनगणना विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जनसंख्या 33 प्रतिशत से अधिक है;

(ख) मादीपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले, प्रगणक ब्लॉक जहां अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की संख्या 33 प्रतिशत से अधिक है, ऐसे प्रगणक ब्लॉकों की संख्या 140 है। उनका विवरण अनुलग्नक 'क' में वर्णित है; और

(ग) पिछले पांच वर्षों में मादीपुर विधान सभा क्षेत्र में, अनुसूचित जाति/जनजाति बस्ती सुधारीकरण योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों का विवरण अनुलंग्नक 'ख' में वर्णित है।

अनुलंग्नक 'क'

13- (Assembly) Sadar Bazar

73	Shastri Nagar	W
74	Inder Lok Colony	SC
75	Kishan Ganj	G
76	Deputy Ganj	G

20- (Assembly) Chandni Chowk

77	Kashmere Gate	W
78	Majnu Ka Tila	SC
79	Jama Masjid	G
80	Chandni Chowk	G,.

21- (Assembly) Matia Mahal

81	Minto Road	W
82	Kucha Pandit	SC
83	Bazar Sita Ram	G
84	Turkman Gate	G

22- (Assembly) Ballimaran

85	Idgah Road	SC(W)
86	Ballimaran	W
87	Ram Nagar	SC
88	Qasabpura	G

23- (Assembly) Karol Bagh

89	Paharganj	G

90	Model Basti	SC(W)
91	Karol Bagh	W
92	Dev Nagar	SC

24- (Assembly) Patel Nagar

93	Baljit Nagar	SC(W)
94	West Patel Nagar	G
95	East Patel Nagar	SC
96	New Ranjit Nagar	G

25- (Assembly) Moti Nagar

97	Kirti Nagar	W
98	Man Sarover Garden	G
99	Moti Nagar	G
100	Karampura	W

26- (Assembly) Madipur

101	Raja Garden	G
102	Raghubir Nagar	SC(W)
103	Punjab Bagh	G
104	Madipur	SC

27- (Assembly) Rajouri Garden

105	Rajouri Garden	W
106	Tagore Garden	G
107	Vishnu Garden	G
108	Khyala	W

Ward No. 101

Sl. No.	Ward No.	Name of Town/ Census Town/Village	Name of District	Name of Tahsil	Enumeration Block No.
1	0101	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	80
2	0101	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	18
3	0101	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	19
4	0101	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	38
5	0101	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	46
6	0101	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	54
7	0101	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	55
8	0101	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	56
9	0101	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	57
9	0101	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	58
11	0101	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	60
12	0101	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	61

Extent of the Population Enumeration Block	Top_P	SC_P	% of SC
Madipur J.J. Colony: Block C- 277-318	442	286	64.71
Madipur J.J. Colony: Block B H.N. 375-479 including LAV Block, Shops, Ravidass Mandir	559	256	45.8
Madipur J.J. Colony: Block B H.N. 480-549 including LAV Block	658	329	50
Madipur J.J. Colony: Block E, H.N. 181-275 including Nursery Park	337	123	36.5
Madipur J.J. Colony: Block F H.N. 266-350 including Sub Numbers	353	155	43.91
Janta Qts. Pocket-II Paschim Puri H.N. 113 to 232 including MCD SCH, Tample, Barat Ghar, Park	449	442	98.44
Janta Qts. Pocket-II Paschim Puri (Single ST) H.N. 233 to 316 including Park & Mother Dairy	627	595	94.9
Janta Qts. Pocket-II Paschim Puri (Single ST) H.N. 317 to 395 including Park	625	607	97.12
Janta Qts. Pocket -II Paschim Puri (Single ST) H.N. 396 to 476 including Park	760	732	96.32
Janta Qts. Pocket-II Paschim Puri (Single ST) H.N. 477 to 565 including Park & 1-15 Shops	482	397	82.32
Janta Qts. Pocket-II Paschim Puri (Single ST) H.N. 641 to 710 including Park	380	292	76.84
Janta Qts Pocket-Ii Paschim Puri (Single St) H.N. 711 AB to 778 AB including Park Sub Area	609	543	89.16

Ward No. 102

Sl. No.	Ward No.	Name of Town/ Census Town/Village	Name of District	Name of Tahsil	Enumeration Block No.
1	2	3	4	5	6
1	0102	DMC (U) 7001	West 07	Rajouri Garden 002	21
2	0102	DMC (U) 7001	West 07	Rajouri Garden 002	22
3	0102	DMC (U) 7001	West 07	Rajouri Garden 002	23-1
4	0102	DMC (U) 7001	West 07	Rajouri Garden 002	28-1
5	0102	DMC (U) 7001	West 07	Rajouri Garden 002	28-2
6	0102	DMC (U) 7001	West 07	Rajouri Garden 002	29
7	0102	DMC (U) 7001	West 07	Rajouri Garden 002	0032-2
8	0102	DMC (U) 7001	West 07	Rajouri Garden 002	0037-2
9	0102	DMC (U) 7001	West 07	Rajouri Garden 002	0038-2
10	0102	DMC (U) 7001	West 07	Rajouri Garden 002	42
11	0102	DMC (U) 7001	West 07	Rajouri Garden 002	44
12	0102	DMC (U) 7001	West 07	Rajouri Garden 002	45
13	D102	DMC (U) 7001	West 07	Rajouri Garden 002	46
14	0102	DMC (U) 7001	West 07	Rajouri Garden 002	0048-2
15	0102	DMC (U) 7001	West 07	Rajouri Garden 002	0050-2

Extent of the Population Enumeration Block	Top_P	SC_P	% of SC
7	8	9	10
Raghubir Nagar J.J. Colony: Block-B-2 H.N. 272-375 including Ram Leela Mandir & DTC Stand	814	415	50.98
Raghubir Nagar J.J.Colony: Block-B-2 H.N. 376-480 including MCD Primary School	740	343	46.35
Raghubir Nagar J.J. Colony: Block-B-2 H.N. 481-544	591	247	41.79
Raghubir Nagar J.J. Colony: Block-P H.N. 91-134	538	232	43.12
Raghubir Nagar J.J. Colony: Block-P H.N.135-182	551	225	40.83
Raghubir Nagar J.J. Colony: Block-P H.N.183-258	668	376	56.29
12.5 Yards Plot on Najafgarh Drain Block-B-3 H.N. 183-244	435	214	49.2
12.5 Yards Plot on Najafgarh Drain Block-B-3 H.N. 793-854	411	143	34.79
12.5 Yards Plot on Najafgarh Drain B!ock-B-3 H.N. 914-978	494	213	43.12
Raghubir Nagar (Slum) Block-R, T-huts CN-421-560	646	282	43.65
Raghubir Nagar (Slum) Block-R, T-huts CN-701-838 Complete	431	152	35.27
15 Yards Plots on Najafgarh Drain Block-B-3 H.N. 1-82	610	271	44.43
12.5 Yards Plot on Najafgarh Drain Big Basti CN-1-137 Complete INC., Madarsa-Tamil-UL-Quran & Temple	400	211	52.75
Raghubir Nagar J.J. Colony: Block-R H.N. 164-214	421	144	34.2
Raghubir Nagar J.J. Colony: Block-R H.N. 375-426	438	175	39.95

1	2	3	4	5	6
16	0102	DMC (U) 7001	West 07	Rajouri Garden 002	55
17	0102	DMC (U) 7001	West 07	Rajouri Garden 002	60
18	0102	DMC (U) 7001	West 07	Rajouri Garden 002	0062-1
19	0102	DMC (U) 7001	West 07	Rajouri Garden 002	74
20	0102	DMC (U) 7001	West 07	Rajouri Garden 002	75
21	0102	OMC (U) 7001	West 07	Rajouri Garden 002	0076-1
22	0102	DMC (U) 7001	West 07	Rajouri Garden 002	0076-2
23	0102	DMC (U) 7001	West 07	Rajouri Garden 002	0077-1
24	0102	DMC (U) 7001	West 07	Rajouri Garden 002	077-2
25	0102	DMC (U) 7001	West 07	Rajouri Garden 002	79
26	0102	DMC (U) 7001	West 07	Rajouri Garden 002	0030-1
27	0102	DMC (U) 7001	West 07	Rajouri Garden 002	0030-2
23	0102	DMC (U) 7001	West 07	Rajouri Garden 002	0081-1
29	0102	DMC (U) 7001	West 07	Rajouri Garden 002	0031-2
30	0102	DMC (U) 7001	West 07	Rajouri Garden 002	0082-1
31	0102	DMC (U) 7001	West 07	Rajouri Garden 002	0082-2
32	0102	DMC (U) 7001	West 07	Rajouri Garden 002	0083-1
33	0102	DMC (U) 7001	West 07	Rajouri Garden 002	0083-2
34	0102	DMC (U) 7001	West 07	Rajouri Garden 002	0084-1
35	0102	DMC (U) 7001	West 07	Rajouri Garden 002	0034-2
36	0102	DMC (U) 7001	West 07	Rajouri Garden 002	85

7	8	9	10
Raghubir Nagar J.J. Colony: Block-R H.N. 851-954	720	293	40.69
Raghubir Nagar J.J. Colony: Block-D H.N. 329-410	725	319	44
Raghubir Nagar J.J. Colony: Block-C H.N. 1-48	484	196	40.5
Raghubir Nagar J.J. Colony: Block-M H.N. 111-212 & T-huts & Shops No. 139-166	752	253	33.64
Raghubir Nagar J.J. Colony: Block-M H.N.213-302	726	323	44.49
Raghubir Nagar J.J. Colony: Block-M H.N. 303-354	485	223	45.98
Raghubir Nagar J.J. Colony: Block-M H.N. 355-402	538	286	53.16
Raghubir Nagar J.J. Colony: Block-M H.N. 403-450 & Mandir (Radha Krishn)	398	206	51.76
Raghubir Nagar J.J. Colony: Block-M H.N. 451-498 & MCD School & T-huts in the Area	454	208	45.81
Raghubir Nagar J.J. Colony: Block-A H.N. 1-96	651	279	42.86
Raghubir Nagar J.J. Colony: Block-A H.N. 97-148	466	244	52.36
Raghubir Nagar J.J. Colony: Block-A H.N. 149-200 including Park's Temple	431	287	66.59
Raghubir Nagar J.J. Colony: Block-A H.N. 201-252	457	252	55.14
Raghubir Nagar J.J. Colony: Block-A H.N. 253-300	540	264	48.89
Raghubir Nagar J.J. Colony: Block-A H.N. 301-343	416	263	64.42
Raghubir Nagar J.J. Colony: Block-A H.N. 349-400	466	312	66.95
Raghubir Nagar J.J. Colony: Block-A H.N. 401-468	585	313	53.5
Raghubir Nagar J.J. Colony: Block-A H.N. 469-516 including Park's Temple	486	263	54.12
Raghubir Nagar J.J. Colony: Block-A H.N. 517-558	267	111	41.57
Raghubir Nagar J.J. Colony: Block-A H.N. 559-610	513	175	34.11
Raghubir Nagar J.J. Colony: Block-A H.N. 611-700 including Shops Mandir & Open Area	562	213	37.9

Ward No. 103

Sl. No.	Ward No.	Name of Town/ Census Town/Village	Name of District	Name of Tahsil	Enumeration Block No.
1	2	3	4	5	6
1	0103	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0016 slum
2	0103	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0017 slum
3	0103	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0021 slum
4	0103	DMC(U)7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0032
5	0103	OMC(U)7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0051
6	0103	DMC(U)7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0052
7	0103	DMC(U)7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0063 slum
8	0103	DMC(U)7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0064 slum
9	0103	DMC(U)7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0065 slum
10	0103	DMC {U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0066 slum
11	0103	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0067 slum
12	0103	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0068 slum
13	0103	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0069 slum

Extent of the Population Enumeration Block	Top_P	SC_P	SC
7	8	9	10
Punjabi Bagh Mahatama Gandhi Camp CN 111-220 J.J. Cluster.	472	231	48.94
Punjabi Bagh Mahatama Gandhi Camp CN 221-331 J.J. Cluster.	468	158	33.76
Punjabi Bagh Deen Dayal Upadhaya Camp 1 to 109 219 to 327.	448	298	66.52
Shyam Shindha Colony: H. No. 1-148 including Sub Nos. and Park, MCD Shops 1-15.	798	323	40.48
Madipur Village CN 361-432	594	319	53.9
Madipur Village CN 433-504	450	159	35.33
Madipur J.J. Colony: Block-A H. No. 1-84 including TH, Ambedkar Park, Urinal, Pump House, Two Temple and Depot. LAV Block.	766	352	45.95
Madipur J.J. Colony: Block-A H. No. 85-153 including LAV block.	604	357	59.11
Madipur J.J. Colony: Block-A H. No. 154-232, Urinal, Garbage House.	657	444	67.58
Madipur J.J. Colony: Block-A H. No. 233-297 including LAV Block.	467	238	50.96
Madipur J.J. Colony: Block-A H. No. 298-350 including ESS Shops, DDA Park, Swami Vivekanand Dispensary.	462	359	77.71
Madipur J.J. Colony: Block-A H. No. 351-452.	592	385	65.03
Madipur J.J. Colony: Block-A H. No. 453-518 including LAV Block, Durga Mandir.	471	303	64.33

1	2	3	4	5	6
14	0103	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0070 slum
15	0103	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0071 slum
16	0103	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0072 slum
17	0103	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0073 slum
I8	0103	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0078 slum
19	0103	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0079 slum
20	0103	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0080 slum
21	0103	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0081 (l) slum
22	0103	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0081 (2) slum
23	0103	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0083 slum

Ward No. 104

Sl. No.	Ward No.	Name of Town/ Census Town/Village	Name of District	Name of Tahsil	Enumeration Block No.
1	2	3	4	5	6
1	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0001

7	8	9	10
Madipur J.J. Colony: Block-A H. No. 519-595.	710	673	94.79
Madipur J.J. Colony: Block-A H. No. 596-684 including LAV Block.	435	402	92.11
Madipur J.J. Colony: Block A H. No. 685-784 including LAV Block.	746	624	86.65
Madipur J.J. Colony: Block-A H. No. 785-887 including Bharat Ghar, Super Bazar Mkt.	767	524	68.32
Punjabi Bagh Extn. (Paschim Puri) DDA slum qtrs. Block-A qtrs no. 1-39 A, B, C with ESS, Shops, T huts & Park.	529	378	71.46
Punjabi Bagh Extn. (Paschim Puri) DDA slum qtrs. Block-A qtrs no. 40-88 A, B, C	471	255	54.14
Punjabi Bagh Extn. (Paschim Puri) DDA slum qtrs. Block-B qtrs. no. 1-34 A, B, C	639	409	64.01
Punjabi Bagh Extn. (Paschim Puri) DDA slum qtrs. Block-B qtrs. no.35-48 A, B, C	277	195	70.4
Punjabi Bagh Extn. (Paschim Puri) DDA slum qtrs. Block-C qtrs. no. 1-48 A, B, C with Park, Community Centre Barat Ghar	620	285	45.87
Punjabi Bagh Extn. (Paschim Puri) DDA slum qtrs. Block-D qtrs. no. 45-88 A, B with Park no. 2	499	276	55.31

Extent of the Population Enumeration Block	Top_P	SC_P	SC
7	8	9	10
Madipur Janta Qts. Flat No. 227-257 A, B, C, including Police Chowki, Imperial Tech Workshop, Tea Shop Oil Comp 2 No., Mandir, Urinal & Park	335	132	39.4

1	2	3	4	5	6
2	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0004
3	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0006
4	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0007-1
5	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0007-2
6	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0008
7	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0009
8	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0080
9	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0010
10	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0011
11	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0012
12	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0013
13	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0014-1
14	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0014-2
15	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0015
16	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0016-1

7	8	9	10
Madipur Janta Qts. near Paschim Vihar Extn. Flat No. 178-189 ABC & 190-226 ABC Park Temple ESS	542	201	37.08
Madipur J.J. Colony: Block C, H. No. 1-86 including 2 Lav Block	800	776	97
Madipur J.J. Colony: Block C, H. No. 87-120 including Sulabh Shouchalay	460	294	63.91
Madipur J.J. Colony: Block C, H. No. 121-151	439	263	59.91
Madipur J.J. Colony: Block C, H. No. 152-172 & 173-193, 194-214, Nursery Sch, Open Block and Park	734	598	81.47
Madipur J.J. Colony: Block C, H. No. 215-276 & 319-336, Seth Laddu Mal Disp., 1-25 Shops, Mandir LAV Block	608	514	84.54
Madipur J.J. Colony: Block C, H. No. 277-318	409	403	98.53
Madipur J.J. Colony: Block C, H. No. 337-355 & 356-399 including LAV Block	540	522	96.67
Madipur J.J. Colony: Block C, H. No. 400-447 including Lav Block	483	474	98.14
Madipur J.J. Colony: Block C, H. No. 448-597 including Lav Block	765	726	94.9
Madipur J.J. Colony: T.H. 1-92 including Lav Block and Park Temple	552	547	99.09
Madipur J.J. Colony: Block B, H. No. 1-60 including Swami Vivekanand Medical Mession and Temple.	379	252	66.49
Madipur J.J. Colony: Block B, H. No. 61-121including Lav Block, Some Shops Tea Stall and T. Huts	498	325	65.26
Madipur J.J. Colony: Block B, H. No. 122-204 including Lav Block	660	461	69.85
Madipur J.J. Colony: Block B, H. No. 205-250 including Temple	521	451	86.56

1	2	3	4	5	6
17	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0016-2
18	0104	DMC (U)7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0017
19	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0018
20	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0019
21	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0020
22	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0021
23	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0022
24	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	00234
25	0104	DMC (U) 7001	West 0?	Punjabi Bagh 003	0023-2
26	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0024
27	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0025
28	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0026
29	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0027
30	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0028-1
31	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0028-2
32	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0029

7	8	9	10
Madipur J.J. Colony: Block B, H. No. 251-294 including Lav Block and Park	427	392	91.8
Madipur J.J. Colony: Block B, H. No. 295-374 including Lav Block 3 Nos.	542	489	90.22
Madipur J.J. Colony: Block B, H. No.-375-479 including Lav Block, Shops, Ravidass Mandir	646	574	88.85
Madipur J.J. Colony: Block B, H. No. 480-549 including Lav Block	466	450	96.57
Madipur J.J. Colony: Block B, H. No. 550-637 including Lav Block	454	401	88.33
Madipur J.J. Colony: Block B, H. No. 638-708 including 5 Nos. Lav Block	557	491	88.15
Madipur J.J. Colony: Block B, H. No. 709-792 including Lav Block and Park	729	690	94.65
Madipur J.J. Colony: Block B, H. No. 793-853	413	353	85.47
Madipur J.J. Colony: Block B, H. No. 854-915	544	456	83.82
Katra Ch. Maha Singh Naval Singh, Mrkt. Shops 1-110, including Health Center, MCD Office, School C.N.-1-20	129	54	41.86
Katra Ch. Maha Singh Naval Singh,C.N.-21-111 including Park AII T.H., Akhara & Congress Office	443	151	34.09
Madipur J.J. Colony: Block D, H. No. 1-103 including Lav Block	417	311	74.58
Madipur J.J. Colony: Block D, H. No. 104-182 including Shops 1-24, Lav Block, Park	462	375	81.17
Madipur J.J. Colony: Block D, H. No. 183-229 including Seva Bharti Kendra & Lav Block	396	334	84.35
Madipur J.J. Colony: Block D, H. No. 230-275 including Seva Bharti Kendra & Lav Block	437	341	78.03
Madipur J.J. Colony: Block D, H. No. 276-374 including Lav Block	931	795	85.39

1	2	3	4	5	6
33	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0030-1
34	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0030-2
35	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0031
36	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0032
37	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0033
38	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0034
39	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0035
40	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0036
41	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0037
42	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0038
43	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0039
44	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0040
45	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0041
46	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0042
47	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0043
48	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0044
49	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0045

7	8	9	10
Madipur J.J. Colony: Block D, H. No. 375-418	443	344	77.65
Madipur J.J. Colony: Block D, H. No. 419-462 including Lav Block	439	240	54.67
Madipur J.J. Colony: Block D, H. No. 463-626 including sub Numbers	630	544	86.35
Madipur J.J. Colony: Block D, H. No. 527-590 including sub Numbers	701	627	89.44
Madipur J.J. Colony: Block D, H. No. 591-654 including D 25-54 Shops D1-D50	622	486	78.14
Madipur J.J. Colony: Block D, H..No. 655-750 including sub Numbers	641	529	82.53
Madipur J.J. Colony: Block D, H. No. 751-835 including T.H. & Lav Block	642	462	71.96
Madipur J.J. Colony: Block E, H. No. 1-92	499	329	65.93
Madipur J.J. Colony: Block E, H. No. 93-180	617	496	80.39
Madipur J.J. Colony: Block E, H. No. 181-275 including Nursery Park	514	285	55.45
Madipur J.J. Colony: Block E, H. No. 276-360	790	414	52.41
Madipur J.J. Colony: Block E, H. No. 361-449 including 51 Shops, Park and open area	685	334	48.76
Madipur J.J. Colony: Block E, H. No. 450-554 including Shops	603	364	60.36
Madipur J.J. Colony: Block E, H. No. 555-657 including Shops	917	462	50.38
Madipur J.J. Colony: Block F, H. No. 1-92	750	448	59.73
Madipur J.J Colony: Block F, H. No. 93-180 including Community Hall & Park Disp.	676	385	56.95
Madipur J.J. Colony: Block F, H. No. 181-265 including Park & Shops	624	238	38.14

1	2	3	4	5	6
50	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0046
51	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0047-1
52	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0047-2
53	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0048-1
54	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0048-2
55	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0049
56	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0054
57	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0056
58	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0057
59	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0058
60	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0059"
61	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0060
62	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0D61
63	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0062
64	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0063
65	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0064

7	8	9	10
Madipur J.J. Colony: Block F, H. No. 266-350 including Sub Numbers	683	301	44.07
Madipur J.J. Colony: Block F, H. No. 351-394 including Balmiki Mandir and Park	335	180	53.73
Madipur J.J. Colony: Block F, H. No. 395-435 including 51 Shops Park & Open Area	640	387	60.47
Madipur J.J. Colony: Block F, H. No. 436-481 including Shiv Shakti Temple and Shanti Temple and Urinal	435	271	62.3
Madipur J.J. Colony: Block F, H. No. 482-530 including Gurudwara and T.H. Park Lav Block	658	246	37.39
Madipur J.J. Colony: Block F, H. No. 531-670 including Park & Shops	758	540	71.24
Janta Qts. Pocket-II Paschim Puri H.N. 113 to 232 including MCD School, Temple, Barat Ghar, Park	688	383	55.67
Janta Qts. Pocket-II Paschim Puri (Single St) H. No. 317 to 395 including Park	454	211	46.18
Janta Qts. Pocket-II Paschim Puri (Single St) H. No. 396 to 476 including Park	471	171	36.31
Janta Qts. Pocket-II Paschim Puri (Single St) H. No. 477 to 565 including Park & 1-15 Shops	588	348	59.18
Janta Qts. Pocket-II Paschim Puri (Single St) H. No. 566 to 640 including Park No. 3	487	293	60.16
Janta Qts. Pocket-II Paschim Puri (Single St) H. No. 641 to 710 including Park	527	311	59.01
Janta Qts. Pocket-II Paschim Puri (Single St) H. No. 711 to 778 including Park Sub Area	601	260	43.26
Janta Qts. Pocket-II Paschim Puri (Single St) H.N. 779 AB To 846 AB including Park Sub Area	668	245	36.68
Janta Qts. Pocket-II Paschim Puri (Single St) H.N. 847 To 910 including Park Sub Area	500	218	43.6
Janta Qts. Pocket-II Paschim Puri (Single St) H.N. 911 To 964 including Park Sub Area	313	205	65.5

1	2	3	4	5	6
66	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0068
67	01D4	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0069
68	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0070
69	0104	DMC (U) 7001	West 07	Punjabi Bagh 003	0072

Sanctioned issued by SC/ST Department during the year 2014-15 to 2018-19

Sl. No.	AC	Name of MLA	Executing Agency
1	2	3	4
1	26	Sh Girish Soni, Hon'ble MLA, Madipur	The Executive Engineer, C-4, DUSIB cum Office Shopping Complex, New Ranjeet Nagar, New Delhi-08
2	26	Sh Girish Soni, Hon'ble MLA, Madipur	The Executive Engineer, C-4, DUSIB cum Office Shopping Complex, New Ranjeet Nagar, New Delhi-08
3	26	Sh Girish Soni, Hon'ble MLA, Madipur	The Executive Engineer, C-4, DUSIB cum Office Shopping Complex, New Ranjeet Nagar, New Delhi-08
4	26	Sh Girish Soni, Hon'ble MLA, Madipur	The Executive Engineer, C-4, DUSIB curp Office Shopping Complex, New Ranjeet Nagar, New Delhi-08
5	26	Sh Girish Soni, Hon'ble MLA, Madipur	The Executive Engineer, C-4, DUSIB cum Office Shopping Complex, New Ranjeet Nagar, New Delhi-08

7	8	9	10
Janta Qts. Pocket-III Paschim Purr H. No. 1 to 86 including 1-25 5hops	711	263	36.99
Janta Qts. Pocket-III Paschim Puri H. No. 87-172 including 26-54 Shops	590	196	33.22
Janta Qts. Pocket-III Paschim Puri H. No. 173-255 including Shops	682	342	50.15
Janta Qts. Pocket-III Paschim Puri H. No. 256-350 including Park	570	196	34.39

Details of Work(s)	File No. & date of sanction	Sanctioned Amount (in Rs.)
5	6	7
Construction of SC (Jatav) Chaupal at M-Block in Raghubir Nagar JJ Colony, between M-283 and M-272 AC-26 Madipur	No. F.3(2)/2014-15/DSCST/ (Impl)/10399-10400 dated 17.09.2014	2081000
Construction of SC (Khatik) Chaupal in B-Block Madipur, JJ Colony:, near D-375	No.F.3(2)/2014-l5/DSCST/ (lmpl)/10415-10428 dated 17.09.2014	2763000
Constructs of SC (Koli) Chaupal in A-Block Madipur, JJ Colony:, near A-289	No.F.3(2)/2014-15/DSCST/ (Impl)/10401-10414 dated 17.09.2014	1972000
Construction of SC (Khatik) Chaupal at M-Block in Raghubir Nagar J.J. Colony: between M-229 and M-263 AC-26 Madipur	No.F.3(2)/2014-15/DSCST/ (Impl)/10385-10398 dated 17.09.2014	2112000
Construction of SC Chaupal in C-Block, Madipur J.J. Colony: near C-44 and B-993, Madipur AC-26	No.F.3(2)/2014-15/DSCST/ (Impl)/19308 dated 29.12.2014	4477000

1	2	3	4	5	6
6	26	Sh Girish Soni, Hon'ble MLA, Madipur		The Executive Engineer, C-4, DUSIB cum Office Shopping Complex, New Ranjeet Nagar, New Delhi-08	
7	26	Sh Girish Soni, Hon'ble MLA, Madipur		The Executive Engineer, C-4, DUSIB cum Office Shopping Complex, New Ranjeet Nagar, New Delhi-08	
8	26	Sh. Girish Soni AC-26 (Madipur)		Executive Engineer CD-I, I & F C Deptt. Opposite ESI Hospital, Basaidarapur New Delhi-110027	
9	26	Sh. Girisb Soni AC-26 (Madipur)		Executive engineer CD-I l& FC Deptt. Govt. of NCT of Delhi Opp. ESI Hospital, Basaidarpapur New Delhi	
10	26	Sh. Girish Soni, Hon'ble MLA Madipur AC-26		The Executive Engineer, CD-VIII I&FC Deptt, GNCT of Delhi Rohini Office Complex, Sector-15 Rohini Deihi-89	
11	26	Sh. Grish Soni, Hon'ble MLA Madipur		The Executive Engineer, C-4, (DUSIB), DDA Shopping Complex, 1st Floor, New Ranjeet Nagar, New Delhi-110008	
12	26	Sh. Grish Soni, Hon'ble MLA Madipur		The Executive Engineer C-4, DUSIB, Office-cum-Shopping Complex, Ranjeet Nagar New Delhi-08	
13	26	Sh. Girish Soni, Hon'ble MLA, Madipur		The Executive Engineer C-4, DUSIB, GNCT of Delhi, Ranjeet Nagar, New Delhi-08	

7	8	9	10
Construction of SC Chaupal in B-Block Madipur Colony: (near B-571)	No.F.3(2)/2014-15/DSCST/ (Impl)/24593 dated 30.03.2015		4221000
Construction of SC chaupal in D-Block Madipur J.J. Colony, near & Opposite Ravidas Mandir AC-26	No.F.3(2)/2014-15/DSCST/ (Impl)/25712 dated 30.03.2015		114000
Scheme for the work of renovation of Balmiki Chaupal at Village Basaidarapur in Madipur Assembly Constituency AC-26	F. 3(2)/20l4-15/DSCST/ Impl./2720 dated 01/06/2015		1057000
Scheme for the work of Renovation of Jatav Chaupal at WZ-334 in Village Basaidarpur in Madipur Assembly Constituency	F. No.3(2)/2014-15/ DSCST (Imp.) 2670-83 dated 28.05.2015		1812000
Renovation of Baimikr Chaupal C-Block double storey Raghubir Nagar, Ward No. 101, in Madipur Assembly Constituency AC-26	No.F.3(36)/2016-17/ DSCST(Impl.)/12282-294 dated 10.03.2017		966000
Construction of SC (Khatik) Chaupal in D-Block Madipur J.J. Colony near D-375. (2nd Installment)	No.F-3 (2)/2014-15/ DSCST(Impl.)/531-44 dated 11.01.2018		2763250
Special repair and up gradation of existing common spaces, staircases, shafts, etc. of Block A & D (Double Storey), Ph-I slum tenements at 640 slum tenements, Madipur	No.F-3 (33)/2017-18/ DSCST(Impl.) 3480-94 dated 23.03.2018		23405350
Up-gradation and special repair of existing common spaces staircases, shafts,etc at 224 Nos. Sweeper Tenements Raghubir .Nagar. (1st Installment)	No. F.3(53)/2018-19/ DSCST(lmp.)/2038-53 dated 05.02.2019		5884000
	Total		53627600

54. श्री सुरेन्द्र सिंहः क्या **माननीय श्रम मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली सरकार द्वारा श्रमिकों के प्रत्येक श्रेणी के निश्चित न्यूनतम मजदूरी का पूरा ब्यौरा, इसके सविस्तार विवरण सहित बताइये;

(ख) न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने के लिए नियत कार्य अवधि बताइये;

(ग) क्या कुछ सरकारी विभागों में बाहरी श्रमिकों से निर्धारित कार्यों के घंटों से अधिक घंटे काम करने के लिए विवश किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो उनसे अधिक घंटे कार्य कराने के लिए किस प्रकार की समयोपरि राशि का भुगतान किया जाता है, इसका पूरा ब्यौरा दीजिए;

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसे मामलों में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी, इसका पूरा विवरण दीजिए;

(च) सरकार की जानकारी में आये विभिन्न विभागों या ठेकेदारों द्वारा उल्लंघन किये गये सांविधिक उपबंधों का पूरा ब्यौरा बताइये;

(छ) क्या सरकार द्वारा संविदा कामगारों की सेवाओं की समाप्ति रोकने के लिए कुछ आदेश जारी किये हैं; और

(ज) यदि हां, तो इसका पूरा विवरण दीजिए?

माननीय श्रम मंत्रीः (क) श्रम विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा श्रमिकों को न्यूनतम वेतन हेतु छह श्रेणियों निर्धारित की गयी हैं, जो कि निम्न हैंः—

(1) अकुशल, (2) अर्द्धकुशल, (3) कुशल, (4) जो मैट्रिक पास न हो, (5) मैट्रिक पास हो, परन्तु स्नातक न हों और (6) स्नातक और उससे अधिक।

श्रम विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में दो बार माह अप्रैल और माह अक्तूबर में महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। श्रमिकों का श्रेणी–वार न्यूनतम वेतन संलग्नक 'क' पर अंकित है;

(ख) श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करने हेतु कार्य अवधि 8 घंटे की होती है;

(ग) इस विषय में यदि श्रम विभाग, दिल्ली सरकार को सरकारी विभागों से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाती है;

(घ) यदि श्रमिक 8 घंटे से अधिक कार्य करता है तो 8 घंटे की बाद की अवधि के लिए वह सामान्य मजदूरी दर की दुगुने दर से मजदूरी पाने का हकदार है;

(ङ) –उपरोक्तानुसार–;

(च) न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत जनवरी, 2018 से जून, 2019 तक मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में 1373 प्रबंधकों/ठेकेदारों के विरुद्ध चालान प्रेषित किये गये;

(छ) जी हां; और

(ज) दिल्ली सरकार के मंत्रि परिषद् द्वारा इस विषय में दिनांक 9 अक्तूबर, 2018 को कैबिनेट निर्णय लिया गया जिसके अंतर्गत पुराने ठेकेदार के ठेके की समाप्ति के बाद नये ठेकेदार द्वारा पुराने ठेकेदार के कम से कम 80 प्रतिशत कर्मचारियों को काम पर रखा जायेगा।

संलग्न–क

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली
श्रम विभाग, दिल्ली सरकार
5–शाम नाथ मार्ग, दिल्ली–110054

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 31.10.2018 के उपरांत 01.11.2018 से प्रभावी न्यूनतम वेतन (01.04.2017, 01.04.2018 और 01.10. 2018 से प्रभावी महंगाई भत्ता को मिलाकर)

श्रेणी	अधि. दिनांक 03.03.2017 द्वारा संशोधित न्यूनतम वेतन की दरें (रुपये में)	01.04.2017 से प्रभावी महंगाई भत्ता (रुपये में)	01.04.2018 से प्रभावी महंगाई भत्ता (रुपये में)	01.10.2018 से प्रभावी महंगाई भत्ता (रुपये में)	न्यूनतम वेतन की दरें (रुपये में)	
					प्रति माह	प्रति दिन
अकुशल	13350.00	234.00	312.00	104.00	14000.00	538.00
अर्द्धकुशल	14698.00	260.00	338.00	104.00	15400.00	592.00
कुशल	16182.00	286.00	390.00	104.00	16962.00	652.00
जो मैट्रिक पास न हो	14698.00	260.00	338.00	104.00	15400.00	592.00
मैट्रिक पास, परन्तु स्नातक नहीं	16182.00	286.00	390.00	104.00	16962.00	652.00
स्नातक एवं उससे अधिक	17604.00	312.00	416.00	130.00	18462.00	710.00

55. श्री अजेश यादवः क्या **माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि पिछले पांच वर्षों से भलस्वा डेयरी पशु–पालन डिस्पेंसरी रोड की हालत बहुत खस्ता है;

(ख) लोक निर्माण विभाग द्वारा अब तक इस रोड की मरम्मत न कराने के कारण बताइए;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि स्वरूप नगर बुराड़ी रोड पर कोई जल निकासी व्यवस्था नहीं है;

(घ) भविष्य में इस क्षेत्र में जल निकासी प्रणाली बिछाने के लिए विभाग की कोई योजना है; और

(ङ) इस जल निकासी प्रणाली को कब तक बिछा दिया जाएगा?

माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्रीः (क) भलस्वा डेयरी पशु–पालन डिस्पेंसरी रोड का लेवल गलियों के लेवल से नीचे होने के कारण एवं भलस्वा डेरी की इस सड़क के साथ सभी गलियों से अत्यधिक मात्रा में गोबर आकर नालों को ब्लॉक कर देता है जिससे पानी पूरी तरह निकल नहीं पाता जिसके कारण सड़क की सतह बहुत से स्थानों पर क्षतिग्रस्त होती रहती है तथा जिसकी समय–समय पर मरम्मत करा दी जाती है;

(ख) उपरोक्त 'क' में अवगत कराए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यालय द्वारा इस सड़क के निर्माण व पानी की निकासी के लिए आरसीसी की सड़क एवम् नालों के निर्माण के लिये प्राक्कलन बनाकर वर्ष 2016–17 में सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए भेजा गया था परन्तु कुछ टिप्पणियों के साथ प्राक्कलन को

संशोधन हेतु मुख्य अभियंता कार्यालय से वापिस भेज दिया गया था। अत्यधिक वाहनों की आवाजाही के कारण आरसीसी रोड के निर्माण में परेशानियों को ध्यान में रखते हुए बिटुमिनस रोड बनाने का निर्णय लिया गया जिसका संशोधित अनुमान रु. 2.96 करोड़ का है, जिसकी प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा एक माह में प्रदान कर दी जाएगी एवं निविदाएं 30.09.2019 तक आमंत्रित कर ली जाएंगी;

(ग) स्वरूप नगर बुराड़ी रोड पर जल निकासी की व्यवस्था है परन्तु पुराने नाले ईटों द्वारा निर्मित होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गये हैं। इन नालों को पुनः आरसीसी के बनाने की आवश्यकता है;

(घ) लो.नि.वि. रोड सिविल अनुरक्षण मंडल (उत्तर) द्वारा आरसीसी का नाला बनाने का प्राक्कलन रु. 5.26 करोड़ का अनुमान बनाकर भेजा गया है, जिसकी प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा लगभग एक माह में प्रदान कर दी जायेगी एवं अक्तूबर माह में निविदा आमंत्रित कर ली जाएगी; और

(ङ) सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति प्राप्त होने के बाद छः माह में जल निकासी प्रणाली ठीक करने का कार्य सम्भवतः करा दिया जायेगा।

56. श्री संजीव झाः क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बुराड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न स्थानों का जहां मोहल्ला क्लिनिकों का निर्माण कार्य चल रहा है, ब्यौरा दीजिए;

(ख) ये मोहल्ला क्लिनिक कब तक तैयार हो जायेंगे; और

(ग) इस क्षेत्र के निवासियों के लिये इन मोहल्ला क्लिनिकों को कब तक चालू होने की संभावना है?

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः (क) बुराड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निम्नलिखित स्थानों पर मौहल्ला क्लीनिकों का निर्माण कार्य चल रहा है:–

1. दिल्ली जल बोर्ड साइट प्रधान इंक्लेव, बदरपुर माजरा, बुराड़ी
2. जोगी चौपाल, विजय कॉलोनी, बुराड़ी
3. झाडौदा मिलन विहार, बुराड़ी
4. उत्तराखंड इंक्लेव, बुराड़ी;

(ख) लोक निर्माण विभाग द्वारा सूचनानुसार 30 सितम्बर, 2019 तक उपरोक्त सभी चारों मौहल्ला क्लिनिकों का निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है; और

(ग) लोक निर्माण विभाग द्वारा हस्तांतरित किए जाने के उपरांत जल्दी ही मौहल्ला क्लिनिक कार्य करना प्रारंभ कर देंगे।

57. श्री ओम प्रकाश शर्माः क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अस्पतालों में कितने बिस्तर बढ़ाये जाने का लक्ष्य था;

(ख) वर्तमान सरकार के सत्ता में आने से पहले अस्पतालों में कितने बिस्तर थे;

(ग) वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अस्पतालों में कुल कितने बिस्तर बढ़े;

(घ) कुल बढ़ाए जाने वाले बिस्तरों का अस्पताल–वार विवरण दीजिये और ये कब तक बढ़ाये जाने थे इसका पूर्ण ब्यौरा दें;

(ङ) दिल्ली सरकार के अस्पतालों में उपलब्ध वेंटीलेटर्स की संख्या बताइये और इनमें कितने वेंटीलेटर्स क्रियाशील हैं;

(च) दिल्ली सकार में अस्पतालों में वेंटीलेटर्स बिस्तरों की संख्या बताइये;

(छ) क्रियाशील एमआरआई वाले दिल्ली सरकार के अस्पतालों का पूरा ब्यौरा दीजिये;

(ज) क्या गुरूतेग बहादुर अस्पताल और यूनिवर्स्टी मेडिकल साईंस कॉलेज में एक्सरे मशीन कार्य कर रही है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके कारण बताइये?

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः (क) बजट भाषण 2018–19 (अनुच्छेद–74) में यह वर्णन किया गया है कि, हमारी सरकार दिल्ली के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने अस्पतालों में कुल बेड की क्षमता 10,000 से बढ़ाकर 20,000 बेड तक करने के लिए प्रतिबद्ध है;

(ख) महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवायें की वार्षिक रिपोर्ट 2014–15 के अनुसार 10959 स्वीकृत बिस्तर थे;

(ग) महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवायें की वार्षिक रिपोर्ट 2017–18 के अनुसार 11353 स्वीकृत बिस्तर थे;

(घ) कुल बढ़ाए जाने वाले बिस्तरों का अस्पताल–वार विवरण संलग्नक–"क" में प्रस्तुत है इसके अतिरिक्त नए निर्माणाधीन अस्पतालों के शुरू होने से

बढ़ने वाले बिस्तरों की संख्या और अन्य विवरण अनुलंग्नक–'ख' के रूप में संलग्न है;

(ङ) कुल वेन्टीलेटर्स – 440

क्रियाशील – 396;

(च) उपरोक्तानुसार।

(छ) लोक नायक अस्पताल–01।

(ज) जी हां, रेडियो–निदान विभाग में 7 एक्स–रे मशीने काम कर रही हैं; और

(झ) एक मशीन काम नहीं कर रही है। यह मशीन मरम्मत के अधीन है।

यह माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, दिल्ली सरकार की पूर्व स्वीकृति से साथ जारी किया जा रहा है।

Annexure-A

Sr. No.	Name of Hospital	Proposed increase in Bed strength
1	2	3
1	Aruna Asaf Ali Govt. Hospital	50
2	Acharyaashree Bhikshu Hospital	270
3	Baba Saheb Ambedkar Hospital	463
4	Bhagwan Mahaveer Hospital	419

1	2	3
5	Babu Jagjivan Ram Hospital	900
6	Chaudhary Brahm Prakash Ayurvedic Chrak Sansthan	60
7	Dadadev Mother & Child Hospital	175
8	Chacha Nehru Bal Chikitsalaya	500
9	Deen Dayal Upadhyay Hospital	1009
10	Deep Chand Bandhu Hospital	200
11	Dr. Hedgewar Arogya Sansthan	350
12	Guru Govind Singh Govt. Hospital	472
13	Guru Teg Bahadur Hospital (G.T.B.H.)	806
14	Lok Nayak Hospital	1800
15	Nehru Homeopathic Medical College & Hospital	60
16	Rao Tula Ram Memorial Hospital	170
17	Satyawadi Raja Harish Chandra Hospital	500
18	Sanjay Gandhi Memorial Hospital	360
19	Rajiv Gandhi Super Specialty Hospital	250
20	Ambedkar Near Hospital Project	600
21	Burari Hospital Project	768
22	Indira Gandhi Hospital Project	1241
	Total	11423

अनुलग्नक–बी

Sl. No.	Hospital Project Name	Revised plan	Previous Expected time of completion of construction	Current status of construction	Expected time of completion of construction
1.	Ambedkar Nagar Hospital Project	600 beds	Feb. 2019	98%	Nov. 2019
2	Burari Hospital Project	768 beds	March 2019	92%	Nov. 2019
3	Indira Gandhi Hospital Project at Sec-9 Dwarka	1241 beds (Phase-I)	March 2019	80%	March 2020
	Total no. of beds	2609			

58. श्रीमती प्रमिला टोकसः क्या **माननीय उप मुख्य मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में से केवल एक योजना ऑनलाइन है जिसके कारण जनता को असुविधा हो रही है;

(ख) क्या सरकार ने सभी योजनाओं को ऑनलाइन योजना के लिए प्रस्तावित किया है;

(ग) यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा दीजिये;

(घ) विभाग द्वारा लाडली योजना के अंतर्गत प्राप्त, अनुमोदित एवं रद्द आवेदन पत्रों की संख्या बताइए और रद्द आवेदन पत्रों का पूरा विवरण दीजिये;

(ङ) महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला अधिकारी का कार्यभार देखरेख कर रहे अधिकारी का पूरा ब्यौरा दीजिये;

(च) विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता योजना को कब तक ऑनलाइन कर दिया जायेगा;

(छ) क्या विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता की राशि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे सभी श्रेणियों के लिए बराबर है; और

(ज) यदि यह प्रत्येक श्रेणी के लिए भिन्न–भिन्न है तो इसका पूरा ब्यौरा दीजिये।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः (क) जी, नहीं।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित मुख्य योजना विधवा/निराश्रित महिला पेंशन जोकि पूर्णतः ऑनलाइन है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना भी ऑनलाइन संचालित किया जाता है;

(ख) जी हां;

(ग) अभी विधवा एवं निराश्रित महिलाओं हेतु पेंशन योजना और प्रधानमंत्री मात्रु वन्दना योजना को ऑनलाइन किया गया है। भविष्य में दो अन्य योजनायें – लाडली योजना एवं विधवा महिलाओं की पुत्री के विवाह हेतु एवं अनाथ कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता योजना को ऑनलाइन कर दिया जायेगा;

(घ) लाडली योजना के अंतर्गत प्राप्त, अनुमोदित एवं रद्द आवेदन पत्रों विवण निम्न प्रकार हैः–

प्राप्त आवेदनों की संख्या	अनुमोदित आवेदनों की संख्या	रद्द आवेदनों की की संख्या
1061075	1017209	43866

(ङ) अनुलंग्नक–I संलग्न;

(च) विधवा महिलाओं की पुत्री के विवाह हेतु एवं अनाथ कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता योजना को ऑनलाइन किया जाना प्रक्रियाधीन है; और

(छ) एवं (ज) जी हां, किसी भी श्रेणी के लिए भिन्नता नहीं है एवं सभी श्रेणियों के लाभार्थियों को रु. 30000/– की आर्थिक सहायता दी जाती है।

Deptt. of Women & Child Development
Govt. of NOT of Delhi

List of District Officers
(Status as on 16.08.2019)

Sl. No.	Name & Designation	Phone No.	Place of physical posting/ Physically posted as
1	2	3	4
1	Dhirender Kumar, DANICS/ Dy. Director	8130604291	District Officer (Central and New Delhi)
2	Kiran Gandhi Anjum, Sr. Supdt.	9560643483	District Officer (East)
3	Anita Gaur, Sr. Supdt.	9213930839	District Officer (South)
4	Manju Vnrshney, Sr. Supdt.	9891550990	District Officer (North and North West-II)
5	Asha Gandhi, Sr. Supdt.	9871840336	District Officer (West)

1	2	3	4
6	Shalesh Kumar Srivastava, Sr. Supdt	9013270269	District Officer (North West-I)
7	Nafees Ahmad, Supdt./CDPO	9818323033	District Officer (South-West) - (on Current Duty Charge basis)
8	M.K. Chandra, Supdt./CDPO	8800811964	District Officer (North-East) - (on Current Duty Charge basis)

59. श्री प्रवीण कुमारः क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल और अन्य अस्पतालों के आपातकालीन वार्डों में रोगियों की भारी भीड़ रहती है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि आपातकालीन वार्डों में बिस्तरों की कमी के कारण दो रोगियों को एक ही बेड पर लेटने के लिए विवश किया जाता है; परिणामतः एक रोग के संक्रमण से दूसरे रोगी के संक्रमण होने का संकट बढ़ जाता है; और

(ग) सरकार द्वारा इन मामलों के समाधान के लिए उठाए गए कदम के बारे में बताइये?

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः (क) जी हां;

(ख) जी हां, यह सत्य है कि आपातकालीन वार्डों में बिस्तरों की कमी के कारण दो रोगियों को यदा–कदा एक ही बेड पर लेटना पड़ता है, और मरीजों की संख्या कम हो तो उनको अलग बेड दे दिया जाता है; और

(ग) सरकार द्वारा डॉक्टरों एवं स्टॉफ की भर्ती एवं बिस्तर बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं:–

1. आपातकालीन विभाग में बिस्तरों की संख्या 372 है और भविष्य में 500 बिस्तर करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं, सभी विभागों से अनुमति मिलने पर शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा।

2. नई इमारत के लिए 58 करोड़ का बजट सरकार द्वारा पारित किया गया है।

3. रोगियों को संक्रमण से बचाव हेतु, रोगी की तुरंत आपातकालीन वार्ड से, सम्बंधित वार्ड में स्थानांनतरित कर दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप रोगी कम से कम संक्रमण प्रभावी क्षेत्र में आए और अग्रिम उपचार यथासम्भव किया जा सके।

4. अभी तक संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है।

यह माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, दिल्ली सरकार की पूर्व स्वीकृति से साथ जारी किया जा रहा है।

60. श्री अजय दत्तः क्या **माननीय समाज कल्याण मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2018–19 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने विद्यार्थियों को छात्र ऋण स्वीकृत किए गए थे;

(ख) इनमें से कितने विद्यार्थी वाल्मीकि समुदाय के हैं;

(ग) 2018–19 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने विद्यार्थियों को विदेश में अध्ययन करने के लिए ऋण स्वीकृत किया गया था; और

(घ) इनमें से कितने विद्यार्थी वाल्मीकि समुदाय से संबंधित हैं?

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः (क) दिल्ली अनुसूचित जाति, जनजाति, अ.पि.व., अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्त एवं विकास निगम लि. (डीएसएफडीसी) द्वारा वर्ष 2018–19 में अनुसूचित जाति के 04 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु ऋण स्वीकृत किया गया;

(ख) इन सभी 04 लाभार्थियों में कोई भी वाल्मीकि समुदाय से संबंधित नहीं है;

(ग) डीएसएफडीसी द्वारा वर्ष 2018–19 में अनुसूचित जाति के 01 विद्यार्थी को विदेश में शिक्षा ग्रहण करने हेतु ऋण स्वीकृत किया गया; और

(घ) कोई नहीं।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

159. श्री राजेश गुप्ताः क्या **माननीय समाज कल्याण मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली सरकार की सभी पेंशन योजनाओं से कितने नागरिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) पेंशन योजना के कितने मामले प्रक्रियाधीन हैं;

(ग) इस प्रक्रिया में इतना अधिक विलम्ब क्यों हो रहा है;

(घ) इस प्रक्रिया में सामान्य समय कितना लगता है; और

(ङ) गुलाबी बाग स्थित समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में तैनात स्टॉफ की संख्या बताइये?

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः (क) वृद्धावस्था पेंशन – 45709
विकलांग पेंशन – 89270;

(ख) वृद्धावस्था पेंशन – 23711
विकलांग पेंशन – 10519;

(ग) **प्रक्रिया में देरी के कारण**

1. सरकार के निर्णयानुसार ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा हेतु यूजर आईडी पासवर्ड दिल्ली के सभी सांसदों, विधायकों, निगम पार्षदों, जिला कार्यालयों को दिया गया तथा साथ ही व्यक्तिगत रूप से सीटिजन लॉगिन के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई, जिस कारण बड़ी संख्या में आवेदन विभाग के जिला कार्यालयों में सत्यापन एवं स्वीकृति के लिए एक साथ प्राप्त हुए।

2. आवेदन केवल पंजीकृत किया गया किन्तु दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए।

3. ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेज अपूर्ण होना।

4. दस्तावेज स्पष्ट न दिखाई देना।

5. दस्तावेजों में त्रुटि पाये जाने पर आवेदक द्वारा समय पर सही दस्तावेज उपलब्ध न कराया जाना।

6. अंतिम स्वीकृति के लिए केवल जिला समाज कल्याण अधिकारी (कुल संख्या 10) ही नियमानुसार अधिकृत है। जिला अधिकारी इन आवेदनों को जल्द से जल्द निपटान करने का यथा संभव प्रयास करते हैं;

(घ) सामान्यतः 45 दिन के अंदर आवेदनों का निपटान कर दिया जाता है; और

(ङ) समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में तैनात स्टॉफ की संख्या 07 है।

160. श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः क्या **माननीय समाज कल्याण मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र में वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का संपूर्ण विवरण क्या है;

(ख) मार्च, 2015 से लेकर अब तक कुल कितनी वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशन त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र में लगाई गई, सभी का पूर्ण विवरण प्रदान करें; और

(ग) दिल्ली फैमिली बैनीफिट स्कीम के अंतर्गत मार्च, 2015 से लेकर अभी तक कितनी विधवाओं को 20 हजार रुपये की पेंशन आर्थिक सहायता मिल चुकी है, कृपया पूर्ण विवरण दें?

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः (क) वृद्धावस्था पेंशन – 4896
दिव्यांग पेंशन – 877;

विवरण सहित सूची सीडी में संलग्न* है;

(ख) वृद्धावस्था पेंशन – 1142
दव्यांग पेंशन – 411;

विवरण सहित सूची सीडी में संलग्न है; और

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(ग) मार्च 2015 – जुलाई 2019 तक के लाभार्थियों की संख्या – 22688।

161. श्री अजय दत्तः क्या **माननीय समाज कल्याण मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नई पेंशन कब से शुरू की जाएगी;

(ख) दिल्ली में कुल कितने पेंशन धारी हैं; और

(ग) पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत पिछले एक साल में कुल कितनी पेंशन अम्बेडकर नगर विधान सभा क्षेत्र में बांटी गई है?

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः (क) वृद्धावस्था पेंशन – प्रस्ताव विचाराधीन है;

दिव्यांग पेशंन – ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं;

(ख) वृद्धावस्था पेंशन – 457049;
दिव्यांग पेंशन – 89270; और

(ग) **वृद्धावस्था पेंशन**

	पेंशन कोटा	पेंशन दी गई
दिनांक 27.02.2017	1000	819
दिनांक 17.10.2018	500	171

दिव्यांग पेंशन

अप्रैल 2018 से जुलाई 2019 कुल 207 लाभार्थी

नोटः– दिव्यांग पेंशन में कोटा नहीं है।

162. श्री सुखबीर सिंह दलालः क्या **माननीय समाज कल्याण मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 01.01.2015 से मुण्डका विधान सभा क्षेत्र से दिल्ली परिवार लाभ योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों में से लंबित सभी आवेदन पत्रों का पूरा विवरण बताइए;

(ख) मुण्डका विधान सभा क्षेत्र के वृद्धावस्था पेंशन आवेदन पत्रों के आवेदकों का पूरा ब्यौरा दीजिए;

(ग) उन निरक्षर आवेदकों से सम्पर्क करने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं जिन्होंने अपने वृद्धावस्था पेंशन की दस्तावेजी औपचारिकताएं पूरी कराने के लिए समाज कल्याण विभाग को सूचित नहीं किया है;

(घ) ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर किसी आवेदक का बेसिक विवरण में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि विभाग को शिकायत प्राप्त हुई है कि कुछ वृद्धावस्था पेंशन आवेदकों ने एनडब्ल्यू–1 के जिला कार्यालय से सम्पर्क किया तो स्टाफ ने उनकी अनदेखी की और यह कह कर उन्हें जाने को कहा कि उनके विधायक द्वारा दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए हैं;

(च) कर्मचारियों के इस तरह के व्यवहार के समाधान हेतु विभाग द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(छ) वर्तमान में समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालयों में अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को कोई रसीदी पर्चियों क्यों नहीं दी जा रही है;

(ज) ओएपी और डीएफबीएस की स्वीकृति हेतु दिल्ली में पांच वर्ष रहने संबंधी आवासीय प्रमाण के रूप में प्रयोग किए जाने वाले दस्तावेजों की पूरी सूची उपलब्ध करें;

(झ) 01.01.2015 से मुण्डका विधान सभा क्षेत्र में कितनी बढ़ी हुई पेंशन के मामलों की उत्तर–पश्चिम जिला–1 द्वारा बहाली की गई है; और

(ञ) मुण्डका विधान सभा क्षेत्र में जिन वृद्धावस्था पेंशन लाभग्रहियों की पेंशन वृद्धावस्था पेंशन लाभग्राहियों की पेंशन बंद की गई है और सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने पर पेंशन की पुनः बहाली की जा सकेगी, उन सबकी सूची उपलब्ध कराई जाए?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) 01.01.2015 से जनवरी, 2017 तक मुण्डका विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली पारिवारिक लाभ योजना का कोई भी आवेदन लंबित नहीं है। फरवरी, 2017 से अब तक प्राप्त आवेदनों में 528 आवेदन लम्बित है। विवरण सी.डी. में संलग्न* है;

(ख) ब्यौरा सी.डी. में संलग्न* है;

(ग) 1. यदि आवेदकों के आवेदन में कोई कमी होती है तो आवेदक के रजिस्टर्ड फोन पर जिला कार्यालय को सम्पर्क करने के लिए मैसेज स्वतः चला जाता है।

2. इसके अलावा समय–समय पर आवेदकों को फोन व पत्र माध्यम से सम्पर्क भी किया जाता है।

3. पहले आंगनबाड़ी वर्कर व सिविल डिफेंस वॉलटियर से होम विजिट करवाकर भी सम्पर्क करने का प्रयास किया गया;

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(घ) ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की आईडी से आवेदक के अनुरोध पर उसके बेसिक विवरण में परिवर्तन किया जा सकता है;

(ङ) और (च) जी नहीं; और

(छ) आवेदन जब अपनी सम्बंधित खिड़की पर दस्तावेज जमा करता है तो जमा किये गये दस्तावेजों की प्रतिलिपि पर रिसीविंग के लिए सम्बंधित कर्मचारी हस्ताक्षर कर देते हैं।

साथ ही इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए दस्तावेज जमा करने पर रसीद प्रिन्ट कर सकने के लिए एनआईसी (NIC) को ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में यह सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक निर्देश दे दिया गया है।

(ज) अधिसूचना दिनांक 04.11.2009 के नियम 5(ख)(ii) के अनुसार आवास संबंधी प्रमाणिक दस्तावेजों की सूचीः–

1. राशन कार्ड
2. वोटर कार्ड
3. पासपोर्ट
4. ड्राइविंग लाइसेंस
5. दिल्ली नगर निगम/पंजीयक–जन्म एवं मृत्यु द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
6. दिल्ली नगर निगम/पंजीयक–जन्म एवं मृत्यु द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
7. बीमा पॉलिसी कागजात

8. परिवार के किसी सदस्य का टीकाकरण कार्ड
9. दिल्ली में उपचार का चिकित्सीय अभिलेख
10. बिजली का बिल
11. पानी का बिल
12. टेलीफोन का बिल
13. गैस कनेक्शन की रसीद
14. बैंक की पास बुक
15. दिल्ली में जारी जाति प्रमाण पत्र
16. विद्यार्थी पहचान पत्र
17. सार्वजनिक/प्राइवेट सेक्टर कम्पनी/स्थापित संस्थान का सेवा पहचान कार्ड
18. स्वतन्त्रता सैनानी का पहचान पत्र
19. पेंशन कागजात
20. भूतपूर्व सैनिक आश्रित पहचान पत्र
21. संपत्ति दस्तावेज
22. कोई अन्य प्रमाण पत्र जिससे दिल्ली में पांच वर्ष रहना स्पष्ट हो।

(झ) सभी को बढ़ी हुई पेंशन दी जा रही हैं।

(ञ) सूची सी.डी. में संलग्न* है।

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

163. श्री संजीव झाः क्या **माननीय समाज कल्याण मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग में जनवरी 2014 में लेकर जुलाई, 2018 तक वृद्धावस्था पेंशन एवं विकलांग पेंशन के लिए कितने–कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) इन आवेदन पत्रों में से अब तक कितने–कितने आवेदकों को वृद्धावस्था पेंशन एवं विकलांग पेंशन स्वीकृत की गई है और कितने–कितने आवेदकों को अभी यह पेंशन स्वीकृत की जानी बाकी है; और

(ग) उपरोक्त सभी स्वीकृत वृद्धावस्था पेंशन एवं विकलांग पेंशन धारकों का पूर्ण ब्यौरा क्या है?

माननीय समाज कल्याण मंत्री : (क) बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग में जनवरी 2014 से लेकर जुलाई 2018 तक वृद्धावस्था पेंशन एवं विकलांग पेंशन के आवेदन पत्रों का ब्यौरा निम्न प्रकार है*:–

वृद्धावस्था पेंशन 3888
विकलांग पेंशन 1254;

(ख) **स्वीकृत**

वृद्धावस्था पेंशन 3486
विकलांग पेंशन 1107

लंबित

वृद्धावस्था पेंशन 178
विकलांग पेंशन 103; और

(ग) ब्यौरा सी.डी. में संलग्न* है।

164. श्री प्रवीण कुमारः क्या **माननीय समाज कल्याण मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले चार वर्षों में जंगपुरा विधान सभा क्षेत्र में कितनी वृद्धावस्था एवं दिव्यांग पेंशन दी गई; और

(ख) कृपया लाभग्राहियों की पूर्ण विवरण की हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई जाए?

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः (क) मार्च 2015 से जुलाई 2019 तक जंगपुरा विधान सभा क्षेत्र में वृद्धावस्था एवं दिव्यांग पेंशन का ब्यौरा निम्नलिखित हैः–

वर्षानुसार	वृद्धावस्था पेंशन कोटा	वृद्धावस्था पेंशन दी गई	दिव्यांग पेंशन दी गई
2015	178	1599	328
2017	1100		
2018	500		

; और

(ख) वर्तमान में जगपुरा क्षेत्र से दी गयी वृद्धावस्था व दिव्यांग पेंशन का ब्यौरा सीडी में सलंग्न* है।

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

165. श्री विजेन्द्र गुप्ताः क्या **माननीय सामाजिक मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने का वायदा किया था;

(ख) क्या यह सत्य है कि माननीय उप मुख्य मंत्री ने वर्ष 2017 में अपने बजट भाषण में वायदा किया था कि सरकार वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करेगी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उपरोक्त आयोग गठित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं;

(घ) समाज कल्याण विभाग में विभिन्न श्रेणियों के कितने स्वीकृत पद है और उनमें से कितने पद कब–कब से खाली पड़े हैं।

माननीय सामाजिक मंत्रीः (क) जी हां;

(ख) जी हां; और

(ग) उपरोक्त आयोग के गठन का प्रस्ताव विधि एवं न्याय विभाग को भेजा गया था जिसको विधि एवं न्याय विभाग ने इस सुझाव के साथ वापिस भेज दिया है, कि यह प्रस्ताव माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 (केंद्रीय अधिनियम) एवं दिल्ली माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण एवं कल्याण, नियमावली, 2009, के प्रावधानों के तहत आता है तथा अधिनियम, 2007 एवं नियमावली, 2009 केतहत भरण–पोषण न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना हो गयी है इसलिए इस प्रकार के वरिष्ठ नागरिक आयोग को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है;

(घ) सूची संलग्न है।

संलग्न

स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची

Sl. No.	Group	No. of Sanctioned post	Year	Filled	No. of Vacancies arose due to Retirement, Resignation, VRS, Death
1.	A	31	2015	NIL	3
			2016	NIL	NIL
			2017	NIL	1
			2018	NIL	2
			2019	NIL	0
2.	B	575	2014	77	184
			2015	47	192
			2016	12	243
			2017	01	252
			2018	03	271
			2019	02	270
3.	C (along with erstwhile group 'D'	463	2014	NIL	232
			2015	NIL	242
			2016	NIL	251
			2017	NIL	267
			2018	NIL	280
			2019	NIL	319

166. श्री ओम प्रकाश शर्माः क्या **माननीय समाज कल्याण विभाग मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिव्यांगों को युनिक डिसएबिलिटी (यूडीआईडी) कार्ड बनाने में क्या–क्या अड़चनें हैं और अभी इनको उपलब्ध करवाने में कितना समय लगेगा;

(ख) सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस समय दिल्ली में कितने दिव्यांग हैं और अब तक उनमें से कितने विकलांगों को युडीआईडी कार्ड जारी किए जा चुके हैं; और

(ग) इस कार्य में लिये दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर क्यों नहीं प्रयोग कर पा रही है?

माननीय समाज कल्याण विभाग मंत्रीः (क) UDIC Project भारत सरकार द्वारा देश भर में चरण बद्ध तरीके से लागू किया गया है जिसमें दिल्ली दूसरे चरण में है। दिव्यांग्जनों को स्वावलंबन पोर्टल पर UDID Card के लिए आवेदन देना जरूरी हैं।

इस Project के तहत सभी संबंधित विभागों में समन्वय स्थापित करके कार्य आगे बढ़ाने हेतु दिल्ली राज्य के लिए एक State Coordinator की नियुक्ति 07.06.2018 को समाज कल्याण विभाग दिल्ली सरकार द्वारा की गई थी। इस कार्य में मुख्य भूमिका स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम तथा भारत सरकार के अंतर्गत दिल्ली में चल रहे अस्पतालों की हैं, जहां से विकलांगता प्रमाण पत्र तथा UDID Card जारीह किये जाते हैं। दिनांक 02.05.2019 को स्वास्थ्य विभाग द्वारा विक्लांग्जन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत विक्लांग्ता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए परिपत्र के रूप में नामांकित अस्पतालों की सूची दी गई।

इस संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 09.08.2019 को बैठक की गई थी, जिसमें अस्पतालों के प्रतिनिधियों ने UDID Project के तहत कार्य करने के लिये पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी न होने की समस्या से विशेष सचिव को अवगत कराया, जिस पर विशेष सचिव ने शीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

इस Project के अंतर्गत State Coordinator संबंधित अस्पतालों के साथ निरंतर संपर्क में है और यह कार्य शीघ्र गति से सम्पूर्ण होने की संभावना है;

(ख) 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 2,34,882 दिव्यांग हैं जिनमें से 7144 दिव्यांगों ने UDID Card के लिये आवेदन भरा है। दिल्ली में अब तक 104 UDID Card जारी किये जा चुके हैं; और

(ग) इस Project के लिये केंद्र सरकार द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर देश भर के राज्यों की स्वास्थ्य व्यवस्था को मद्दे नजर रखते हुए किया गया था। परन्तु दिल्ली राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था देश के अन्य राज्यों से अलग है क्योंकि यहां पर एक जिले में एक नामांकित अस्पताल के विपरीत एक जिले में कई अस्पताल विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिये नामांकित हैं। अतः भारत सरकार द्वारा दिये गए सॉफ्टवेयर में कुछ अतिरिक्त संशोधन समाज कल्याण विभाग दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तावित किये गए जिनको भारत सरकार ने स्वीकार करा और दिनांक 08.08.2019 को सॉफ्टवेयर में संशोधन किये गये। सॉफ्टवेयर में कमी होने पर भी इस पर कार्य जारी था तथा 104 UDID Card अब तक जारी किये जा चुके हैं। संशोधन के बाद अब यह कार्य और गतिशील होने की संभावना हैं।

167. श्री पवन कुमार शर्मा: क्या **माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेन जीटी रोड पर मुकरबा चौक बाईपास से लेकर आजादपुर सिंग्नल तक बने सैंट्रल वर्ज पर उद्यान विभाग (लोक निर्माण विभाग) द्वारा वृक्षारोपण करवाने संबंधी किसी योजना पर अमल किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य हेतु कोई समय–सीमा निर्धारित की गयी है; और

(ग) क्या निरंतर बढ़ने प्रदूषण से बचाव के लिए सरकार विभिन्न कॉलोनियों की फुटपाथ अथवा सर्विस रोड पर भी वृक्षारोपण करवाये जाने पर विचार कर रही है?

माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री: (क) जी, हां। मेन जी.टी. रोड पर मुकरबा चौक बाईपास से लेकर आजादपुर सिंग्नल तक बने सैंट्रल वर्ज पर उद्यान विभाग (लोक निर्माण विभाग) द्वारा वृक्षारोपण करवाने संबंधी योजना पर अमल किया जा रहा है;

(ख) कार्य 30.11.2019 तक पूर्ण कर दिया जाएगा; और

(ग) कॉलोनियों की फुटपाथ अथवा सर्विस रोड लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुरक्षित नहीं किये जाते हैं, यह कार्य दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आता है।

168. श्री पवन कुमार शर्मा: क्या **माननीय समाज कल्याण मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली सरकार विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की कुल कितनी योजनाएं चला रही है;

(ख) इन योजना के अंतर्गत वर्ष 2018–19 में कुल कितने–कितने विद्यार्थियों का छात्रवृत्ति मिली;

(ग) कुल कितने विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था; और

(घ) आदर्श नगर विधान सभा क्षेत्र में छात्रवृत्ति के लाभिन्वतों का पूर्ण विवरण प्रदान करवाने का कष्ट करें?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) दिल्ली में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा इस विभाग में निम्नलिखित योजनाएं चल रही हैः–

1. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी/पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस की अदायगी।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों (कक्षा 1 से 12) को स्टेशनरी (लेखन सामग्री) खरीदने के लिए वित्तीय सहायता।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों (कक्षा 1 से 12) को छात्रवृत्ति/योग्यता छात्रवृत्ति।
4. कॉलेज और व्यावसायिक संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को योग्यता छात्रवृत्ति।
5. डा. बी.आर. अम्बेडकर टापर्स पुरस्कार;

(ख) उपरोक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2018–19 में कुल 8,60,807 (सरकारी विद्यालयों सहित) विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिली;

(ग) उपरोक्त योजना के अंतर्गत कुल 9,17,123 (सरकारी विद्यालयों सहित) विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था; और

(घ) इस विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों का विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र–वार आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

169. श्री राजेश गुप्ताः क्या **माननीय उप मुख्य मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वजीरपुर विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने पेंशनभोगी है;

(ख) इनमें से कितने छठी विधान सभा में जारी किये गए हैं;

(ग) क्या यह सत्य है कि महिला एवं बाल विकास विभाग में स्टाफ की भारी कमी है;

(घ) गुलाबी बाग स्थित महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत स्टाफ की संख्या बताये;

(ङ) विभाग के पास पेंशन के कितने मामले लंबित है; और

(च) कब तक इन पर कार्यवाही पूरी कर ली जाएगी?

माननीय उप मुख्य मंत्रीः (क) वज़ीरपुर विधान सभा क्षेत्र में विधवा एवं निराश्रित महिलाओं की पेंशन योजना के कुल 3029 लाभार्थी है;

(ख) वित्तीय वर्ष 2014–15 = 88
वित्तीय वर्ष 2015–16 = 130
वित्तीय वर्ष 2016–17 = 275
वित्तीय वर्ष 2017–18 = 527
वित्तीय वर्ष 2018–19 = 358
अप्रैल 2019 से जुलाई 2019 तक = 40;

(ग) महिला एवं बाल विकास विभाग में स्टाफ की कमी है हालांकि, विभाग द्वारा स्टाफ की भर्ती के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (DSSSB) को समय–समय पर मांग पत्र भेजा जाता है;

(घ) गुलाबी बाग स्थित जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय में कार्यरत स्टाफ की संख्या 16 है; और

(ङ) विभाग के पास पेंशन के कुल 4530 मामले (Under Process) लंबित है; और

(च) 45 दिनों के अंदर सारे दस्तावेज पूर्ण होने पर कार्यवाही पूरी कर दी जाएगी।

170. श्री महेन्द्र गोयलः क्या **माननीय उप मुख्य मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विभाग द्वारा विधवा महिलाओं के लिए चल रही सभी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाये;

(ख) रिठाला विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2015 से वर्तमान समय तक कुल कितनी विधवाओं को उनकी पुत्रियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गयी, विवरण दिया जाये;

(ग) वर्तमान समय में कुल कितनी विधवा पेंशन रिठाला विधान सभा क्षेत्र में दी जा रही हैं व वर्ष 2015 में यह संख्या क्या थी पूर्ण जानकारी दें;

(घ) क्या यह सत्य हे कि दिल्ली में आशा वर्कर्स के मानदेय में दोगुनी बढ़ोतरी की गई थी; और

(ङ) रिठाला विधान सभा में क्षेत्र में कुल कितनी आंगनवाड़ी वर्कर्स व अध्यापक हैं, पूर्ण विवरण दिया जाये?

माननीय उप मुख्य मंत्रीः (क) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा निम्नलिखित लाभ विधवा महिलाओं को दिया जाता हैः—

1. विधवा महिला के पेंशन योजना, 2500/— रुपए प्रति माह
2. गरीब विधवाओं को उनकी बेटियों और अनाथ लड़कियों के विवाह के लिए सहायता, 30000/— रुपए (दो बेटियों तक);

(ख) रिठाला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2015 से वर्तमान समय तक कुल 208 विधवा महिलाओं को उनकी पुत्रियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है;

(ग) वर्तमान समय में कुल 5616 महिलायें विधवा पेंशन की लाभार्थी हैं। वर्ष 2015 में विधवा पेंशन लाभार्थियों की संख्या 3887 थी;

(घ) आशा वर्कर्स स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। आंगनवाड़ी वर्कर का मानदेय अगस्त 2017 में रुपए 5000 से बढ़ाकर रुपए 9678 कर दिया गया था; और

(ङ) रिठाला विधान सभा क्षेत्र में कुल 155 आंगनवाड़ी वर्कर्स का पूर्ण विवरण निम्नलिखित हैः—

क्रम सं.	परियोजना का नाम	आंगनवाड़ी वर्कर्स की संख्या
1.	टीकरी खुर्द	03
2.	मीर विहार	06
3.	शाहबाद दौलतपुर	09
4.	रोहिणी–1	61
5.	रोहिणी–2	76
	कुल	**155**

171. श्री सुखबीर सिंह दलालः क्या **माननीय उप मुख्य मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार मुंडका विधान सभा क्षेत्र में कोई सिलाई केंद्र या कौशल केंद्र खोलने की योजना बना रही है;

(ख) मुंडका विधान सभा क्षेत्र में विधवा पुत्री विवाह हेतु सहायता संबंधी कितने आवेदन पत्र लंबित हैं और इनके लंबित होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत अनाथों के लिए कोई योजना है, योजना से सम्बंधित पूरा अपेक्षित दस्तावेज और पूरा विवरण बताइए;

(घ) दिल्ली में महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण दें;

(ङ) अवैध एसपीए और इनमें कार्य कर रहे व्यक्तियों/लोगों के विरुद्ध

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही का विवरण क्या है;

(च) दिल्ली के अलावा किसी अन्य राज्य द्वारा पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र जारी किये जाने की स्थिति में क्या वह विधवा पेंशन पाने की हकदार हैं;

(छ) यदि हां, तो अपेक्षित दस्तावेजों के बारे में बताये;

(ज) यदि कोई महिला 5 वर्षों से अधिक अवधि के लिए दिल्ली में रह रही हैं, लेकिन इसके पास 5 वर्षों से कम अवधि का प्रमाण है और दिल्ली के अलावा किसी अन्य राज्य द्वारा उसकी पति का मृत्यु पत्र जारी किए गया है तो क्या वह विधवा पेंशन पाने के योग्य है;

(झ) यदि हां, तो उन दस्तावेजों के बारे में बताइए जिनको वह दिल्ली में पिछले 5 वर्षों के आवासीय प्रमाण पत्र के रूप में प्रयोग कर सकती है; और

(ञ) क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता विधायक, पार्षद और पड़ोसियों की आवासीय प्रमाण पत्र संबंधी घोषणा पत्र, ऐसे आवेदन के लिए वैध होगा?

माननीय उप मुख्य मंत्रीः (क) वर्तमान में विभाग द्वारा मुंडका विधान सभा क्षेत्र में सिलाई केंद्र या कौशल केंद्र खोले जाने सम्बंधित योजना प्रक्रियाधीन नहीं है;

(ख) मुंडका विधान सभा क्षेत्र में अब तक कुल 26 आवेदन पत्र विधवा पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत लंबित हैं, जो कि सुपरवाइजर, आईसीडीएस द्वारा सामाजिक जांच रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण लंबित है;

(ग) विभाग किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत अनाथ बच्चों के देखरेख और संरक्षण करता है।

इस प्रकार के बच्चे बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाते हैं और ये समितियां बच्चों के मामले में उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्णायक अधिकारी है;

(घ) दिल्ली में महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जाती हैः—

1. विधवा/निराश्रित/तलाकशुदा महिला के लिए पेंशन योजना के तहत 237404 लाभार्थियों को लाभ दिया गया है।
2. गरीब विधवाओं को उनकी बेटियों और अनाथ लड़कियों के विवाह के लिए सहायता 3336 को दी गयी है।
3. लाडली योजना—1017209 लाभार्थी।
4. प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना—111557 लाभार्थी।
5. पोषण अभियान एवं
6. आईसीडीएस के माध्यम से पैकेज के रूप में 6 सेवाएं प्रदान की जा रही हैः—
    1. पूरक पोषाहार कार्यक्रम (एसएनपी)
    2. पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा
    3. टीकाकरण
    4. स्वास्थ्य जांच
    5. रेफरल सेवाएं
    6. गैर—औपचारिक पूर्व—स्कूल शिक्षा;

(ङ) प्रश्न स्पष्ट नहीं है इसीलिए उत्तर देने में असमर्थ हैं;

(च) आवेदन कर्त्ता का वर्तमान का 5 साल का दिल्ली का स्थाई निवासी जरूरी है। पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र अन्य राज्य का हो सकता है;

(छ) अपेक्षित दस्तावेजों हैंः—

1. मृत्यु प्रमाण पत्र,
2. शमशान घाट की पर्ची;

(ज) आवेदन कर्त्ता के वर्तमान का न्यूनतम 5 साल का दिल्ली का स्थाई निवासी का प्रमाण जरूरी है;

(झ) विधवा पेंशन योजना हेतु जारी निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक निवास प्रमाण पत्र के लिए प्रस्तुत किया जायेगाः—

1. राशन कार्ड
2. वोटर कार्ड
3. पासपोर्ट
4. ड्राइविंग लिसेंस
5. दिल्ली नगर निगम/पंजीयक — जन्म एवं मृत्यु द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
6. दिल्ली नगर निगम/पंजीयक — जन्म एवं मृत्यु द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र
7. बीमा पॉलिसी कागजात
8. परिवार के किसी सदस्य का टीकाकरण कार्ड

9. दिल्ली में उपचार का चिकित्सीय अभिलेख
10. बिजली का बिल
11. पानी का बिल
12. टेलीफोन का बिल
13. गैस कनेक्शन के रशीद
14. बैंक की पासबुक
15. दिल्ली में जारी जाति प्रमाण पत्र
16. विद्यार्थी प्रमाण पत्र
17. सार्वजनिक/प्राइवेट सेक्टर कंपनी/स्थापित संस्थान का सेवा पहचान कार्ड
18. संपत्ति दस्तावेज
19. कोई अन्य प्रलेख जो दिल्ली में कम–से–कम 5 वर्ष के निवास दर्शाता हो; और

(ञ) योजना के अंतर्गत विधायक और पार्षद की कोई भूमिका नहीं हैं। पड़ोसियों की आवासीय प्रमाण पत्र योजना के नियमों के अनुसार संलग्न करने पर ही वैध होगा।

172. श्री संजीव झाः क्या **माननीय उप मुख्य मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के जनवरी, 2014 से लेकर जुलाई, 2019 तक बुराडी विधान सभा क्षेत्र में विधवा पेंशन

तथा विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता दिए जाने के कितने–कितने आवेदन–पत्र प्राप्त हुए;

(ख) इन आवेदन पत्रों में से अब तक कितने–कितने आवेदकों को ये पेंशन/आर्थिक सहायता स्वीकृत की गयी है और कितने आवेदकों को ये पेंशन/आर्थिक सहायता स्वीकृत की जानी शेष है; और

(ग) उपरोक्त स्वीकृत पेंशन धारकों एवं आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली महिलाओं का नाम पते सहित पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय उप मुख्य मंत्रीः (क) बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र में अप्रैल, 2015 से लेकर जुलाई 2019 विधवा की पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता योजना और विधवा/निराश्रित पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का विवरण निम्न है;

(ख) **विधवा की पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता योजना**

प्राप्त आवेदन – 319

स्वीकृत आवेदन – 194

प्रक्रिया में – 16 (अप्रैल, 19 से जुलाई, 19 तक)

विधवा/निराश्रित पेंशन

प्राप्त आवेदन – 2971

स्वीकृत आवेदन – 2614

प्रक्रिया में – 357; और

(ग) जानकारी संवेदनाओं होने के कारण यदि माननीय सदस्य व्यक्तिगत रूप से चाहेंगे तो जानकारी दी जा सकती है।

173. श्री सुरेन्द्र सिंहः क्या **माननीय उप मुख्य मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) समाज कल्याण विभाग द्वारा विधवा आर्थिक सहायता तथा विधवा की पुत्री की शादी के लिए आर्थिक सहायता के लिए दिल्ली सरकार द्वारा किन–किन दस्तावेजों के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है;

(ख) क्या गरीबी रेखा के नीचे स्तर के व्यक्तियों को सरकार द्वारा कोई सहायता प्रदान की जाती है;

(ग) यदि हां, तो कौन–सी सहायता किन–किन दस्तावेजों के आधार पर प्रदान की जाती है;

(घ) विभाग द्वारा सहायता राशि प्रदान करने के लिए दिल्ली में रहने का अधिकतम कितने वर्ष का रिहायशी प्रमाण होना जरूरी है और क्यों;

(ङ) क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा लाभार्थियों को राशि प्रदान करने पर यह राशि अन्य लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा हो जाती है;

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(छ) वर्ष 2014 से 01 अगस्त, 2019 तक कितने ऐसे मामले सामने आये, सम्पूर्ण विवरण प्रदान किया जाये;

(ज) सहायता राशि हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने के कितने दिनों के बाद विभाग द्वारा आवेदक को राशि का भुगतान किया जाता है; और

(झ) निर्धारित समय–सीमा से अधिक दिनों के बाद भी सहायता राशि का भुगतान न होने पर विभाग द्वारा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी; पूर्ण विवरण दें?

माननीय उप मुख्य मंत्रीः (क) विधवा महिला के पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायताः—

1. आवेदन से पूर्व दिल्ली में रहने का पांच वर्ष का प्रमाण
2. पति का मृत्यु प्रमाण—पत्र
3. पुत्री का जन्म प्रमाण—पत्र/स्कूल प्रमाण—पत्र
4. पुत्री के विवाह का कार्ड
5. बैंक पासबुक
6. आवेदन पत्र स्थानीय सांसद या विधायक द्वारा सत्यापित होना चाहिए;

(ख) इस विभाग द्वारा विधवा पेंशन के तहत 100000/— रुपए में कम आय वाली गरीब विधवा महिलाओं को पेंशन का भुगतान किया जाता है।

विधवा महिला की पुत्री के विवाह हेतु पारिवारिक आय 60000/— रुपए से कम आय वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता का भुगतान भी किया जाता है।

यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि योजना में गरीबी रेखा का उल्लेख कहीं नहीं है;

(ग) उपरोक्त (ख) के अनुसार;

(घ) न्यूनतम 5 वर्ष रिहायशी प्रमाण होना जरूरी है;

(ङ) विभाग द्वारा लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खाते में राशि का भुगतान किये जाने से ऐसे मामले यदा—कदा ही आते हैं;

(च) उपरोक्त (ङ) के अनुसार;

(छ) उपरोक्त (ङ) के अनुसार;

(ज) सम्पूर्ण रूप से भरे हेतु आवेदन एवं निरीक्षण रिपोर्ट के प्राप्ति के अगले माह से; और

(झ) ऐसा कोई मामला विभाग के सामने नहीं आया है।

174. श्री जरनैल सिंहः क्या **माननीय उप मुख्य मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कुल कितने किस्म के लाभ महिलाओं व बच्चों को दिए जाते हैं;

(ख) तिलक नगर विधान सभा में कुल कितने लोगों का विभाग की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उसका विस्तृत विवरण दिया जाये;

(ग) किसी भी प्रकार की योजना का लाभ लेने के लिए क्या—क्या दस्तावेजों की जरूरत होती है, यदि किसी प्रकार के एफिडेविट/शपथ पत्र की जरूरत होती है तो उसकी भी प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाये;

(घ) 01.01.2018 से अब तक अलग—अलग योजनाओं के अंतर्गत कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) उसमें से कितने स्वीकृत व कितने अस्वीकृत किये गये हैं, उसकी विस्तृत जानकारी कारण सहित दें;

(च) क्या किसी आवेदन को रिजेक्ट करने से पहले आवेदक को उसकी गलती सुधारने के लिए कुछ समय दिया जाता है;

(छ) यदि हां, उसकी प्रक्रिया क्या है; और

(ज) यदि नहीं तो उसका क्या कारण है?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा निम्नलिखित लाभ महिलाओं व बच्चों को दिया जाता हैः—

1. विधवा/निराश्रित/तलाकशुदा महिला के लिए पेंशन योजना
2. गरीब विधवाओं को उनकी बेटियों और अनाथ लड़कियों के विवाह के लिए सहायता
3. लाडली योजना
4. प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना;

(ख) जिला कार्यालय पश्चिम द्वारा योजनाओं का विवरणः—

1. 31 जुलाई, 2019 तक विधवा पेंशन में तिलक नगर विधान सभा में कुल लाभार्थी 3453 हैं।
2. वित्तीय वर्ष 2015 से अबतक विधवा महिला पुत्री के सहायता हेतु तिलक नगर विधान सभा में 102 महिलाओं को लाभ मिला है।
3. लाडली योजना में विधान सभा अनुसार डाटा उपलब्ध नहीं है;

(ग) विधवा महिला के पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता

1. आवेदन से पूर्व दिल्ली में रहने का पांच वर्ष का प्रमाण।
2. पति का मृत्यु प्रमाण—पत्र।
3. पुत्री का जन्म प्रमाण—पत्र/स्कूल प्रमाण—पत्र
4. पुत्री के विवाह का कार्ड

5. बैंक पासबुक
6. आवेदन पत्र स्थानीय सांसद या विधायक द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

लाडली योजना में जन्म के समय पंजीकरण हेतु

1. आवेदन से पूर्व दिल्ली में रहने का तीन वर्ष का प्रमाण।
2. बालिका का दिल्ली का जन्म प्रमाण–पत्र।
3. प्रार्थन–पत्र पर माता–पिता व बालिका का संयुक्त फोटो।
4. माता–पिता का आय प्रमाण–पत्र/स्वयं द्वारा सत्यापित आय घोषणा–पत्र।
5. माता–पिता व बालिका के आधार कार्ड एवं उसके आवेदन की छाया प्रति संलग्न करें।

किसी भी योजना में एफिडेविट/शपथ पत्र की जरूरत नहीं होती है;

(घ) क्रम सं.	योजना	कुल आवेदन
1.	लाडली योजना	65188
2.	विधवा/निराश्रित/तलाकशुदा महिला के लिए पेंशन योजना	66809
3.	गरीब विधवाओं को उनकी बेटियों और अनाथ लड़कियों के विवाह के लिए सहायता;	6297

(ङ) क्रम सं.	योजना	स्वीकृत	अस्वीकृत
1.	लाडली योजना	60903	1152
2.	विधवा/निराश्रित/तलाकशुदा महिला के लिए पेंशन योजना	48814	6044
3.	गरीब विधवाओं को उनकी बेटियों और अनाथ लड़कियों के विवाह के लिए सहायता;	4732	1109

(च) लाडली योजना एवं महिला के पुत्री विवाह हेतु योजना के आवेदन को रिजेक्ट करने से पहले आवेदक को उसकी गलती सुधारने के लिए समय दिया जाता है, online विधवा पेंशन अस्वीकृत करने से पहले आवेदकों को उनकी गलती सुधारने के लिए समय दिया जाता है;

(छ) दूरभाष के माध्यम से व पत्र प्रेषित किया जाता है एवं online प्रक्रिया में automatic sms का प्रावधान है, उन्हें phone द्वारा भी सूचित किया जाता है; और

(ज) कृपया उपरोक्त देखें।

175. श्री गिरीश सोनीः क्या **माननीय समाज कल्याण मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा जारी योजनाओं को जनता तक किस माध्यम से पहुंचाया जाता है;

(ख) क्या उनके लिए सरकार द्वारा किसी प्रकार के सुविधा कैंप भी लगाए जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण दिया जाये;

(घ) अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग की विभिन्न योजनाओं को पिछले पांच वर्षों में किसी माध्यम से उन तक पहुंचाया गया है; और

(ङ) योजना के एक बार प्रचार के कितने समय के अंतराल पर जनता के लिए पुनः प्रचार किया जाता है?

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः (क) इस विभाग द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल *www.edistrict.delhigovt.nic.in* के माध्यम से दिल्ली के अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों से ऑन–लाइन आवेदन मांग जाते हैं तथा इसका प्रचार विभागीय वेबसाईटः *www.scstwelfare.delhigovt.nic.in* एवं समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर और दिल्ली सरकार द्वारा डोरस्टेप डिलीवरी (हेल्पलाईन नं. 1076) के माध्यम से भी किया जाता है। विभाग द्वारा दिल्ली के अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों के लिए संचालित "जय भीम प्रतिभा विकास योजना" का प्रचार विभागीय वेबसाइट एवं समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर किया जाता है। उपरोक्त योजनाओं का प्रचार दिल्ली के प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग लगाकर भी किया जाता है;

(ख) इस विभाग द्वारा वर्तमान में कोई कैंप नहीं लगाए गए हैं, हालांकि समय–समय पर विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित किए जाने वाले जागरूकता कैम्पों में उनके अनुरोध पर इस विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार किया जाता है;

(ग) उपरोक्त के संदर्भ में लागू नहीं होता;

(घ) अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग की विभिन्न योजनाओं को

पिछले पांच वर्षों में समय–समय पर निम्नलिखित माध्यमों से उन तक पहुंचाया गया हैः–

1. समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा।

2. विभागीय वेबसाइट *www.scstwelfare.delhigovt.nic.in*

3. डोरस्टेप डिलीवरी–1076।

विभिन्न विभागों एवं संस्थानों द्वारा इस वर्ग के लिए आयोजित कार्यक्रमों में भी पेम्फलेट तथा बैनर द्वारा भी प्रचार किया गया है; और

(ङ) जनता के लिए किसी योजना के प्रचार हेतु सामान्यतः 1 वर्ष के समय के अंतराल पर पुनः प्रचार किया जाता है।

176. श्री सुरेन्द्र सिंहः क्या **माननीय समाज कल्याण मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली छावनी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत झरेडा गांव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विभाग के माध्यम से चौपाल बनवाने के कार्य को मंजूरी दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो कब और कैसे, संपूर्ण जानकारी प्रदान करें;

(ग) क्या यह सत्य है कि झरेडा ग्राम की चौपाल का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है;

(घ) यदि नहीं तो किसके आदेश पर विकास कार्य को रोका गया, संपूर्ण जानकारी प्रदान करें;

(ङ) क्या यह सत्य है कि किसी विभाग में कर्मचारियों (ठेकेदार के कर्मचारियों) से निर्धारित कार्य अवधि (समय–सीमा) से अधिक कार्य करवाया जाता है;

(च) यदि हां, तो प्रति घंटा कार्य करवाने के बाद अतिरिक्त वेतन दिया जाता है; सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की जाए;

(छ) चौपाल संबंधी विकास कार्य के लिए किसके आग्रह पर अनुमानित लागत राशि जारी की गयी;

(ज) कब एवं कितनी–कितनी राशि किस विभाग को जारी की गयी, ब्यौरा दें;

(झ) विभाग को राशि जारी होने के बाद विकास कार्य में विलम्ब होने पर विभाग द्वारा क्या कानूनी कार्रवाई की गयी; और

(ञ) सरकार के संज्ञान में इस प्रकार विभागों, ठेकेदारों के द्वारा नियमों का उल्लंघन करने के कितने केस दर्ज किए गए; उन सभी की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की जाए?

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः (क) जी हां;

(ख) विभाग द्वारा दिल्ली केंट विधान सभा क्षेत्र के झरेडा गांव में मौजूद हरिजन चौपाल को तोड़कर तथा उसके पुर्ननिर्माण करने के लिए वर्ष 2015–16 में प्रपत्र सं. एफ 3(13)/2014–15/डीएससीएसटी/आईएमपीएल/759–792, दिनांक 21.01.2016 के द्वारा 42.77/– लाख रुपये की राशि की स्वीकृति कार्यकारी एजेंसी बाढ़ एवं नियंत्रण विभाग दिल्ली सरकार को दी गयी थी;

(ग) जी नहीं;

(घ) कार्यकारी एजेंसी सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार झरेडा गांव के स्थानीय निवासियों ने कार्य को आरंभ करने से मना कर दिया था। इस संबंध में विभाग को 'जाटव समाज कल्याण परिषद से एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। जिसमें उन्होंने कहा कि मौजूदा चौपाल

उनके पुरखों ने बहुत समय पहले बनायी थी तथा यह चौपाल हमारी सामाजिक विरासत है और इससे हमारी सामाजिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं इस चौपाल का निर्माण कार्य हम पहले ही आरम्भ कर चुके हैं इसलिए आप अपने कर्मचारियों को चौपाल के निर्माण कार्य में बाधा न डालने के लिए निर्देशित करें;

(ङ) इस विभाग द्वारा ठेकेदार के कर्मचारियों से निर्धारित कार्य अवधि से अधिक कार्य नहीं कराया जाता है;

(च) उपरोक्त उत्तर संख्या 'ङ' के संदर्भ में लागू नहीं होता है;

(छ) विभाग द्वारा झरेडा गांव की अनुसूचित जाति की चौपाल की बनवाने की स्वीकृति माननीय विधायक श्री सुरेन्द्र सिंह, दिल्ली केंट की अनुशंसा पर की गयी थी;

(ज) विभाग द्वारा रु. 42.77/– लाख की स्वीकृति चौपाल के निर्माण के लिए सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को दी गयी थी। हालांकि स्थानीय नागरिकों की आपसी सहमति न बनने के कारण यह धनराशि खर्च नहीं की जा सकी है;

(झ) इस संदर्भ में विभाग द्वारा कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है। विभाग द्वारा सामान्यतः अनुसूचित जाति से संबंधित स्थानीय नागरिकों की सहमति से ही विकास कार्य कराये जाते हैं;

(ञ) इस विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों का कार्यान्वयन कार्यकारी एजेंसियों सीपीडब्ल्यूडी मेन्युअल के प्रावधानों के तहत कराती है। यदि ठेकेदारों के द्वारा बिना किसी न्यायोचित कारण के कार्य में विलम्ब किया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्यकारी एजेंसियों सीपीडब्ल्यूडी मैन्युअल के प्रावधानों के तत कार्यवाही करती है। इस विभाग द्वारा किसी कार्यकारी एजेंसी अथवा ठेकेदार के विरुद्ध कोई केस दर्ज नहीं किया गया है।

177. श्री जरनैल सिंहः क्या **माननीय समाज कल्याण मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग व अल्पसंख्यकों के लिए सरकार द्वारा कौन–कौन सी योजनाएं चल रही है, उनका पूर्ण विवरण दिया जाए;

(ख) 01 जनवरी, 2015 से अब तक इन योजनाओं के अंतर्गत कितने लोगों को उनसे लाभ पहुंचा, उसका भी ब्यौरा दिया जाए;

(ग) क्या यह सत्य है कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्कूल की फीस जमा करवाने के बावजूद उसकी अदायगी काफी समय के बाद की जाती है व इनमें काफी केस लम्बित पड़े हुए हैं;

(घ) ऐसे लम्बित पड़े हुए कुल कितने केस हैं, उनकी पूर्ण जानकारी दी जाए;

(ङ) यदि हां, तो उसका भी पूर्ण विवरण दिया जाए; और

(च) इस प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए क्या सरकार के पास कोई योजना है?

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः (क) दिल्ली के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग व अल्पसंख्यकों के लिए इस विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का पूरा विवरण अनुलंग्नक 'क' में वर्णित है;

(ख) योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों का ब्यौरा अनुलंग्नक 'ख' में वर्णित है;

(ग) इस विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों के स्कूल फीस जमा करवाने

के संदर्भ में आवेदनों का सत्यापन एवं अनुमोदन संबंधित शिक्षण संस्थानों एवं विभागों द्वारा किया जाता है। तत्पश्चात्, इस विभाग द्वारा योग्य आवेदकों के भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती है इसमें किसी विशेष समुदाय के लिए अलग से कार्यवाही नहीं की जाती है;

(घ) वर्ष 2016—17 एवं 2017—18 के कुल 4936 आवेदन विद्यालय स्तर/शिक्षण संस्थान तथा विभागीय स्तर पर लम्बित हैं जिनमें से 1513 आवेदन अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है।

वर्ष 2018—19 के आवेदनों का सत्यापन एवं अनुमोदन की प्रक्रिया शिक्षण संस्थान तथा विभागीय स्तर पर चल रही है;

(ङ) अब तक के अल्पसंख्यक समुदाय के कुल लम्बित पड़े आवेदन का विवरण निम्न हैः—

वर्ष	संबंधित शिक्षण विभाग	संबंधित विभागीय स्तर पर लम्बित	अ.जा./अ.ज.जा. अ.पि. वर्ग/ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग स्तर पर
2016—17	306	41	261*
2017—18	388	69	448*

*आवेदक के बैंक खाते का आधार के साथ सीडीड न होने की वजह से भुगतान प्रक्रिया लंबित है; और

(च) वर्तमान में विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं की प्रक्रिया में संशोधन हेतु कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अनुलग्नक "क"

क्र. सं.	अनु.जाति/अनु. ज.जाति/ अ.पि.वि./ अल्पसंख्यकों से संबंधित योजनाएं	पात्रता के मापदंड	वित्तीय सहायता की सीमा	आवेदन की प्रक्रिया
1	2	3	4	6
1.	ट्यूशन फीस की अदायगी (कक्षा 1 से 12	1. अधिकतम पारिवारिक आय 2 लाख रुपये तक 2. पिछली कक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक। 3. पिछली कक्षा में कम से कम 80 प्रतिशत हाजिरी। 4. अल्पसंख्यकों के लिए दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण।	60,000/– तक की वार्षिक आय के लिए 100% 60,001/– से 2,00,000/– तक की वार्षिक आय के लिए 75%	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल *www.edistrict.delhigovt.nic.in* पर आवेदन किया जाता है। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजः– 1. एसडीएम द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र/सरकारी/अर्ध सरकारी संस्थान द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र। 2. पिछली कक्षा में प्राप्त अंक तालिका 3. पिछली कक्षा की हाजिरी का प्रमाण पत्र 4. जाति प्रमाण पत्र 5. अल्पसंख्यकों के लिए दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का

1	2	3	4	6
				प्रमाण और स्वयं घोषित अल्पसंख्यक एफिडेविट **आवेदन पत्रों की संबंधित शिक्षा संस्थानों द्वारा सिफारिश करने के बाद विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों से सत्यापन किए जाते हैं, और उसके बाद इस विभाग में सत्यापित किये गए आवेदन को फीस की अदायगी की जाती है।**
2.	(कक्षा 1 से 12) को छात्रवृत्ति/योग्यता छात्रवृत्ति	1. अनु. जाति/अनु.जन. जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक के लिए अधिकतम पारिवारिक आय 2 लाख रुपये तक। 2. पिछली कक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक। 3. अल्पसंख्यकों के लिए दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण।	(i) अ.ज./अ.जन./अल्पसंख्यक 1 से 8 कक्षा रु. 1000/— प्रति वर्ष (अंक % की कोई सीमा नहीं) (ii) अन्य पिछड़ा वर्ग (6 से 8) के लिए:— 55 से 60% अंक पिछली कक्षा रु. 600/— प्रति वर्ष 60% से ऊपर अंक	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई—डिस्ट्रिक्ट पोर्टल *www.edistrict.delhigovt.nic.in* पर आवेदन किया जाता है। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज:— 1. पिछली कक्षा में प्राप्त अंक तालिका 2. जाति प्रमाण पत्र 3. अल्पसंख्यकों के लिए दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण और स्वयं घोषित अल्पसंख्यक एफिडेविट

			पिछली कक्षा रु. 720/– प्रति वर्ष उपर्युक्त (i) और (ii) के दावों के लिए 9 से 10 कक्षा:– रु. 1620/– प्रति वर्ष (55% से 60% अंक पिछली कक्षा) रु. 2040/– प्रति वर्ष (66% से ऊपर अंक पिछली कक्षा) 11 से 12 कक्षा:– रु. 3000/– प्रति वर्ष (55% से 70% अंक पिछली कक्षा) रु. 4500/– प्रति वर्ष (70% से ऊपर अंक पिछली कक्षा)	4. स्वयं घोषित आय **आवेदन पत्रों की संबंधित शिक्षा संस्थानों द्वारा सिफारिश करने के बाद विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों से सत्यापन किए जाते हैं, और उसके बाद इस विभाग में सत्यापित किये गए आवेदन को फीस की अदायगी की जाती है।**
3.	(कक्षा 1 से 12 को स्टेशनरी (लेखन सामग्री) खरीदने के लिए वित्तीय सहायता	1. अधिकतम पारिवारिक आय 2 लाख रुपये तक। 2. अल्पसंख्यकों के लिए दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण।	रु. 1000/– प्रति वर्ष रु. 2000/– प्रति वर्ष	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल *www.edistrict.delhigovt.nic.in* पर आवेदन किया जाता है। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज:– 1. जाति प्रमाण पत्र

1	2	3	4	6
				2. अल्पसंख्यकों के लिए दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण और स्वयं घोषित अल्पसंख्यक एफिडेविट 3. स्वयं घोषित आय **आवेदन पत्रों की संबंधित शिक्षा संस्थानों द्वारा सिफारिश करने के बाद विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों से सत्यापन किए जाते हैं, और उसके बाद इस विभाग में सत्यापित किये गए आवेदन को फीस की अदायगी की जाती है।**
4.	कॉलेज और व्यावसायिक संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को योग्यता छात्रवृत्ति	1. अनु. जाति/अनु.जन. जाति के लिए कोई आय सीमा नहीं। 2. अल्पसंख्यक/पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम पारिवारिक आय 2 लाख रुपये तक।	(i) हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए रु. 9,648/– से 22,320/– प्रति वर्ष (ii) गैर–'हॉस्टल (डे स्कॉलर) छात्रों के लिए रु. 5,040/– से रु.	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल *www.edistrict.delhigovt.nic.in* पर आवेदन किया जाता है। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजः– 1. पिछली कक्षा में प्राप्त अंक तालिका 2. जाति प्रमाण पत्र

		3. पिछली कक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक। 4. अल्पसंख्यकों के लिए दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण।	11,520/– प्रति वर्ष (कोर्स के आधार पर)	3. अल्पसंख्यकों के लिए दिल्ली में रहने का कम से कम 3 वर्ष का प्रमाण और स्वयं घोषित अल्पसंख्यक एफिडेविट 4. स्वयं घोषित आय **आवेदन पत्रों की संबंधित शिक्षा संस्थानों द्वारा सिफारिश करने के बाद विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों से सत्यापन किए जाते हैं, और उसके बाद इस विभाग में सत्यापित किये गए आवेदन को फीस की अदायगी की जाती है।**
5.	अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना। (कक्षा 1 से 10)	1. पिछली कक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक। 2. अधिकतम पारिवारिक आय 1 लाख रुपये तक।	कक्षा 1 से 5 तक 1000 रुपये प्रतिवर्ष कक्षा 6 से 10 तक (1000+4200+500) रुपये प्रतिवर्ष	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल *www.edistrict.delhigovt.nic.in* पर आवेदन किया जाता है। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजः– 1. पिछली कक्षा में प्राप्त अंक तालिका 2. दिल्ली में रहने का कम से कम 3. वर्ष का प्रमाण और स्वयं घोषित अल्पसंख्यक एफिडेविट

1	2	3	4	6
				4. एसडीएम द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र/सरकारी/अर्ध सरकारी संस्थान द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र। **आवेदन पत्रों की संबंधित शिक्षा संस्थानों द्वारा सिफारिश करने के बाद विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों से सत्यापन किए जाते हैं, और उसके बाद इस विभाग में सत्यापित किये गए आवेदन को फीस की अदायगी की जाती है।**
6.	अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना (कक्षा 11, 12 एवं उच्च शिक्षा)	1. पिछली कक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक। 2. अधिकतम पारिवारिक आय 2 लाख रुपये तक।	कक्षा 11 से 12 तक (1400+10000) रुपये प्रतिवर्ष अधिकतम कक्षा स्नातक एवं स्नातकोत्तर (1850+3000) रुपये प्रतिवर्ष कक्षा एम.फिल. एवं पी.एच.डी. (3300) रुपये प्रतिवर्ष	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल *www.edistrict.delhigovt.nic.in* पर आवेदन किया जाता है। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजः– 1. पिछली कक्षा में प्राप्त अंक तालिका 2. दिल्ली में रहने का कम से कम 3. वर्ष का प्रमाण और स्वयं घोषित अल्पसंख्यक एफिडेविट

				4. एसडीएम द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र/सरकारी/अर्ध सरकारी संस्थान द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र। **आवेदन पत्रों की संबंधित शिक्षा संस्थानों द्वारा सिफारिश करने के बाद विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों से सत्यापन किए जाते हैं, और उसके बाद इस विभाग में सत्यापित किये गए आवेदन को फीस की अदायगी की जाती है।**
7.	अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए योग्यता–एवं–आय आधारित छात्रवृत्ति। (स्नात का स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक कोर्स)	1. पिछली कक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक। 2. अधिकतम पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये तक।	5000/10000+20000 और सूचीबद्ध संस्थान को देय पूरी फीस।	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल *www.edistrict.delhigovt.nic.in* पर आवेदन किया जाता है। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजः– 1. पिछली कक्षा में प्राप्त अंक तालिका 2. दिल्ली में रहने का कम से कम 3. वर्ष का प्रमाण और स्वयं घोषित अल्पसंख्यक एफिडेविट 4. एसडीएम द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र/सरकारी/अर्ध सरकारी संस्थान द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र।

1	2	3	4	6
				आवेदन पत्रों की संबंधित शिक्षा संस्थानों द्वारा सिफारिश करने के बाद विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों से सत्यापन किए जाते हैं, और उसके बाद इस विभाग में सत्यापित किये गए आवेदन को फीस की अदायगी की जाती है।
8.	अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप	1. पिछली कक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक। 2. अधिकतम पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये तक।	होस्टल (3 से 10):– रु. 500/– प्रति माह (दस महीनों के लिए) गैर–हॉस्टल (डे स्कॉलर) (1 से 12):– रु. 100/– प्रति माह (दस महीनों के लिए) (पिछली कक्षा में न्यूनतम उपस्थिति 60% से अधिक)	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल *www.edistrict.delhigovt.nic.in* पर आवेदन किया जाता है। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजः– 1. पिछली कक्षा में प्राप्त अंक तालिका 2. जाति प्रमाण पत्र 3. स्वयं घोषित आय **आवेदन पत्रों की संबंधित शिक्षा संस्थानों द्वारा सिफारिश करने के बाद विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों से**

				सत्यापन किए जाते हैं, और उसके बाद इस विभाग में सत्यापित किये गए आवेदन को फीस की अदायगी की जाती है।
9.	अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप	अधिकतम पारिवारिक आय 1 लाख रुपये तक।	अनुरक्षण भत्ता होस्टलर रु. 260/– से रु. 750/– प्रति माह गैर– हॉस्टल (डे स्कॉलर) रु. 160/– से रु. 350/– प्रति माह अन्य भत्ते तथा शुल्क, योजना के अनुसार	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल *www.edistrict.delhigovt.nic.in* पर आवेदन किया जाता है। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजः– 1. पिछली कक्षा में प्राप्त अंक तालिका 2. जाति प्रमाण पत्र 3. एसडीएम द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र/सरकारी/अर्ध सरकारी संस्थान द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र। **आवेदन पत्रों की संबंधित शिक्षा संस्थानों द्वारा सिफारिश करने के बाद विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों से सत्यापन किए जाते हैं, और उसके बाद इस विभाग में सत्यापित किये गए आवेदन को फीस की अदायगी की जाती है।**

1	2	3	4	6
10.	अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप	अधिकतम पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये तक।	अनुरक्षण भत्ता होस्टलर रु. 380/– से रु. 1200/– प्रति माह डे स्कॉलर रु. 230/– से रु. 550/– प्रति माह अन्य भत्ते तथा शुल्क, योजना के अनुसार	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल *www.edistrict.delhigovt.nic.in* पर आवेदन किया जाता है। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजः– 1. पिछली कक्षा में प्राप्त अंक तालिका 2. जाति प्रमाण पत्र 3. एसडीएम द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र/सरकारी/अर्ध सरकारी संस्थान द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र। **आवेदन पत्रों की संबंधित शिक्षा संस्थानों द्वारा सिफारिश करने के बाद विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों से सत्यापन किए जाते हैं, और उसके बाद इस विभाग में सत्यापित किये गए आवेदन को फीस की अदायगी की जाती है।**

11. अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप	अधिकतम पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये तक।	डे स्कॉलर रु. 225/– प्रति माह 10 महीनों के लिए और बुक और एडहॉक अनुदान प्रति वर्ष रु. 750/– होस्टलर रु. 525/– प्रति माह 10 महीने और बुक और एडहॉक अनुदान प्रति वर्ष रु. 1000/–	छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल *www.edistrict.delhigovt.nic.in* पर आवेदन किया जाता है। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजः– 1. पिछली कक्षा में प्राप्त अंक तालिका 2. जाति प्रमाण पत्र 3. स्वयं घोषित आय **आवेदन पत्रों की संबंधित शिक्षा संस्थानों द्वारा सिफारिश करने के बाद विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों से सत्यापन किए जाते हैं, और उसके बाद इस विभाग में सत्यापित किये गए आवेदन को फीस की अदायगी की जाती है।**
12. डा. बी. आर. अम्बेडकर टापर्स पुरस्कार	15 सूचीबद्ध संस्थान।	8000 रुपये प्रति कोर्स	टापर्स छात्रों की सूची सूचीबद्ध शिक्षण संस्थान से मांगी जाती है।

उपरोक्त छात्रवृत्ति योजनाओं के अतिरिक्त विद्यार्थियों के कल्याण हेतु विभाग द्वारा निम्न योजनाओं का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है। इन योजनाओं में वह विद्यार्थी/लाभार्थी जोकि स्कीम के तहत पात्रता पूरी करते हैं वह विभाग/अधीनस्थ विभागों में आवेदन कर सकते हैं। इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है एवं समय–समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से इनका प्रचार–प्रसार किया जाता है।

1. जय भीम मुख्य मंत्री प्रतिभा विकास योजनाः–

   इस योजना के तहत दिल्ली में अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित पात्रताधारी विद्यार्थियों को दिल्ली सरकार यू.पी. एस.सी./एस.टी. इत्यादि द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षाओं तथ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों द्वारा कोचिंग उपलब्ध करा रही है।

2. इस आवासीय विद्यालय कलिंगा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस (KISS), जो कि कलिंगा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस (KIIT). भुवनेश्वर एवं दिल्ली सरकार के संयुक्त उद्यम में MOU के तहत चलाया जा रहा है। इनमें रहने वाले छात्र छात्राओं को शिक्षा, आवास, खाना, युनिफार्म, लेखन सामाग्री, किताबें तथा प्राथमिक उपचार की सुविधाएं निःशुल्क दी जाती है।

3. विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए दिलशाद गार्डन में दो होस्टलों का संचालन किया जा रहा है जिनमें 160 विद्यार्थी (छात्र–100 व छात्रा–60) लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें रहने वाले छात्र छात्राओं को आवास एवं खाने–पीने की सुविधाएं निःशुल्क दी जाती है।

4. यह विभाग, डीएसएफडीसी (DSFDC) के माध्यम से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त रियायती दरों पर इन वर्गों के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

आर्थिक एवं सामाजिक विकास

1. अंर्तजातीय विवाह को प्रोत्साहन के लिए 2.50 लाख रुपया तक दिया जाता है।
2. अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचार के लिए प्रशासन के संज्ञान में लाने के बाद रुपए 85000 से रुपए 8,25,000 तक दिया जाता है।
3. बस्तियों का सुधारीकरण।
4. दिल्ली स्वरोजगार योजना एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यकों के लिए।

अनुलंग्नक 'ख'

Details of Beneficiaries under different schemes

1. Financial Assistance for Purchase of Stationery to SC/ST/OBC Students (class Ist to XIith)

Year	Beneficiaries (No. of students)
1	2
2014-15	8,20,023
2015-16	10,79,050

1	2
2016-17	5,03,279
2017-18	6,73,124
2018-19	4,52,490

2. Scholarship/Merit Scholarship to SC/ST/OBC/Min. Students (Class Ist to XIIth)

Year	Beneficiaries (No. of students)
2014-15	7,50,021
2015-16	6,79,976
2016-17	4,37,561
2017-18	6,22,333*
2018-19	3,80,452

*Includes previous years beneficiaries.

3. Reimbursement of Tuition Fee to the Students belonging to SC/ST/OBC Studying in Public Schools

Year	Beneficiaries (No. of students)
2014-15	26,777
2015-16	23,650
2016-17	7,622
2017-18	29,435*
2018-19	25,904

*Includes previous years beneficiaries.

4. Merit Scholarship to College/Professional Institutions Students Belonging to SC/ST/OBC

Year	Beneficiaries (No. of students)
2014-15	10,560
2015-16	11,086
2016-17	2,367
2017-18	3,658
2018-19	1,704

5. Residential School for Weaker Section of SC/OBC/Minority/Orphans at village Issapur in collaboration with KISS, Bhubneshwar (Odisha)

Year	Beneficiaries (No. of students)
2014-15	353
2015-16	369
2016-17	473
2017-18	562
2018-19	600

6 Jai Bhim Mukhyamantri Pratibha Vikas Yojana-

Government of Delhi has launched the scheme "Jai Bhim Mukhyamantri Pratibha Vikas Yojana." In the year 2017-18 vide Cabinet Decision No. 2526 Dated 12-12-2017 and during the financial year 2018-19 around 4953 students have been enrolled under the scheme.

7. Improvement of SC Basties

Year	No. of Chaupals	Road & Others
2015-16	32	32
2016-17	29	36
2017-18	30	38
2018-19	24	94

8. Prevention of Atrocity Act

Year	No. of Victims (Under PoA, Act)
2015-16	21
2016-17	18
2017-18	22
2018-19	11

Year	No. of Couples of Inter-Caste Marriage
2015-16	3
2016-17	2
2017-18	3

9. Detailed of beneficiaries under loan schemes implemented by DSFDC.

डीएसएफडीसी द्वारा दिनांक 01.01.2015 से अब तक 1000 लोगों को

ऋण दिया गया। जिसमें अनुसूचित जाति के 663, अन्य पिछड़ा वर्ग के 56, अल्पसंख्यक वर्ग के 73. निःशक्त जन वर्ग के 30, दिल्ली स्वरोजगार योजना में 175 तथा सफाई कर्मचारी वर्ग में 02 व्यक्तियों को ऋण दिया गया है।

178. श्री गिरिश सोनीः क्या **माननीय राजस्व मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मादीपुर विधान सभा क्षेत्र से वर्ष 2017 से 2019 तक कितने आवेदकों के एससी/एसटी/ओबीसी/इनकम सर्टिफिकेट के लिए आवेदन प्राप्त हुए, उनकी संख्या बताई जाये;

(ख) मादीपुर विधान सभा में वर्ष 2017 से 2019 तक कितने एससी/एसटी/ओबीसी/इनकम सर्टिफिकेट जारी किये गए, उनका पूर्ण विवरण दिया जाये;

(ग) इस क्षेत्र के निरस्त किये गए आवेदनों का कारण के साथ पूर्ण विवरण दिया जाये;

(घ) साथ–साथ यह भी बताया जाये कि ऐसे कितने आवेदन है जिनके प्रमाण–पत्र निर्धारित समय में नहीं बन पाए हैं; उनकी देरी का कारण पूर्ण विवरण के साथ दिया जाये;

(ङ) क्या यह सत्य है कि नांगलोई एसडीएम ऑफिस से बड़ी संख्या में फर्जी पतों पर एससी/एसटी/ओबीसी/इनकम सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में शिकायत मिली थी;

(च) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने प्रमाण पत्र नकली पाए गए;

(छ) इन फर्जी प्रमाण पत्रों के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं और उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई; और

(ज) मोबाइल सहायक 1076 से कितने आवेदन मादीपुर विधान सभा से प्राप्त हुए उनका विवरण दिया जाये?

माननीय राजस्व मंत्रीः (क) मादीपुर विधान सभा क्षेत्र से संबंधित सर्टिफिकेट का विवरण ई–डिस्ट्रीक्ट पर अलग से उपलब्ध नहीं है। पंजाबी बाग सब डिविजन में वर्ष 01.01.2017 से 31.07.2019 तक आवेदकों से एससी/एसटी/ओबीसी/इनकम सर्टिफिकेट के लिए प्राप्त हुए आवेदनों का विवरण निम्न प्रकार से है:–

एससी–18282

एसटी–713

ओबीसी–19301

इनकम–35009;

(ख) मादीपुर विधान सभा क्षेत्र से संबंधित सर्टिफिकेट का विवरण ई–डिस्ट्रीक्ट पर अलग से उपलब्ध नहीं है। पंजाबी बाग सब–डिवीजन में वर्ष 01.01.2017 से 31.07.2019 आवेदकों से एससी/एसटी/ओबीसी/इनकम सर्टिफिकेट के लिए प्राप्त हुए आवेदनों का विवरण निम्न प्रकार से है:

एससी–10029

एसटी–287

ओबीसी–10370

इनकम–23461;

(ग) पंजाबी बाग सब डिविजन में वर्ष 01.01.2017 से 01.01.2019 आवेदकों के एससी/एसटी/ओबीसी/इनकम सर्टिफिकेट निरस्त किए गए आवेदनों का एसओपी द्वारा मांगे गये दस्तावेज न होने के कारण/जाति प्रमाण

पत्रों अन्य राज्यों को भेजी गई वेरिफिकेशन समय पर न प्राप्त न होने के कारण निरस्त किए गए आवेदनों का विवरण निम्न प्रकार से है–

एससी–7868

एसटी–415

ओबीसी–8509

इनकम–11306;

(घ) समय–सीमा के अंतर्गत नहीं बनने वाले सर्टिफिकेट के मुख्य कारण निम्न हैः

1. जाति प्रमाण पत्रों की अन्य राज्यों को भेजी गई वेरिफिकेशन समय पर न प्राप्त होना।
2. कार्यालय द्वारा आवेदनों पर लगाये गए ओब्जेकशनों के समय पर प्रार्थी द्वारा जवाब न देना;

(ङ) और (च) उपरोक्त प्रश्न के संबंध में 2017 से 2019 तक फर्जी पतों पर एससी/एसटी/ओबीसी/इनकम सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में लिखित रूप से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई;

(छ) उपरोक्त। यदि भविष्य में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई तो विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी; और

(ज) मोबाइल सहायक 1076 से कितने आवेदन मादीपुर विधान सभा से प्राप्त हुए सर्टिफिकेट का विवरण ई–डिस्ट्रीक्ट पर अलग से उपलब्ध नहीं है। पंजाबी बाग सब–डिवीजन में वर्ष 01.01.2017 से 31.07.2019 प्राप्त हुए आवेदनों का विवरण निम्न प्रकार से हैः

एससी–1170

एसटी—8

ओबीसी—1087

इनकम—1132

इसकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर ली गई है।

179. श्री जगदीश प्रधानः क्या **माननीय समाज कल्याण मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली सरकार के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग ने 14.02.2015 से शुरू अपने कार्यकाल के दौरान अभी तक कितने लाभार्थियों को ऋण दिया है;

(ख) सरकार को 14.02.2015 से अभी तक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों द्वारा ऋण के लिए कितने आवेदन फार्म प्राप्त हुए, इनमें से कितने स्वीकार किए गए तथा कितने फार्म अस्वीकार किये गये एवं प्रत्येक फार्म के निरस्तीकरण का क्या कारण है;

(ग) अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को ऋण व अन्य योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा उनके कार्यकाल में अभी तक कितने कैम्पों का आयोजन किया गया, ऋण एवं अन्य योजनाओं के लिए लगाए गए कैम्पों का अलग—अलग ब्यौरा दिया जाए;

(घ) इन कैम्पों द्वारा किन—किन योजनाओं से अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाया गया है; और

(ङ) क्या दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए भविष्य में कोई योजना शुरू की जानी है?

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः (क) दिल्ली अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्त एवं विकास निगम लि. (डीएसएफडीसी) ने दिनांक 14.02.15 से अब तक 1053 लक्षित समूह के लाभार्थियों को ऋण प्रदान किया;

(ख) डीएसएफडीसी में दिनांक 14.02.2015 से अब तक अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत कुल 960 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से सभी आवेदन पत्रों को स्वीकार किया गया इसके अतिरिक्त पिछले वित्तीय वर्ष 2014—15 में प्राप्त किये गए ऋण आवेदन भी इनमें सम्मिलित है। दिनांक 14.02.15 से अब तक कुल 129 आवेदन पत्र प्रार्थियों द्वारा निगम की औपचारिकता पूरी ना कर पाने के कारण निरस्त कर दिये गए;

(ग) डीएसएफडीसी द्वारा दो मुख्य योजनाएं कार्यान्वित की जाती है (क) ऋण योजना एवं (ख) प्रशिक्षण योजना। ऋण योजना के तहत 155 जागरुकता शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में सभी योजनाओं को प्रदर्शित किया जाता है तथा लोगों का मार्गदर्शन भी किया जाता है। प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत कोई जागरुकता शिविर नहीं लगाया गया;

(घ) जागरुकता शिविरों द्वारा दिल्ली स्वरोजगार योजना, कम्पोजिट ऋण योजना, शैक्षिक ऋण योजना एवं वोकेशनल ट्रेनिंग के अंतर्गत लक्षित समूह के लोगों को लाभ पहुंचाया गया; और

(ङ) फिलहाल कोई नहीं।

180. श्री राजेश गुप्ताः क्या **माननीय परिवहन मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वजीरपुर विधान सभा क्षेत्र में कितनी बसें चल रही है;

(ख) वजीरपुर विधान सभा क्षेत्र में कितने–कितने बस क्यू शेल्टर हैं;

(ग) क्या यह सत्य है कि लोक निर्माण विभाग ने खराब बस शेल्टर्स को नया रूप प्रदान किया है;

(घ) क्या यह सत्य है कि कुछ शेल्टरों का एलडीए निधि से निर्माण किया जाना है;

(ङ) क्या वजीरपुर विधान सभा क्षेत्र में नई बसें चलाने की कोई योजना है; और

(च) वजीरपुर विधान सभा क्षेत्र को दिल्ली सरकार की कितनी नई बसें मिलेगी?

माननीय परिवहन मंत्रीः (क) वजीरपुर विधान सभा क्षेत्र से व होकर दिल्ली परिवहन निगम की 143 बसें व 9 स्पेशल फेरे अनुसूचित हैं तथा क्लस्टर सेवा के अंतर्गत 194 बसें 13 रूटों पर परिचालित हैं;

(ख) वजीरपुर विधान सभा क्षेत्र में कुल 53 बस क्यू शेल्टर हैं;

(ग) जी नहीं;

(घ) जी हां; और

(ङ) और (च) वर्तमान में दिल्ली परिवहन निगम के बेडें में 3781 (2506 नोन एसी और 1275 एसी) लो फ्लोर सीएनजी बसें हैं।

दिल्ली परिवहन निगम 1000 नई एसी लो फ्लोर सीएनजी बसों को खरीदने की प्रक्रिया में है जिसके लिए निविदा दिनांक 26.07.2019 को जारी कर दी गई है और जमा निविदाएं दिनांक 06.09.2019 को खोली जाएगी।

बसों को खरीदने का आर्डर देने की सम्भावित तिथि 22.10.2019 है

और बसें जनवरी, 2020 से आनी शुरू हो जाएगी। ये सारी 1000 नई बसें वर्ष 2020 में आने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त डीटीसी 300 एसी लो फ्लोर इलैक्ट्रिक बसें (OPEX Model) जो भारत सरकार की FAME-II की योजना के अंतर्गत दि.प.नि. को आवंटित की गई है। इन बसों का दिसम्बर, 2019 तक आर्डर होने की सम्भावना है और सारी 300 बसों का वर्ष 2020 में आने की सम्भावना है।

जैसे ही नई बसें दि.प.नि. के बेड़े में शामिल होंगी उसके उपरांत इस क्षेत्र के रूटों पर यथानुसार बसें चलाने पर विचार किया जाएगा।

क्लस्टर सेवा के अंतर्गत 1000 स्टैंडर्ड फ्लोर बसें, 1000 लो फ्लोर एसी बसें तथा 385 इलेक्ट्रिक बसें अगस्त, 2019 से अप्रैल–2020 तक बेडे में सम्मिलित होंगी।

भविष्य में क्लस्टर सेवा के अंतर्गत वजीरपुर विधान सभा क्षेत्र में नई बसें आने पर 17 रूटों पर 176 बसें चलाने की योजना है।

भविष्य में वजीरपुर विधान सभा में एक नई मेट्रो फीडर रूट जो कि आजादपुर मेट्रो स्टेशन से शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन वाया– बारा बाग, गुजरावाला टाउन, सत्यवती कॉलेज, अशोक विहार, बीएल दीप मार्केट, ईपीएफओ ऑफिस, शालीमार बाग, जिसमें कुल 8 बसों द्वारा चलाने की योजना प्रस्तावित है।

इसकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर ली गई है।

181. श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः क्या **माननीय परिवहन मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में नए बस क्यू शेल्टर लगाने की कोई योजन है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने बस क्यू शेल्टर लगाये जाने प्रस्तावित हैं; कब तक और कहां–कहां पर; और

(ग) क्या त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र में भी नये बस क्यू शेल्टर लगाने का कोई प्रावधान है?

माननीय परिवहन मंत्रीः (क) जी हां;

(ख) कुल 1397 नए बस क्यू शैल्टर्स बनाए जाने प्रस्तावित हैं जो कि पूरी दिल्ली में बनाए जाने हैं; बस क्यू शैल्टर्स बनाने का कार्य लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया गया है; और

(ग) जी हां।

182. श्री महेन्द्र गोयलः क्या **माननीय उप परिवहन मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा दिनांक 20.06.2019 को रूट नं. 879 के पुनर्गठन के लिये सर्वे किया गया था;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान समय में रूट के पुनर्गठन पर क्या कार्रवाई की गई, पूर्ण जानकारी दी जाये;

(ग) क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा विधायक फंड से रिठाला विधान सभा में चार बस क्यू शेल्टर लगाये जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा, पूर्ण जानकारी दें;

(ङ) क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा रिठाला विधान सभा में 40 बस क्यू शेल्टर लगाने की योजना विचाराधीन है; और

(च) यदि हां, तो इसमें रूकावट के क्या कारण हैं व कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा?

माननीय परिवहन मंत्रीः (क) जी हां, यह सत्य है;

(ख) रूट संख्या 879, 985 व जी.एल.–90 के वाया में मानव चौक (बी–4 रोड) से ई–2 (बी–3 रोड) के मध्य दिनांक 01.07.2019 से दोनों दिशाओं में वाया बदलाव किया गया था, अब इन रूटों की बसें डी–2 रोहिणी सेक्टर–15 की जगह सीधे बी–4 रोड, बी–7 रोड (रोहिणी सेक्टर–18), बी–3 रोड होकर परिचालन में हैं। जिसके संदर्भ में माननीय विधायक महोदय को पत्र के माध्यम से अवगत कराया था;

(ग) जी हां;

(घ) कार्य पूर्ण किया जा चुका है;

(ङ) जी हां; और

(च) दिल्ली सरकार द्वारा 1397 नए बस क्यू शैल्टर बनाने का कार्य PWD को सौंपा गया है। PWD द्वारा टेंडर प्रक्रिया का काम चालू है। टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होते ही PWD द्वारा इनको बनाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा जिसमें पुराने खराब हालत के बस क्यू शैल्टर्स के स्थान पर नए बस क्यू शैल्टर्स बनाने का भी प्रावधान है।

183. श्री मनोज कुमारः क्या **माननीय परिवहन मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की कोण्डली विधान सभा क्षेत्र में कोण्डली पुल, वसुन्धरा इन्क्लेव व गाजीपुर पुल पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

माननीय परिवहन मंत्रीः (क) से (ग) परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार में ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। जानकारी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से एकत्रित की जा रही है।

184. श्रीमती प्रमिला टोकसः क्या **माननीय परिवहन मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(ख) यदि नहीं, तो कब तक पर्याप्त बसें उपलब्ध होंगी और सरकार द्वारा इस दिशा में किये जा रहे प्रयासों की विस्तारपूर्वक दी जाए;

(ग) वाई–फाई हॉटस्पॉट, पेनिक सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे दिल्ली की सभी डीटीसी बसों में कब तक लगाए जायेंगे; इसकी विस्तृत जानकारी दीजिए;

(घ) अब तक कितनी बसों में इनमें से कौन–कौन से सिस्टम लगाए गए हैं, पूर्ण विवरण दें;

(ङ) क्या यह सत्य है कि नानकपुरा स्थित डीटीसी बस स्टॉप क्षतिग्रस्त हो चुका है;

(च) यदि हां, तो यह कब तक बना दिया जाएगा, कृपया इसकी पूर्ण जानकारी दी जाए;

(छ) नानकपुरा स्थित डीटीसी बस स्टॉप पर 510 नंबर की बस पिछले कुछ समय से अपने गंतव्य पर विलंब से आ रही है, इसके कारण स्पष्ट करते हुए बतायें कि इस बस का समय पर आना कब से शुरू होगा;

(ज) क्या आर.के. पुरम विधान सभा के आर.के. पुरम में अतिरिक्त बस स्टॉप बनाने की सरकार की कोई योजना है; और

(झ) यदि हां, तो इसकी जानकारी दी जाए?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) और (ख) दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार दिल्ली में परिवहन व्यवस्था के लिए 11000 बसों का होना जरूरी है और दिल्ली सरकार के निर्णय अनुसार दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में 5500 बसें तथा क्लस्टर स्कीम में 5500 बसें करने का निर्णय है।

इस समय दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में 3781 (2506 नोन एसी और 1275 एसी) लो फ्लोर सीएनजी बसें है।

दिल्ली परिवहन निगम 1000 नई एसी लो फ्लोर सीएनजी बसों को खरीदने की प्रक्रिया में है जिसके लिए निविदा दिनांक 26.07.2019 को जारी कर दी गई है और जमा निविदाएं दिनांक 08.09.2019 को खोली जाएगी।

बसों को खरीदने का आर्डर देने की सम्भावित तिथि 22.10.2019 है और बसें जनवरी, 2020 से आनी शुरू हो जाएगी। ये सारी 1000 नई बसें वर्ष 2020 में आने की सम्भावना है।

इसके अतिरिक्त डीटीसी 300 एसी लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसें (OPEX Model) जो भारत सरकार की FAME-II की योजना के अंतर्गत दि.प.नि. को आवंटित की गई है। इन बसों का दिसम्बर, 2019 तक आर्डर होने की सम्भावना है और सारी 300 बसों का वर्ष 2020 में आने की सम्भावना है।

उपरांत बसों के आने पर डीटीसी बेड़ा 5081 बसों का हो जाएगा।

क्लस्टर सेवा के अंतर्गत 1000 स्टैंडर्ड फ्लोर बसें, 1000 लो फ्लोर एसी बसें तथा 385 इलेक्ट्रिक बसें अगस्त, 2019 से अप्रैल 2020 तक बेड़े में सम्मिलित होंगी।

(ग) डीटीसी बसों में सीसीटीवी व पैनिक बटन लगाने के लिए 14.08.2019 को निविदाएं प्राप्त हो गई हैं। अनुबंध/करार होने के उपरांत 7 महीनों के अंतर्गत सभी बसों में सीसीटीवी, जीपीएस और पैनिक बटन लगा दिये जाएंगे;

(घ) दिल्ली परिवहन निगम की 200 बसों में (100 बसें राजघाट डिपो–1 एवं 100 बसें सरोजिनी नगर डिपो) में दिसम्बर, 2014 में सीसीटीवी कैमरे लगाये गये थे तथा सभी सीसीटीवी कैमरे सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक बस में 3 कैमरे लगाये गये हैं।

क्लस्टर सेवा के अंतर्गत परिचालित 25 नई बसों में सीसीटीवी, जीपीएस एवं पैनिक बटन कार्यरत है;

(ङ) जी हां;

(च) दिल्ली सरकार द्वारा 1397 नए बस क्यू शैल्टर बनाने का कार्य PWD को सौंपा गया है। PWD द्वारा टेंडर प्रक्रिया का काम चालू है। टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होते ही PWD द्वारा इनको बनाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा

जिसमें पुराने खराब हालत के बस क्यू शैल्टर्स के स्थान पर नए बस क्यू शैल्टर्स बनाने का भी प्रावधान है;

(छ) 510 नम्बर का रूट दिल्ली परिवहन निगम व क्लस्टर द्वारा अनुसूचित नहीं है;

(ज) जी हां; और

(झ) उपरोक्त 'च' के अनुसार।

185. श्री विजेन्द्र गुप्ताः क्या **माननीय परिवहन मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली मैट्रो में महिलाओं को मुफ्त यात्रा करने की योजना को लेकर सरकार की क्या योजना है;

(ख) क्या यह सत्य है कि सरकार ने महिलाओं को मैट्रो में मुफ्त सवारी को लेकर 30 जून तक सुझाव मांगे थे;

(ग) यदि हां, तो क्या इसका विश्लेषण किया गया; इस विषय की विस्तृत जानकारी दें; और

(घ) महिलाओं को मुफ्त यात्रा की योजना पर सरकार ने प्रचार के लिए कितनी राशि व्यय की; मीडिया वाइज इसका विस्तृत ब्यौरा दें?

माननीय परिवहन मंत्रीः (क) इस योजना को लागू करने के संबंध में अंतिम निर्णय लंबित है;

(ख) जी हां;

(ग) जी हां। विस्तृत जानकारी संलग्न 'क' पर दी गई है; और

(घ) डीआईपी द्वारा सूचित किया गया है कि परिवहन विभाग के सक्षम प्राधिकारी ने इस योजना के बाह्य प्रचार के लिए 1,63,05,624/— रुपए (कर रहित) एवं प्रिंट (समाचार पत्रों में) प्रचार के लिए अनुमानित 64,79,915/— रुपए (कर रहित) की राशि की स्वीकृति दी थी। इलैक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रचार के लिए कोई भी राशि स्वीकृत नहीं की गई थी। निदेशालय ने इस योजना के प्रचार के लिए अभी तक कोई भुगतान नहीं किया है। दिल्ली परिवहन निगम ने 200 लो फ्लोर बसों में विज्ञापन बॉडी रैप और स्टीकर के रूप में प्रदर्शित किये थे। दिल्ली परिवहन निगम ने इस पर रुपए 2,74,810/— की रशि व्यय की गई।

इसकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर ली गई है।

संलग्न—क

Report Public Consultation/Feedback on Free Travel for Women in DTC/Cluster Buses and Delhi Metro

The Government of NCT of Delhi has proposed to launch a new scheme that advocates free travel for women in DTC and cluster buses as well as in the Delhi metro. The premise for this proposed scheme is to empower women who use public transport in the national capital by providing them access to safe public transport while ensuring comfort.

Security of women has always been of prime concern for the Delhi Government. The proposed scheme wishes to address the issue of safety by giving women ready access to public transport, a form of travel that has been universally acknowledged as the safest mode of travel as numbers ensure greater safety, while not compromising on comfort.

Also, women form a sizeable chunk of the workforce in the national capital. A significant portion of the family income is spent on commutation. Easy access to free public transport would not only ensure greater participation of women in the workforce but will also mean substantial increase in their savings, thus benefitting all sections of the society. Similarly, this step will also help girl students by providing them with better educational opportunities. Educational institutions in Delhi are spread across the length and breadth of the NCR and often students have to travel vast distances. As the price of commutation is quite high, many girl students are forced to drop out. Hence, free public transportation would help such students to pursue their studies.

However, it is to be noted that the Hon'ble CM while announcing this proposal has specifically mentioned that the subsidy will not be imposed on anyone. The free ride scheme is purely voluntary and those commuters who are willing to pay for the service are encouraged to do so.

Since, this scheme is expected to have large-scale impact, therefore a public consultation was initiated to collect direct feedback of the public on the implementation of this proposal. In many developed countries across the globe, public consultation forms basis of public policies. Legislations or policies especially those with large implications are drafted only after it has undergone layers of consultation with stakeholders. Even in India, there are many precedents where important bills/legislations/polices have been put up in public domain for seeking feedback from public.

Since this scheme when implemented is expected to have a large impact on women who comprise half of Delhi's population, it is pertinent to get the views of all sections of the society before taking the proposal to the implementation level In order to engage with the citizens on this proposed scheme and to collect their feedback on the implementation of this scheme, the Delhi Government invited suggestions from the people of Delhi through various sources.

Public Consultation Process:

The Delhi Government has made a large-scale effort to reach out to the public for their opinion on implementation of a proposed scheme. The opinions of the people were collected mainly through two modes:

1. GNCTD published advertisements encouraging people to send their feedback on implementation of the scheme to the Dialogue and Development Commission of Delhi (DDCD) through letters or emails to delhiwomensafety@gmail.com. In response to the same, the Commission received more than 7264 replies within a short time span of 28 days. The huge number of responses in itself is an indicator of how this scheme has caught the imagination of the public

2. Additionally, Hon'ble Chief Minister instructed MLAs to hold public meetings in their constituencies. In adherence to the same, the MLAs conducted multiple public meetings in their respective constituency to gauge the response of the people to the scheme. More than 900 such public meetings were held across Delhi in which feedback was collected from more than 71,000 people.

Following is an analysis of the suggestions and opinions received from people along with categorization into major topics:

Comments from people:

1. Appreciation and Acceptance of the Scheme

A significant portion of the feedback received from the citizens expressed appreciation for the scheme. To summarize, people felt that this measure would help women to become independent, would lead to increased savings (specially women from lower and middle income groups) as well as ensure safety of women.

People were cognizant of the fact that the Delhi Government does not

have jurisdiction over the Delhi Police, which is the forte of the Central Government, and that in such a situation it is doing its best to come up with alternate means to ensure the safety of women in the city. People expressed their happiness over what they view as an innovative measure by the Government to address the issue at hand.

Among the respondents, several women have commented on the fact that having access to free public transport will enable them to venture out more frequently, which they often hesitate to do especially in the late hours of the night because of the fear of travelling alone. Free public transport will ensure that they have other people travelling alongside them, and there is always greater safety in numbers.

2. Separate cards for women

A number of suggestions have come recommending the issual of a separate card for women to ease the rolling out of the scheme. This card will enable women to enter and exit the stations without any hassle as well as travel in buses easily, with the same card working both in the Metro and DTC buses. This card could perhaps be called the 'Pink Card'.

3. Separate Entry and Exit Gates in Delhi Metro for Women

A number of suggestions are on dedicating a separate entry and exit gate for women in Delhi Metro stations to ease their entry towards the platforms and easy exit out of the station as well. The separate gate would have guards to ensure only women walk through these gates, or the gates be technologically enabled to read only the special card issued for women and deny entry to anyone who does not have the same.

4. Free travel only to those from Delhi

People have suggested that free travel be available only to citizens of Delhi and not to people hailing from other states as Delhi has a large migrant population. People have cited that as the state exchequer's resources would

be used for the implementation of the scheme, it should be restricted to the people of Delhi. It has thus been recommended that a separate card be issued on the basis of their AADHAR CARD ensuring that the card is issued only for women who actually hail from Delhi.

5. Installation of panic buttons:

Many suggestions were received on installation of panic buttons. People feel that installation of panic button along with GPS vehicle tracking in every coach of metro trains, buses and all modes of public transport should be made mandatory to avoid unfortunate mishaps.

6. Installation of CCTV:

Many people have indicated that CCTV cameras with the live monitoring facility should be installed in all public transport. This will help in ensuring safety of women, and desist crime against women.

7. Free for Fixed Hours:

As the scheme is based on the premise of safety for women, recommendations have come that suggest making rides free for women for fixed hours of the day, i.e., 8:00pm-11:00pm as most crimes against women happen after dark. There are also suggestions to increase the running time of the metro with the last metro leaving at 1:00am instead of 11:00pm in order to facilitate ease of safe travel even late at night.

8. Minimum Recharge Card:

People have suggested that instead of unlimited free travel for women, a minimum recharge card be issued which could be along the lines of the 'Pink Card' that is valid for a month and can be used only for travelling twice in a day. For any additional travel women would have to pay. This would ensure that free travel is availed by women to travel back and forth from their places of work, which comprises the largest chunk of (ravel for women in the city.

9. Pink line buses catering to women:

Few citizens have suggested that there can be a separate Pink line service of buses for women that can also have women driver and conductor.

10. Additional security guards:

Citizens also feel that there is a need to increase the number of CISF guards in metro stations by enrolling patrol CISF team in platforms of the major/targeted metro stations and also a patrolling team inside the rolling metro in order to ensure the security of women.

11. Need for Female Marshals:

Quite a number of people wrote on trained Marshals in public transportation. The submissions regarding marshals made a note that the marshals deployed in public transport should be preferably female who should be wearing uniforms for easy identification and most importantly the marshals being adequately trained and equipped to handle any situation.

12. Increasing the frequency of Public transport:

People feel that increasing the frequency of public transport means less waiting time, which translated to safety measures. Proposals also includes extra "female only' coaches in Delhi Metro and increase in number of seats/rows dedicated to women in public buses.

13. Last mile connectivity:

The citizens feel that metro is a safe and comfortable means of transport, but the trouble begins once they step out of the sanitized environment. The citizens made a note that the free ride in public transport can add a valuable stand in women safety only when it is amalgamated with the assurance of last mile connectivity.

14. More PCR in remote locations:

Among the suggestions that were received, a few implied the necessity of

PCRs in remote areas. Citizens feel that the PCRs are not in place to respond to the emergency situations in isolated locations.

15. Need-based Subsidy

Some people have suggested that rides in DTC buses and Delhi Metro should be subsidized and be extended to the following categories as well:

a. Senior Citizens- People who fall under the category of senior citizens should be permitted to travel in public transport at subsidized rates as most senior citizens who avail these services are pensioners.

b. Students- All students should be permitted to travel in public transport at subsidized rates. Subsidized rides ensured through the issual of tickets on the basis of valid student identity cards would ensure both economy in the travel time of students as well as aid in their saving money.

c. People with Disabilities- People with disabilities should be allowed travel at subsidized rates on the issual of a special card made based on their government issued disability certificates.

In addition to the aforementioned categories, citizens have suggested the inclusion of transgender in this scheme as they as a marginalized community face severe harassment issues with rickshaws and autos denying rides to them or overcharging them many a times.

16. Valid for Women and Students with valid BPL card and ID Card

Some have suggested that implementation of free travel should be applicable only to women and students who have a valid BPL card and ID Card. A number of women travelling on buses and metros are capable of paying the fare and thus recommendations have come suggesting that rides be made free for that section of society that would benefit the most from this.

17. Family Income Based and Linked to Pan Card and AADHAR Card

Free travel for women should be made available on the basis of their family income and not just individual income. There are many women in the city who are the sole earners of their family or belong to families where a large chunk of the expenses is spent on commutation.

186. श्री विजेन्द्र गुप्ताः क्या **माननीय परिवहन मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली मेरठ और दिल्ली अलवर रीजनल रैपिड रेल टांजिट सिस्टम को लेकर दिल्ली सरकार का क्या स्टैंड है;

(ख) सरकार को इसके लिए पूरी परियोजना के लिए कितनी धनराशि देनी होगी और चालू वित्तीय वर्ष तथा आगामी वित्तीय वर्षों में इसके लिए सरकार ने क्या बजटीय प्रावधान रखा है; और

(ग) यह प्रावधान किस खाते से किया जाएगा?

माननीय परिवहन मंत्रीः (क) **दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड रेल परियोजनाः** दिल्ली–मेरठ रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम की परियोजना के कार्यान्वयन का प्रस्ताव दिल्ली सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली–अलवर (प्रथम चरण) रीजनल रैपिड रेल परियोजनाः दिल्ली–अलवर (प्रथम चरण) रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम की परियोजना के लिए दिल्ली सरकार ने कैबिनेट निर्णय संख्या–2725, दिनांक–02.08.2019 को दिल्ली सरकार के अंशदान का ईन्वार्यमेंटल कम्पनशेशन चार्ज (ईसीसी) से भुगतान करने का अनुमोदन किया था;

(ख) और (ग) इन परियोजनाओं के लिए एनसीआरटीसी के प्रस्ताव अनुसार, दिल्ली सरकार द्वारा देय राशि निम्नलिखित हैः–

दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड रेल परियोजनाः

कुल परियोजना लागत – रु. 30,274 करोड़

दिल्ली सरकार का अंशदान – रु. 1,180 करोड़

चालू वित्तीय वर्ष में देय राशि – रु. 312 करोड़

दिल्ली–अलवर (प्रथम चरण) रीजनल रैपिड रेल परियोजना

कुल परियोजना लागत – रु. 37,690 करोड़

दिल्ली सरकार का अंशदान – रु. 3,152 करोड़

चालू वित्तीय वर्ष में देय राशि – रु. 20 करोड़

उपरोक्त परियोजनाओं के लिए चालू वित्तीय वर्ष में दिल्ली सरकार ने एक करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान रखा है। इसके अलावा परिवहन विभाग ने चालू वर्ष की अनुदानों की अनुपूरक मांगों में 47 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की बजटीय प्रावधान का प्रस्ताव वित्त विभाग, दिल्ली सरकार को अनुमोदन के लिए भेजा है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 06.03.2019 के आदेश के अनुसार परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली–मेरठ रीजनल रैपिड रेल परियोजना के लिए 265 करोड़ रुपये का भुगतान इन्वार्यमेंटल कम्पनसेशन चार्ज (ईसीसी) फंड से किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 06.03.2019 के आदेश के अनुसार दिल्ली–मेरठ रीजनल रैपिड रेल परियोजना के लिए दिल्ली सरकार का शेष अंशदान तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 05.08.2019 के आदेश के अनुसार दिल्ली–अलवर

रीजनल रैपिड ट्रॉजिट रेल परियोजना के लिए दिल्ली सरकार को अपने अंशदान का पूर्ण भुगतान अपने बजटीय प्रावधान से करना है।

आगामी वर्ष के बजट बनाने की प्रक्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई है।

इसकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर ली गई है।

187. श्री पवन कुमार शर्माः क्या **माननीय परिवहन मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि कुछ समय पूर्व परिवहन मंत्रालय की ओर से दिल्ली के विभिन्न बस स्टैंड को आधुनिक रूप देने संबंधी प्रस्ताव किया गया था?

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का वर्तमान स्टेट्स क्या है;

(ग) आदर्शनगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कई स्थानों पर नए बस स्टैंड बनाने की आवश्यकता है, इस संदर्भ में त्वरित कार्रवाई हेतु क्या विभाग की ओर से किसी योजना पर विचार किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या नये स्टैण्ड बनाने या उनका आधुनिकीकरण करने की कोई समय–सीमा निर्धारित की गयी है; और

(ङ) क्या यह सत्य है कि आदर्श नगर विधान सभा क्षेत्र स्थिति मजलिस पार्क मैटो स्टेशन से निकटस्थ कॉलोनी जहांगीरपुरी के ए.जी. एवं एच ब्लॉक तक मैट्रो फीडर सेवा आरम्भ करवाने हेतु क्षेत्रीय विधायक ने लिखित रूप से परिवहन विभाग से निवेदन किया था; और

(च) यदि हां, तो इस प्रक्रिया का वर्तमान स्थिति (स्टेट्स) क्या है, विवरण दे?

माननीय परिवहन मंत्रीः (क) जी हां;

(ख) दिल्ली सरकार द्वारा 1397 नए बस क्यू शैल्टर बनाने का कार्य PWD को सौंपा गया है। PWD द्वारा टेंडर प्रक्रिया का काम चालू है। टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होते ही PWD द्वारा इनको बनाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा जिसमें पुराने खराब हालत के बस क्यू शैल्टर्स के स्थान पर नए बस क्यू शैल्टर्स बनाने का भी प्रावधान है;

(ग) जी हां। कुल 1397 नए बस क्यू शैल्टर्स बनाए जाने प्रस्तावित है जो कि पूरी दिल्ली में बनाए जाने हैं तथा आदर्श नगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बस क्यू शैल्टर्स भी इसमें सम्मिलित हैं;

(घ) उपरोक्त 'ख' अनुसार;

(ङ) जी हां; और

(च) आदर्श नगर विधान सभा क्षेत्र में एक नई मेट्रो फीडर रूट जोकि जहांगीर पुरी मेट्रो स्टेशन से ब्लॉक–डी भलस्वा वाया जहांगीर पुरी मेट्रो स्टेशन, जहांगीर पुरी मार्ग, के ब्लॉक, पॉकेट–बी, गुज्जर चौक, दुर्गा चौक, भलस्वा विलेज रोड, गजपती सच्चिदानन्द दत्ता मार्ग, भट्टा रोड, भलस्वा गांव, भलस्वा डेयरी, न्यू स्वरूप नगर तक चलाने की योजना प्रस्तावित है।

188. श्री राजेश गुप्ताः क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दीप चन्द बन्धु अस्पताल में स्वास्थ्य जांच करने वाली कितनी मशीनें काम नहीं कर रही हैं;

(ख) दीप चन्द बन्धु अस्पताल में कुल कितना स्टॉफ तैनात है;

(ग) क्या यह सत्य है कि वहां पर रेबीज के टीकों की भारी कमी है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) रोगी कल्याण समिति की स्थिति बताइए; और

(च) दीप चन्द बन्धु अस्पताल के आस–पास अवैध कब्जे हटाने के लिये सरकार क्या कार्रवाई कर रही है?

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः (क) इस अस्पताल में लगभग सारी बड़ी मशीनें जैसे वैंटिलेटर, अट्रासाउंड मशीने एवं एक्स–रे मशीन आदि सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं। कुछ छोटी मशीनें जैसे ईसीजी मशीनें, मॉनीटर आदि कार्य नहीं कर रही हैं, जिनकी मरम्मत हेतु एएमसी/सीएमसी का कार्य प्रक्रियारत है। हालांकि इनकी जगह अन्य मशीनें उपलब्ध की जा रही हैं;

(ख) इस अस्पताल में ग्रुप–वाइज स्टॉफ की तैनाती निम्नलिखित प्रकार से हैं:–

डॉक्टर्स	–	112
नर्सिंग स्टॉफ	–	110
पैरा–मैडिकल स्टॉफ	–	39
प्रशासनिक स्टॉफ	–	18
आउटसोर्स स्टॉफ	–	152
कुल स्टॉफ	–	431

(ग) और (घ) इस अस्पताल में रेबीज का टीका सीपीए निदेशालय, स्वास्थ्य सेवायें विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में यह टीका इस अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि:–

1. सीपीए विभाग में इसकी डिमांड समय रहते भेजी जा चुकी है, लेकिन अभी पूर्ति नहीं हो पाई है।
2. डीएचएस स्टोर से भी इस अस्पताल में उपलब्ध कराया गया स्टॉक समाप्त हो चुका है।
3. लोकल मार्किट से जीएफआर के नियमों के तहत इस टीके को क्रय करने के लिए आदेश दिया गया था, लेकिन "ओपन मार्किट" में इसकी कमी के कारण पूरे ऑर्डर की पूर्ति नहीं हो पाई है।
4. वर्तमान में यह टीका ओपन मार्किट में उपलब्ध नहीं है तथा इसकी उपलब्धता के लिए बार–बार प्रयास किए जा रहे हैं। मार्किट से आपूर्ति होते ही टीका अस्पताल में उपलब्ध करा दिय जाएगा;

(ङ) इस अस्पताल में माननीय विधायक, वजीरपुर विधान सभा क्षेत्र की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति की बैठक समय–समय पर आयोजित की जाती रही हैं तथा बैठक में दिये निर्देशों एवं सुझावों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है; और

(च) इस अस्पताल के आस–पास एवं मुख्य दरवाजे पर अनाधिकृत कब्जे, रेहडी–पटरी एवं अवैध रूप से लगाए गए रिक्शों को हटवाने हेतु अस्पताल प्रशासन द्वारा पुलिस विभाग, दिल्ली नगर निगम (नॉर्थ) एवं उपायुक्त कार्यालय (नॉर्थ–वैस्ट) को बार–बार पत्र व्यवहार करके अनुरोध किया जाता है। इस विषय में रोगी कल्याण समिति की बैठक में भी विचार–विमर्श करके उपरोक्त विभागों को पत्र व्यवहार किया गया है।

189. श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में दिल्ली सरकार के अंतर्गत चल रहे सभी अस्पतालों के

नाम, चिकित्सा अधीक्षकों/निदेशकों के नाम, कार्यालय का लेंडलाइन सहित पूर्ण विवरण दें;

(ख) दिल्ली सरकार के अस्पतालों में अभी जितने लोग आउटसोर्स के माध्यम से कांट्रेक्ट पर काम कर रहे हैं, उन सभी कर्मचारियों का पद, नाम तथा शैक्षिक योग्यता सहित पूर्ण विवरण प्रदान करें;

(ग) इन कर्मचारियों को आउटसोर्स करने का माध्यम क्या है;

(घ) सभी आउटसोर्स कंपनियों/ठेकेदारों का पूर्ण विवरण प्रदान करें; और

(ङ) यह भी बताने की कृपा करें कि कौन–कौन से अस्पतालों में किन–किन ठेकेदारों/आउटसोर्स ने कितने–कितने लोग काम पर लगाए हुए हैं, हॉस्पिटल वाइज सभी कर्मचारियों का विवरण दें।

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः (क) सूची संलग्न है (संलग्नक–"क");

(ख) दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 6558 लोग आउटसोर्स कम्पनियों के माध्यम से काम कर रहे हैं, यह नियुक्ति विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से की जाती है, अतः ऐसे कर्मचारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि समय–समय पर आउटसोर्स संस्था के द्वारा इन कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है;

(घ) इन कर्मचारियों को निविदा प्रक्रिया आधार पर रखा जाता है;

(ङ) सूचना संलग्नक "ख" में प्रस्तुत है; और

(च) सूचना संलग्नक "ख" में प्रस्तुत है।

यह माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, दिल्ली सरकार की पूर्व स्वीकृति से साथ जारी किया जा रहा है।

संलग्नक—"क"

Sr. No.	Name of Hospital	Name of MS/Director	Contact No.
1	Aruna Asaf AN Govt. Hospital	Dr. Sumant Sinha	23983618, 23965532, 23922333
2	Acharyaashree Bhikshu Hospital	Dr. Rita Ranjan	25423011, 25101552
3	Attar Sain Jain Hospital	Dr. Rakesh Kumar	27188342, 23654664
4	A& U Tibbia College	Dr. Rakesh Kumar	27188342, 23654664
5	Baba Saheb Ambedkar Hospital	Dr. Man Mohan Kohli	27055585, 227933256
6	Bhagwan Mahaveer Hospital	Dr. Alka Aggrawal	27034537, 27034540
7	Babu Jagjivan Ram Hospital	Dr. Man Mohan Kohli	27055585, 227933256
8	B.R. Sur Homeopathic Medical College Hospital & Research Centre	Dr. Asha Chaudhary	24105298
9	Dadadev Mother & Child Hospital	Dr. Brijesh Kumar	25395528, 25395536
10	Chacha Nehru Bal Chikitsalaya	Dr. B.L. Sherwal	22013373, 22013374
11	Chaudhary Brahm Prakash Ayurvedic Chrak Sansthan	Dr. Vridula Gurjarwal	9990174348
12	Deen Dayal Upadhyay Hospital	Dr. A.K. Mehta	25494402-08
13	Deep Chand Bandhu Hospital	Dr. Rampal	27301374
14	Dr. Hedgewar Arogya Sansthan	Dr, Sushil Kumar	22382686, 22393155, 2239335 (Fax)

15	Dr. N.C. Joshi Hospital	Dr. Rita Ranjan	23611786, 23622498, 25082282
16	Govind Ballabh Pant Hospital	Dr. Sanjay Tyagi	23234242, 23233001
17	Guru Govind Singh Govt. Hospital	Dr. S.C. Chetal	25986410-12
18	Guru Nanak Eye Center	Dr. Sushil Kumar	23234612
19	Guru Teg Bahadur Hospital (G.T.B.H.)	Dr. Sunil Kumar	22586262, 22588383
20	janak Puri Super Speciality Hospital	Dr. M.M. Mehandiratta	28504100
21	Jag Pravesh Chandra Hospital	Dr. Adarsh Kumar	22184455, 22184453
22	Lai Bahadur Shastri Hospital (LB.S.)	Dr. Amita Saxena	22731394, 22786688
23	Lok Nayak Hospital	Dr. Kishore Singh	23236000, 23232400, 23233400
24	Maharishi Valmiki Hospital	Dr. Rajiv Sagar	27761524, 27761525
25	Nehru Homeopathic Medical College & Hospital	Dr. Anu Kapoor	24331193
26	Pt. Madan Mohan Malviya Hospital	Dr. Ramish Chough	26689999, 26672534
27	Rao Tula Ram Memorial Hospital	Dr. V.K. Kadam	25318070, 25318444, 25318555 (Ext. 201)
28	Sardar Vallabh Bhai Patel Hospital	Dr. Rajeev Kapoor	25881201, 25885944
29	Satyawadi Raja Harish Chandra Hospital	Sr. Sanjay Kumar Jain	27787304, 27787305 (Fax)
30	Sanjay Gandhi Memorial Hospital	Dr. P.S. Nayyar	27913864, 27900333
31	Rajiv Gandhi Super Specialty Hospital	Dr. B.L. Sherwal	22581928

संलग्नक–ख

Sr. No.	Name of Hospital	Name of Company
1	2	3
1.	Aruna Asaf Ali Govt. Hospital	M/s S.N. Enterprises, M/s Bhartiya Security Guard & Services, M/s Dignus Services, M/s GA Digital Web World Pvt. Ltd., M/s TKE Associates, M/s Lifeline Services, M/s MTV Food & Caterers.
2.	Attar Sain Jain Eye Hospital	M/s Inteligent Communication System India Ltd., M/s Shivalik Housekeeping Services, M/s Bombay Intelligence Security, M/s Digital Web World Pvt. Ltd.
3.	A&U Tibbia College	M/s Well Protect Manpower Services Pvt. Ltd, M/s Green Housekeeping Services, M/s Kartikay Enterprises.
4.	Baba Saheb Ambedkar Hospital	M/s Rajesh Kumar Security Agency, M/s Prehari Cyber Security & Facility Pvt. Ltd., M/s Invirgia Technologies Pvt. Ltd., M/s Pentagun Plus Security Services.
5.	Bhagwan Mahavir Hospital	M/s Friends Detective Security Services, M/s Well Protect Manpower Services Pvt. Ltd, M/s Pentagun Plus Security Services.

1	2	3
6.	Babu Jagjivan Ram Hospital	M/s Prime Service, M/s Kartikay Enterprises, M/s GTI Infotel Pvt. Ltd.
7.	B.R. Sur Homeopathic Medical College Hospital & Research Centre	M/s Alfa Manpower Services.
8.	Dada Dev Mother & Child Hospital	Hindustan Hospitality Manager, Spectrum IT World, GA Digital Web World Pvt. Ltd. No. I , NIELIT, FDS Management Services Pvt. Ltd, ICSIL. Ironman Security Services Pvt. Ltd.
9.	Chacha Nehru Bai Chikitsalaya	M/s ICSIL, M/s NIELIT, M/s JMD Consultant, M/s Advance Services Pvt. Ltd., M/s Kartikay Enterprises.
10.	Deen Dayal Upadhyay Hospital	M/s GA Digital Web World Pvt. Ltd., M/s Shivalik Housekeeping Services, M/s Sarvesh Security Services Pvt. Ltd., M/s Inteligence Communication System India Ltd.
11.	Deep Chand Bandhu Hospital	M/s Green Housekeeping Services, M/s Friends Detective Security Services, M/s Bhartiya Security Guard & Services, M/s GTI Infotel Pvt. Ltd.
12.	Dr. Hedgewar Arogya Sansthan	M/s GTI Infotel Pvt. Ltd., M/s Green Housekeeping Services, M/s Dinesh Kundu Security Services, M/s Prime Services.

1	2	3
13.	Dr. N.C. Joshi Hospital	M/s GTI Infotel Pvt. Ltd., M/s Green Housekeeping Services, M/s Security Solution Manpower Services, M/s Well Protect Manpower Services Pvt. Ltd.
14.	Govind Ballabh Panth Hospital	M/s Narayan Singh Dhami Security Agency, M/s Sukhvinder Singh Rathi Security Agency M/s ICSIL, M/s NIELIT.
15.	Guru Govind Singh Govt. Hospital	M/s Hare Ram Singh Security Agencies, M/s Kartikay Enterprises, M/s Orion Security Solutions Pvt. Ltd., National Institute of Electronics & Information Technology (NIELIT), M/s Inteligence Communication System India Ltd
16.	Guru Nanak Eye Centre	M/s Green Housekeeping Services, Diamond Security Personnel, Bhagwati International, M/s Orion Security Solutions Pvt. Ltd.,
17.	Guru Teg Bahadur Hospital	M/s Shivalik Housekeeping Services, M/s Well Protect Manpower Services Pvt. Ltd., M/s HLL Lifecare Ltd., M/s GTI Infotel Pvt. Ltd.
18.	Janak Puri Super Speciality Hospital	M/s Omega Security Solution Pvt. Ltd., M/s Global Venture Security Services, M/s Orion Security Solutions

1	2	3
		Pvt. Ltd., M/s Pentagun Plus Security Services, Lambert Security Management Pvt. Ltd.
19.	Jag Pravesh Chandra Hospital	M/s Green Housekeeping Services, M/s Pratham National Security, M/s Eagle Eye Security & House keeping Services, M/s GTI Infotel Pvt. Ltd., M/s Inteligent Communication System India Ltd.
20.	Lai Bahadur Shastri Hospital	M/s Well Protect Manpower Services Pvt. Ltd., M/s Orion Security Solutions Pvt. Ltd., M/s Secure Guard Security Manpower Services, M/s GTI Infotel Pvt. Ltd ., M/s Prime Services, Suman Agencies.
21.	Lok Nayak Hospital	M/s HLL Lifecare Ltd., M/s Security Solution & Manpower Services, M/s Sulabh International, Social Services Organisation, M/s Manmegh Sigh Kanwar Security Agency, M/s Ghanshyam Mishra Security Agency, M/s Trio Security & Intelligence Pvt. Ltd. ,
22.	Maharshi Vahniki Hospital	M/s Sarvesh Security Services Pvt. Ltd., M/s A to Z Services, M/s GTI Infotel Pvt. Ltd., M/s Good Food Diatary Services, M/s Shokeen Services, M/s Medical Product Services.

1	2	3
23.	Pt. Madan Mohan Malviya Hospital	M/s Orion Security Solutions Pvt. Ltd., M/s Pentagun Plus Security Services, M/s Datar Security Services Pvt. Ltd., M/s Kartikay Enterprises, M/s Prime Service, M/s Inteligence Communication System India Ltd.
24.	Nehru Homeopathic Medical College & Hospital	M/s Green Housekeeping Services, Gorkha Security Agency,
25.	Rao Tula Ram Memorial Hospital	M/s GA Digital
26.	Satyawadi Raja Harish Chandra Hospital	M/s Green Housekeeping Services, M/s Alfa Manpower Service Security Services, M/s GTI Infotel.
27.	Sanjay Gandhi Memorial Hospital	M/s Stalin Security, M/s D.G Nakrani, M/s ICSIL, M/s NIELIT, M/s Prime Services, M/s Penguin Plus Security.
28.	Chaudhary Brahm Prakash Ayurvedic Charak Sansthan	M/s R.K. Jain & Sons Hospitality Services Pvt. Ltd. M/s APT Services Group, M/s ICSIL, M/s M-Five Security Services, M/s Kartikay Enterprises.
29.	Rajiv Gandhi Super Speciality Hospital	M/s Well Protect Manpower Services, SAI Communication, M/s Inteligent Communication System India Ltd.

190. श्री अजय दत्तः क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अम्बेडकर नगर में 600 बेड का हास्पिटल कब से चालू किया जाएगा;

(ख) किस मॉडल पर इसे चलाया जाएगा;

(ग) इसको साफ–सफाई सुरक्षा गार्ड एडिमिन स्टाफ की नियुक्त के लिए किस एजेंसी को टेंडर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो कौन इनको काम पर रखेगा, पूर्ण विवरण दें?

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः (क) • अम्बेडर नगर में 600 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण कार्य 98% पूरा हो गया है। इलैक्ट्रिक कनेक्शन से संबंधित कार्य, बीएसईएस द्वारा किया जाना है और जिसके लिए बीएसईएस को भुगतान किया गया है।;

• इस अस्पताल परियोजना को सक्षम प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सरकारी निजी कंपनी भागीदारी (पीपीपी) मोड पर शुरू किया जाना है और जिसके लिए एक समिति का गठन किया गया है;

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, अस्पताल को पीपीपी मोड पर चलाया जाना है;

(ग) सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मचारी और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए ऐसा कोई टेंडर जारी नहीं किया गया है क्योंकि अस्पताल को पीपीपी मोड पर शुरू किया जाना है; और

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं है।

191. श्री प्रवीण कुमारः क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) परिवार कल्याण की कौन–कौन सी योजनाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या कल्याणकारी गतिविधियों में स्वयं सेवी संगठन जुड़े हुए हैं;

(ग) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वयंसेवी संगठनों को सरकार कितनी सहायता उपलब्ध कराती है;;

(घ) सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है; और

(ङ) यदि कोई स्वयंसेवी संगठन आर्थिक सहायता लेने के बावजूद कार्य नहीं कर रहा है तो सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) वर्तमान में परिवार कल्याण विभाग द्वारा लागू योजनाएंः–

मातृ स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाएंः

1. **जननी सुरक्षा योजनाः**– अनुसूचित जाति/जनजाति गरीबी रेखा के नीचे की सभी गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव के लिए एवं गरीबी रेखा के नीचे की सभी गर्भवती महिलाओं गृह प्रसव के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रोत्साहन राशि 600 रुपये (शहरी क्षेत्र में संस्थागत प्रसव के लिए), 700 रुपये (ग्रामीण क्षेत्र में संस्थागत प्रसव के लिए) अैर 500 रुपये (गृह प्रसव के लिए) गरीबी रेखा से नीचे की सभी महिलाओं को प्रसव के उपरांत/पश्चात् दिये जाते हैं।

2. **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमः**– इसके अंतर्गत सार्वजनिक

स्वास्थ्य संस्थानों में गर्भवती महिलाओं के लिए संस्थागत निःशुल्क प्रसव, गर्भवस्था के दौरान एवं प्रसवोत्तर जटिलताओं के निःशुल्क इलाज की सुविधा के साथ एक साल तक के अस्वस्थ बच्चों के लिए निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही निःशुल्क आहार, रक्तदान और परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध है।

3. **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानः**— यह अभियान यह महीने की नौ तारीख को बनाया जाता है। दूसरे एवं तीसरी तिमाही गर्भवती महिलाओं की गुणवत्ता प्रसव पूर्व जांच देखभाल के लिए 'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान' चलाया गया है। यह गुणवत्ता प्रसव पूर्व जांच भारी जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का पता लगाएगा और उन्हें बड़े अस्पताल में रेफरल करेगा इससे हम उन महिलाओं में जटिल स्थिति पैदा होने से रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। इससे हमारी महिलाओं की मातृ मृत्यु दर कम कर सकते हैं।

बाल स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाएंः—

– स्पेशलाइज्ड न्यूरोबोर्न केयर यूनिट (SNCU)
– न्यू बोर्न केयर कॉर्नर (NBCC)
– पोषण पूनर्वास केंद्र (NRC)
– कंगारू मदर केयर (KMC)
– माता का सम्पूर्ण स्नेह कार्यक्रम (MAA)
– शिशू यंग चाईल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेज (IYCF)
– चाईल्ड डैथ रिव्यू (CDR)
– गहन डायरिया नियंत्रण पखवाडे (IDCF)

किशोर स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाएंः–

– विफ्स (साप्ताहिक ऑयरन व फोलिक एसिड अनुपूरण) कार्यक्रमः अनीमिया रोकथाम नीति के अंतर्गत साप्ताहिक आईएफए की गोलियां प्रत्येक बुधार को दिल्ली सरकार के सभी सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और आंगनवाड़ियों के माध्यम से 10 से 19 आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं को निःशुल्क वितरित की जाती है।

– राष्ट्रीय कृमि मुक्ति (डी. वर्मिंग दिवस) अनीमियां रोकथाम कार्यक्रम नीति के अंतर्गत 1–19 आयुवर्ग के बालक–बालिकाओं को "एल्बैंडाजोल" की गोली वर्ष में दो बार निःशुल्क वितरित की जाती है। यह कार्यक्रम सभी सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कुछ प्राइवेट स्कूलों व आंगनवाड़ी केंद्रों की माध्यम से पूरी दिल्ली में चलाया जाता है।

– उड़ान मासिक स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत 10–19 आयुवर्ग की स्कूल न जाने वाली किशोरियों को छः सैनिटरी नैपकिन का एक पैक प्रति माह छः रु. में आशा द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरी दिल्ली में दिया जाता है।

अनुदान और कानूनी योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाएंः–

क. राज्य वित्त पोषित योजनाएंः–

1. जिला स्तर के अस्पताल में पीपी यूनिट और
2. ग्रामीण परिवार कल्याण सेवा

ख. केंद्र प्रायोजित (भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित) योजनाएं

1. जिला ब्यूरो और शहरी परिवार कल्याण केंद्र

2. शहरी परिवार कल्याण केंद्र का पुनरुद्धार/स्वास्थ्य पोस्ट

3. उप केन्द्र के अंतर्गत, दिल्ली में जेजे क्लस्टरों सहित सेवाविहीन और कम सेवा वाले क्षेत्रों में रहने वाले समुदाय को परिवार कल्याण सेवाओं के प्रावधान के लिए दिल्ली नगर निगम (स्थानीय निकायत) को सहायता जारी की जाती है।

पीसी एंड पीएनबीटी अधिनियम के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाएं

पीसी एंड पीएनडीटी के अंतर्गत दिल्ली सरकार के खबरी योजना को मंजूर किया है। जिसके तहत खबरी को 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा और डिकॉय (गर्भवती महिला) को 15000 रुपये का इनाम दिया जाएगा।

परिवार नियोजन योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाएंः–

परिवार नियोजना मुहावजा योजना–किसी भी सार्वजनिक या मान्यता प्राप्त निजी स्वास्थ्य संस्थों में नलबंदी/नसबंदी करवाने वाले को मुआवजे के तौर पर निश्चित धनराशि प्रदान की जाती है।

परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना–नलबंदी/नसबंदी ऑप्रेशन की विफलता/जटिलता/मृत्यु के पश्चात् पीड़ित/पीड़िता/मृतक के परिवार को निश्चित धनराशि प्रदान की जाती है।

Performance Linked Payment Plan for PPIUCD & PAIUCD इस योजना के तहत सुविधा प्रदान करने वाले स्वास्थ्य कर्मी एवं आशा कार्यकर्ता को 150/– रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

Home Delivery of Contraceptives – इस योजना के तहत आशा द्वारा गर्भ निरोधक उपायों को घर–घर तक पहुंचाया जाता है।

निश्चय किट योजना (Pregnancy Testing Kit) – इस योजना के तहत आशा द्वारा उनके क्षेत्र की महिलाओं की गर्भधारण जानकारी किट

घर–घर उपलब्ध कराई जाती है, जिससे महिला सपर पर गर्भ जांच / गर्भपात करा;

(ख) इस विभाग से कल्याणकारी गतिविधियों में कुछ स्वयं सेवी संगठन जुड़े है

(ग) किसी भी गैर–सरकारी संगठन को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है। हालांकि, परिवार कल्याण सेवाओं / टीकाकरण सेवाओं के लिए लॉजिस्टिक कुछ गैर–सरकारी संगठनों को निःशुल्क प्रदान किया जाता है। परिवार नियोजन के तहत केवल बीपीएल / एससी / एसटी उपभोक्ताओं को प्रदान की गई नसबंदी सेवाओं के लिए गैर–सरकारी संगठनों को योजना दर (रुपये 1500 / – प्रति ग्राहक मुआवजा दिया जाता है);

(घ) आवेदन संबंधित जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में दिया जा सकता है; और

(ङ) कार्य हो जाने के बाद ही मुआवजा दिया जाता है। अतः कार्यवाही लागू नहीं होती।

192. श्री विजेन्द्र गुप्ताः क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2015 में जब सरकार सत्ता में आई थी, तब कितने–कितने अस्पताल, पॉली क्लीनिक, डिस्पेंसरियों और प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र थे;

(ख) इस समय इनकी संख्या कितनी–कितनी है;

(ग) सरकार के पास उपरोक्त चिकित्सा सेवाओं के लिए कितने प्लॉट कहीं–कहीं खाली पड़े हैं;

(घ) क्या यह सत्य है कि सरकार डिस्पेंसरियां बंद कर आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक खेलने का विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसकी विस्तृत जानकारी दें;

(च) सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में कितने आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक खोले और कहां–कहां पर; और

(छ) अब इनकी संख्या कितनी हो गई है?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) महानिदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएं की वार्षिक रिपार्ट 2014–15 के अनुसार दिल्ली सरकार के अंतर्गत 39 हॉस्पिटल एवं 415 डिस्पेंसरी (एलौपैथिक, होम्योपैथिक, आयुवैदिक एवं यूनानी) थे। दिल्ली सरकार के अंतर्गत प्राथमिक चिकित्सा केंद्र (PHC) नहीं थे।

महानिदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएं की वार्षिक रिपोर्ट 2015–16 के अनुसार दिल्ली सरकार के अंतर्गत 38 हॉस्पिटल एवं 401 डिस्पेंसरी (एलौपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी) एवं 23 पॉलिक्लिनिक थे;

(ख) महानिदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएं की वार्षिक रिपोर्ट 2017–18 के अनुसार दिल्ली सरकार के अंतर्गत इस समय 38 हॉस्पिटल, 411 डिस्पेंसरी (एलौथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी) एवं 24 पोलीक्लिनिक है;

(ग) अनुलंग्नक "क" एवं "ख" पर संलग्न है;

(घ) और (ङ) दिल्ली सरकार का लक्ष्य 10000 की जनसंख्या पर एक मोहल्ला क्लिनिक खोलने का प्रस्ताव है तथा वर्तमान में डिस्पेंसरियां 5000 की जनसंख्या पर कार्यरत है, जब सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में 5 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए जायेंगे या उस क्षेत्र की जनसंख्या मोहल्ला क्लिनिकों से कवर हो जायेगी तब इन डिस्पेंसरियों को मोहल्ला क्लिनिकों से लिंक कर दिया जायेगा;

(च) सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में 13 मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं (सूची संलग्नक "ग" में प्रस्तुत है); और

(छ) वर्तमान में इनकी संख्या 203 है (सूची संलग्नक "घ" में प्रस्तुत है)।

अनुलग्नक—क

Land-wise Status of Proposed Hospital Projects

Sl. No.	Hospital Project Name	Initial Plan	Upgraded Plan	Current Status
1	2	3	4	4
1.	Hospital Project at Sarita Vihar	100 beds	300 beds	PE for appointment of Consultant Architect approved by Competent Authority and conveyed to PWD on 08/01/2018. Consultancy work was awarded to M/s Arcop Associated Pvt. Ltd. on 08/11/2018. Drawing/plans prepared by Consultant were signed by the member of Appraisal Committee and DGHS. Preliminary Estimate provided by the PWD for construction and commissioning of the hospital is under process.
2.	Hospital Project at Vikas puri (Hastsal)	200 beds	500 bed	PE for appointment of Consultant/Architect approved by Competent Authority and conveyed to PWD on 08/03/2018. Consultancy work was awarded to M/s Arcop Associated Pvt. Ltd. on 08/11/2018 Drawing and design prepared by Consultant were kept before the Appraisal Committee on 11/01/2019. Drawing/plans prepared by Consultant were signed by the member of Appraisal Committee and DGHS.

				Preliminary Estimate provided by the PWD for construction and commissioning of the hospital is under process.
3.	Hospital Project at Jwalapuri (Nangloi)	262 beds	600 beds	PE for appointment of Consultant/Architect approved by Competent Authority and conveyed to PWD on 08/03/2018. Consultancy work was awarded to M/s Arcop Associated Pvt. Ltd. on 08/11/2018. Drawing and design prepared by Consultant were kept before the Appraisal Committee on 11/01/2019. Drawing/plans prepared by Consultant were signed by the member of Appraisal Committee and DGHS. Preliminary Estimate provided by the PWD for construction and commissioning of the hospital is under process.
4.	Hospital Project at Madipur	200 beds	600 beds	PE for appointment of Consultant/Architect approved by Competent Authority and conveyed to PWD on 08/03/2018. Consultancy work was awarded to M/s Arcop Associated Pvt. Ltd. on 08/11/2018. Drawing and design prepared by Consultant were kept before the Appraisal Committee on 11/01/2019. Drawing/plans prepared by Consultant were signed by the member of Appraisal Committee and DGHS.

1	2	3	4	4
				Preliminary Estimate provided by the PWD for construction and commissioning of the hospital is under process.
5.	Hospital Project at Siraspur	200 beds	1500 beds + Trauma centre & Medical College	The plot was under litigation till September 2010. PE for appointment of Consultant/Architect approved by Competent Authority sad conveyed to P WD on 31/07/2018. Tender for Consultancy is under scrutiny. Recently, PE for construction of Hospital Project at Siraspur has been received from PWD.
6.	Hospital Project at Deendarpur	100 beds	100 beds	Presence of bore well referred for removal to concerned Delhi Jal Board Division. DJB action awaited.
7.	Hospital Project at Keshav Puram, Near Lawarence Road, Delhi	1200 beds	200 beds	Under litigation from December 2006 to 17/04/2014 and DDA has issued NOC on 12/03/2015. Recently Executive Engineer (North), Health Project Division has provide his reply vide letter dated 03/04/2019 in .response to clarification sought by DGHS vide which it is stated that "after considering 18 M wide road as a part of access to the hospital and

				considering the applicable FAR and UBBL-2016 guidelines, tentatively 300 bedded hospital can be built on the plot of 1.9 acre at Keshavpuram. However exact number of beds depends on departments/medical facilities to be provided." A site plan showing the existing road and proposed 18 mtr. Road has been provided by PWD on 28.06.2019.
8.	Hospital Project at Bindapur	110 beds	–	PE for appointment of Consultant/Architect approved by Competent Authority and conveyed to PWD on 26/07/2018. As per information provided by PWD, tender for Consultancy is under scrutiny.
9.	Hospital project at Baprolla	100 beds	100 beds	As per information provided by PWD, the 100 bedded hospital may be constructed on the plot earmarked for said purpose and for which Medical Functional Program (MFP) has to be provided to PWD.
10.	Hospital Project at Sangam Vihar	200 beds	Yet to revise	There are encroachments on the proposed hospital project land as a statue of Dr. B.R. Amhedkar and a partially demolished a statue of Lord Budha. Also, the H.T. line is passing through the plot. This will impose certain restrictions for buildings. The Horrible High Court has directed to establish a hospital on the left out land.

संलग्नक–ख

List of Vacant Plots

Sl. No.	Proposed for	Location	Area in Sq. Mtr.
1	2	3	4
1	Health Facilities	Village Bankner	2 Bigha
2	Health Facilities	Village Hiranki	2 Bigha 04 Biswa
3	Health Facilities	Village Garhi Khusro	2 Bigha 05 Biswa
4	Health Facilities	Village Quadipur	2 Bigha 01 Biswa
5	Health Facilities	Village Chandpur	1 Bigha 04 Biswa
6	Health Facilities	Village Kutabgarh	3 Bigha 17 Biswa
7	Health Facilities	Village Salahpur Majra	1 Bigha 10 Biswa
8	Health Facilities	Village Ghevra	2 Bigha 11 Biswa
9	Health Facilities	Village Madanpur Dabas	4 Bigha 06 Biswa
10	Health Facilities	Village Nijampur	1 Bigha 10 Biswa
11	Health Facilities	Village Nijampur	1 Bigha 11 Biswa
12	Health Facilities	Village Mundka	09 Biswa
13	Health Facilities	Village Bakkarwala	2 Bigha 08 Biswa
14	Health Facilities	Village Shafipur Ranholla	11 Biswa
15	Dispensary	A-Block, Shastri Park (Near Buland Masjid)	1426
16	Dispensary	Gandhi Vihar	1000
17	Dispensary	Kapashera	1685.2
18	Dispensary	Sec-04, Rohini Extn.	1000
19	Dispensary	Dariyapur Kalan	1685.2
20	Dispensary	CS/OCF-2. Sector-23	797
21	Dispensary	Neb Sarai	360

1	2	3	4
22	Dispensary	Sector-9, Rohini	1085
23	Dispensary	CS/OCF-2, Sector-24	820
24	Dispensary	Shahbad Daulatpur	1000
25	Dispensary	Secior-A-6, Pocket-9, Narela	1000
26	Dispensary	Village at Bakhtawarpur	1 Bigha 8 Biswa
27	Dispensary	Isolated Pocket-5, Nasirpur	1061
28	Dispensary	Mangolpuri, Industrial Area	1000
29	Dispensary	A-Block, G.T. Karnal Road	1000
30	Dispensary	Madanpur Dabas	2359.28
31	Dispensary'	Salahpur Majra	1263.9
32	Dispensary	Harewali	1811.59
33	Dispensary	Trilokpuri, Block-23	1000
34	Dispensary	Sawda Ghevra, P-31	1403
35	Hospital	Hospital at Chowki No.-4, Model Town	11350
36	Hospital	100 bed Mother & Child Hospital at Sawda Ghevra Phase-II	3449
37	Hospital	Biock-26, Trilokpuri	2000
38	Polyclinic	Hospital at Jaunti	3 Bigha 2 Biswa & 1 Bigha 3 Biswa
39	Polyclinic	Community Centre, Naraina Vihar	2700
40	Polyclinic	JJ Colony Nangloi	2430
41	Health Facilities	Mukhmailpur Village, District North West	07 Bigha 03 Biswa
42	CDMO Office Building	Plot no. 5. FC-10 & Service Centre no. 5. Tahirpur	2100

अनुलंग्नक—ग

List 13 AAMC Functional in current financial year till 19th August 2019

Sl No.	District	Porta Cabin/ rental	Name of AAMC	
1	North-West	Porta Cabin	WP-Block, Pitarapura	30-06-2019
2	Shahdara	Porta Cabin	DIB, SPS, Ghonda Chowk	29-06-2019
3	Shahdara	Porta Cabin	AAMC at North Ghondzu SPS Near Krishna Park	29-06-2019
4	Shahdara	Porta Cabin	AAMC at on Road No-S7, Near Bihari Colony, Beside Metro Line, Opposite Azad Naear	11-06-2019
5	Shahdara	Porta Cabift	On Road Joining Road no-62 to Gauri Shankar Mala Mandir along wall of Red Cross Hospital	07-06-2019
6	Shahdara	Porta Cabin	AAMC DJB Dilshad Colony, A, B, C, D and E Block	13-06-2019
7	Shahdara	Porta Cabin	AAMC at DJB site, MIG Flats. East of Loni Road, West Jyoti Nagar, Pockct-A	11-06-2019
8	HAST	Porta Cabin	AAMC, DJB Sewer Store, Opposite Raas Vihar, Near Mandawali Metro Station	27-07-2019
9	South East	Porta Cabin	AAMC, Aapna Bazar, Nehru Nagar	June-19
10	South West	Porta Cabin	AAMC. SSSS. Paprawat, AC-35, Najafgarh	June-19
11	South West	Porta Cabin	AAMC, School Id-1822010, Govt. Boys Senior Secondary School, Ghurnanghera	08-06-2019
12	South West	Porta Cabin	AAMC, Govt. Co-ed Senior Secondary School, Rawta	18-07-2019
13	North East	Porta cabin	Garhi Gaon Pusta Road	July-19

List of 203 Functional AAMCS

Sl No.	District	Porta Cabin/ rental	Name of AAMC
1	2	3	4
1	North-East	Porta Cabin	Road No-59, along school boundary at Gokalpur, Deihi-94
2	North-East	Porta Cabin	New A-t 18, MS Market, Second Pusta Main Road, New Usmanpur, Delhi
3	North-East	Porta Cabin	Infront of Galaxy Salon Centre, Gali No. 2, Pusta-3, Usmanpur, Delhi
4	North-East	Rental	930, Gali No. 30/7, Jaferabad, Delhi
5	North-East	Rental	K6/4B, Street No. 22, West Ghonda, Delhi
6	North-East	Rental	B-1, Kartar Nagar, 3.5 Pusta, Street No. 2, Near Hero Showroom, Delhi
7	North-East	Rental	H.No.-42/1, Pari Street Near JM Convent School, Manjpur, New Delhi-53
8	North-East	Rental	D-29, Gokalpuri, Delhi
9	North-East	Porta Cabin	455, Street No. 8, Moonga Nagar, Karawal Nagar Road, Delhi
10	North-East	Rental	B-1/81, Ganga Vihar, Delhi
11	North-East	Rental	C-45, Gali No. 03, Ambika Vihar, Shiv Vihar, Delhi-94
12	North-East	Rental	B-90, BG/F, House No-36/17, Gali No-14, Main 25 Feet Road, Phase-10, Shiv Vihar, Delhi

1	2	3	4
13	North-East	Rental	H. No. 200, Galu No. 06. Phase-9, Shiv Vihar, Delhi-94
14	North-West	Porta Cabin	AAMC, Avantika, Near DJB Office, next to MLA office
15	North-West	Porta Cabin	Kanjhawala (School Site)
16	North-West	Porta Cabin	AAMC Rithala
17	North-West	Porta Cabin	AAMC Sector 16 Rohini Near TPDDL Office Near NALA
18	North-West	Porta Cabin	AAMC Ghevra Village
19	North-West	Porta Cabin	AAMC B-125, Mohalla Clinic Pratap Vihar-3 Kirari Suleman Nagar, Delhi-86
20	North-West	Porta Cabin	AAMC Sector 16 Rohini Near Fire Station Near NALA
21	North-West	Porta Cabin	Outside Govt. Sr. Secondary School, Mangolpuri Khurd Delhi, AC-12, Mangolpuri
22	North-West	Porta Cabin	In front of Amrit Enclave Shahid Bismil Marg Deepali Chowk, AC-13, Pitampura
23	North-West	Porta Cabin	Along Railway wall kela godan road opposite BC block Shalimar Bagh AC-14 Shalimar Bagh Delhi
24	North-West	Porta Cabin	Near Ran Basera, Cement Siding, Shakur Basti Railway Station
25	North-West	Porta Cabin	Vacant Land Opposite House No. 831 Block-G, Shakurpur, Ranjeet Nagar DGD Shakurpur
26	North-West	Porta Cabin	Vacant Land of Dusib, In front of house No.-307, Block-I, Shakurpur, Ranjeet Nagar DGD Shakurpur AC-16, Tri Nagar

27	North-West	Porta Cabin	Adj. Delhi grant, Library MCD Sulabh Shauchalaya, Opp. Dusib Sulabh Toilet, Wazirpur, JJ Colony, Ranjeet Nagar AC 17 Wazirpur
28	North-West	Rental	AAMC, Mange Ram Park, Budh Vihar, Phase-II
29	North-West	Rental	Khasra No. 65/10, Q-44, Budh Vihar, Phase-I, Opp. Surya Market, Delhi-10086
30	North-West	Rental	F4/6, Sector 16 Rohini, Delhi-85
31	North-West	Rental	H.No. 271 Pole No. 521-1/2/7/5 Village Sultanpur Dabas Neemwali Gali, Delhi-39
32	North-West	Rental	Khasra No. 102/10, H.No. E-31, Rajiv Nagar, Begumpur, Opp. Sector-22, Rohini. Delhi-110086
33	North-West	Rental	Khasra No. 193, Shish Mahal Enclave, Prem Nagar 3, Delhi-86
34	North-West	Rental	H.No. C-441, Khasra No. 42/3, Inder Enclave, Phase-I, Delhi-36
35	North-West	Rental	P 2/652, Sultanpuri J.J. Colony, Delhi-110086 (long absence of MCA)
36	North-West	Rental	H.No. E 7/&4, Near Sani Bazar Road, Sultanpuri, Delhi
37	North-West	Rental	AAMC Sector-3, Rohini
38	North-West	Rental	AAMC Scctor-4, Rohini
39	North-West	Rental	BH Block, 700A, East Shalimar Bagh, Janta Flat, Delhi-88
40	North-West	Rental	Shiv Mandir, Sewa Samiti, Wazirpur Village, Delhi-52

1	2	3	4
41	North-West	Rental	A-2/131, Keshavpurm, Delhi-10035
42	North-West	Rental	C-3/76 Keshavpuram, Delhi-10035
43	West	Porta Cabin	Aggarwal Chowk, Chander Vihar, Nilothi Ext. II
44	West	Porta Cabin	Govt School, Beri Wala Bagh, Subhash Nagar
45	West	Porta Cabin	AAMC Ranholla Extenion, Nangloi, Najafgarh Road (New)
46	West	Porta Cabin	Peeraghi, Near PWD Office, Nangloi Jat
47	West	Porta Cabin	School ID: 1514005, Sarvodya Sr. Secondary School, Gurudwara Road, Tilak Nagar
48	West	Porta Cabin	Near Govt. Sarvodya Bal Vidyalaya Shradhapuri, Boundary Wall (AC-25 Moti Nagar)
49	West	Porta Cabin	DUSIB Land, SRC Colony Bakkarwala (AC-31 Vikaspuri)
50	West	Porta Cabin	AAMC J.J. Colony Meera Bagh, Delhi
51	West	Porta Cabin	AAMC Peeragarhi Relief Camp Rohtak Road, Punjabi Punarwas Basti Near Metro Piller No. 255, Delhi
52	West	Porta Cabin	AAMC 12-Block Tilak Nagar
53	West	Porta Cabin	AAMC Inside Sarvodya SR. SEC. SKV Janakpuri D-Block No.1 in the School Campus, Delhi
54	West	Porta Cabin	Aame Bapraulla, DUSIB Land EWS Flat, Rajiv Ratan Yojana Flats Delhi

55	West	Rental	AAMC C-62, Adhyapak Nagar, Nangloi, New Delhi
56	West	Rental	AAMC H.No. 9, Gali No. 3, Lekh Ram Park, Tikri Kalan
57	West	Rental	AAMC E-3/62, Shiv Ram Park, Nangloi
58	West	Rental	AAMC RZ-B/149, Nihal Vihar
59	West	Rental	AAMC RZ-E-244, Thanewali Road, Vihal Vihar
60	West	Rental	AAMC RZ-Q-57, Gurudwara Road, 500 Gaj Nangloi
61	West	Rental	AAMC BVK, Paschim Puri (B-32/A, New S-1, Quater, Paschim Puri)
62	West	Rental	AAMC A2/254, LIG Flats, Pratik Apartment, Paschim Vihar
63	West	Rental	AAMC E-115, Raghuvir Nagar
64	West	Rental	AAMC 69 Hastsal Village, Near DDA Park, Vikas Puri
65	West	Rental	AAMC RZ-22, Khushiram Park, Om Vihar Ext.
66	West	Rental	AAMC Plot No. 3 & 4, D Block, Jai Vihar-I, Najafgarh
67	West	Rental	AAMC Gali No. 9, Kh. No. 79/20 Chanchal Park, Bakkaewalla, Vikas Puri
68	West	Rental	AAMC House No. 112, Lions Enclave, Ranholla Road, Vikas Nagar
69	West	Rental	AAMC B-43, AS/F, Vikas Nagar
70	West	Rental	AAMC Plot No. B-340 Vikas Nagar, Vikas Vihar
71	West	Rental	AAMC 150-A, Gali No. 4, Nathan Vihar, Ranholla, Nangloi

1	2	3	4
72	West	Rental	AAMC B-5 Shiv Vihar, Col. Bhatia Road, Tyagi Chowk
73	West	Rental	AAMC A-32/33 A Ext. Mohan Garden
74	West	Rental	AAMC H.No. L-2/D, 69A, Mohan Garden, Uttam Nagar
75	West	Rental	AAMC Plot No. 324 Aryan Garden Road, Om Vihar Uttam Nagar
76	West	Rental	AAMC E-159, A Mansaram Park, Uttam Nagar, New Delhi
77	New Delhi	Porta Cabin	Plot No.-223, Khasra No.-630 min. Ghitorni (AC-46), Chattarpur
78	New Delhi	Rental	V-11, Old Nangal, Delhi Cannt, Muradabad Pahari, Delhi-110037
79	New Delhi	Rental	R-4C, R-Series, East Mehram Nagar, Delhi Cantt Delhi-110037
80	New Delhi	Rental	WZ-115A, Todapur Village I.R.A.I. Delhi-110037
81	New Delhi	Rental	80-A/4, G/F, Near Canara Bank, Village Munirka, New Delhi-110067
82	North	Porta Cabin	AAMC Azadpur Amber Tower
83	North	Porta Cabin	AAMC Azadpur Sabzi Mandi
84	North	Porta Cabin	AAMC Azadpur Fruit Mandi
85	North	Rental	AAMC Bawana (Rented), 126, Ishwar Colony Ext. 3
86	North	Rental	AAMC Bhalswa Dairy (Rented). A-215, Bhalaswa Dairy Near Polic Station

87	North	Rental	AAMC Holambi Kalan, H.No. 246 Tyagi Mohalla Holambi
88	North	Rental	AAMC Alipur (Rented), Sant Kirpal Singh Public Trust, 811 GT Road Alipur
89	North	Rental	AAMC Azadpur (Rented), H.No. 467D Near Budh Mandir, Village Azadpur
90	Shahdara	Porta Cabin	Balbir Nagar, Babarpur (AC-67)
91	Shahdara	Porta Cabin	Below ROB Wazirabad Road Ashok Nagar Side (AC-66 Ghonda)
92	Shahdara	Porta Cabin	R. No. 58 (Maharaja Surajmal-Marg) Along wall of Shaeed Shukhdev Business Collage. Near Satyam Enclave (AC-62 Shahadara)
93	Shahdara	Porta Cabin	Road No. 68, Near ROB Towards Nand Nagri (AC-68 Gokalpur)
94	Shahdara	Porta Cabin	A-3 Nand Nagri, Near Dev Medical AC-63 Seemapuri
95	Shahdara	Porta Cabin	Shahdara Flyover Near DTC Depot (AC-64) Rohtas Nagar
96	Shahdara	Ports Cabin	AAMC Opposite Skidhanh international School on Wazirabad Road (AC-64) Rohtas Nagar
97	Shahdara	Porta Cabin	AAMC Porta Cabin:- AAMC, Basil Vikas Kendra, Kailash Nagar, Chander Puri Railway Line, Old Seelum Pur. Delhi-
98	Shahdara	Porta Cabin	AAMC Porta Cabin:- Below GT Road Flyover, Near Mansarover Park, Metro Station infront of' Friends Colony, Jwala Nagar

1	2	3	4
99	Shahdara	Porta Cabin	AAMC Porta Cabin:- Road No. 69. Gagan crossing to Tahirpur, Near Anand Gram Ashram Bus stand.
100	Shahdara	Porta Cabin	AAMC Porta Cabin:- Gagan Cinema Xing towards Sunder Nagri
101	Shahdara	Porta Cabin	AAMC Porta Cabin:- Near Bus Drool of DTC, Seemapuri, Delhi
102	Shahdara	Porta Cabin	AAMC Porta Cabin:- Road no. 65 in front of Janta colony
103	Shahdara	Porta Cabin	AAMC Porta Cabin:-Road HO. 66. along dram No. 1 in front of EDMC Court
104	Shahdara	Rental	House No. B2/4A, Street 4, East Azad Nagar, Krishna Nagar, Deihi-H005J
105	Shahdara	Rental	House No. 312, Gali No-6. Gautam Gali, Jwala Nagar, Delhi-110032
106	Shahdara	Rental	Flat No 193 A. Ssttvam Enclave. Delbi-l 10095
107	Shahdara	Rental	House No. A-170, Dilshad Colony, Delhi-110095
108	Shahdara	Rental	House No. 1/1616-17 Gali No. 6. Subhash Park Ext. Shahdara, Delhi-110032
109	Shahdara	Rental	House No B-10 (1/11805), Plot No. A-28, Panchsheel Garden, Naveen Shahdara, Delhi-110032
110	Shahdara	Rental	House No D-233. School Block Nathu Colony. Delhi-110093

111	Shahdara	Rental	H.No. D-44. Gali No-9. Sattar Gali
112	Shahdara	Rental	House No. 58, Street No. 3, North Chhajupur, Shahdara, Delhi-110053
113	Shahdara	Porta Cabin	AAMC Porta Cabin, Near Jama Masjid, Behind MCD Primary School, Old Seemapuri, Shahdara
114	Shahdara	Rental	House No C-11/96, Yamuna Vihar, Delhi-110053
115	South	Porta Cabin	Mehrauli, Andheri Mor
116	South	Porta Cabin	E-5, Dakshinpuri
117	South	Porta Cabin	M.G. Road Sultanpur
118	South	Porta Cabin	Lado Sarai, M.B. Road
119	South	Porta Cabin	Block-E-7, Dakshinpuri
120	South	Porta Cabin	Mahila Vikas Kendra, Tigri, Sangam Vihar
121	South	Porta Cabin	JJ Cluster Tigri, Near MHA Office
122	South	Rental	AAMC, B-11, Panchsheel Vihar, AAMC
123	South	Rental	D-24, Bhati Mines
124	South	Rental	E-224, Bhati Mines. AAMC
125	South	Rental	A-7, Raipur Khurd Extn., Chattarpur
126	South	Rental	C-1/130, Holi Chowk, Sangam Vihar
127	South	Porta Cabin	E-2/10, DUSIB Premises. Madan Gir, New Delhii (AC-47) Deoli

1	2	3	4
128	East	Porta Cabin	On Pasta road below loop at stating point of Geeta colony Fly over (Kailash Nagar side) AC-61 Gandhlnasar
129	East	Porta Cabin	AAMC Vasundhara Enclave: in front on Persona Elite Gym, Vasundhara Enclave Delhi
130	East	Porta Cabin	AAMC Kondli Gharoli: Shiv Mandir Kondli Gharoli Dairy Farm Delhi
131	East	Porta Cabin	AAMC Khichripur: Block 5 Khichripur Delhi
132	East	Porta Cabin	AAMC Kalyanpuri: Block No. 19 Kalyanpuri Delhi
133	East	Porta Cabin	AAMC Prachin Shiv Mandir, Mayur Vihar Phase-3, Pragati Marg Near Bharti Public School
134	East	Porta Cabin	AAMC Shashi Garden: Shastri Mohalla Shashi Garden Delhi
135	East	Porta Cabin	AAMC, CPA Buildins, Shakarpur
136	East	Rental	AAMC Trilokpuri 25 Block: Block 25/446 Trilokpuri, Delhi-91
137	East	Rental	AAMC Trilokpuri 12 Block- H.No. 12/169-170. Trilokpuri, Delhi-91
138	East	Rental	AAMC Pratap Chowk: Pratap Chowk, Dallupura Kondls, Delhi
139	East	Rental	AAMC Dallupura: Near Samuday Bhawan, Harijan Basti Dallupura Village Kondli, Delhi
140	East	Rental	AAMC West Vinod Nagar: D-55 Gali No. 11 West Vinod Nagar, Delhi

141	East	Rental	AAMC Ganesh Nagar: C-95A Ganesh Nagar Complex, Delhi-92
142	East	Rental	AAMC Old Anarkali: House No. 52 Old Anarkali, Krishna Nagar, Delhi
143	South-East	Porta Cabin	AAMC, Night Shelter Premises on main Station Road, Sarai Kale Khan, Rain Basera
144	South-East	Porta Cabin	AAMC, Under Footover Bridge Batra Hospital near Sant Narayan Mandir Bus Stand
145	South-East	Porta Cabin	Bus Stand Pul Prahladpur MB Road
146	South-East	Porta Cabin	AAMC, MB Road Sri Maa Anandmayi Marg Prem Nagar
147	South-East	Porta Cabin	AAMC, Flood Control Land Abul Fazal Enclave
148	South-East	Porta Cabin	AAMC, Flood Control Land Shaheen Bagh
149	South-East	Rental	195-A, Hari Nagar Ashram, New Delhi-14
150	South-East	Rental	J-2-B/75, Gali No-2, Gupta Colony, Sangam Vihar
151	South-East	Rental	S-10/D-15, Joga bai Extn. Zakir, Nagar, Okhla, New Delhi
152	South-West	Rental	C-5 Behind Masjid Noor Jogabai Ext. Khazuri Road, Okhla, New Delhi
153	South-West	Porta Cabin	School ID: 1822055, Govt. Co-ed Senior Secondary School, Jaffar Kalan (AC-35, Najafgarh)
154	South-West	Porta Cabin	School ID: 1822003, Sarvodya Senior Secondary School, Surera (AC-35, Najafgarh)

1	2	3	4
155	South-West	Porta Cabin	School ID: 1822004, Mundela Kalan, Govt. Co-ed, Senior Sec. School (AC-35, Najafgarh)
156	South-West	Porta Cabin	AAMC, Govt. Co-ed Sec. Schol, Dwarka Sec.-16 School ID-1821242 (AC-33)
157	South-West	Porta Cabin	Govt. Co-ed Senior Sec. School, Pochan Pur, District South West, School ID-1821037 (AC-34 Matiala)
158	South-West	Porta Cabin	School ID-1515022, Govt. Co-ed Sr. Sec. School Pandwala Kalan
159	South-West	Porta Cabin	AAMC, Govt. Girls School Dwarka Sec.-3 South West, ID-1821203, (AC-33 Dwarka)
160	South-West	Porta Cabin	AAMC, Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalaya Sector-10 Dwarka School ID-1821137, (AC-33 Dwarka)
161	South-West	Porta Cabin	AAMC, Rain Basera Punarwas Colony Dwarka Sector-1 (AC-33 Dwarka)
162	South-West	Porta Cabin	AAMC, SKV, Chhawala, (AC-34, Matiala)
163	South-West	Porta Cabin	AAMC, GBSSS, Chhawala, (AC-34, Matiala)
164	South-West	Porta Cabin	AAMC, Govt. Co-ed Senior Secondary School Kangankeri (AC-34 Matiala)
165	South-West	Porta Cabin	AAMC, Govt. Boys Senior Secondary School Kair (AC-35) Najafgarh School Id-1833055
166	South-West	Rental	AAMC, RZ-269/396, Gali No. 10C, Indra Park, New Delhi

167	South-West	Rental	AAMC, Khasra No. 161/162, B Block Qutub Vihar, New Hanuman Chowk, New Delhi
168	South-West	Rental	AAMC, B-38A Banwarli Lal Complex 25 Feet Road, Shyam Vihar Phase-I, Najafgarh, New Delhi
169	South-West	Rental	AAMC, C-92, Sahyog Vihar, JJ Colony Sec-3 Dwarka, Near Masjid, New Delhi
170	South-West	Rental	AAMC, H.No. 33, Pochanpur, Near Harizan Choupal, Sec-23 Dwarka, New Delhi
171	South-West	Rental	AAMC, RZ-247A, Gali No. 18, Ajay Park, Najafgarh, New Delhi
172	South-West	Rental	AAMC, RZ-38A Gali No. 5, Main Gopal Nagar, Najafgarh, New Delhi
173	South-Wast	Rental	AAMC, 100A Dwarka Vihar Colony, Phase-I, Najafgarh, New Delhi
174	South-West	Rental	AAMC, RZ F-1120 Lohia Marg, Pandit Chowk, Raj Nagar II, Palam, New Delhi
175	South-West	Rental	AAMC, RZ D-87A/1 Dabri Extn. Gali No. 9, New Delhi
176	South-West	Rental	AAMC, G-70/4 Mandir Marg, Mahavir Enclave, New Delhi
177	South-West		AAMC, Govt. Co-ed Sr. Sec. School, Jhatikara (School Id-1822032)
178	Central	Porta Cabin	Mohalla Clinic Nathupura: - Badh Bazar Road, Nathupura, Burari, Delhi

1	2	3	4
179	Central	Porta Cabin	AAMC Sindorakalan Opposite Nav Bharti School Sindorakalan, Delhi
180	Central	Porta Cabin	AAMC Kamla Nagar, Opposite Primary School Madavaliya School, Kamla Nagar, Delhi-07
181	Central	Porta Cabin	AAMC Yamuna Pushta Rain Basera Yamuna Pusta AC-20 Chandi Chowk
182	Central	Porta Cabin	AAMC Hanuman Mandir Rain Basera, Hanuman Mandir, ISBT, Delhi
183	Central	Porta Cabin	AAMC Multam Dhanda Plot No. 9857-59, Gali No. 5/6, Mutani Dhanda, Paharganj
184	Central	Porta Cabin	AAMC Aram Bagh Near Central Park Aaram Bagh Road, Delhi-05
185	Central	Porta Cabin	Below Metro Near Sai Mandir AC-19 Sadar Bazar
186	Central	Portra Cabin	AAMC, Khalsa College, Karol Bagh
187	Central	Rental	AAMC Wazirabad Khasra No. 120, Gali No. 17, Main Road, Wazirabad, Delhi
188	Central	Rental	AAMC Shashtri Nagar L-74, Shiv Watika Chowk, Shashtri Nagar, Delhi-52
189	Central	Rental	Takia Chowk Chopal, Burari Village, Delhi
190	Central	Rental	AAMC Aruna Nagar E-28, Aruna Nagar, Majnu Ka Tila, Delhi

191	North-West	Porta Cahin	WP-Block, Pitampura	30-06-2019
192	Shahdara	Porta Cabin	DIB, SPS, Ghonda Chowk	29-06-2019
193	Shahdara	Porta Cabin	AAMC at North Ghonda, SPS Near Krishna Park	29-06-2019
194	Shahdara	Porta Cabin	AAMC at on Road No. 57, Near Bihari Colony, Beside Metro Line, Opposite Azad Nagar	11-06-2019
195	Shahdara	Porta Cabin	On Road Joining Road No. 62 to Gauri Shankar Mata Mandir along wall of Red Cross Hospital	07-06-2019
196	Shahdara	Porta Cabin	AAMC DJB Dilshad Colony, A, B, C, D and E Block	13-06-2019
197	Shahdara	Porta Cabin	AAMC at DJB site, MIG Flats, East of Loni Road, West Jyoti Nagar, Pocket-A	11-06-2019
198	East	Porta Cabin	AAMC, DJB Sewer Store, Opposite Raas Vihar, Near Mandawali Metro Station	27-07-2019
199	South-West	Porta Cabin	AAMC, Aapna Bazar, Nehru Nagar	June-19
200	South-West	Porta Cabin	AAMC, SSSS, Paprawat, AC-35, Najafgarh	June-19
201	South-West	Porta Cabin	AAMC, School Id-1822010, Govt. Boys Senior Secondary School, Ghumanghera	18-06-2019
202	South-West	Porta Cabin	AAMC, Govt. Co-ed Senior Secondary School, Rawta	18-07-2019
203	North-East	Porta Cabin	Garhi Gaon Pusta Road	July-19

193. श्री जरनैल सिंहः क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः,

(क) दिल्ली में कुल कितने प्राइवेट अस्पताल हैं जिसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध है, उसका पूर्ण विवरण दिया जाए;

(ख) किन अस्पतालों में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कितने बेड रिजर्व हैं; इसका भी ब्यौरा दिया जाए

(ग) क्या दिल्ली सरकार की तरफ से इन अस्पतालों में ऐसे कोई व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं, जो आने वाले मरीजों को ओपीडी से लेकर दाखिले तक होने वाली मुश्किलों में उनकी मदद करते हों;

(घ) यदि हां, तो प्रति अस्पताल में तैनात ऐसे उस व्यक्ति का विवरण उपलब्ध करें; और

(ङ) ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दाखिल मरीज को किस–किस चीज के लिए भुगतान करना पड़ता है, उसका पूर्ण विवरण दिया जाये?

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः (क) सूची की प्रतिलिपि संलग्न है। (अनुलंग्नक–1);

(ख) सूची की प्रतिलिपि संलग्न है। (अनुलंग्नक–1);

(ग) जी हां;

(घ) सूची की प्रतिलिपि संलग्न है। (अनुलंग्नक–2); और

(ङ) ईडब्ल्यूएस श्रेणी के रोगी का इन अस्पतालों में निःशुल्क इलाज किया जाता है। जिसमें चिकित्सक परामर्श, नर्सिंग, खाना, अस्पताल में उपलब्ध जांचे, ऑपरेशन व दवाइयां सम्मिलित हैं।

अनुलंग्नक—1

List of the Identified Private Hospitals along with their specialties, number of free beds

WEST DISTRICT

Sr. No.	Name of the Hospital	Broad Facilities for	Free Beds	Free Critical Beds	Free Non-Critical Beds
1	2	3	4	5	6
1.	Action Cancer Hospital, H-2, FC-33, A-4, Paschim Vihar, New Delhi-63	Super Specialty (only oncology)	10	1	9
2.	Mata Chanan Devi Hospital, C-1, Janakpuri, Delhi-58	General and Super Specialties	21	2	19
3.	Maharaja Agrasen Hospital, West Punjabi Bagh, New Delhi-26	General and Super Specialties	40	4	36
4.	Mai Kamli Wall Ch, Hospital, Plot No.12, J-BIock, Community Centre, Rajouri Garden, New Deihi-27	General and Super Specialties	5	1	4
5.	Sri Balaji Action Medical Institute, FC-34, A-4, Paschim Vihar, New Delhi-63	General and Super Specialties	25	2	18
6.	M.G.S. Hospital, Road No. 35, West Punjabi Bagh, New Delhi-26	General Specialties	7	1	6

1	2	3	4	5	6
7.	RLKC Metro Hospital, Pandav Nagar, Naraina Road, New Deihi-110008	General and Super Specialties	10	1	9
8.	Jankidas Memorial Hospital, Pandav Nagar, Naraina Road, New Delhi-110008	General Specialties	3	Nil	3
		SOUTH DISTRICT			
9.	Batra Hospital & Medical Research Centre, MB Road, Tughlaqabad Industrial Area, ND-62	General and Super Specialties	50	5	45
10.	Hakim Abdul Hakeem Centenary Hospital	General Speciality	51	4	47
11.	National Heart Institute, 49, Community Centre, East of Kailash, New Delhi-65	Super General and Specialties (Cardiology and cardiac-surgery)	7	1	6
12.	National Chest Institute/RGCiRC, A-133, Niti Bagh, Gautam Nagar, New Delhi-110049	Only Respiratory diseases	3	0	3
13.	Delhi ENT Hospital & Research, Centre, FC-33 Plot No. 13, Jasola, New Delhi-25	Only Ear, Nose and Throat Specialties	3	NA	3
14.	St. Lt. Rajan Dhall Ch. Trust/Fortis Hospital, Sector-B, Pocket-I, Aruna Asaf Ali Marg, Vasant Kunj, New Delhi-70 (Fortis Hospital)	General and Super Specialties	16	2	14

15.	Max Smart, Mandir Marg, Saket, New Delhi-17	General and Super Specialties	21	2	19
16.	Indian Spinal Injuries Centre, Opp. Police Station, Sector -C, Vasant Kunj, New Deihi-70	General and Super Specialties	19	2	17
17.	Pushpawati Singhania Research Institute, Sheikh Sarai Phase-II, Saket, New Delhi-17	General & Super Specialties	20	4	16
18.	Venu Eye Institute & Research Centre, l/3l,Sheikh Sarai institutional Area, New Delhi-17	Only Ophthalmology	15	0	15
19.	Fortis Escorts Heart Institute & Research Centre, Okhla Road, Okhla, New Delhi-25	Super Specialty (Cardiology and Cardiac Surgery)	31	9	22
20.	Max Super Specialty Hospital Fast Wing (A unit of Devki Devi Foundation), 2 Press Enclave Road, Saket, New Delhi-17	Super Specialties (Cardiology and Cardiac and Vascular Surgery and Oncology)	33	9	24
21.	VIMHANS, Institutional Area, Nehru Nagar, New Delhi-65	Super Specialty (Neurology, Neuro Surgery and Psychiatry)	9	1	8
22.	Guru Harkrishan Hospital, Guradwara Bala Sahib, Ring Road, New Delhi	General Specialties	5	0	5

1	2	3	4	5	6
23.	Madhukar Rainbow Children Hospital, Plot No. 5, FC-29, Geetanjali, Malviya Nagar New Delhi-17	Multispecialty Hospital	9	1	8
24.	Rockland Qutub	General Specialities	14	2	12
25.	Sitaram Bhartia Institute of Science & Research	General Specialties	7	1	6
26.	Moot Chand Khairati Ram Hospital	Multispecialy Hospital	14	1	13
		SOUTH-WEST DISTRICT			
27.	Bensups Hospital (A unit of B.R., Dhawan Medical Charitable Trust) Bensups Avenue, Sector- 12, Dwarka, New Delhi-15	General Specialties		Non-functional	
28.	Medeor (Rockland) Hospital, Plot No. HAF-B, Phase-I, Sector-12, Dwarka, New Delhi-75	General Specialties	10	1	9
29.	Venkateshwar Hospital, Sector 18 A, Dwarka, Delhi-110075	General Specialities	25	7	18
30.	Centre for Sight, Plot No. 9, Sector 9, Dwarka, Delhi-110077	Eye Speciality	2	0	2
31.	Maharaja Agarsen Hospital, Dwarka	General Specialties	7	1	6

32.	Human Care Medical Charitable Trust (Manipal Hospital)	General Specialties	20	3	17
33.	Ayushman Hospital, Sector-10, Dwarka, Delhi-110075	General Specialties	10	2	8
		NORTH-DISTRICT			
34.	Vinayak Hospital, Plot No. 2, Derawal Nagar, Model Town, Delhi-110009.	General Specialties	4	1	3
35.	Jivodaya Hospital, Ashok Vihar Phase-I, Delhi-110052	General Specialties	4	NIL	4
36.	St. Stephen's Hospital	General Specialties	60	6	54
37.	Maha Durga Charitable Hospital, Phase-3, Model Town, Delhi-9	General Specialties	10	–	10
38.	Febris Hospital, Narela	General Specialties	11	1	10
39	Shree Aggarsain International Hospital	General Specialties	6	01	05
		NORTH-WEST DISTRICT			
40.	Bhagwnn Mahavir Hospital, Sector-14 Extn. Madhuban Chowk, Rohini, Delhi-85	General Specialties	3	1	2
41.	Khosla Medical Institute & Research Society (Khosla Ayurveda Hospital) K.M.I. & R. Centre, Paschimi Shalimar Bagh, Delhi-88	General Specialties	3	1	2

1	2	3	4	5	6
42.	Jaipur Golden Hospital, 2, Institutional Area, Sector 2, Rohini, Delhi-110085	Only Ayurvedic	7	NA	7
43.	Sunder Lal Jain Charitable Hospital, Phase-III, Ashok Vihar, Delhi-52	General and Super Specialties	24	2	22
44.	Max Super Specialty, FC-50, Shalimar Bagh, Delhi-90	General and Super Specialties	Non-functional		
45.	Bhagwatt Hospital, C-S/OCF-6, Sector-13, Rohini, Delhi-85	General and Super Specialties	5	1	4
46.	Saroj Hospital & Heart Institute, Sector-14, Extn. Near Matihuban Chowk, Rohini, Delhi-85	General and Super Specialties	17	2	15
		General	1 3	1 |	2
		EAST DISTRICT			
47.	Bimla Devi Hospital Plot No. 5, Pkt. B, Mayur Vihar-II, Delhi-91	General Specialties Closed w.e.f. 01.04.2016	Non-functional		
48.	Jeevan Anmol Hospital, Mayur Vihar Phase-I, Opp. Pratap Nagar, Delhi-91	General and Super Specialties	5	1	4
49.	Shanti Mukund Hospital, 2 Institutional Area, Vikas Marg Extn., Delhi-92	General and Super Specialties	17	3	14
50.	Dharamshila Hospital & Research Centre, Vansundhra Enclave, Deihi-96	General and Super Specialties (Cancer)	20	2	18

51.	Deepak Memorial Hospital & Medical Research Centre, 5, Institutional Area, Vikas Marg Extn., Delhi-92	General and Super Specialties	Under Renovation		
52.	Max Super Specialty Hospital (Max Balaji Hospital), 108-A, IP Extension, Patparganj Delhi-92	Super Specialties	40	4	36
53.	Red Cross General Maternity & Child Care Hospital	Obs & Gynae Paediatrics	4	0	4
54.	Amar Jyoti Ch. Trust, Karkardooma, Delhi-92	Post Polio Rehabilitation	2	NA	2
55.	Kotakkal Arya Vaidyasala, Plot No. 18X, 19X, Karkardooma, Vikas Marg, Delhi-110092	Only Ayurvedic	4	NA	4
		CENTRAL DISTRICT			
56.	Primus Super Specialty Hospital, Chander Gupta Road, Chankayapuri, New Delhi-21	General and Super Specialties	13	1	12
57.	Sir Ganga Rain Trust Society, Sir Ganga Ram Hospital Marg, Rajinder Nagar, New Delhi-60	General and Super Specialties	68	7	61
58.	R.B. Seth Jessa Ram Trust Society, WFA Karol Bagh, New Delhi-110005	General and Super Specialties	Non-functional		
59.	Dr. B.L. Kapur Memorial Hospital Pusa Road Delhi	General and Super Specialties	46	5	41

अनुलंग्नक—2

List of Liason Officers Posted in Identified Private Hospitals

Sl.No.	Name of the Hospital	Liasion Officer	Phone No.
1	Dharmshila Hospital	Jagdish Choudhary/Navdeep	3999034720/9810390077
2	Sri Balaji Action Medical Institute	Rajesh Mann	9891214884
3	MKW		
4	Action Cancer Hospital		
5	Apollo Hospital	Barkha Rant Tonk	9990935139
6	Fortis Escort Heart Institute		
7	National Heart Institute		
8	Vimhans		
9	Batra Hospital	Mukesh Kumar	9990549720
10	Hakim Abdul Hakeem Centenary Hospital		
11	Madhukar Rainbow Hospital		
12	Shanti Mukund Hospital	Niroti Lal	8826944780
13	Maharaj Agarsen Hospital	Rohit Godara & Nand Kishore	9971961641/9868921919
14	MGS Hospital		
15	Primus Hospital	Yogesh Kumar Sharma	9718155427
16	Max SS Hospital, Shalimar Bagh	Romy Mathew	7678531107/9868384311
17	Jivodaya Hospital	Deepshikha	7986578029
18	Sunder Lal Jain Hospital		
19	Vinayak Hospital		
20	Jaipur Golden Hospital	Ashish Bhalothia	8178008405

21	Bhagwati Hospital	Devender Dhayal	8447566807/9968689766
22	Shree Agarsen Internation Hoppital		
23	Bhagwan Mahavir Hospital		
24	Saroj Hospital		
25	B.L. Kapur Hospital	Ramavtar Saini	9560129665
26	RLKC Metro Hospital		
27	Max SSS Hospital, Patparganj	Satish	9828340666
28	Rockland Dwarka	Kuldeep Sharma/ Shallabh Kumar	9868356763/9555728949
29	Venketeshwara Hospital		
30	Max Smart SS Hospital	Manoj Kumar/ Nemi Chand Meena	9810200294/7976224780
31	Max Devki Devi Hospital		
32	PSRI Hospital		
33	Febris Hospital, Narela	Manisha Saini	8588852782
34	Maharaja Agresen, Dwarka	Rohtash Kumar	9312048849
35	Ayushman Hospltal, Dwarka		
36	Human Care Hospital (Manipal)		
37	St. Stephen Hospital	Renu Jhamb	9810094642
38	Sir Ganga Ram Hospital	Chetram Meena	9828681774
39	Moolchand Hospital	Rinku Verma	7500982402
40	Rockland Qutab	Laxmi Narayan Meena	9460987013
41	Sitaram Bhartia		
42	Mata Chanan Devi Hospital	Sujata Gandha	9013312533
43	Indian Spinal Injuries Centre	Kamlesh	9718057755
44	FLT, Lt. Rajan Dhall (Fortis Vasant Kunj)		

194. श्री संजीव झाः क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली सरकार द्वारा कौशिक इन्क्लेव, बुराड़ी में बनाए जा रहे 800 बिस्तरों वाले नव–निर्माणाधीन अस्पताल की सेवाएं कब से आरंभ कर दी जाएंगी;

(ख) क्या यह सत्य है कि इस अस्पताल की सेवाओं के आरंभ होने में अति विलंब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सरकार द्वारा इस विलंब के संबंध में समीक्षा–बैठकें भी की गई थीं; और

(ङ) यदि हां, तो उन बैठकों का ब्यौरा क्या है?

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः (क) • जैसा कि पीडब्ल्यूडी द्वारा सूचित किया गया है, कौशिक एन्क्लेव, बुराड़ी में 768 बैडेड अस्पताल का 80% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। निर्माण कार्य 30.11.2019 तक पूरा हो जायेगा।

• इस अस्पताल परियोजना को सक्षम प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सरकारी निजी कंपनी भागीदारी (पीपीपी) मोड पर शुरू किया जाना है और जिसके लिए एक समिति का गठन किया गया है;

(ख) जी हां;

(ग) • दिल्ली सरकार ने बढ़ी हुई FAR के आधार पर अस्पताल की बिस्तरों की क्षमता 200 बिस्तरों से बढ़ाकर 768 बिस्तरों का करने का निर्णय लिया गया। बड़ी हुई परियोजना व अतिरिक्त कार्य के लिए सभी वैधानिक

मंजूरी और अतिरिक्त लागत की प्रशासनिक तथा खर्च किए जाने वाली अनुमोदन मिलने में विलंब हुआ।

- इसके अलावा एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है जिसमें याचिकाकर्ता सीमा की दीवार के पूर्वी तरफ से एक मार्ग का दावा कर रहा है और जिसके कारण बाहरी विकास सेवाओं के निर्माण में देरी होती है; और

(घ) और (ङ) जी नहीं।

195. श्रीमती प्रमिला टोकसः क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि प्रश्नकर्त्ता विधायक द्वारा सरकार से यह आग्रह किया गया था कि वसंत गांव में डिस्पेंसरी की व्यवस्था की जाए;

(ख) क्या इस विषय पर अब तक कोई कार्रवाई की गई है, कृपया पूर्ण जानकारी दें;

(ग) क्या यह सत्य है कि बी.आर. होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य उपकरण कई वर्षों से उपलब्ध नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस मेडिकल कॉलेज में सभी चिकित्सा उपकरण जैसे; एक्स–रे मशीन, अल्टासाउंड मशीन, एमआरआई मशीन कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी;

(च) क्या यह सत्य है कि आर.के. पुरम विधान सभा में मौजूद वसंत गांव की डिस्पेंसरी में दवाइयां व इंजेक्शन आदि उपलब्ध न होने की शिकायत निरंतर मिल रही हैं; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस शिकायत को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; विस्तृत जानकारी दें?

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः (क) और (ख) इस प्रकार की कोई जानकारी स्वास्थ्य विभाग में उपलब्ध नहीं है;

(ग) और (घ) इस संस्था में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीन 1987—88 से थी, यह मशीन अब उपयोग में नहीं है, इन पुरानी मशीनों को MSTC द्वारा कंडम कर दिया गया है। सीपीए द्वारा नई मशीन की खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शीघ्र ही एक्सरे और अल्ट्रासाउंड व्यवस्था इस संस्था में शुरू होने की संभावना है;

(ङ) इस अस्पताल में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीनें सीपीए द्वारा शीघ्र ही उपलब्ध करा दी जाएंगी। इस संस्थान में एमआरआई मशीन कमी उपलब्ध नहीं थी;

(च) जी नहीं, आर.के. पुरम विधान सभा में मौजूद वंसत गांव डिस्पेंसरी (पोलोक्लिनिक) में दवाइयों एवं इन्जेक्शन की उपलब्धता के विषय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यहां दवाइयां व इन्जेक्शन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं; और

(छ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

196. श्री राजेश ऋषिः क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि जनकपुरी के दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट की करोड़ों रुपये की लागत से लगाई गई मशीनें कार्य नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो यह मशीनें कब तक चालू होंगी;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि इस हॉस्पिटल में केवल दो ही डॉक्टर हैं;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि यहां सर्वाइकल कैंसर के इंजेक्शन पिछले पांच महीने से उपलब्ध नहीं हैं;

(ङ) यदि हां, तो यह इंजेक्शन कब तक उपलब्ध होंगे;

(च) क्या यह भी सत्य है कि इस अस्पताल में बनाया गया 50 बेड का वार्ड दो साल से बंद है;

(छ) यदि हां, तो यह कब से चालू किया जाएगा;

(ज) क्या सरकार की इस कैंसर हॉस्पिटल के विस्तार की कोई योजना है; और

(झ) इस हॉस्पिटल के पुराने डायरेक्टर श्री राजेश ग्रोवर को हटाये जाने के क्या कारण है?

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः (क) दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट (पश्चिमी शाखा) में निम्नलिखित मशीनें लगाई गई हैंः—

1. पोर्टबल एक्सरे
2. ईसीजी

3. अल्ट्रासाउंड

4. लीनियर एसकेलेटर

जिनमें से अल्ट्रासाउंड एवं लीनियर एस्केलेटर स्टॉफ/अन्य संसाधनों की अनउपलब्धता की वजह से कार्य नहीं कर रहा है।

पश्चिमी शाखा को पूर्ण रूप से प्रारम्भ करने के लिए, विशिष्ठ डॉक्टरों, पैरा मेडिकल स्टॉफ तथा अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के पदों का सरकार द्वारा अनुमोदन की प्रतीक्षा है। जैसे ही इन पदों की स्वीकृति मि जाएगी, तुरंत इन पदों पर आवश्यक स्टॉफ की भर्ती प्रक्रिया एवं मशीनों से संबंधित टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी ताकि अपेक्षित सुविधाओं को जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सके;

(ख) केवल लीनियर एस्केलेटर एवं अल्ट्रासाउंड मशीनें स्टॉफ की उपलब्धता न होने के कारण चालू नहीं हो पाई है एवं जैसे ही स्टॉफ की उपलब्धता और दूसरे संसाधनों की पूर्ति होती है मशीनें चालू हो जाएंगी;

(ग) अलग–अलग विभाग में अलग–अलग डॉक्टर कार्यरत है। लेकिन कर्क रोग विभाग में एक वरिष्ठ डॉक्टर एवं एक कनिष्ठ डॉक्टर उपलब्ध है जिनकी पूर्ति पूर्वी शाखा के डॉक्टर्स द्वारा की जा रही है। पश्चिमी शाखा को पूर्ण रूप से प्रारंभ करने के लिए, वरिष्ठ डॉक्टरों, नर्सों, पैरा मैडिकल स्टॉफ तथा अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के पदों का सरकार द्वारा अनुमोदन की प्रतीक्षा है। जैसे ही इन पदों की स्वीकृति मिल जाएगी, तुरंत इन पदों पर आवश्यक स्टॉफ की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी ताकि अपेक्षित सुविधाओं को जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सके;

(घ) दिनांक 11 अप्रैल, 2019 से सर्वाइकल कैंसर के इंजैक्शन उपलब्ध नहीं है;

(ङ) इस संदर्भ में लगातार टेंडर प्रक्रिया कार्यान्वित है। पिछले टेंडर में कोई भी कम्पनी योग्य नहीं पाई गई थी। शीघ्र अति शीघ्र टेंडर के द्वारा इंजैक्शन उपलब्ध करा दिए जाएंगे;

(च) दिल्ली राज्य कैंसर चिकित्सा संस्थान में 40 बिस्तरों वाले वार्ड और 10 बिस्तरों वाले आईसीयू को प्रारंभ करने के लिए, विशिष्ट डॉक्टरों, नर्सों, पैरा मैडिकल स्टॉफ तथा अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के पदों का सरकार द्वारा अनुमोदन की प्रतीक्षा; और

(छ) पदों की स्वीकृति सरकार से मिलते ही तुरंत इन पदों पर आवश्यक स्टॉफ की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी ताकि अपेक्षित सुविधाओं को जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सके;

(ज) संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर समय–समय पर विस्तार की योजना अपेक्षित की जाती है; और

(झ) सीवीसी से प्राप्त शिकायत के अनुसार डीएससीआई के निदेशक डी. राजेश ग्रोवर पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के लिए गंभीर भ्रष्टाचार/अपराधिक साजिश का आरोप है। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद मामले को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा गया। निर्देश के अनुसार, विशेष सचिव (सोसायटी अस्पताल), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से डॉ. राजेश ग्रोवर को सथानांतरित करने का अनुरोध किया गया था। साथ ही एसीबी ने डॉ. और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इस मामले की सम्पूर्ण जानकारी सीवीसी को भी भेजी जा चुकी है।

197. श्री ओम प्रकाश शर्माः क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 बना दिया गया है;

(ख) दिल्ली सरकार ने उपरोक्त अधिनियम के विविध प्रावधानों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ग) किन कारणों से अभी तक राज्य मानसिक स्वास्थ्य अथॉरिटी नहीं गठित की गई है;

(घ) किन कारणें में अभी तक मनोरोगियों की जांच के लिए समीक्षा बोर्ड गठित नहीं किया गया है; और

(ङ) मानसिक रोगियों को कानूनी सेवाएं देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः (क) जी हां, भारत सरकार ने "मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम–2017" को अधिसूचित कर दिया है;

(ख) प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार एवं अध्यक्ष, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 05.06.2018 को की गई विशेष बैठक के अनुसार "राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण" और "मानिसक स्वास्थ्य बोर्डों" के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो कि संलग्न है (संलग्न–क);

(ग) मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (MHA), 2017 के अनुसार, "राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण" के पुनर्गठन के लिए उपयुक्त कार्यवाही

की शुरूआत हो चुकी है। दिनांक 29.12.2017 को की गई बैठक के अनुसार डॉ. निमेश जी. देसाई, निदेशक, IBHAS, जो कि सदस्य सचिव, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण थे, अब CEO के रूप में कार्य करेंगे;

(घ) "राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण" ही "मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड" (MHRB) के रूप अस्थायी तौर पर "दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण" (DSLSA) की भागीदारी के साथ कार्य करेगी। उपरोक्त अस्थायी कार्य व्यवस्था वर्तमान में अच्छी तरह से काम कर रही है, और जिला न्यायालयों द्वारा भी स्वीकृत है; और

(ङ) दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (DSLSA) की सहायता से मानसिक रोगों से ग्रसित सभी रोगियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जा रही है। IHBAS भी OPD में मुफ्त विधिक सेवाओं की क्लिनिक चलाता है।

संलग्नक 'क'

Minutes of the Special Meeting of State Mental Health Authority (SMHA), Delhi, under the Chairmanship of Sh. Raajiv Yaduvanshi, Principal Secretary, Department of Health & Family Welfare (H&FW), Government of NCT of Delhi (GNCTD), held on 5th June, 2018 (Tuesday) at 05:00 pm.

An Special Meeting of SMHA was held on 5th June, 2018 (Tuesday) at 05:00 PM, under the Chairmanship of Sh. Raajiv Yaduvanshi, Principal Secretary (H&FW), GNCTD, in the Conference Room of the Secretary (H&FW), GNCTD.

The meeting was attended by the following members:-

- Sh. S.N. Mishra, Spl. Secretary, Health & Family Welfare, Govt, of NCT of Delhi
- Dr. Nimesh G. Desai, Director, IHBAS and Member Secretary/CEO, SMHA
- Dr. Sunil Bhatnagar, Addl. Director arid Offg. DG, DGHS.
- Dr. Anjali Gandhi, Retd. Prof (Social Work), Jamia Milia University
- Dr. Manju Mehta, Retd. Professor of Clinical Psychology, AIIMS, Delhi
- (Dr. R.C. Jiloha, Retd. Professor of Psychiatry, G.B. Pant Hospital could not attend the meeting.)

  Regrets received from DSLSA officers.

Following special invitees also attended the meeting:-

1. Sh. Pawan Kumar, Secretary, East DLSA(East), Delhi
2. Dr. Achal Bhagat, Chairperson, Sarthak NGO
3. Dr. N.K. Bohra, Patron, Delhi Psychiatry Society (DPS) & Director, DAPP, Delhi
4. Dr. Deepak Raheja, Vice President, Delhi Psychiatric Society
5. Dr. Rajesh Kumar, Chief Executive Officer, SPYM, New Delhi
6. Dr. Praveen Kumar, Additional Director, DSACS, Delhi
7. Dr. Alok Gupta, Specialist, DGHS/SHS, Karkadooma, Delhi
8. Ms Madhu Juneja, A Mental Health Professionals, Delhi
9. Mr. Sanjay Kumar, Ashray Adhikar Abhiyan (AAA), Delhi.
10. Ms Rajeshwari, Roshni NGO, K-4D, Malviya Nagar, New Delhi-17
11. Ms Rita Seth, Trustee, Sambandh Health Foundation, Delhi
12. Ms Mridula Seth, The Richmond Fellowship Society (India), Noida, UP

13. Ms Deepshikha Pal, Project Director, Sambandh Health Foundation, Delhi
14. Mr. Pawan Kumar, Trustee, FaceMi/National Network
15. Mr. Shahzada Khurram, National Spokes Person, FaceMi/National Network

SMHA Secretariat:-

1. Dr. Deepak Kumar, Acting HOD(Psychiatry)&Deputy M S, IHBAS
2. Dr. Om Prakash, Assoc. Prof of Psychiatry, IHBAS
3. Dr. Vijender Singh, Assoc. Prof of psychiatry. IHBAS
4. Dr. Manoj Kumar, Assistant Professor of Psychiatry, IHBAS
5. Dr. Amit Khanna, Assistant professor of Psychiatry, IHBAS
6. Dr. Ferose Azeez, Senior Resident, Psychiatry, IHBAS

After a brief introduction of the members and Special Invitees to the Chairperson, the Member Secretary/CEO welcomed everyone and informed that the Special Meeting of SMHA had been called on such a short notice to discuss 3 Agenda Items,. The Agenda & background for the meeting having been circulated to the members as well as special invitees in soft copy.

Agenda Item-1

CONSIDERATION OF THE DRAFT RULES 'MINIMUM STANDARDS' FOR REGULATION OF THE CENTERS PROVIDING SUBSTANCE USE DISORDER TREATMENT AND REHABILITATION UNDER SMHA

Summary of the Agenda Note

Background and Hon'ble High Court directions to Formulate Rules for De-addiction Centers

The Hon'ble Delhi High Court vide its order dated 21.09.2017, in the matter of WP(CRL) 2381/2017 and WP(C) 8217/2017 issued directions to the

Government of NCT of Delhi to formulate Rules for regulation of De-addiction Centres. The Hon'ble Court also directed for closure of De-addiction Centres running without authorization of law. .

In pursuance of the decision taken in meeting of Inter Sectoral Co-ordination Committee (OSCC) held on 11th October 2017, the Draft Rules for registration of de-addiction Centres in Delhi prepared by the Drafting Committee (formed by ISCC) were proposed to be notified under Section-78(l) read with Section 71(2) of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985. The Committee took into consideration that the Mental Health Act, 1987 will be repealed and replaced by a new Act - the Mental Healthcare Act, 2017. The Rules under The Mental Healthcare Act, 2017 had not been notified by Govt. of India till then.

The draft Rules prepared by. the Committee were placed before- the ISCC in its meeting held on 21 03 2018 Deliberations were carried out in the meeting on the draft Rules to all concerned stakeholders, inviting comments before finalizing the Rules and the Hon'ble High Court was appraised of the developments/progress when the matter came up for hearing on 22nd March 2018.

The draft Rules for registration of de-addiction centers in Delhi prepared by the Drafting Committee were circulated to stakeholders as directed by ISCC m its meeting dated 21st March 2018 and were also placed on H&FW Department website.

The Hon'ble Delhi High Court, vide its order dated 22nd March 2018 directed that the process of consultation, finalizing of the draft rules and the ultimate notification be completed within a period _ of two months i.e., not later than 31st May 2018.

A meeting was subsequently convened by Chief Secretary on 2nd April 2018 to fix the timelines for notification of the rules for regulation of 'de-addiction Centers' in Delhi m pursuance of the directions of the Hon'ble High Court. It was pointed out in the meeting by the Member Secretary, SMHA that the Rules

for MHA, 2017 will be notified soon and that de-addiction centers, operating under different systems of medicines, being Mental Health Establishments under MHA, 2017 be registered under MHA 2017 vide section 65 of the Act. In this regard a Committee, comprising of representatives of Health & Family Welfare Department, IHBAS, Departments of Social Welfare and WCD and Law Department, was directed to compile the inputs/comments from various stakeholders and prepare the final draft of Rules for regulating 'De-addiction centers'.

Discussion:-

The Member Secretary briefed that the Hon'ble High court had issued directions to the Govt. of NCT of Delhi to formulate Rules for regulation of De-addiction Centers and also directed for closure of De-addiction centers running without authorization of Law. After meetings with the Inter-sectoral Co-ordination committee the draft of 'Minimum Standards' for 'De-addiction' centers was formed The Draft the SMHA of 'Minimum Standards' for De-addiction centers had been finalized by the ISCC meeting of 11th May, 2018 and was presented at meeting.

A point was raised about a possible consideration/variation, since the 'De-addiction' Centers have to be registered under the Mental Healthcare Act, 2017 but the centers function under Dept of Social Welfare. It was clarified by the Member Secretary that the Dept of Social Welfare will continue to junction as the dept. administrative regulation & channelization of the funds from Govt. whichever applicable and all the administration will be through the Dept of Social Welfare. The regulation for admission/discharge and treatment procedures along with regulation of minimum standards will be as per Mental Healthcare Act 2017. Hence the Dept of Health and Family Welfare will function as the regulatory framework It was also clarified that the Dept of Social Welfare was also involved in the core committee for drafting the 'Minimum Standards'. A consensus was agreed upon that the 'De-addiction' centers would be registered with SMHA.

It was further discussed that if the 'minimum standards' are being devised the human resources needs to be generated as well as in addition to the

financial resources. Also it was discussed that there should be no contraindication between what is clearly defined in the MHA, 2017 and the 'Minimum Standards' drafted hence the. Human resources were restricted to a minimum qualification – B.sc/M.Sc.

Dr. Desai also informed that he had discussed the matter, including the proposal "Minimum Standards" with the officers of DSLSA, and they had indicated their concurrence. Since there were suggestions from different SMHA members, it was requested to provide feedback again within 48 hours by Thursday 7th June evening. The same will be compiled and incorporated along with the objections and suggestions that have been received.

Decisions:-

1. The draft "Minimum Standards" were approved with changes which wilt be incorporated as noted below.
2. It was also decided that suggestions for changes & modifications will be sent by whomsoever wishes to do so by 7th June, 2018; and the SMHA Secretariat will compile the changes & circulate the same by email to everyone.
3. The revised "Minimum Standards" will be put up to the Govt. of Delhi for ratification & subsequent notification as desired by the Hon'ble High Court
4. It was also decided that the basic framework and parameters used for the "Minimum Standards" for these group of facilities will be used for developing the minimum standards for other group of Mental Health Establishments (MHEs).
5. It was also decided that the regulation and monitoring by the SMHA should be for the mental health services establishments/facilities which would fall under the definition of "Mental Health Establishments" (MHEs), under MHA 2017; and the role of SMHA for all other social care homes would be secondary, in consultative capacity for technical backup.

Agenda Item-2

IMPLEMENTATION OF THE MENTAL HEALTHCARE ACT, 2017, ALONGWITH THE RULES

T*he Member Secretary/CEO recapitulated that, as many of the members & special invites have been aware, subsequent to the meeting of the SMHA held on 29.12.2017, the Govt. of India (MoH&FW) notified on 02.01.2018 that the MHA, 2017 will "come into force" from 7th July,2018(instead of 7th January, 2o018) as per the provisions in the Act which had been notified on 07.04.2017. He also recapitulated that as discussed in the previous meeting of the SMHA, since the rules had not been notified by the Central Govt. for the implementation of MHA, 2017; it would have been difficult for the States to implement the new Act, specially in view of many provisions which are entirely new e.g. Mental Health Review Board (MHRB). The situation continued to be the same from Jan to May,2018 with awaited notification of the Rules, and on 29.05.2018, the MOH&FW, Govt. of India notified the Rules, and also the decision to implement the new Act, with the Rules. This created an unprecedented situation and potential chaos with possibilities of disruption of mental health services in the state, causing inconvenience to the public at large.*

Since, the SMHA & its Secretariat at IHBAS had been planning in advance and some specific decision had been taken in the SMHA meeting of 29.12.2017 and this emergency meeting had been planned (in anticipation of the implementation of the new Act w.e.f 07.07.2018), it has been and should be possible to ensure relatively smooth implementation at IHBAS as the State Mental Health institution, and across sectors. He also expressed the view that many aspects required attention and will need to be worked upon in the next few weeks and months for an all-round implementation. The chairman, members & Special Invites agreed with the assessment of the situation & appreciated the work done by Director, IHBAS as the Member Secretary/CEO of the SMHA and his team. He also shared that the 5 specific Agenda Items under this Item prepared for this meeting in anticipation of implementation from 0707.2018, may be considered now in view of the implementation already supposed to have taken place.

Dr. Desai also pointed out to the need for examining the State Mental Health Rules as notified by the Central Govt. for adoption by the Govt. of Delhi with or without modifications. Dr. Achal Bhagat pointed out the need for examining the State Rules as notified in larger perspective of Mental Health Plan/Policy for the state. The other view was to recommended to the state govt. to adopt the State Rules as notified by the Central Government with provision for modification subsequently It was agreed that the matter will require to be examined, but for immediate and short term implications of implementation of the new Act, it would be appropriate to get the State Rules as notified by the Central Government adopted by the State. It was discussed and decided that in addition to the 5 specific Agenda items prepared, the following actions be taken up in the next few weeks by the SMHA, Secretariat at IHBAS:-

Decisions:-

1. *Initiation of the Notification/Adoption of the State Mental Health Rules. It was also decided that the Rules as notified by the Govt. of India, will be circulated and suggestions be made available to the Secretariat within 2 weeks*
2. *initiation of Suitable Action for Reconstitution of the SMHA as per MHA 2017; with the Secretariat continuing to function from IHBAS with Dr. Nimesh G Desal, Director, IHBAS and Member Secretary of SMHA to continue working as the CEO SMHA as per the decision of the meeting held on 29.12.2017.*
3. *Initiation of the constitution of the Mental Health Review Boards, by the State government in consultation with the Hon'ble High Court of Delhi (as prescribed in the*
4. *Form and operationalize Transition Oversight Committee (TOC) in continuation of the earlier decision to form an interim Committee. The TOC will be notified by the Director, IHBAS & CEO, SMHA; as per discussion*
5. *The organizational Strengthening including the Recruitment to posts already sanctioned earlier, and the financial allocation is reiterated as discussed & decided in earlier SMHA meeting.*

ITEM N0.2.1 IMPLEMENTATION OF MENTAL HEALTHCARE ACT, 2017 AT IHBAS:

Dr. Desai informed that although like every other Agency, IHBAS was caught quite unaware by the sudden notification on 29.05.2018 by the Govt, of India, implementing the MHA, 2017 with immediate effect, in view of the importance & urgency of the matter, IHBAS had decided to try& ' implement the new Act from 30.05.2018 and definitely from 01.06.2018. He also shared that rigorous effort from the Psychiatry Department, faculty members & Senior Residents, IHBAS had been to do so, in many aspects barring a few specific provisions which required other mechanism like MHRB. He shared that the regulation for admission & emergency treatment have been implemented, appropriate court correspondence has been initiated, algorithms & formats for use by clinical teams have been formulated and are being tried out continuing from the procedures set up at IHBAS in the last few years, and the faculty group is also keen & active to assist & facilitate similar implementation across sectors as a responsibility of SMHA Secretariat.

Decision:-

The Chairperson, Member & the Special Invitees invited noted the actions taken & recognized the efforts being made, and noted that other than the implication of the Section 117 on "Transiting provisions", the specific provisions of Section 119 on "Protection of Action taken in good faith", would be relevant

Item No.2.2 Assistance and Monitoring of Private Psychiatric Hospitals/ Nursing Homes

Dr. Desai shared that as discussed earlier, the SMHA Secretariat at IHBAS has been working on the implementation of MHA, 2017, as applicable to IHBAS as a hospital, as well as for other mental health service providers; and since all agencies required to be sensitized. As such, IHBAS & SMHA Secretariat, with inputs from other experts has planned to organize Orientation Workshops for at least 2 groups one for the Medical Officer incharge & Staff member of all Registered Licensed Nursing Homes/Mental

Health Establishments (MHEs) on 12th June (Friday) afternoon; and another for the Heads of Depts. & staff members of Govt. Sector (GHPHs) on 19th June afternoon. Subsequently, similar orientation & discussion workshops can be organized for the OPD/chamber practitioners, Mental Health-Professional and NGOs &- carer groups He also prepared that the Workshops will be organized by SMHA and IHBAS alongwith the DPS & IAPP Delhi Chapter, and the requested the members & the special invitees to join for these workshops to the extent possible.

Decisions:-

The proposal to organize the workshops was appreciated; and it was discussed that SMHA's proactive effort was quite unique, specially with the prevailing situation of confusion and uncertainty.

ITEM NO. 2.3 CERTIFICATES OF PROVISIONAL REGISTRATION FOR PRIVATE SECTOR PSYCHIATRIC HOSPITALS/ NURSING HOMES

Dr. Desai recapitulated that one of the most important function of the SMHA as per Mental Health Act, 1987 was licensing of Psychiatric Hospitals/Nursing Homes. As per the decision taken in the Annual meeting of SMHA, held on 29th December, 20 1 7 vide Agenda Item No. 3 and the decision thereof "the SMHA will consider giving provisional registration, as an interim arrangement for upto 12 months from 8th January, 2018, to the currently or previously licensed private psychiatric hospitals/nursing homes. Vie SMHA will consider issuing this on its own and on request". He also informed that in March/April 2018, the matter had been put up on file to the Chairman, SMHA; specially in view of the transition period from MHA 1987 to MHA 2017. The proposal to issue Certificate of Provisional Registration to all the previously licensed hospitals/nursing homes, under section 65(i) of MHA, 2017 had been approved by the Chairman, SMHA. As such, the SMHA had issued 27 Certificates of Provisional Registration under the provision of Section 65 (3) read along with Section 126 (2) (e) MHA 2017.

Decision:-

The arrangement made was agreed to, and decided to be followed as required

ITEM NO. 2.4 CERTIFICATE OF REGISTRATION FOR MENTAL HEALTH ESTABLISHMENT IN GOVT. SECTOR (GNCTD/MCD/ESI).

Dr. Desai recalled & brought to be allocation, as per provision of MHA, 2017, the definition of Mental Health Establishment includes Govt. Sector Mental Health Services Facilities, including General Health Psychiatric Units (GHPUs) which was not so in earlier Act Le The Menial Health Act, 1987. All these MHEs shall be registered with SMHA as per MHA, 2017.

As per the decision taken in the Annual meeting of SMHA, held on 29th December, 2017 vide Agenda Item No. 3 and the decision thereof, "The SMHA to consider giving provisional registration, as an interim arrangement, for 6 months from 8 January, 2018 to the Govt. Sector (GNCTD MCD, ESI) inpatient Mental Health Services facilities and to also write to these hospitals" Till today, no Govt. Sector MHEs has applied for certificate of registration from SMHA so the SMHA had planned to write a letter of intimation for registration with SMHA as per the requirement of MHA, 2017.*

Decisions:-

The proposal was agreed to, and approved.

ITEM NO. 2.5 IJMJATE CONSTITUTION OF MENTAL HEALTH REVIEW BOARD (MHRB):

Summary of the Agenda Note.

The Mental Healthcare Act, (MHA) 2017 was notified on 7th April, 2017 and a period of nine months had been provided for implementation in the official Gazette. The Central Govt. had to frame the Rules for the implementation of Mental Healthcare Act, 2017 during this period. The Draft Rules for implementation of Act were notified by the Govt. of India on 20th September,

2017. and a Gazette Notification of GOI was published on 2nd January, 2018 regarding extension of implementation of MHA, 2017 from 7,h of July, 2018.

The Annual Meeting of SMHA was held on 29th December, 2017 to discuss various issues related to mental health including the implementation of the Mental Healthcare Act, 2017 vide agenda item no.4. The following are the key decisions taken in the meeting:-

(a) "The existing SMHA may be permitted to continue .... till the new SMHA is constituted".

(b) "An interim committee for implementation of Mental' Healthcare Act, 2017 may be constituted to frame the rules for Delhi State..........."

(c) "……the currently functioning Board of Visitors (BOV) at IHBAS may be designated as MHRB from 8th June, 2018 as an interim arrangement .... "

It may please be noted that between January to May, 2018, there was no information or notification about the Rules from Govt. of India, the SMHA could not proceed further for implementation of the Act During this period the SMHA worker primarily as per the decisions taken in the annual meeting of SMHA held on 29th December, 2017.

The final Rules from GOI were suddenly notified on 29th May, 2018 and MHA 2017 had been declared as having come into force. As per the Act and the Rules, Mental Health Review Board is an important pillar for implementation of the Mental Healthcare Act, 2017 for procedures like appointment of Nominated representative, admission, registration of Private Psychiatric Hospitals/Nursing Homes etc. So in the absence of Mental Health Review Board (MHRB) the implementation of various Sections of MHA, 2017 may not be feasible.

It is important to submit that the Central Rules for the New Act had not been notified before 29th May 2018. This has-created difficulty in implementing the-various provisions of the Act including procedures for admission which need to be informed to the Mental Health Review Board which is not in place. In the

past weak IHBAS has been implementing the MHA,2017 since 30 May 2018 and has been assisting and is planning to do so in a larger scale with all other Licensed Psychiatric Hospitals/Nursing Homes under SMHA. However, one critical part that continues remains is the MHRB that needs to be constituted at the earliest for the following reasons cited below:

The specific provisions of the Act are covers MHRB under chapters 11, Section 73-84 of the MHA, 2017 and the implications of the current situations as on 30th may, 2018 are as follow:

(A) IMMEDIATE CONCERNS:

1. All admissions of Women and Minors need to be informed within 3 days time as per the Act failing which, in our understanding, it will be deemed illegal or will need to be stopped. This will be applicable to all Government and private mental health establishment. So any admission of minor or woman had to be stopped or otherwise will be seen as illegal.

2. If the MHRB is not constituted before 30th June, 2018 then admission under Section 90 will also be deemed illegal as information and further directions in these matters need to be received from the MHRB Board.

3. Admissions of any person in Mental Health Establishment (MHE) shall be reported to MHRB on regular basis within a period of seven days, as prescribed in the MHA, 2017 (Section 89, 90 of MHA, 2017)

   So,

   (a) There is an urgent need to constitute the MHRB at the earliest

   (b) Alternative solutions be thought out like in this regard Section 123(2), may be utilized by the State to devise alternative/ innovative strategies to implement MHRB at the State level: The relevant Section has been quoted as under:

"Section 123: Power of State Authority to make regulations:

Subsection 2: *In Particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters)Any other matter which is required to be, or may be, specified by regulations or in respect of which provision is to be made by regulation."*

The current exigency has arisen primarily because the MHA, 2017 has been effected in the absence of MHRB and that nothing could have been done from January to May 2018 in the absence of the Rules framed by the GOI which have only been notified recently on 29th May, 2018.

(B) SECONDARY/SHORT TERM CONCERNS:

1. There are secondary/delayed implications of the MHRB not being in placed which are primarily related to the Advance Directives under Section 11 of MHA, 2017 wherein the Mental Health Professionals or relative or the Care givers of the person with Mental illness need to make an application to the concerned MHRB to review, alter, modify or cancel the Advance Directive.

2. As per Section (95(2)), in the opinion of the Psychiatrist In-charge of a minor treatment, ECT is require then informed consent form of the guardian and prior permission of the MHRB will need to be taken.

3. As per Section 87(7), a minor should be given treatment with informed consent of his nominated representative which could be appointed by MHRB in the cases of destitute children.

4, To receive and decide applications in respect non-disclosure of information specified under subsection (3) of Section 25 (Right to access medical records).

5. To adjudicate complaints regarding deficiencies in care and services specified under Section 28 (Right to make complaints about deficiencies in provision of services).

Discussion:

The implications of non-availability of MHR Boards was discussed in detail, and in its different facets also beyond those cited in the Agenda Note. It was agreed that the earlier suggestion of the Board of Visitor (BoV) of IHBAs may not be appropriate or workable for many reasons. ft was also discussed & agreed that the constitution of MHRBs as per the laid down procedure is expected to take considerable time; and so the need to make temporary working arrangement was very high & unavoidable. After discussing various aspects, it was felt that the SMHA, with suitable involvement and cooperation from the DGHS, Govt. of Delhi and the DSLSA "& DLSA (East District) will have to function as one MHRB for all districts, as a temporary working arrangement The Director, IHBAS cum Member Secretary/CEO of SMHA agreed to take up the responsibility, with permission to deploy staff as an internal arrangement within IHBAS and the need for recruitment of Staff for SMHA Secretariat at the earliest Pr. Secretary (H&FW) & Chairman, SMHA authorized this, in view of the urgent need, the following decisions were approved at, in accordance with the provisions of Section 123 2(g) of MHA 2017.

Decisions:-

1. The SMHA with function as MHRB for the state, as temporary working arrangement, with involvement of DSLSA which will be requested and obtained.

2. For information about admissions, the MHEs will be advised to send information to the SMHA Secretariat by email which will be duly compiled periodically. This will be applicable for all MHEs including IHBAS.

3. Grievances or complaints of any nature by any of the stakeholders can be sent to the SMHA Secretariat which will be appropriately dealt with. It was also decided that the handling & response to these complaints/grievances be made as quickly as possible with due involvement of all stakeholders as relevant, particularly, judicial officers from DSLSA/DLSA (East) and users/cases.

4. On request from Director, IHBAS and Member Secretary/CEO of SMHA, it was also decided that while the SMHA Secretariat at IHBAS will receive and handle all the grievances/complaints, such complaints/grievances for IHBAS grievances will not be by any involvement of IHBAS; and would be done by the DGHS with inputs from "Psychiatrist" and other mental health professionals from other hospitals and of course judicial officers & cases as required and appropriate.

5. It was also decided that for the specific purpose of extending the hospital stay for patients admitted under Section 89 of MHA, 2017 to beyond 30 days, for upto 90 days under Section 90 of MHA, 2017; the MHEs will be advised to make application to the temporary MHRB at SMHA Secretariat Since the appropriate mechanism have not been established and human resource components have been worked out at this stage the requests for extension of stay from Section 89 to 90, be processed in a facilitatory manner and those cases wherein these is any grievances/ complaints is received. It was also agreed that all MHEs will be required to notify prominently the avenues for grievances the SMHA will advise all MHEs to do so, and also make the information in public demand.

Agenda Item No-3

INFORMATION AND DISCUSSION ABOUT THE HIGH COURT ORDER DATED 26.04.2018 WRIT PETITION (CRIMINAL) NO 3317/ 2017, TITLED RAVINDER VS GOVT. OF NCT OF DELHI & ORS

Summary of the Agenda Note:

3.1 Background of the case

a. That Ravinder (Petition), son of the patient Shri Ram Kumar admitted earlier at Institute of Human Behaviour & Allied Sciences (IHBAS) had filed Writ Petition (Crl.3317/2017 in Hon'ble HIGH COURT OF DELHI IN Hon'ble Division Bench (Justice S. Muralidhar & Justice I.S. Mehta) on dated 24.11.2017. The above mentioned patient was admitted through

police at IHBAS in compliance to Metropolitan Magistrate Orders dated 03.11.2017 and 05.11.2017. The patient was diagnosed with Psychiatric illness - case of manic episode. He was later transferred and discharged to Rajiv Gandhi Super-specialty hospital, Tahirpur on dated 23.11.2017.

b. In this matter, the first hearing was held on 25.11.2017 where the Hon'ble High Court while adjourning the case for 14.12.2017 had directed that:

i. The patient Ram Kumar should be handed over to his family after discharge from Rajiv Gandhi Super-specialty hospital.

ii. The orders dated 3rd, 5th & 20th November 2017 passed by Duty MMs & MM respectively directing the detention of patient Ram Kumar at IHBAS should be set aside. As far as IHBAS is concerned, this order should be treated as on order of discharge of Ram Kumar as in patient of IHBAS. Further proceedings before MM are hereby stayed. Hi. Separate affidavits shall be filed by Director, IHBAS as well as each of the mental health professionals associated with treatment of patient Ram Kumar.

c. In the view of complex issues involved related to the above said case, and the media reports that appeared (annexed), a series of discussions & meetings were held with mental health professionals, hospital administration and Director, IHBAS. The implications of High Court order have been also discussed among faculty members and senior residents of Department of Psychiatry involved in the care of the patient.

d. In view of the above, keeping in mind the sensitivity of the matter and serious implications/repercussions for IHBAS as a hospital and organization under Govt. of Delhi in this matter, it was considered appropriate to hire a Senior Advocate having experience in this field with application of Mental Health Act 1987 & its nuances (Admission & Discharge of patients} so as to defend the case in the Hon'ble High Court and provide expert guidance in this case.

3.2 Operative part of High Court Order

a. The Hon'ble Delhi High Court passed its judgment on dated 26.04.2018 with following Consequential reliefs:

(i) This Court expresses its apology to Respondent No.4, and his family members including the Petitioner, for the unlawful orders passed by the MMs on 3rd, 5th and 20th November, 2017 which have already been held illegal and set aside by this Court by its order dated 25th November 2017.

(ii) The Court directs that a token compensation of Rs.2 lakhs shall be paid by the Government of NCT of Delhi to Respondent No.4 within four weeks by way of a demand draft, for his being illegally detained between 3rd November 2017 and 23rd November, 2017 at IHBAS. This however, will not prevent Respondent No.4 from seeking other remedies that he may have in accordance with law against the State, IHBAS and the doctors involved.

(iii) The original record of IHBAS deposited with the Court will be handed over by a Special Messenger to the Secretary, Medical Council of India W.P.(C) No.3317/2017 Page 86 of 87 (MCI) in a seated cover forthwith along with-the copy of the paperbook of this case, 7he Registry will prior thereto, scan the IHBAS record, and retain a copy thereof digitally signed by the Registrar, in the court record. An inspection of or issuance of a certified copy of me scanned record shall not be permitted unless specifically ordered by the Court.

(iv) The MCI shall examine the IHBAS record delivered to it, as well as the paperbook of this case, including the affidavits filed by the IHBAS doctors concerned and if considered necessary initiate appropriate action against such of them involved in the wrongful detention at IHBAS of Respondent No.4 from 3rd to 23rd November 2017. The MCI will proceed in the matter in accordance with law. The exercise shall be completed within a period of twelve weeks from

(v) We MACT-2 Rohini Courts shall dispose of MACP No. 4277/2016 positively within a Period of 6 months from today. The Judge MACT-2, Rohini Courts shall set and enforce strict timelines for the parties to adhere to.

(vi) NALSA and the DSLSA should, in collaboration with the Central Mental Health Authority (CMHA) and the Delhi State Mental Health Authority (SMHA), conduct a survey of the mental health institutions and facilities in the NCT of Delhi to ascertain how many inmates are being illegally held therein in violation of the MHA and the Constitution of India This should be an on-going exercise even after the MHCA becomes operational from 8th July 2018. The initial exercise be completed within a period of six months from today.

(vii) Corrective and ameliorative action under the MHA and/or MHCA be taken by the NALSA and DSLSA in collaboration with the CMHA and SMHA NALSA and the DSLSA will ensure that the NALSA 2015 Scheme is effectively implemented in the mental health facilities in the NCT of Delhi.

(viii) The Delhi Judicial Academy (DJA) shall organise at least four exclusive orientation courses on the MHA, and its successor legislation i.e. the Mental Healthcare Act 2017 every year, for the judicial officers, the mental health professionals in the NCR of Delhi and the Delhi Police. The DJA should associate the NALSA, DSLSA, the CMHA and the SMHA in this exercise.

Actions to be considered

a. With respect to the above Hon'ble High Order, again a series of meetings were held with above said team of advocates and Mental Health Professionals from IHBAS under guidance of Director, IHBAS in the view of complex issues involved and the media reports that appeared(annexed). This matter has been discussed with Principal Secretary (H&FW). The matter was further discussed with Chief Secretary, GNCTD cum Chairman IHBAS also, regarding filing of either review petition or SLP in the Supreme

Court. The senior lawyer of IHBAS is of the view that in Habeas Corpus, there is no provision for review. However, SLP can be filed in such cases. The opinion of IHBAS lawyer was communicated to Chief Secretary, GNCTD,

b. As discussed above, the order of Hon'ble High Court has its own implications for admission and treatment of mentally ill in mental health establishments (MHEs). The order will affect the health issues of mentally ill, their care givers, NGOs and mental health professionals involved in care of persons with mental illness. The above said order has its own ramifications in the background of implementation of new mental health care act 2017 which was notified on 29.05.2018.

c. With respect to above reasons, SLP may be filed in the Hon'ble Supreme Court by IHBAS (Respondent No-3). For better interest of public, SLP should be filed by Govt. of NCT of Delhi (Respondent No-1) against the order passed by Delhi High Court.

Discussion:-

The Members and Special Invites discussed various aspects of the case and the order of the Hon'ble High Court in this case, including the issue of filling of SLP in the Hon'ble Supreme Court. A board consensus view was that while the order of the Hon'ble High Court be represented, and all appropriate actions should be followed, including active participation by the SMHA in the survey of all Health facilities, along with DSLSA and NALSA, there was widespread legitimate concern about tto implications of the said order, specially when seen along with the order of the Hon'ble High Court dated 18.4.2018 in another case about mental health services (Sanghmitra Acharya v/s State of Delhi & Ors), also involving habeas corpus. (W.P (CRI) No. 1804/2017). The group appreciate the concern of the Principal Secretary (H&FW)-cum-Chairman, SMHA and the Chief Secretary-cum-chairman, IHBAS regarding the possible adverse impact on larger public interest and mental health services and the advice to consider filing SLP in the Hon'ble Supreme court in the instant case (Ravinder v/s Govt. of NCT of Delhi and ors.); as well as the possibility of SLP being filed by the Government of Delhi

Dr. Desai briefed the SMHA about the orders of the Hon'ble High Court in the case of Sanghmitra Acharya v/s The State Govt. of NCT of Delhi & Ors., with specific reference to the Inquiry to be conducted by SMHA.

Decisions:

1. It was decided that the SMHA would actively participate in the Survey to be conducted by the DSLSA, with NALSA and CMHA and SMHA. The Psychiatrists and other mental health professionals from IHBAS and other Government of Delhi will be identified and will firm part of the field teams for the survey.

2. It was also decided that SMHA strongly recommends to the State Government to consider filing of SLP in the Hon'ble Supreme Court with reference to the Order of the Hon'ble High Court on the instate case (Ravinder v/s Govt. of NCT of Delhi and ors), in larger public interest, and in the interest of facilitating mental health service provision.

3. It was also decided that in the case of Sanghmitra Acharya v/s The State Govt. of NCT of Delhi & Ors, the Inquiry Committee will compose of the following and will carry out the Inquiry, In accordance with the order of the Hon'ble High Court:-

    1. Dr. Nimesh G. Desai, Director, IHBAS and Member Secretary/CEO of SMHA-Chairman
    2. Ms. Gitanjali Goel, Special Secretary, DSLSA
    3. Dr. Achal Bhagat, Director, SAARTHAK
    4. Dr. Deepak Raheja, Vice President, Delhi Psychiatric Society
    5. Ms. Madhu Juneja, Mental Health Volunteer, Delhi
    6. Ms. Rajeshwari, "Rashmi", Carer, Delhi

    The meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

(Dr. Nimesh G.. Desai)
Director, IHBAS & Member Secretary/CEO, SMHA

Distribution:

Members:

1. Mishra, Spl. Secretary, Health & Family Sh. S.N. Welfare, Govt. of Delhi.
2. Director, Directorate General of Health Services (DGHS), GNCTD, Karkardooma, Delhi
3. Dr. Manju Mehta, Retd. Professor (Social Work), D-40, East of Kailash, New Delhi.
4. Dr. Manju Mehta, Retd. Professor (Clinical Psychology), Dent, of Clinical Psychology, A1IMS, New Delhi
5. Dr. R.C. Jiloha, Retd. Prof, of Psychiatry, G.B. Panth Hospital, 101-B, Jamia Hamdard, New Delhi-110062

Special Invitees:

1. Sh. Pawan Kumar, Secretary, East DLSA(East), Delhi
2. Dr. Achal Bhagat, Chairperson, Sarthak NGO
3. Dr. N.K. Bohra, Patron, Delhi Psychiatry Society (DPS) & Director, DAPP, Delhi
4. Dr. Praveen Kumar, Aditional Director, DSACS, Delhi
5. Dr. Alok Gupta, Specialist, DGHS/SHS, Karkadooma, Delhi
6. Ms Madhu Juneja, A Mental Health Professionals, Delhi
7. Mr. Sanjay Kumar, Ashray Adhikar Abhiyan (AAA), Delhi.
8. Ms Rajeshwari, Roshni NGO, K-4D, Malviya Nagar, New Delhi-17
9. Ms Rita Seth, Trustee, Sambandh Health Foundation, Delhi
10. Ms Mriduia Seth, The Richmond Fellowship Society (India), Noida, UP
11. Ms Deepshikha Pal, Project Director, Sambandh Health Foundation, Delhi
12. Mr. Pawan Kumar, Trustee, FaceMi/National Network
13. Mr. Shahzada Khurram, National Spokes Person, FaceMi/National Network

Copy for information to:

1. P.S. to Secretary, H&FW, GNCTD
2. File Record of SMHA

(Dr. Nimesh G. Desai)
Director, IHBAS & Member Secretary/CEO, SMHA

198. श्री ओम प्रकाश शर्मा: क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना अब तक लागू न किए जाने के क्या कारण हैं; इसकी विस्तृत जानकारी दें; और

(ख) इसके लिए सरकार की क्या वैकल्पिक व्यवस्था है?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री: (क) दिल्ली सरकार ने दिनांक 23.8.2018 को नेशनल हेल्थ एजेंसी (अब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी) को आग्रह किया था कि आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में आम आदमी मुख्य मंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना – आयुष्मान भारत के नाम से कार्यान्वयन किया जाए। डिप्टी सीईओ नेशनल हेल्थ एजेंसी ने दिनांक 28.08.2018 को जवाब दिया कि यह एक राष्ट्रीय योजना है तथा इसमें पोर्टेबिलिटी का प्रावधान है इसलिए आयुष्मान भारत को उपसर्ग के तौर पर रखना अनिवार्य है;

इस संदर्भ में माननीय स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सरकार तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नेशनल हेल्थ एजेंसी/अथॉरिटी के बीच बैठक हो चुकी है तथा वार्तालाप जारी है, तथा मामला विचाराधीन है; और

(ख) दिल्ली सरकार में वैकल्पिक व्यवस्था निम्नलिखित है:–

- 54 निजी अस्पताल जिनको भूमि आबंटन एजेंसी (डीडीएएल एंड डीओ, एमसीडी एवं डूसीब) द्वारा रियायती दरों पर भूमि आबंटित

किया गया है, उन अस्पतालों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जाता है।

- इन अस्पतालों में 900 से अधिक फ्री बेंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों के लिए रिजर्व है।
- सन् 2018 में कुल 9 लाख मरीजों का आउंटडोर एवं 70000 मरीजों का इंडोर इलाज हुआ है।
- दिल्ली आरोग्य कोष से सरकारी अस्पतालों में इलाज ले रहे मरीज जो दिल्ली के तीन वर्षों से निवासी हो एवं उनकी पारिवारिक मासिक आय तीन लाख रुपए सालाना से कम है तो दिल्ली आरोग्य कोष द्वारा पात्रता पूर्ण होने के उपरांत पांच लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- उपरोक्त योजनानुसार दिल्ली के किसी भी अस्पताल द्वारा चिन्हित रेडियोलॉजिकल जांच एवं सर्जरी हेतु निजी सेंटरों में रेफर किया जाता है जहां जांचें मुफ्त प्रदान की जाती हैं, जांचों का पूर्ण खर्च दिल्ली सरकार वहन करती है बशर्ते मरीज के पास दिल्ली का 01.12.2017 से पहले का पहचान पत्र हो।
- इसके अतिरिक्त दिल्ली राज्य में किसी भी व्यक्ति के दुर्घटना होने जिनका एमएलसी दिल्ली द्वारा बनाया गया हो, उनकी जान बचाने हेतु किसी भी निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज प्रदान किया जाता है जिसका भुगतान दिल्ली आरोग्य कोष से किया जाता है।

199. श्री ओम प्रकाश शर्माः क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना लागू न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा गत वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष में कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(ग) यह राशि किस–किस श्रेणी के कार्यकर्त्ताओं को और कितनी–कितनी उपलब्ध कराई जानी थी?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क) प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना दिल्ली में लागू है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा लाभार्थियों के लि आवंटित राशि निम्नलिखित हैः–

2018–20

- रुपये 17,25,59,000/– वित्तीय वर्ष 2017–18 में जारी परन्तु 2018–19 में उपयोग की गई।
- अतिरिक्त अनुदान राशि 2018–19 रुपये 5,37,75,000/–
- 2019–20 रुपये 5,37,59,000/–

केन्द्र सरकार द्वारा योजना के लिए कुल अनुदान राशि रुपये 28,00,93,000/– है; और

(ग) योजना के अनुसार केवल प्रथम शिशु हेतु लाभार्थी महिला को निम्नलिखित राशि प्रदान की जाती हैः–

- रुपये 1000/– पहली किस्त (अंतिम मासिक चक्र से 150 दिन के भीतर योजना में पंजीकरण के बाद)

- रुपये 2000/– दूसरी किस्त (6 माह के भीतर कम से कम एक प्रसूति पूर्व जांच)
- रुपये 200/– तीसरी किस्त (शिशु के जन्म का पंजीकरण एवं टीकाकरण का प्रथम चक्र पूर्ण होने के बाद)।

200. श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ई–सिगरेट को लेकर सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या यह सत्य है कि सरकार ने ई–सिगरेट से जुड़े उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का वायदा किया था;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि अब सरकार इस पर पुनर्विचार कर इसे नियमन के दायरे में लाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, पूर्ण विवरण दें; और

(ङ) क्या सरकार युवाओं और स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर ई–सिगरेट के प्रभाव को लेकर कोई अध्ययन कराने पर विचार कर रही है?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क) दिल्ली सरकार ई–सिगरेट के नियमन एवं स्कूली बच्चों, अन्य विभागों एवं आम जनता की जागरुकता के लिए कार्य कर रही है, हालांकि ई–सिगरेट का मामला माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी;

(ख) जी हां, सरकार ने ई–सिगरेट से जुड़े उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक एफिडेविट जमा किया था;

(ग) जी हां, अब एक और नए एफिडेविट के द्वारा इस पर नियमन करने के लिए प्रस्तावित किया गया है, जो कि उच्च न्यायालय में विचाराधीन है;

(घ) कानून (ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940) में स्पष्टता नहीं है कि ई–सिगरेट में उपयोग होने वाला निकोटीन औषधी (drug) है या नहीं, जिसके लिए भारत सरकार से भी पत्राचार किया जा रहा है; और

(ङ) वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाईजेशन (WHO) और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के अध्ययन में ई–सिगरेट्स के हानिकारक स्वास्थ्य प्रभाव प्रमाणित हैं, परन्तु दिल्ली सरकार में फिलहाल ऐसा कोई अध्ययन विचाराधीन नहीं है।

201. श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि रघुबीर नगर में स्थित दिल्ली सरकार के गुरू गोबिन्द सिंह हॉस्पिटल में आवश्यक सुविधाओं का नितांत अभाव है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि हॉस्पिटल में कई प्रकार की दवाइयों तथा विभिन्न क्षेत्रों के तकनीशियनों की भारी कमी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस हॉस्पिटल में सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कोई कार्रवाई की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो ये सभी सुविधाएं इस हॉस्पिटल में कब तक उपलब्ध करवा दी जाएगी?

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः (क) जी नहीं, इस अस्पताल में उपलब्ध सभी

सुविधाएं यहां आने वाले मरीजों को निर्बाध उपलब्ध करवाई जा रही है। यह अस्पताल 100 बिस्तर का तथा निम्नलिखित विभाग कार्यरत हैं:–

1. मैडिसिन विभाग
2. सर्जरी विभाग
3. हड्डी विभाग
4. फिजियोथेरेपी विभाग
5. जच्चा बच्चा विभाग
6. बाल चिकित्सा विभाग
7. दंत विभाग
8. ईएनटी विभाग
9. चमड़ी विभाग
10. नेत्र विभाग
11. परिवार कल्याण विभाग
12. आपरेशन कक्ष
13. एनसथीसिया विभाग

उपरोक्त के अलावा आपातकालीन सेवाएं, प्रसूति विभाग, आपातकालीन शल्य चिकित्सा, लैब व रेडियोलॉजी विभाग 24 घंटे सेवाएं प्रदान कर रहा है;

(ख) जी नहीं, इस अस्पताल की ईडीएल में 311 दवाइयां सम्मलित हैं तथा 98 प्रतिशत दवाइयां अस्पताल में उपलब्ध हैं। अस्पताल में

12 तकनीशियनों के पद स्वीकृत है तथा 09 तकनीशियन कार्यरत है। एक ओटी व दो ईसीजी तकनीशियनों के पद रिक्त हैं;

(ग) अस्पताल में सुविधाओं के विस्तार हेतु 472 बिस्तरों वाले नए ब्लॉक की प्रशासनिक व व्यय की मंजूरी मिल गई है तथा लोक निर्माण विभाग आगे की कार्यवाही कर रहा है; और

(घ) अस्पताल के विस्तार हेतु विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल गए हैं। नगर निगम व अग्निशमन विभाग की अनापत्ति लंबित है।

202. श्री जगदीश प्रधानः क्या **माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) फलों को चीन में निर्मित रसायन अथवा एसिटिलीन के घोल में भिगोकर कोल्ड स्टोरेज में पकाने से जनता के स्वास्थ्य को क्या खतरा है;

(ख) इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ग) आजादपुर, बर्फ खाने (सब्जी मण्डी) जैसे स्थानों पर स्थित कोल्ड स्टोरेजस पर कब–कब रेड की गई;

(घ) इसके क्या परिणाम रहे;

(ङ) क्या फलों के नमूनों की जांच की गई;

(च) यदि हां, तो इसका विस्तृत विवरण दिया जाये; और

(छ) सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 से अब तक कितने–कितने नमूने उठाये हैं?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः (क) खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बधन) विनिमय, 2011 की विनियम 2.3.5 के तहत कार्बाइड

या एसिटिलीन गैस (चाहे वह चीन या अन्य किसी देश में बना हो) द्वारा फलों को कृत्रिम रूप से पकाना निषेध है।

इस प्रकार से पके हुए फलों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण बन सकता है जैसे, श्वसन, पाचन, किडनी, हृदय रोग इत्यादि;

(ख) इसकी रोकथाम के लिए विभाग द्वारा विशेष जागरुकता अभियान (कैम्प) चलाये जाते हैं ताकि व्यापारी तथा उपभोक्ता वर्ग इसके प्रति जागरुक हो सके। विभाग द्वारा समय–समय पर फलों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे जाते हैं और जो नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाते, उन विक्रेताओं के विरुद्ध खाद्य संरक्षा अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है;

(ग) आजादपुर, बर्फ खाने (सब्जी मण्डी) जैसे स्थानों पर स्थित कोल्ड स्टोरेजस के बजाय विभाग द्वारा फल–सब्जी मण्डी, फलों की दुकान और बाजार के अन्य दुकानों से जांच के लिए नमूने उठाये जाते हैं, क्योंकि वर्तमान में इथिलीन गैस द्वारा फलों को पकाने का काम रैपनिंग चैम्बरों में किया जा रहा है;

(घ) विभाग द्वारा जनवरी, 2015 से अब तक फल–सब्जी मण्डी, फलों की दुकान और बाजार के अन्य दुकानों में जांच के लिए फलों के 232 नमूने उठाये गए;

(ङ) जी हां;

(च) विस्तृत विवरण संलग्नक 'क' पर है; और

(छ) खाद्य संरक्षा विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 से अब

तक फलों को मिलाकर सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों के कुल 7138 नमूने उठाये गए। जिसका विवरण संलग्नक 'ख' पर है।

संलग्नक 'क'

वर्ष 2015 से अब तक विभाग द्वारा उठाये गए फलों के नमूनों का विवरणः—

समय	लीगल सैम्पल (फल)		सरविलांस सैम्पल (फल)	
	कुल	खराब	कुल	खराब
2015	20	1 मैंगो (कृत्रिम पकाया हुआ)	2	शून्य
2016	10	शून्य	शून्य	शून्य
2017	19	1 मैंगो (कृत्रिम पकाया हुआ)	शून्य	शून्य
2018	6	शून्य	175	1 मैंगो (कृत्रिम पकाया हुआ) 1 गोल्डन एप्पल (शीशे की मात्रा अधिक) 1 पीच (सड़ा हुआ)
2019 (अगस्त तक)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

संलग्नक 'ख'

Department of Food Safety, GNCT of Delhi
8th Floor Mayur Bhawan Connaught Place New Delhi 110001

Food Category wise Samples Taken from (01/04/2015 to 17/08/2019)

Sl. No.	Food Category	Total Nos. of Sample Taken	Pending	Result Declared	Genuine	Mis-branded	Sub-standard	Unsafe	Violation
1	Beverages (Other than Dairy and Fruits & Vegetable based)	153	0	153	129	19	2	3	0
2	Cereal and Cereal Products	577	0	577	466	84	4	23	0
3	Dairy Products and Analogues	1741	33	1708	1419	44	222	23	0
4	Fats, Oils and Fat Emulsions	639	1	638	595	28	14	0	1
5	Fruits and Vegetable Products	185	1	184	151	25	2	4	2
6	Irradiation of Food	1	0	1	1	0	0	0	0
7	Meat and Meat Produces	18	0	18	18	0	0	0	0
8	Non Standard	2894	61	2833	2341	196	10	175	111
9	Other Food Products and Ingredients	76	0	76	53	16	4	3	0
10	Salt, Spices, Condiments and related Products	707	1	706	662	24	8	12	0
11	Sweetening Agents Including Honey	91	0	91	79	7	2	3	0
12	Sweets and Confectionery	56	0	56	48	5	2	1	0
	Grand Total	7138	97	7041	5962	448	270	247	114

203. श्री राजेश ऋषिः क्या **माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली का खाद्य सुरक्षा कानून क्या है, पूर्ण विवरण दें;

(ख) नकली और सब स्टैण्डर्ड सामान बेचने वालों पर क्या कार्रवाई की जाती है;

(ग) खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सन् 2017 से आज तक कितने लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई;

(घ) खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत नकली दूध और नकली दूध से बने पदार्थों पर कानून में क्या प्रावधान है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में मिलावटी और नकली सामानों की शिकायत के लिए कोई हेल्प लाइन नम्बर है;

(च) यदि हां, तो इस पर 2017 से आज तक कितनी शिकायतें आई और कितनी शिकायतों पर क्या–क्या कार्रवाई हुई;

(छ) जनवरी से 2017 आज तक दूध के कितने सैम्पल लिए गए और किन–किन कम्पनियों के कितने सैम्पल सब–स्टैण्डर्ड और नकली पाए गए;

(ज) क्या यह सत्य है कि नकली टमेटो सॉस, सोया सॉस और नकली चिली सॉस बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे हैं;

(झ) यदि हां, तो अब तक विभाग ने कितने सैम्पल लिए और कितने लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की; और

(ञ) नकली दूध और उनसे बने पदार्थों से दिल्ली के बच्चों और दिल्ली के नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाली कितनी इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई हुई और उसके क्या परिणाम आये?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः (क) दिल्ली का खाद्य संरक्षा कानून भारत सरकार का 'खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011 तथा विनियम 2011 है' जोकि संसद के 2006 का अधिनियम संख्यांक 34 जोकि दिनांक 23 अगस्त, 2006 को राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त हुई। खाद्य संरक्षा से संबंधित विधियों को समेकित करने और खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक अधिकथित करने तथा उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना करने, मानव उपभोग के लिए सुरक्षित तथा स्वास्थ्यप्रद खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित हो;

(ख) नकली और सब स्टैण्डर्ड सामान बेचने वालों पर 'खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011 तथा विनियम 2011' के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है;

(ग) 'खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011 तथा विनियम 2011 के तहत सन 2017 से आज तक 413 खाद्य विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई;

(घ) 'खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011 तथा विनियम 2011 के तहत नकली दूध और नकली दूध से बने खाद्य पदार्थ पाए जाने पर उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न धाराओं के तहत सजा एवं जुर्माना निर्धारित है;

(ङ) जी हां, खाद्य संरक्षा विभाग, दिल्ली सरकार ने शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन/टोल–फ्री नम्बर 1800113921 स्थापित किया है;

(च) अब तक कुल 396 शिकायतें टोल–फ्री नम्बर पर दर्ज की गई है, जिसके निस्तारण हेतु उचित कार्रवाई की गई;

(छ) जनवरी, 2017 से आज तक दूध के कुल 355 नमूने के लिए गए। निम्नलिखित कम्पनियों के कुल 21 नमूने अवमानक (सब–स्टैंडर्ड) या मिथ्याछाप (मिसब्रांडेड) पाये गएः–

कम्पनी	अवमानक (सब–स्टैंडर्ड)	मिथ्याछाप (मिसब्रांडेड)
अमूल	09	–
डेलेक्टा प्रीमियम	–	01
डीएमएस	01	01
मदरडेरी	05	–
नमस्ते इंडिया	01	–
पतंजलि	–	03

(ज) संज्ञान में नहीं है, फिर भी टोमेटो सॉस के कुछ नमूने अवमानक (सब–स्टैंडर्ड) तथा मिथ्याछाप (मिसब्रांडेड) पाये गये हैं;

(झ) विभाग ने जनवरी, 2017 से अब तक 29 सैम्पल लिए जिनमें 01 नमूना अवमानक (सब–स्टैंडर्ड) व 06 नमूने मिथ्याछाप (मिसब्रांडेड) पाए गए और संबंधित लोगों के विरुद्ध 'खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011 तथा विनियम 2011 के तहत कार्रवाई की गई; और

(ञ) विभाग द्वारा 01 जनवरी 2017 से अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में विभिन्न इकाइयों से दूध तथा दूध से बने खाद्य पदार्थों के कुल

1319 नमूने उठाये गए, जिनमें से 256 नमूने खाद्य संरक्षा अधिनियम 2006 के मानक के अंतर्गत नहीं पाये गए और अब तक 151 के विरुद्ध विभिन्न न्यायालय में मुकदमें दर्ज कराये गए हैं।

204. श्री अजय दत्तः क्या **माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अम्बेडकर नगर विधान सभा क्षेत्र में कितने काम पीडब्ल्यूडी के द्वारा वर्ष 2018–19 में किये गए, उसका पूर्ण ब्यौरा दिया जाए;

(ख) इस क्षेत्र में कौन–कौन से रोड नये बनने जा रहे हैं और उनका काम कब से शुरू किया जाएगा; और

(ग) इस क्षेत्र में कितने दिन डिसिल्टिंग मशीन चलाई गई व उस पर कितना खर्चा कया गया?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) (1) सड़क से संबंधित कार्यों की सूची निम्न प्रकार हैः–

(i) A/R & M/O various Road under PWD Division South Road-1/Sub Division SR-11 during 2018-19. (SH: De-silting of drains by super sucker machine). (Work completed)

(ii) A/R & M/O various Road under PWD Division South Road-1/Sub Division SR-11 during 2018-19. (Sh: De-silting of storm water drains). (Work completed)

(iii) A/R & M/O various Road under PWD Division South Road-1/Sub Division SR-11 during 2018-19 (SH: Repair of road surface of Baba Durbal Nath Marg). (Work completed)

(iv) A/R & M/O various Road under PWD Division South Road-1/Sub

Division SR-11 during 2018-19 (SH: Remodeling of drain near Mahila Mangal side at Baba Durbal Nath Marg). (Work completed).

(v) A/R & M/O various road under PWD Division SR-1/Sub Division SR-11 during 2018-19. (Sh: Construction of Drain near H-Block, Maharishi Balmiki Marg, Dakshinpuri, New Delhi). (Work completed).

(vi) A/R & M/O various Road under PWD Division SR-1/Sub Division SR-11 during 2018-19. (Sh:-Repair of Culvert Near 18-Block Valmiki Marg Ambedkar Nagar New Delhi). (Work completed).

(2) स्कूलों में बनाये जा रहे कमरों का विवरण निम्न प्रकार है:—

Sl.No.	Name of School	School ID	Nos. of Rooms
1.	SBV Yogi Arvind	1923005	12
2.	GGSSS, Tigri	1923080	J2
3.	Ishani G-Block Sakel	1923036	60
4	SKV MB Road Pushp Vihar	1923071	44
	Total		168

(3) लगाये जा रहे सीसीटीवी कैमरों का विवरण संलग्नक 'ए' में क्रम संख्या 47 पर वर्णित है;

(ख) (i) Durbal Nath Marg (ii) Raja Ram Marg (iii) H Block Dakshin Puri Road का माजबूतीकरण एवं resurfacing इस वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित हैं;

(ग) इस क्षेत्र में 78 दिन डिसिल्टिंग मशीन चलाई गई व लगभग कुल रु. 20 लाख रुपये खर्चा आया।

संलग्नक "ए"

Sl. No.	AC No.	AC Name	District	Site Survey Status (as on 13.08.19)	No of Cameras Installed
1	2	3	4	5	6
1	67	Babarpur	Shahdra	1896	453
2	22	Ballimaran	Central Delhi	771	164
3	2	Burari	Central Delhi	1654	244
4	20	Chandni Chowk	Central Delhi	874	3
5	61	Gandhi Nagar	East Delhi	175	
6	23	Karol Bagh	Central Delhi	1928	103
7	56	Kondli	East Delhi	1656	4
8	60	Krishna Nagar	East Delhi	1668	2
9	58	Laxmi Nagar	East Delhi	1734	46
10	57	Patparganj	East Delhi	1444	444
11	64	Rohtas Nagar	Shahdra	1540	210
12	19	Sadar Bazar	Central Delhi	1523	388
13	63	Seemapuri	Shahdra	1795	765
14	62	Shahdara	Shahdra	730	92
IS	3	Timarpur	Central Delhi	1243	207
16	55	Trilokpuri	East Delhi	1083	259
17	59	Vishwas Nagar	Shahdra	0	
18	5	Badli	North Delhi	2000	554

1	2	3	4	5	6
19	28	Hari Nagar	West Delhi	1851	400
20	30	Janakpuri	West Delhi	950	275
21	26	Madipur	West Delhi	2000	109
22	25	Moti Nagar	West Delhi	2000	455
23	11	Nangloi Jat	West Delhi	1779	285
24	24	Patel Nagar	West Delhi	1567	302
25	27	Rajouri Garden	West Delhi	416	
26	65	Seelampur	North East Delhi	1349	379
27	15	Shakur Basti	West Delhi	2055	416
28	29	Tilak Nagar	West Delhi	771	102
32	32	Uttam Nagar	West Delhi	2060	563
30	31	Vikaspuri	West-Delhi	1303	178
31	7	Bawana	North West Delhi	1706	30
32	66	Ghonda	North East Delhi	1115	
33	68	Gokalpur	North East Delhi	0	
34	70	Karawal Nagar	North East Delhi	2336	
35	9	Kirari	North West Delhi	1431	4
36	12	Mangol Puri	North west Delhi	1898	29
37	8	Mundka	North West Delhi	1850	
38	69	Mustafabad	North East Delhi	1658	
39	1	Narela	North West Delhi	861	4
40	6	Rithala	North West Delhi	2030	45

1	2	3	4	5	6
41	13	Rohini	North West Delhi	894	
42	14	Shalimar Bagh	North West Delhi	248	12
43	10	Sultan Pur Majra	North West Delhi	1934	
44	16	Tri Nagar	North West Delhi	2439	30
45	17	Wazirpur	North West Delhi	2412	
46	4	Adarsh Nagar	North Delhi	1592	112
47	48	Ambedkar Nagar	South Delhi	1317	191
48	53	Badarpur	South East Delhi	1012	189
49	36	Bijwasan	South West Delhi		
50	46	Chhatarpur	South Delhi	2207	103
51	38	Delhi Cantonment	New Delhi	720	210
52	47	Deoli	South Delhi	1108	
53	33	Dwarka	South West Delhi	986	415
54	50	Greater Kailash	South Delhi	1287	275
55	41	Jangpura	South East Delhi	964	340
56	51	Kalkaji	South East Delhi	1551	263
57	42	Kasturba Nagar	South East Delhi	1813	47
58	43	Malviya Nagar	South Delhi	1456	140
59	21	Matia Mahal	South West Delhi	735	
60	34	Matiala	South West Delhi	1881	261
61	45	Mehrauli	South Delhi	1743	267
62	18	Model Town	North Delhi	1589	48

1	2	3	4	5	6
63	35	Najafgarh	South West Delhi	45	
64	40	New Delhi	New Delhi	1673	1300
65	54	Okhla	South East Delhi	1063	231
66	37	Palam	South West Delhi	626	123
67	44	R.K. Puram	New Delhi	1595	305
68	39	Rajinder Nagar	New Delhi	1278	155
69	49	Sangam Vihar	South East Delhi	849	
70	52	Tughlakabad	South East Delhi	1249	415
				94966	12946
					300
					13246

205. श्रीमती प्रमिला टोकसः क्या **माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि आर.के. पुरम विधान सभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी द्वारा फुटओवर ब्रिज बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू होगा;

(ग) क्या यह सत्य है कि आर.के. पुरम विधान सभा क्षेत्र में कुल पांच फुटओवर ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया था;

(घ) यदि हां, तो चिह्नित स्थान कौन–कौन से हैं;

(ङ) अब तक इस कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(च) इन पर कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा?

माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्रीः (क) जी हां, चार फुटओवर ब्रिज बनाने के लिये कार्य आवंटित किया गया हैः

1. मोहन सिंह मार्किट
2. आर.टी.आर.
3. मोती लाल नेहरू कैम्प
4. बाब गंग नाथ मार्ग;

(ख) फुटओवर ब्रिज का निर्माण चालू है;

(ग) जी नहीं, केवल उपरोक्त चार स्थानों पर ही फुटओवर ब्रिज का निर्माण किया जाना है;

(घ) 1. मोहन सिंह मार्किट

2. आर.टी.आर.
3. मोती लाल नेहरू कैम्प
4. बाब गंग नाथ मार्ग;

(ङ) सेवाएं स्थानांतरित करने के कारण; और

(च) 31.12.2019 तक कार्य शुरू कर दिया जायेगा।

206. श्री सुखबीर सिंह दलालः क्या **माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 01.01.2015 से मुंडका विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए गए सभी निर्माण कार्यों का वर्क आर्डर सहित पूर्ण विवरण दें;

(ख) रोहतक रोड की लम्बे समय से जर्जर व दयनीय स्थिति होते हुए भी इसका पुनर्निर्माण न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) 01.01.2015 से मुंडका विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाले कितनी सड़कों का निर्माण कराया गया है;

(घ) मुंडका विधान सभा क्षेत्र में छंटाई के प्रति कौन उत्तरदायी है;

(ङ) 01.01.2015 से मुंडका विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग बागवानी द्वारा कराए गए सभी कार्यों के वर्क आर्डर का विवरण उपलब्ध करायें;

(च) हिरण कूदना मोड़ (रोहतक रोड) से ढिचाऊं कलां तक लोक निर्माण विभाग की सड़कों के किनारों की झाड़ियों और फैले पेड़ों को छंटाई लम्बे अरसे से न किए जाने के क्या कारण हैं;

(छ) कृपया मुंडका विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग बागवानी से संबंधित सभी अधिकारियों का विवरण व सम्पर्क नम्बर उपलब्ध करें;

(ज) क्या लोक निर्माण विभाग द्वारा 01.01.2015 से मुंडका विधान सभा क्षेत्र में किए गए उद्यान/बागवानी संबंधी कार्यों की लेखा परीक्षण कराया गया है;

(झ) यदि हां, तो इसके लेखा परीक्षण का विवरण उपलब्ध कराइये; और

(ञ) यदि नहीं, तो लेखा परीक्षा न कराने के क्या कारण हैं?

माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्रीः (क) 01.01.2015 से मुंडका विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये गये सभी कार्यों के वर्क आर्डर की सूची संलग्न है (Annexure-'A');

(ख) रोहतक रोड की Strengthening के कार्य का प्राक्कलन MoRTH को Sanction हेतु वर्ष 2016 में भेजा गया था परन्तु इसकी Sanction आज दिनांक 17.08.19 तक भी प्राप्त नहीं हुई है;

(ग) 01.01.2015 से मुंडका विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई भी सड़क का निर्माण कार्य नहीं कराया गया;

(घ) मुंडका विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुरक्षित मार्गों पर छंटाई के लिए लोक निर्माण विभाग की बागवानी शाखा उत्तरदायी है;

(ङ) दिनांक 01.01.2015 से 31.03.2016: —शून्य

वर्ष 2016—17	:	रु. 4.52 लाख
वर्ष 2017—18	:	शून्य
वर्ष 2018—19	:	रु. 38.61 लाख;

(च) पेड़ों की छटाई का कार्य 31.10.2019 तक करवा दिया जाएगा;

(छ) श्री अशोक कुमार शर्मा, उपनिदेशक (उद्यान): मो. 9868350882,

श्री जयपाल सिंह राणा, सहायक निदेशक (उद्यान): मो. 9650684008,

श्री अंकित चर्तुवेदी, अनु. अधिकारी (उद्यान): मो. 9935154241;

(ज) जी नहीं।

(झ) उपरोक्त 'ज' के अनुसार लागू नहीं है; और

(ञ) लेखा परीक्षण इस विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

यह उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

ANNEXURE-A

Sl. No.	Name of Work	Aggrement No.	Estimate Cost	Tender Amount
1.	EOR to GSKV, Mundka, New Delhi. (SH:- Repair of girls and boys toilet and covering one side staircase opening and other ancillary repair work of GSKV Mundka).	21/EE/M-132(N)/2017-18	1052316	721994
2.	EOR to Govt. Boys Senior Secondary School, Tikri Kalan, New Delhi. (SH:- Raising of boundary wall and misc. works).	71/EE/M-32(N)/2017-18	2235203.00	1665450.00
3.	EOR to Govt. Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Mundka, New Delhi. (SH:- Provision of boundary wall up to ten feet-Le. repairing of existing grill, provision of channel gate in newly constructed building leveling of low lying area and providing paver block and construction of Rain Water Harvesting System).	210/EE/M-132(N)/2017-18	9796391.00	7123936.00
4.	EOR to Govt. Boys Sr. Sec. School at Tikri Kalan (1617001). (SH:- Construction of rain water harvesting system for newly constructed building, concrete slab and table for dining area mid day meal distribution and concrete benches for the park/green area.	191/EE/M-132(N)/2017-18	1032138.00	825194.00
5.	EOR to Govt. Boys Senior Secondary School (School ID 1617001) at Tikri Kalan, New Delhi. (SHL- Development of area around the newly constructed building, separate electric power room and miscellaneous (work).	163/EE/M-132(N)/2018-19	1622136.00	1023892.00
	Total			11360466

उप निदेशक (उद्यान)
उद्यान मंडल नॉर्थ
लोक निर्माण विभाग,
दिल्ली सरकार
13वी मंजिल, एमएसओ भवन,
नई दिल्ली–110002.
दूरभाष सं. 23319119

DEPUTY DIRECTOR (HORT.)
HORTICULTURE DIVISION NORTH
PUBLIC WORKS DEPARMENT,
GOVT. OF DELHI
13th Floor, MSO Building,
New Delhi-110002
Ph. 23319119, Fax 23490432
e-mail:- ddhpwddelhim314@gmail.com

No. 54 (अवार्ड)/उ.मं. नॉर्थ/लो.नि.वि./2016–17/694 दिनांक 31.3.2017

सेवा में

M/s. Garden Paradise
C-6B/17, Janakpuri,
New Delhi -110058.

Sub:- M/o Hort. work area attached Peeragarhi to Mundka New Delhi during 2016-17. SH: Plantation in Central Verge.

NIT No.	:	91/DDH/North/PWD/2016-17
TENDER ID NO.	:	2017_PWD_123673_1

Dear Sir,

Performance Guarantee submitted by you in the shape of FDR No 615019 dated 28.03.2017 of Rs. 46,000/- issued by Syndicate Bank, New Delhi. This office letter of acceptance of tender No. 54 (NIT)/HD North/PWD /2016-17/ 100 Dated 14.03.2017.

Estimated Cost	:	Rs. 14,64,937/-
Tendered Cost	:	Rs. 9,07,968/-
Percentage	:	38.02% below
Tune Allowed	:	150 days (30 days for execution and 120 days for maintenance))
Stipulated Date of Start	:	07.04:2017
Stipulated date of Completion	:	06.09.2017

1. You are requested to contact the Assistant Director (Hort.) Sub Divn. West, Hort. Divn. North, P-WD (NCTD), 13th Floor, MSO Building, New Delhi for taking possession of site and starting me work at Once.

2. In continuation to the letter referred above, you are requested to attend this office to complete formal agreement within Ten days of issue of this letter.

End:- Schedule of Quantity.

उपनिदेशक (उद्यान)
उद्यान मंडल, नॉर्थ,
लो.नि.वि. (दि.स.) नई दिल्ली

Copy to:

1. करार No. 71 /DD(HVNorth/2016-17/PWD.
2. निदेशक (उद्यान), लो.नि.वि., 13वां तल, एम.एस.ओ. भवन, नई दिल्ली।
3. Labour Officer, Zone-5, CPWD, R.No.-247, Vidyut Bhawan/New Delhi-01.
4. सहायक निदेशक (उद्यान) उपमंडल वैस्ट, along with schedule of quantity, site order book and Hindrance register.

उपनिदेशक (उद्यान)

Annexure-'A'

Sl. No.	AC No.	AC Name	District	Site Survey Status (as on 13.08.19)	No of Cameras Installed
1	2	3	4	5	6
1	67	Babarpur	Shahdra	1896	453

1	2	3	4	5	6
2	22	Ballimaran	Central Delhi	771	164
3	2	Burari	Central Delhi	1654	244
4	20	Chandni Chowk	Central Delhi	874	3
5	61	Gandhi Nagar	East Delhi	175	
6	23	Karol Bagh	Central Delhi	1928	103
7	56	Kondli	East Delhi	1656	4
8	60	Krishna Nagar	East Delhi	1668	2
9	58	Laxmi Nagar	East Delhi	1734	46
10	57	Patparganj	East Delhi	1444	444
11	64	Rohtas Nagar	Shahdra	1540	210
12	19	Sadar Bazar	Central Delhi	1523	388
13	63	Seemapuri	Shahdra	1795	765
14	62	Shahdara	Shahdra	730	92
IS	3	Timarpur	Central Delhi	1243	207
16	55	Trilokpuri	East Delhi	1083	259
17	59	Vishwas Nagar	Shahdra	0	
18	5	Badli	North Delhi	2000	554
19	28	Hari Nagar	West Delhi	1851	400
20	30	Janakpuri	West Delhi	950	275
21	26	Madipur	West Delhi	2000	109
22	25	Moti Nagar	West Delhi	2000	455
23	11	Nangloi Jat	West Delhi	1779	285

1	2	3	4	5	6
24	24	Patel Nagar	West Delhi	1567	302
25	27	Rajouri Garden	West Delhi	416	
26	65	Seelampur	North East Delhi	1349	379
27	15	Shakur Basti	West Delhi	2055	416
28	29	Tilak Nagar	West Delhi	771	102
32	32	Uttam Nagar	West Delhi	2060	563
30	31	Vikaspuri	West-Delhi	1303	178
31	7	Bawana	North West Delhi	1706	30
32	66	Ghonda	North East Delhi	1115	
33	68	Gokalpur	North East Delhi	0	
34	70	Karawal Nagar	North East Delhi	2336	
35	9	Kirari	North West Delhi	1431	4
36	12	Mangol Puri	North west Delhi	1898	29
37	8	Mundka	North West Delhi	1850	
38	69	Mustafabad	North East Delhi	1658	
39	1	Narela	North West Delhi	861	4
40	6	Rithala	North West Delhi	2030	45
41	13	Rohini	North West Delhi	894	
42	14	Shalimar Bagh	North West Delhi	248	12
43	10	Sultan Pur Majra	North West Delhi	1934	
44	16	Tri Nagar	North West Delhi	2439	30
45	17	Wazirpur	North West Delhi	2412	

1	2	3	4	5	6
46	4	Adarsh Nagar	North Delhi	1592	112
47	48	Ambedkar Nagar	South Delhi	1317	191
48	53	Badarpur	South East Delhi	1012	189
49	36	Bijwasan	South West Delhi		
50	46	Chhatarpur	South Delhi	2207	103
51	38	Delhi Cantonment	New Delhi	720	210
52	47	Deoli	South Delhi	1108	
53	33	Dwarka	South West Delhi	986	415
54	50	Greater Kailash	South Delhi	1287	275
55	41	Jangpura	South East Delhi	964	340
56	51	Kalkaji	South East Delhi	1551	263
57	42	Kasturba Nagar	South East Delhi	1813	47
58	43	Malviya Nagar	South Delhi	1456	140
59	21	Matia Mahal	South West Delhi	735	
60	34	Matiala	South West Delhi	1881	261
61	45	Mehrauli	South Delhi	1743	267
62	18	Model Town	North Delhi	1589	48
63	35	Najafgarh	South West Delhi	45	
64	40	New Delhi	New Delhi	1673	1300
65	54	Okhla	South East Delhi	1063	231
66	37	Palam	South West Delhi	626	123
67	44	R.K. Puram	New Delhi	1595	305

1	2	3	4	5	6
68	39	Rajinder Nagar	New Delhi	1278	155
69	49	Sangam Vihar	South East Delhi	849	
70	52	Tughlakabad	South East Delhi	1249	415
				94966	12946
					300
					13246

Annexure-'A'

- **01.01.2015 से मुंडका विधान सभा क्षेत्र में स्कूलों का निर्माण तथा बनाए जा रहे कमरों का विवरणः—**

S.No.	Name of School	School ID	Nos. of Rooms
1	Hiran Kudna-S (Co.ed)	1617006	68
2	Nilothi-SKV	1617026	76
	Total		144

- **हिरण कूदना में एक कार्यः** Development of play field in Govt. Boys Sr. Sec. School, Hirna Kudna, New Delhi (SH: C/o 200 Meters synthetic athletic track change rooms, reception, coach rooms etc. including E&M works) जिसका टेण्डर किया जा चुका है और आवार्ड किया जाना है।

207. श्री संजीव झाः क्या **माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि बुराड़ी मोड़ से लेकर अमृत विहार तक मेन

100 फुटा रोड के पुनर्निर्माण एवं चौड़ीकरण का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना प्रस्तावित था;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कब से कार्य आरंभ होना था;

(ग) क्या इस कार्य के क्रियान्वयन में विलंब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) उसका ब्यौरा क्या है?

माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्रीः (क) यह सत्य है कि बुराड़ी मोड़ से लेकर अमृत विहार तक मेन 100 फुटा रोड के पुनर्निर्माण एवं चौड़ीकरण का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना प्रस्तावित है;

(ख) इस कार्य का प्रारंभिक प्राकलन रु. 10.15 करोड़ का बनाकर लोक निर्माण विभाग के सचित कार्यालय में माह जुलाई 2019 में प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रारंभिक प्राक्कलन की स्वीकृति व अनुमोदन होने के उपरांत कार्य 1.5 माह में आरंभ होना संभावित हैं;

(ग) उपरोक्त 'ख' अनुसार लागू नहीं;

(घ) उपरोक्त 'ख' अनुसार लागू नहीं; और

(ङ) उपरोक्त 'ख' अनुसार लागू नहीं।

208. श्री प्रवीण कुमारः क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या लोक निर्माण विभाग के पास बोली के लिए कोई खाली दुकान या प्लांट है;

(ख) इसे आबंटन करने या पट्टे पर देने की प्रक्रिया क्या है; और

(ग) पिछले पांच वर्षों से लोक निर्माण विभाग द्वारा कितनी–कितनी दुकानें/भूखंड आबंटित की गई/किये गए या पट्टे पर दी गई/दिये गए?

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः (क) जी हां, इस विभाग के अधीनस्थ विवरण निम्न प्रकार हैः–

(1) आजादपुर सब्जी मंडी के पास दो सब–वे के अंदर 32 दुकानें हैं जिनमें से एक दुकान आबंटित की गई है तथा 31 दुकानें खाली है।

(2) **गुलाबी बाग डी.ए. फ्लैट्स कॉलोनी** के अंदर 58 दुकानें हैं जिसमें से 9 दुकानें खाली हैं।

(3) दक्षिणी दिल्ली में अनुसंलग्नक–'ए' के अनुसार 73 अनावंटित दुकानें और हैं;

(ख) दुकान आबंटित करने की प्रक्रिया के बारे में जो नियम व शर्ते हैं (संलग्न है); और

(ग) लोक निर्माण विभाग ने पिछले पांच वर्षों में कोई दुकान आबंटित/पट्टे पर नहीं दी गई है।

यह उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

ANNEXURE-I

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
PUBLIC WORKS DEPARTMENT & HOUSING
5TH LEVEL "B" WING
DELHI SECRETARIAT: NEW DELHI

Terms and conditions of Auction

1. The premises will be licensed for ten (10) years from the date of commencement of licence deed i.e. the date of taking of possession of premises on 'AS IS WHERE IS BASIS' by the licensee from licensor. The licensee after taking formal occupation of the licensed premises shall not contest thereafter that the licensed premises is not complete in any respect whatsoever. If any change, additions / alterations are necessary, the licensee shall do the same at his own cost after obtaining prior written permission of the licensor and the liabilities for the payment of licence fee shall not be affected.

2. Any individual partnership firm and company registered under Companies Act, 1965 or Companies Act,'2013 are eligible to participate in the Auction. Regarding partnership and Company, they should be subsisting for the last 3 years prior to the date of auction.

3. The Licensor (i.e. Public Works Department) reserves the right to reject any or all the bidders / bids without assigning any reasons. The details of shops to be auctioned is given at point no. 26 Annexure-I alongwith their (a) location, (b) covered area, (c) reserve price (monthly).

4. The allotment will be made to the highest bidder in the auction on licence fee payment basis for a period of 10 years.

5. All the participants who desire to participate in the auction, have to deposit an earnest money deposit (EMD) equivalent to reserve price for a month as indicated in ANNEXURE-I through demand draft/bank guarantee/FDR

drawn in favor of A.O. (Finance), Land & Building Deptt. GNCTD before the date of auction and PWD will than allow only such participants who had deposited EMD alongwith the bid.

6. The earnest money (EMD) shall be forfeited in favor of the PWD in case the applicant after participating in auction becomes successful bidder withdraws the offer or makes modifications therein or on acceptance of his application fails to complete any of the formalities of the licence or fail to comply with any of the terms and conditions and any of the formalities of the licence within the period as stipulated in conditions 7 & 8 below and the allotment in such cases shall be deemed terminated.

7. The successful bidder will be required to deposit equal to one (01) month licence fee as interest free security deposit and one (1) month advance licenced to PWD. The interest free security deposit and one (1) month advance licence fee shall be accepted only in the form of Demand Draft or Bank guarantee or FDR in favor of A.O. (Finance), Land & Building Deptt. GNCTD, PWD payable at New Delhi/Delhi, within a period of 15 days of the receipt of the intimation of acceptance of his offer towards the fulfillment of the contractual obligations. The earnest money deposited by the successful bidder alongwith the bid will be adjusted towards the security deposited.

8. The successful bidder will execute a licence deed on a non-judicial stamp paper within a period of 15 days from the date of depositing the security deposit alongwith one (1) month advance licence fee to Licensor, in the Performa prescribed by the Licensor. The licensee shall take the possession of the shop from the licensor within 30 days from the date of execution of licence deed.

9. The terms and conditions of the licence are given in the attached licence deed in detail, and it is the responsibility of the bidder to go through such terms and conditions before participating in this auction process. In case of any discrepancy in documents related to the auction, the terms and conditions mentioned in the Licence Deed shall have superseding effect.

10. In case of termination, Licensor shall enter into the premises, and in the event of the Licensee not surrendering the vacant possession of the premises within the stipulated period under this deed in a peaceful manner the licensee shall render himself/herserlf/themselves liable for action for eviction under the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 and any other action(s) as deemed fit by the licensor.

11. At the time of commencement of licence deed, the licence fee deposited in advance will be adjusted towards the monthly licence fee and after adjustment of the said licence fee, the licensee shall pay the licence fee in advance by the 10th of each English Calendar month at the latest.

12. Non-payment of the licence fee within the prescribed period will constitute breach of the terms of licence and shall render the licence liable to be terminated. In case of default in payment of the licence fee for any reason, what-so-ever, shall be liable to pay to the licensor monthly compounding interest for the period of default @ 15% per annum on amount of licence fee and any other dues including interests, the payment of which has been so defaulted. The interest on defaulted amounts shall be payable for full month irrespective of the fact whether default so committed is for the part of the month.

13. In case of licensable trades, operations should only be started after getting appropriate licence, such as health license from the competent authority.

14. The licensee shall run the shop himself or through his/her spouse, parents and children only. No other relative or any other person will be allowed to run the shop without obtaining the prior permission in writing from the licensor, and if at any time shop is found running by some person other than the licensee or his/her spouse, parents/and children or person allowed by the licensor, then such case will be treated as sub-letting, and the licence will be terminated automatically in such scenario. Licensor will take all necessary action, as deemed fit by it, in such scenario.

15. Save as provided in the proceeding paras, the licensee during the tenure of this license shall not sublet/transfer/assign or part with the building or any portion thereof permanently or temporarily to anybody else nor shall be allowed to take any person /persons to occupy the premises or to use any part thereof save with the prior permission in writing of the licensor.

16. The licensee shall be bound to abide by all applicable statutes, laws, ,by-laws, rules, regulations, orders, ordinances, protocols, codes, guidelines, policies, notices, directions, judgments, decrees or other requirements or official directive of any governmental authority or court or other law, rule or regulation approval from the relevant governmental authority, government resolutions, directives, or otherwise restrictions or any similar form of decisions of, or determination by, or any interpretations or adjudications having the force of law in India and the rules, regulations, bye-laws, orders, etc. made under them, as amended from time to time.

17. The prospective Auctioneers/bidders should not have been debarred/ blacklisted by any Government/Public sector undertaking/Local Bodies or any other statutory authority and the successful bidder has to furnish an affidavit in this regard.

18. The participants should also furnish PAN Number issued by Income Tax alongwith returns for the last three years.

19. The increase in licence fee, use of the premises, renewal, change of trade, transfer, clubbing of units, subletting, damages on cancellation and revocation, interest on delayed payment, sealing and de-sealing of premises, mutual exchange, security deposit and other conditions shall be as per the policy of the PWD and as decided from time to time.

20. Upon the expiry of licence period, renewal may be allowed as per policy of the PWD in vogue and subject to completion of condition of licence deed in letter and spirit throughout licence period of 10 years. If the licensee fails to get it renewed in accordance with the policy of the PWD, it will be deemed as automatic cancellation and PWD shall enter into the

premises without giving any further notice. The prospective bidder shall peacefully handover the possession to PWD on the expiry of the licence in accordance with the condition no.2.4 of the chapter on Grant of licence.

21. The licensee shall himself/itself occupy and use the premises only for the purpose for which it is being licenced by PWD and run the Premises himself. However, the Iicencee can apply for change of trade in accordance with the policy of PWD.

22. The final authority to accept or reject any bid will be Principal Secretary, PWD.

23. The other terms and conditions of the licence deed have to be executed by the successful bidder.

24. The successful bidder is liable to make all statutory payments including water charges, electricity, sanitation etc.

25. Licence deed is annexed as Chapter-I.

26. Details of shop:- Location, area, Reserve Price (monthly).

Shop No.	Location	Shop Area	Reserved License Fee (Per Month)
S.-l	Behind Shop No. 7, Delhi govt. Resi. Colony, Kalyanvas, Delhi	20.15 Sqm	25,611/-
S.-2		21.02 Sqm	26,717/-
S.-3		20.43 Sqm	25,967/-

27. Rent review:- The license fee shall be increased at the rate of ten per cent (10%) annually on compounding basis, w.e.f. 01 April of every year which shall be final and binding upon the licensee. However, as the licensee would not be completing a period of one year from the date of grant of license, the first such increase would be made on 01st April, 2019.

209. श्री पंकज पुष्करः क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में लोक निर्माण विभाग के पूर्ण स्वामित्व वाली सड़कें कौन–कौन सी हैं;

(ख) सभी सड़कों का लम्बाई सहित पूर्ण विवरण दें;

(ग) क्या लोक निर्माण विभाग के पूर्ण स्वामित्व वाली सड़कों पर भी नगर निगम बिना किसी पूर्व अनुमति के होर्डिंग, यूनिपोल एवं तहबजारी लगा सकता है;

(घ) यदि हां, तो किस नियम के अंतर्गत, आदेश की प्रति सहित पूर्ण विवरण उपलब्ध करवाएं; और

(ङ) लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले भूखंड तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र संख्या–3 में कौन–कौन से हैं, पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं?

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः (क) जमीन का पूर्ण स्वामित्व दिल्ली नगर निगम के पास है। लोक निर्माण विभाग के पास पूर्ण स्वामित्व वाली सड़कें शून्य हैं। दिल्ली नगर निगम एक्ट की धारा 298 के अनुसार (प्रतिलिपि संलग्न)* सभी सड़कों का स्वामित्व दिल्ली नगर निगम के पास है;

(ख) उपरोक्त 'क' के अनुसार लागू नहीं;

(ग) दिल्ली नगर निगम एक्ट की (धारा 142, 143) के अनुसार दिल्ली महानगर क्षेत्र की सभी सड़कों पर नगर निगम के पास बिना पूर्व सड़कों पर नगर निगम के पास बिना पूर्व अनुमति के होर्डिंग, यूनिपोल एवं तहबजारी के अधिकार प्राप्त है;

(घ) दिल्ली नगर निगम एक्ट की प्रति वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा इस प्रश्न से संबंधित प्रति संलग्न* की जा रही है; और

---

*www.dehliassembly.nic.in पर उपलब्ध

(ङ) तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र संख्या–3 में लोक निर्माण विभाग के पास पूर्ण स्वामित्व वाला कोई भी भूखंड नहीं है।

210. श्रीमती प्रोमिला टोकसः क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आर.के. पुरम विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्तमान में कौन–कौन से विकास कार्य चल रहे हैं, विवरण सहित बताएं;

(ख) इस क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा भविष्य में और कौन–कौन से विकास कार्य प्रस्तावित हैं;

(ग) क्या यह सत्य है कि इस क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाली किसी सड़क की मरम्मत या बनाने का कार्य प्रस्तावित है;

(घ) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि मुनीरिका फ्लाईओवर के सर्फेस के खराब होने की शिकायतें विभाग को मिल रही हैं;

(च) यदि हां, तो उस फ्लाईओवर के सर्फेस को कब तक ठीक कर दिया जायेगा;

(छ) क्या यह भी सत्य है कि राव तुलाराम मार्ग फ्लाईओवर पर साउंडबैरियर लगने प्रस्तावित थे;

(ज) यदि हां, तो इस मार्ग पर अभी तक साउंडबैरियर न लगने का क्या कारण है; और

(झ) ये साउण्ड बैरियर कब तक लगा दिए जायेंगे, पूर्ण विवरण दें?

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः (क) नवनिर्मित राव तुला राम फ्लाईओवर जोकि मुनिरका के मौजूदा फ्लाईओवर से हो कर RR Hospital के पास तक जाता है, का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस फ्लाईओवर के नीचे की सड़क, फुटपाथ एवम् Drain का कार्य भी लगभग समाप्ती की और है। एक Underpass का कार्य जोकि BJ Marg से शुरू हो कर SM Marg एवम् Ring Road के समानान्तर होकर AIIMS की ओर जाता है, अभी प्रगति पर है। उपरोक्त दोनों कार्य एक ही संयुक्त करार एवम् स्वीकृति के अंतर्गत चल रहें हैं;

कार्य का विवरण एवम् स्थिति निम्न प्रकार से है।

Name of Work: Construction of 3 Land Parallel Flyover on Portal Frame on Outer Ring Road in Linking Munirka Flyover in the East to the point beyond Army RR Hospital in the West including at grade corridor development works and intersection development (2) Construction of Underpass including corridor development works and intersection development at the junction of Benito Juarez Marg and Inner Ring Road.

Estimated Cost : 272,48,17,047/-

Tendered Cost : 278,07,80,954/-

Agency :M/s Hindustan Construction Co. Ltd

Physical Progress : 76%

अन्य कार्यों की सूची संलग्न है। (अनुसंलग्नक–1);

(ख) सूची संलग्न है; (अनुसंलग्नक–2);

(ग) जी हां;

(घ) सूची संलग्न है; (अनुसंलग्नक–3)

(ङ) जी हां शिकायते प्राप्त हो रही हैं;

(च) सीआरआरआई से फ्लाईओवर की जांच प्रस्तावित है। रिपोर्ट प्राप्त

होने के बाद शीघ्र अति शीघ्र कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा। सीआरआरआई का मांग पत्र दिनांक 19.08.19 संलग्न है;

(छ) जी हां, यह सत्य है। नवनिर्मित राव तुला राम फ्लाईओवर पर साउंडबैरियर प्रस्तावित थे;

(ज) इस कार्य की स्वीकृति में साउंडबैरियर का प्रस्ताव दिल्ली के दूसरे फ्लाईओवरों में लगे साउंडबैरियर जैसा ही था। जिसकी लागत स्वीकृत के अनुसार 2.79 करोड़ रुपये थी। मौजूदा लगे हुए साउंडबैरियर को मौखिक शिकायत के उपरांत CVO Office (Vigilance) ने Advisory जारी करते हुए निर्देश दिये की कोई भी साउंडबैरियर लगाने से पूर्व एवम् बाद में performance के लिये अध्ययन कराया जाये और इसी के अनुसार कार्य किया जाये। इस विभाग ने CRRI से नवनिर्मित राव तुला राम फ्लाईओवर पर साउंडबैरियर लगाने के लिये अध्ययन एवम् Design कराया। CRRI के द्वारा Design साउंडबैरियर की लागत लगभग 19.38 करोड़ रुपये आई जो कि प्रस्तावित स्वीकृत से 7 गुना अधिक है। इस विभाग ने साउंडबैरियर की लागत में कमी के लिये किफायती सुझाव देने हेतु CRRI से कई बार मुलाकात की किन्तु CRRI ने कोई दूसरा किफायती सुझाव नहीं दिया। इसकी बहुत अधिक लागत को देखते हुए विभाग ने IIT Roorkee को अध्ययन एवम् Design करने के लिये निवेदन किया जिसका जवाब अभी लंबित है; और

(झ) सम्भावित समयः

(i) Report from IIT Roorkee: 4 months.

(ii) Prepation of estimate & sanction: 2 months.

(iii) Call of tenders & award of work: 2 months.

(iv) Execution of work: 4 months.

Annexure-1

Details of Works under R.K. Puram Constituency work in progress Division South West Road-1

Sl. No.	N/W	Remarks/Reason
1.	Widening of Tamil Sangam Marg at Deep MCD Nallah Under PWD South West Road-I During 2018-19 Under Sub Division-II	Work in progress
2.	Construction of "Foot Over Bridge" with "Staircase" and "Lift" for pedestrians crossing near Mohan Singh Market at Tamil Sangam Marg (Road ID No. 141), New Delhi.	Work in progress
3.	Construction of Foot over Bridge With Staircase and lift for pedestrian at Baba Gang Nath Mandir on Nelson Mandela Marg, New Delhi.	Work in progress
4.	(A) Construction of Foot Over Bridge with staircase and lift for padestrian at Rao Tula Ram Marg (Road ID-98) near Petrol Pump, New Delhi.	Work delayed due to modification structrual drawing.
5.	(B) Construction of Foot Over Bridge with staircase and lift for pedestrian at Moti Lal Nehru Camp, Outer Ring Road (Road ID 776). New Delhi.	Work delayed due to modification structrual drawing.
6.	Development of Slip Roads at Junctions of Babu Genu Marg and Major Som Nath Marg on RTR Marg Under PWD Division South West Road-I, New Delhi.	Work delayed due to Tree cutting Permission

Annexure-'A'

Sl. No.	AC No.	AC Name	District	Site Survey Status (as on 13.08.19)	No of Cameras Installed
1	2	3	4	5	6
1	67	Babarpur	Shahdra	1896	453
2	22	Ballimaran	Central Delhi	771	164
3	2	Burari	Central Delhi	1654	244
4	20	Chandni Chowk	Central Delhi	874	3
5	61	Gandhi Nagar	East Delhi	175	
6	23	Karol Bagh	Central Delhi	1928	103
7	56	Kondli	East Delhi	1656	4
8	60	Krishna Nagar	East Delhi	1668	2
9	58	Laxmi Nagar	East Delhi	1734	46
10	57	Patparganj	East Delhi	1444	444
11	64	Rohtas Nagar	Shahdra	1540	210
12	19	Sadar Bazar	Central Delhi	1523	388
13	63	Seemapuri	Shahdra	1795	765
14	62	Shahdara	Shahdra	730	92
IS	3	Timarpur	Central Delhi	1243	207
16	55	Trilokpuri	East Delhi	1083	259
17	59	Vishwas Nagar	Shahdra	0	
18	5	Badli	North Delhi	2000	554

1	2	3	4	5	6
19	28	Hari Nagar	West Delhi	1851	400
20	30	Janakpuri	West Delhi	950	275
21	26	Madipur	West Delhi	2000	109
22	25	Moti Nagar	West Delhi	2000	455
23	11	Nangloi Jat	West Delhi	1779	285
24	24	Patel Nagar	West Delhi	1567	302
25	27	Rajouri Garden	West Delhi	416	
26	65	Seelampur	North East Delhi	1349	379
27	15	Shakur Basti	West Delhi	2055	416
28	29	Tilak Nagar	West Delhi	771	102
32	32	Uttam Nagar	West Delhi	2060	563
30	31	Vikaspuri	West-Delhi	1303	178
31	7	Bawana	North West Delhi	1706	30
32	66	Ghonda	North East Delhi	1115	
33	68	Gokalpur	North East Delhi	0	
34	70	Karawal Nagar	North East Delhi	2336	
35	9	Kirari	North West Delhi	1431	4
36	12	Mangol Puri	North west Delhi	1898	29
37	8	Mundka	North West Delhi	1850	
38	69	Mustafabad	North East Delhi	1658	
39	1	Narela	North West Delhi	861	4
40	6	Rithala	North West Delhi	2030	45

1	2	3	4	5	6
41	13	Rohini	North West Delhi	894	
42	14	Shalimar Bagh	North West Delhi	248	12
43	10	Sultan Pur Majra	North West Delhi	1934	
44	16	Tri Nagar	North West Delhi	2439	30
45	17	Wazirpur	North West Delhi	2412	
46	4	Adarsh Nagar	North Delhi	1592	112
47	48	Ambedkar Nagar	South Delhi	1317	191
48	53	Badarpur	South East Delhi	1012	189
49	36	Bijwasan	South West Delhi		
50	46	Chhatarpur	South Delhi	2207	103
51	38	Delhi Cantonment	New Delhi	720	210
52	47	Deoli	South Delhi	1108	
53	33	Dwarka	South West Delhi	986	415
54	50	Greater Kailash	South Delhi	1287	275
55	41	Jangpura	South East Delhi	964	340
56	51	Kalkaji	South East Delhi	1551	263
57	42	Kasturba Nagar	South East Delhi	1813	47
58	43	Malviya Nagar	South Delhi	1456	140
59	21	Matia Mahal	South West Delhi	735	
60	34	Matiala	South West Delhi	1881	261
61	45	Mehrauli	South Delhi	1743	267
62	18	Model Town	North Delhi	1589	48

1	2	3	4	5	6
63	35	Najafgarh	South West Delhi	45	
64	40	New Delhi	New Delhi	1673	1300
65	54	Okhla	South East Delhi	1063	231
66	37	Palam	South West Delhi	626	123
67	44	R.K. Puram	New Delhi	1595	305
68	39	Rajinder Nagar	New Delhi	1278	155
69	49	Sangam Vihar	South East Delhi	849	
70	52	Tughlakabad	South East Delhi	1249	415
				94966	12946
					300
					13246

Annexure-1

आर.के. पुरम विधान सभा क्षेत्र में स्कूलों का निर्माण कार्य तथा बनाए जा रहे कमरों का विवरण

Sl. No.	Name of School	School ID	Nos. of Rooms
1	Munrika Sarvodaya (Co.Ed) SSS	1719125	20
2	Vasant Vihar, C-4	1720174	80
3	Vasant Vihar, SV	1720024	20
4	R.K. Puram, Sec-13 (Co.ed) SV	1719130	48
	Total		168

Annexure-2

Details of Proposed Works under R.K. Puram Constituency Division South West Road-1

Sl. No.	Name of Work	Remarks
1	2	3
1.	Providing and Fixing M.S. Grill on Terminal-I Red Light to NH-8 Crossing at Ullan Batter Marg under PWD Division South West Road-1. New Delhi.	Under process in SE (South West) Office.
2.	Providing and Fixing Signage Board on R.K. Puram Constituency under Division South West Road-1, New Delhi.	Under process in SE (South West) Office.
3.	Providing and fixing safety Grill at Central Verge of Africa Avenue Road (ID 337) & Vivekanand Marg (ID 100) under PWD Sub Division II of Division SWR-1, New Delhi dnrina 2018-19.	Under process in SE (South West) Office.
4.	Improvement of drainage system from Munirka Market (Anupam Resturent Gali) to Main Drain MCD on Outer Ring Road under PWD Division SWR-1, New Delhi.	Under process in SE (South West) Office.

1	2	3
5.	Providing and laying of stone Matrix Asphalt at Moti Bagh Flyover and Bituminous work at Ring Road for left out portion by DMRC under Sub Division-II of PWD Division SWR-1 during 2018-19.	Under process in CE (South) Office. Observation received from CE (South) vide letter No. 23(I55)/3934-H dt. 24.05.2018. Reply submitted by hand through A.E-2 on dated 30.06.2018. Under in CE (South) Office.
6.	Strengthening of Africa Avenue Road (Road ID No. 337) under PWD Sub Division 2 of Division SWR-1, New Delhi during; 2018-19.	Under process in Pr. CE (South) Office.
7.	Improvement of service road from SDMC Building to RTR Marg & footpath from Outer Ring Road to Tamil Sangam Red Light on Major Somnath Marg under SWR-1, New Delhi.	Under process in SE (South West) Office
8.	Re-surfacing of Tamil Sangam Marg (Road ID 141) under Sub Division 2 of PWD Division SWR-1, New Delhi.	Under process in SE (South West) Office.
9.	P/L Stone Matrix Asphalt (SMA) on Munirka Flyover under PWD Division SWR-1 under SD-I.	Under process in SE (South West) Office.

1	2	3
10.	Improvement of Service Road along North Moti Bagh from Smariti Van to Moti Bagh Flyover on Ring Road under PWD Sub Division-lV of South West Road-1, New Delhi.	Under process in SE (South West) Office.
11.	Strengthening of Outer Ring Road (Road ID 347) from Africa Avenue Crossing to RTR Flyover under PWD S Division South West Road-1, New Delhi.	Under process in SE (South West) Office. Modified estimate sent to SE SW for Rs. 8,77,53,000/- on dated 27.06.2019.
12.	Strengthening of Rao Tula Ram Marg (Road ID 98) from L Ring Road crossing to NHS under PWD Division South 0 West Road-1, New Delhi.	Under process in CE (South) office for Rs. 4,58,24,000/- on dated 06.08.2019.
13.	Upgradation of damaged service, footpath for stretch between Aradhana Enclave to Palika Kendra cut to Ring Road under PWD Sub Division-II of South West Road-1, New Delhi.	Under process in SE (South West) Office.
14.	Re-surfacing of various roads of Vasant Vihar Area under PWD Div. SWR-I.	Under process in CE (South) office for Rs. 2,97,61,500/- sent on dated 26.07.2019.

Annexure-2

Details of Repair & Strengthening of Road Works under R.K. Puram Constituency Division South West Road-1

Sl. No.	Name of Work	Remarks
1	2	3
1.	Providing and laying of stone Matrix Asphalt at Moti Bagh Flyover and Bituminous work at Ring Road for left out portion by DMRC under Sub Division-II of PWD Division SWR-I during 2018-19	Under process in CE (South) Office. Observation received from CE (South) vide letter No. 23(155)/ 3934-H dt. 24.05.2018. Reply submitted by hand through A.E-2 on dated 30.06.2018. Under in CE (South) Office. This portion of Ring Road is being considered as deficiency estimate as a part of Comprehensive Estimate of Inner & Outer Ring Road, which in under process.
2.	Strengthening of Africa Avenue Road (Road ID No. 337) under PWD Sub Division 2 of Division SWR-1, New Delhi during 2018-19.	Under process in Pr. CE (South) Office.
3.	Improvement of service road from SDMC Building to RTR Marg & footpath from Outer Ring Road to Tamil Sangam Red Light on Major Somnath Marg under SWR-1, New Delhi.	Under process in SE (South West) Office.

1	2	3
4.	Re-surfacing of Tamil Sangam Marg (Road ID 141) under Sub Division 2 of PWD Division SWR-1, New Delhi.	Under process in SE (South West) Office.
5.	P/L Stone Matrix Asphalt (SMA) on Munirka Flyover under PWD Division SWR-1 under SD-I.	Under process in SE (South West) Office.
6.	Improvement of Service Road along North Moti Bagh from Smariti Van to Moti Bagh Flyover on Ring Road under PWD Sub Division-IV of South West Road-1, New Delhi.	Under process in SE (South West) Office.
7.	Strengthening of Outer Ring Road (Road ID 347) from Africa Avenue Crossing to RTR Flyover under PWD Division South West Road-1, New Delhi.	Under process in SE (South West) Office. Modified estimate sent to SE/SW for Rs. 8,77,53,000- on dated 27.06.2019.
8.	Strengthening of Rao Tula Ram Marg (Road ID 98) from Ring Road crossing to NHS under PWD Division South West Road-1, New Delhi.	Under process in CE (South) office for Rs. 4,58,24,000/- on dated 06.08.2019. Observation sent to SE/SW on 16.08.2019 for clarification.
9.	Upgradation of damaged service, footpath for stretch between Aradhana Enclave to Palika Kendra	Under process in SE (South West) Office.

1	2	3
	cut to Ring Road under PWD Sub Division-II of South West Road-1, New Dethi.	
10.	Re-surfacing of various roads of Vasant Vihar Area under PWD Div. SWR-1.	Under process in CE (South) office for Rs. 2,97,61,500/- sent on dated 26.07.2019. Observation sent to SE/ SW on 06.08.2019 for clarification.

केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान
(वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्)
CENTRAL ROAD RESEARCH INSTITUTE
(COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH)
मथुरा मार्ग, पी.ओ. सी.आर.आर.आई, नई दिल्ली
Mathura Road, P.O.CRRI, NEW DELHI-110025 (INDIA)

सी.आर.आर.आई/एफ.पी.डी/लो.नि.वि./बरारस्कवेर/808 दिनांक 19.08.2018

To,

Executive Engineer
Office of the Executive Engineer
South West Road-1, P.W.D.
(GNCTD)
Brar Square, New Delhi 110010

सेवा में,

अधिकारी अभियंता
अधिषाशी अभियंता का कार्यालय
साउथ वेस्ट रोड–1, पीडब्ल्यूडी
(जीएनसीटीडी)
बरार स्कवेर–नई दिल्ली–110010

Sub: Evaluation of Munirka & Ber Sarai Flyover towards suggesting Repair Treatment.

संदर्भः आपका पत्र संख्याः F.NO.20(2)/DB/EE/SWR-1/PWD/GNCTD/21S3 & 2605 dated:27/06/2019& 31/07/2019.

Dear sir,

As per your above referred letter, CRRI is ready to take up the work. The demand letter and scope of work are mentioned below. CRRI charges are payable in advance.

आपके पत्र के अनुसार सी.आर.आर.आई कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट के रूप में काम करने के लिए तैयार है। चालान और कार्य का दायरा नीचे दिया गया है। सी.आर.आर.आई शुल्क अग्रिम में देय है।

Demand Letter

Description of Consultancy Services	Scope of Work	Basic Cost (Rs.)	Tax (GST @ 18%) (Rs.)	Total payable amount (Rs.)
Evaluation of Munirka & Ber Sarai Flyover towards suggesting Repair Treatment	• Field visits & Visual Assessment of Surface/ Wearing Course as per IRC:82 • Detailed Visual Inspection of Bridges • Study of Bridge Drawings • Non Destructive Testing • Traffic Survey • Remedial/Rehabilitation Measures	Rs. 23,00,000	Rs.4,14,000	Rs.27,14,000 (Twenty Seven Lakh and Fourteen Thousand Rupees Only)

The charges are to be paid through NEFT/RTGS as per the following:

Account Number	:	30268867237
IFSC code	:	SBIN0010442
Branch name	:	State Bank of India, CRRI, New Delhi
Branch Code	:	10442
S.T. Regn. No.	:	AAATC2716RSDO31
PAN No.	:	AAATC2716R
CRRI's GST No. (GSTN)	:	07AAATC2716R1ZH

Payment Terms: Payment through online transfer only
No deduction of income tax at Source

(मनोज कुमार शुक्ला)
प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रभाग प्रमुख

211. श्री गिरीश सोनीः क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2018–19 में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा मादीपुर विधान सभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी विभाग के सिविल, इलैक्ट्रिकल, बागवानी प्रोजेक्ट व अन्य द्वारा क्या–क्या कार्य किये गये हैं व उन पर कितना खर्च आया, उसका पूर्ण ब्यौरा दिया जाये; और

(ख) 2019–20 मादीपुर विधान सभा क्षेत्र को और बेहतर बनाने के लिए किये जाने वाले कार्यों का पूर्ण ब्यौरा क्या है?

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः (क) वर्ष 2018–19 में लोक निर्माण विभाग द्वारा मादीपुर विधान सभा क्षेत्र में सिविल विभाग द्वारा किये गये कार्यों की विवरणी संलग्न है; (Annexure-'A').

स्कूलों में बनाये जा रहे कमरों का विवरण निम्नानुसार हैः—

Sl. No.	Name of School	School ID	Nos. of Rooms
1.	Punjabi Bagh, No. 1, GBSSS	1515010	52
2.	Punjabi Bagh, No. 2, SKV	1515023	16
3.	Karampura, Industrial Area G (Co.ed) SSS	1516068	40
4.	Madipur No. 1, GGSSS	1515028	28
5.	Madipur, No. 2 SKV	1515024	16
	Toal		152

वर्ष 2018—19 में मादीपुर विधान सभा क्षेत्र में वैद्युत एवं उद्यान संबंधित कोई कार्य नहीं किया गया; और

(ख) वर्ष 2019—20 में लोक निर्माण विभाग द्वारा मादीपुर विधान सभा क्षेत्र में एक नये प्रस्तावित 619—बिस्तरों के अस्पताल का प्रारम्भिक प्राक्कलन ईएफसी में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर दिया गया है। अन्य प्रस्तावित कार्यों dh lwph layXu gS **(Annexure-'B').**

Annexure-A

वर्ष 2018–19 में लो.नि.वि. द्वारा मादीपुर विधान सभा क्षेत्र में सिविल विभाग द्वारा किये गये कार्यों की विवरणी

Sl. No.	Name of work	Expenditure
1	2	3
1.	A/R and M/O various roads under Division West Road-2, (M-112N) during 2017-18. SH:- Patch-repair through B.C. and SMA on Rohtak Road, Bali Nagar Road, Road No. 29 etc. under Sub Division WR-24.	2940504.00
2.	A/R and M/O various roads under Division West Road-2 during 2018-19. SH:- Providing and deploying JCB machine dumper etc. for removal of encroachment and disposal of malba from roads under Sun Division WR-34.	760075.00
3	A/R and M/O various roads under Division West Road-2, (M-112N) during 2017-18. SH:- Repair of old grills and fixing of New Railings at Central Verge (Bhagat Singh Colony Road and Shivaji College road) under Sub Division WR-24.	3289944.00
4	A/R and M/O various roads under Division West Road-2, (M-112N) during 2018-19. SH:- Repair of footpath and drain on Rohtak Road under Sub Division WR-24.	2512387.00

1	2	3
5	A/R and M/O to various roads under Division West Road-2, (M-112N) during 2018-19. SH:- Repair of Cement Concrete Pavement and other misc. work on R-Block Road, Raghubir Nagar (Near Hutments) under Sub Division WR-24.	2864161.00
6	A/R and M/O to various roads under Division West Road-2, (M-112N) during 2018-19. SH:- Providing services of maintenance van round the clock during rainy season with pump under Sub Division West Road-24.	472656.00
7	A/R and M/O to various roads under PWD Division West Road-2 during 2018-19. SH: - Providing security guards for PWD office at Multan Nagar (NH-10) and at Road No. 29 under Sub Division WR-24.	362526.00
8	A/R and M/O to various roads under PWD Division West Road-2 during 2018-19. SH:- Repair of footpath after demolishing drive for removing of encroachment by MCD/STF at Krishan Gyan Mandir Marg under Sub Division WR-24.	2673261.00
9	A/R and M/O various roads under PWD Division West Road-2 during 2018-19. SH:- Supply of cutback cold mix for various roads under Sub Division WR-24.	221259.00
10	A/R and M/O to various roads under PWD Division West Road-2 during 2018-19. SH:- Painting of kerb stone and railings etc. of roads under Sub Division WR-24.	770808.00
11	A/R and M/O to various roads under PWD Division West Road-2 during	2366687.00

	2018-19. SH:- Refixing missing railings, repair of toe wall along the service road of Rohtak Road under Sub Division WR-24.	
12	A/R and M/O to various roads under PWD Division West Road-2 during 2018-19; SH: - Repair and renovation of Punjabi Bagh underpass on Rohtak Road under Sub Division WR-24.	3315063.00
13	A/R and M/O to various roads under PWD Division West Road-2 during 2018-19. SH:- Thermoplastic paint and road related miscellaneous repair work on various roads under Sub Division WR-24.	2275114.00
14	A/R and M/O to various roads under PWD Division West Road-2 during 2018-19. SH:- Repairing of pot holes and patches work on various roads under Sub Division WR-24.	3354281.00
15	A/R and M/O various roads under PWD Division West Road-2 during 2018-19. SH:- Repair of footpath and drain at Shiv Mandir Road under Sub Division WR-24.	3478963.00
16	A/R and M/O various roads under PWD Division West Road-2 during 2018-19. SH:- Repairing of pot holes and patches on Rohtak Road (Service Road) and other roads under Sub Division WR-24.	2813698.00
17	A/R and M/O various roads under PWD Division West Road-2 during 2018-19. SH:- Supply of material to attend day to day complaints under Sub Division WR-24.	673384.00
18	A/R and M/O to Various Roads under PWD Division West Road-2, during 2018-19. SH:- Comprehensive desilting of drains of various categories and sizes along PWD roads under Sub Division WR-24.	Work is in progress

वर्ष 2018–19 में लो.नि.वि. द्वारा मादीपुर विधान सभा क्षेत्र को और बाहतर बनाने के लिये किये जाने वाले कार्यों की सूची

Sr. No.	Name of Work	Remarks
1	Strengthening of roads Club Road, Road No. 33, N.A. Road, Madipur Main Village Road under PWD Sub Division WR-24.	Work is yet to be started
2	Construction of Foot Over Bridge with staircase and lift for pedestrian Multan Nagar Metro Pillar No. 224 to 225, at Delhi Rohtak Road, NH-10, New Delhi. SH:- Civil and Electrical Work.	Work yet to be started

Executive Engineer
PWD Division West Road-2

212. श्री गिरीश सोनी: क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मादीपुर विधान सभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी विभाग के नालों का डिसिल्टिंग का कार्य इस वर्ष पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण दिया जाये;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा;

(ङ) क्या लोक निर्माण विभाग की रोड, फुटपाथ और नालों पर दुकानदारों ने जो कब्जे कर रखे हैं, उन पर विभाग द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है; और

(च) यदि हां, तो मादीपुर विधान सभा क्षेत्र में पिछले पांच साल में की गई इस तरह की कार्रवाई का ब्यौरा पूर्ण दें?

माननीय निर्माण विभाग मंत्रीः (क) मादीपुर विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के नालों की डिसिल्टिंग का कार्य एक बार पूरा कर दिया गया है। यह कार्य वर्षा ऋतु की आवश्यकतानुसार 09/2019 तक चलता रहेगा;

(ख) उपरोक्त (क) अनुसार;

(ग) उपरोक्त (क) अनुसार कार्य समय से चल रहा है;

(घ) यह कार्य 09/2019 तक हो जायेगा;

(ङ) उपराज्यपाल महोदय के आदेश सं. FRN/JJ/Meeting/Road/Block/CC/2017-A-4397 दिनांक 06.06.2017 (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार सड़कों से अनाधिकृत कब्जों को हटाने की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम की है। लोक निर्माण विभाग द्वारा अनाधिकृत कब्जों को हटाने के लिए JCB और Logistic Support मुहैय्या कराई जाती है, इन सड़कों पर अनाधिकृत कब्जों को हटाने के लिये समय–समय पर दिल्ली नगर निगम एवं सम्बन्धित एसडीएम को लिखित में अवगत कराया जाता है। विवरण सूची 'क' में संलग्न है; और

(च) MCD एवं SDM द्वारा समय–समय पर कार्रवाई की गई है। विस्तृत विवरण लोक निर्माण विभाग के पास तुरन्त उपलब्ध नहीं है। अतः इसका ब्यौरा एमसीडी/एसटीएफ कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

सूची 'क'

Letter Regarding Encroachment on Madi Pur Vidhan Sabha

Sl. No.	Subject	This office letter No. dated	Addressed to
1	2	3	4
1	Regarding encroachment on PWD Roads	12(4)/AE/PWD/WR-24/2017-18/127 dated 25.06.2018	The SHO, Punjabi Bagh, Rajouri Garden, Paschim Vihar/Khyala, New Delhi
2	Removal of encroachment Temporary (Jhuggis) from the Service Road of NH-Rohtak Road Near Madi Pur Metro Station	12(4)/AE/PWD/WR-24/18-19/178 dated 30.08.2018	The EE, Rohini Zone NDMC, C1, Mini Stadium, New Deihi-110035
3	Removal of encroachment from H. No. 250 to Shiv Mandir Road and sime portion of Road No. 41, Punjabi Bagh	12(4)/AE/PWD/WR-24/18-19/230 dated 19.11.2018	The EE, West Zone (SDMC), Opp. Madhav Park, Rajouri Garden, New Delhi-110027
4	Removal of encroachment from Krishan Gyan Mandir Marg, Raghubir Nagar	12(4)/AE/PWD/WR-24/18-19/233 dated 22.11.2018	The EE, West Zone (SDMC), Opp. Madhav Park, Rajouri Garden, New Delhi-110027
5	Regarding removal of encroachment on Shiv Mandir Marg, Madipur	12(4)/AE/PWD/WR-24/180 dated 14.08.2019	The Chief Engineer, North Zone, 19th Floor, DDA Vikash Minar, New Delhi-110002

6	Regarding encroachment on Gant No. 3 New Multan Nagar Side service road	12(4)/AE/PWD/WR-24/146 dated 11.07.2019	The DCP (Traffic), Rajouri Garden and The EE, Rohini Zone NDMC, C1, Mini Stadium, New Delhi-110035
7	Regarding encroachment on the storm water drain, Madipur main road by the shopkeepers and resident	12(4)/AE/PWD/WR-24/150 dated 16.07.2019	The EE, West Zone (SDMC), Opp. Madhav Park, Rajouri Garden, New Delhi-110027
8	Removal of encroachment from Krishna Gyan Mandir Marg, Raghubir Nagar	12(4)/AE/PWD/WR-24/2018-19/65 dated 24.04.2019	The EE, West Zone (SDMC), Opp. Madhav Park, Rajouri Garden, New Delhi-110027
9	Removal of encroachment from H.No. 250 to Shiv Mandir Road and sime portion of Road No. 41, Punjabi Bagh	20(WR-24)/PWD WR-2/DB/4802 dated 27.11.2018	The EE, West Zone (SDMC), Opp. Madhav Park, Rajouri Garden, New Delhi-110027
10	Encroachment on Shiv Mandir Marg Madipur	12(4)/AE/PWD/WR-24/2018-19/159 dated 23.07.2019	The Chief Engineer, North Zone, 19th Floor, DDA Vikash Minar, New Delhi-110002
11	Removal of encroachment from Krishan Gyan Mandir Marg, Raghubir Nagar	20(WR-24)/PWD/WR-2/DB/1716 dated 04.05.2019	The EE, West Zone (SDMC), Opp. Madhav Park, Rajouri Garden, New Delhi-110027

OFFICE OF THE LT. GOVERNOR
RAJ NIWAS/DELHI-110054

No: F.RN/JS/Meeting/Road Block/CC/2017/A-4397 dated: 06-06-2017

Kindly find enclosed here with copy of minutes of meeting held on 06.06;2017 under the Chairmanship of Hon'ble Lt. Governor to discuss, the issue of major encroachments/road blocks in different parts of Delhi, as raised in WPC No. 4999/2017 in the Hon'ble High Court for further necessary action.

(Ravi Dhawan)
Joint Secretary to Lt. Governor

1. Secretary to Hon'ble Minister (UD/PWD), GNCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi for kind information of the Hon'ble Minister.
2. Chief Secretary, Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
3. Vice Chairman Delhi Development Authority, Vikas Sedan, New Delhi-110023.
4. Pr. Secretary (Home), GNCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
5. Commissioner, Delhi Police, Delhi Police Headquarter, I.P. Estate, New Delhi.
6. Special Commissioner of Police (Traffic), Police Headquarter, I.P. Estate, New Delhi.
7. Pr. Secretary (UD/DLB), GNCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
8. Chairman, New Delhi Municipal Council, Parlika Kendra, New Delhi.
9. Commissioner, NDMC, Minto Road, New Delhi.
10. Commissioner, SDMC, Minto Road, New Delhi.
11. Commissioner, EDMC, Parparganj Industrial Estate, Delhi.
12. Pr. Secretary (PWD), GNCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
13. Secretary (Environment), GNCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.

14. Commissioner (Transport), 5/9, Under Hill Road, Delhi-54.

15. Divisional Commissioner, GNCT of Delhi, S Shamnath Marg, Delhi-54.

No: F.RN/JS/Meeting/Road Block/CC/2017/ Dated: 06-06-2017

Copy for Information to:

1 Secretary to Hon'ble Lt. Governor.

2. OSD to Hon'ble Lt. Governor.

3. Spl. Secretaries to Hon'ble Lt. Governor.

4. PS to Hon'ble Lt. Governor.

(Ravi Dhawan)
Joint Secretary to Lt. Governor

URGENT

Minutes of the meeting held by Lt. Governor. Delhi on 06.06.2017 at 10.30 a.m. at Raj Niwas to discuss the issues of major encroachments/road blocks in different parts of Delhi, as raised in WP(C) No. 4999/2017 in the Hon'ble High Court of Delhi.

A meeting regarding actions to be taken pursuant to the order dated 30.05.2017 o the Hon'ble High Court of Delhi in WP(C) No. 4999/2017 was convened under the Chairmanship of Hon'ble Lt. Governor, Delhi at Raj Niwas. The meeting was attended by Hon'ble Minister of UD/PWD, Chief Secretary, Pr. Secretary (Home), Spl. Commissioner (Police/Traffic], Spl. Commissioner (Police/South) Spl. Commissioner (Police/North) Secretary to Lt. Governor, Pr. Secretary (PWD) Chairman NDMC, Commissioner (SDMC/NDMC/EDMC), Secretary (Environment & Forest), Commissioner (Transport), Secretary (Revenue), Secretary (Envt. & Forest), Spl. Secretary (UD), Jt. Commissioner(Police/SERL, Engineer-in-Chief (PWD), Pr. Commissioner (DDA), & Staff officers of L.G. Secretariat.

After detailed deliberations and discussion, the following decisions were taken:-

(i) The removal of encroachment shall be the responsibility of the respective municipal corporation as laid down in the statute.

(Action : All local bodies)

(ii) All the local bodies shall identify the road stretches/areas that are within their respective jurisdiction out of the 29 areas listed in the Writ Petition and shall then submit an area-wise plan of action for encroachment removal containing details of the dates of proposed action and officers responsible for the same to the Urban Development department latest by **8.06.2017** with a copy to Chief Secretary, Delhi under intimation to this **Secretariat**.

(Action : All local bodies)

(iii) The Urban Development Department shall be the Nodal department for coordination with all the concerned agencies. It shall create a special cell for the same, and submit a weekly action-taken report on the action plans submitted by the Local Bodies to Chief Secretary, Delhi under intimation to this Secretariat. **It shall also prepare an SOP in** consultation with the concerned agencies for prevention of re-encroachment on each stretch/ area in which the action for encroachment removal has been taken and desired outcome is achieved.

(Action : Department of Urban Development, GNCTD)

(iv) Public Works Department **shall provide all logistical assistance to the** concerned local body in respect of roads that are maintained by it on account of having a width of more than 60 feet.

(Action : PWD)

(v) The **concerned local bodies shall make a requisition for police force for** removal of encroachment with, at least three days notice to the Delhi Police, under intimation to this. Secretariat so that police force could be provided/deployed for removal of encroachment in time. Further, no more than one stretch in the same district should be taken up at the same time so that the police force is not spread thinly. Delhi Police will ensure that the force is provided accordingly.

(Action : All Local Bodies and Delhi Police)

(vi) The **concerned local body shall undertake videography of the entire** proceedings for record and future reference, for a before and after comparison.

(Action : All local bodies)

(vii) **Traffic Police, shall, Strictly** enforce the policy of no parking on the **stretches mentioned in the** Petition as per Law, Further, the concerned agencies shall also strictly enforce the relevant judicial pronouncements. of the Hon'ble NGT with respect to challans/fines on encroachment/parking on metalled roads etc.

(Action : Delhi Police, Deptt. of Envt. & Forest, & all Local Bodies)

(viii) The action on unauthorized commercial vehicles and those violating the law particularly on the **inter-state borders by the Transport Department** and Delhi Police shall continue intensively.

(Action : Department, of Transport & Delhi Police)

(ix) Local bodies shall ensure, **strict penal action against the parking contractors who are allowing parking on roads in the garb of their parking area adjacent to the road.**

(Action : Local bodies and Delhi Police)

The meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

213. श्री राजेश ऋषिः क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जनकपुरी विधान सभा क्षेत्र में 2017 से आज तक कौन–कौन से काम किए गए, कार्य की लागत सहित सभी कार्यों के वर्क ऑर्डर की कॉपी उपलब्ध करवाएं;

(ख) जनकपुरी विधान सभा क्षेत्र की सड़कों को बनाने के लिए बजट उपलब्ध न किए जाने के क्या कारण हैं, विस्तार से जवाब दें;

(ग) जनकपुरी के लाल साईं बाग के सेंटर डिवाइडर पर लगने वाली ग्रिल न लगाने जाने के क्या कारण हैं;

(घ) यह ग्रिल कब तक लगा दी जायेगी;

(ङ) तिहाड़ जेल और इसके आवासीय परिसर में 2015 से आज तक क्या–क्या काम विभाग ने किए और इन पर कितना व्यय हुआ;

(च) क्या यह सत्य है कि जनकपुरी के पंखा रोड नाले पर लगाई गई स्ट्रीट लाइट लगने के बाद आज तक नहीं जली;

(छ) यदि हां, तो इसका क्या कारण हैं;

(ज) इस कार्य के लिए एजेंसी को कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(झ) इस लाइट के बिल्कुल कार्य न करने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई;

(ञ) डाबरी फ्लाई ओवर पर लगने वाला साउंड बैरियर न लगने के क्या कारण हैं; और

(ट) यह साउण्ड बैरियर कब तक लगा दिया जायेगा?

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः (क) जनकपुरी विधान सभा क्षेत्र में 2017 से आज तक किये गये कार्य की लागत सहित सभी कार्यों के वर्क आर्डर की सूची संलग्न है; (अनुसंलग्नक–'ए')

(ख) जनकपुरी विधान सभा क्षेत्र की सड़कों को बनाने के लिए बजट संबंधित कोई समस्या नहीं है। कार्य की स्वीकृति के अनुसार बजट उपलब्ध करवाया गया है;

(ग) जनकपुरी के लाल साईं मार्ग के सेंटर डिवाइडर पर लगने वाली ग्रिल का रुपये 2,34,22,200/– का प्रारम्भिक प्राक्कलन दिनांक 12.06.2019 को स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी को प्रेषित कर दिया गया है एवं स्वीकृति लंबित है;

(घ) सक्षम अधिकारी से स्वीकृति मिलने में लगभग एक महीने का समय लगेगा। स्वीकृति मिलने के पश्चात् छः महीने में कार्य करवा दिया जाएगा;

(ङ) सिविल तिहाड़ जेल और इसके आवासीय परिसर में विभिन्न रिपेयर, ईओआर, एडीशन, आल्ट्रेशन, मोडीफिकेशन, रेनोवेशन और माइनर निर्माण इत्यादि के कार्य 2015 से आज तक हुए हैं। उन पर लगभग रु. 50.59 करोड़ का व्यय हुआ है।

(वैद्युत) यह कार्यालय अप्रैल, 2016 में नवनिर्मित हुआ है। अतः माह अप्रैल, 2016 से जुलाई, 2019 तक किया गया वैद्युत कार्यों का व्यय रु. 7,93,18,439/– है।

उद्यान कार्य से संबंधित विवरण निम्न प्रकार हैः–

वर्ष 2016–17 : रु. 5.30 लाख

वर्ष 2017–18 : रु. 58.62 लाख

वर्ष 2018–19 : रु. 23.14 लाख

(च) जनकपुरी के पंखा रोड नाले की स्ट्रीट लाइट इस कार्यालय के अंतर्गत नहीं आती है। यह दिल्ली विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आती है;

(छ) उपरोक्त 'च' के अनुसार लागू नहीं;

(ज) उपरोक्त 'च' के अनुसार लागू नहीं;

(झ) उपरोक्त 'च' के अनुसार लागू नहीं;

(ञ) डाबरी फ्लाई ओवर पर लगने वाला साउंड बैरियर का रुपये 3,40,26,700/– का प्राक्कलन मुख्य अभियंता के कार्यालय भेजा गया था लेकिन मुख्य अभियंता के पत्र सं. 23/AE(P)/PWD/C.E./North(M)/West/E-277/2244 कि दिनांक 06.05.2019 के द्वारा प्राक्कलन में कुल त्रुटियां पाई गई है। अतः इन त्रुटियों को शीघ्र दूर करके सितम्बर, 2019 माह में पुनः मुख्य अभियंता को प्रेषित कर दिया जाएगा; और

(ट) सक्षम अधिकारी से स्वीकृति मिलने में लगभग एक महीने का समय लगेगा। स्वीकृति मिलने के पश्चात् छः महीने में कार्य करवा दिया जाएगा।

ANNEXURE-I

Sl. No.	Name of Work	Aggrement No.	Estimate Cost	Tender Amount
1	2	3	4	5
1.	EOR to SKV A-Block Janak Puri, New Delhi. (SH:- Renovation of labs, water proofing treatment of roof strenthening of columns, beams, roof slabs of school building and misc. civil works)	72/EE/M-132(N)/2017-18	8625707	6390786.00
2.	EOR to Govt. Girls Senior Secondary School No. 2, A-Block, Janak Puri, New Delhi. (SH:- Provision of Rain Water Harvesting System).	121/EE/M-32(N)/2018-19	2049404.00	1370846.00
3.	EOR to Sarvodaya Vidyalaya (Co-ed), B-1, Possangipur, Janak Puri, New Delhi under Sub division WB-14. (SH:- Provision for Rain Water Harvesting System).	129/EE/M-132(N)/2018-19	1872988.00	1219315.00
4.	EOR to Sarvodaya Kanya Vidyalaya, A-Block Janak Puri, New Delhi under Sub division WB-14 (Sh:- Provision for Rain Water Harvesting System).	181/EE/M-132(N)/2018-19	1548669.00	1003692.00

1	2	3	4	5
5.	EOR to Fire Station, Janak Puri, New Delhi. (SH:- Repair and raising of boundary wall, repair of door and windows, toilets, water proofing, treatment of roof, improvement of rain water haresting, repair of toilet in quarters, repair of barracks, repair/replacement of garage doors and repair of depressed portion of CC payement in back side in garage.	210/EE/M-132(N)/2018-19	9167823.00	4949708.00
6.	EOR to SKV No. 3 C-Block Janak Puri (SH:-Providing New Sewage Systemm in the school	237/EE/M-132(N)/2018-19	1436569.00	818988.00
				15753335.00

Annexure-'A'

Sl. No.	AC No.	AC Name	District	Site Survey Status (as on 13.08.19)	No of Cameras Installed
1	2	3	4	5	6
1	67	Babarpur	Shahdra	1896	453
2	22	Ballimaran	Central Delhi	771	164
3	2	Burari	Central Delhi	1654	244
4	20	Chandni Chowk	Central Delhi	874	3
5	61	Gandhi Nagar	East Delhi	175	
6	23	Karol Bagh	Central Delhi	1928	103
7	56	Kondli	East Delhi	1656	4
8	60	Krishna Nagar	East Delhi	1668	2
9	58	Laxmi Nagar	East Delhi	1734	46
10	57	Patparganj	East Delhi	1444	444
11	64	Rohtas Nagar	Shahdra	1540	210
12	19	Sadar Bazar	Central Delhi	1523	388
13	63	Seemapuri	Shahdra	1795	765
14	62	Shahdara	Shahdra	730	92
IS	3	Timarpur	Central Delhi	1243	207
16	55	Trilokpuri	East Delhi	1083	259
17	59	Vishwas Nagar	Shahdra	0	
18	5	Badli	North Delhi	2000	554
19	28	Hari Nagar	West Delhi	1851	400
20	30	Janakpuri	West Delhi	950	275
21	26	Madipur	West Delhi	2000	109

1	2	3	4	5	6
22	25	Moti Nagar	West Delhi	2000	455
23	11	Nangloi Jat	West Delhi	1779	285
24	24	Patel Nagar	West Delhi	1567	302
25	27	Rajouri Garden	West Delhi	416	
26	65	Seelampur	North East Delhi	1349	379
27	15	Shakur Basti	West Delhi	2055	416
28	29	Tilak Nagar	West Delhi	771	102
32	32	Uttam Nagar	West Delhi	2060	563
30	31	Vikaspuri	West-Delhi	1303	178
31	7	Bawana	North West Delhi	1706	30
32	66	Ghonda	North East Delhi	1115	
33	68	Gokalpur	North East Delhi	0	
34	70	Karawal Nagar	North East Delhi	2336	
35	9	Kirari	North West Delhi	1431	4
36	12	Mangol Puri	North west Delhi	1898	29
37	8	Mundka	North West Delhi	1850	
38	69	Mustafabad	North East Delhi	1658	
39	1	Narela	North West Delhi	861	4
40	6	Rithala	North West Delhi	2030	45
41	13	Rohini	North West Delhi	894	
42	14	Shalimar Bagh	North West Delhi	248	12
43	10	Sultan Pur Majra	North West Delhi	1934	
44	16	Tri Nagar	North West Delhi	2439	30
45	17	Wazirpur	North West Delhi	2412	
46	4	Adarsh Nagar	North Delhi	1592	112
47	48	Ambedkar Nagar	South Delhi	1317	191

1	2	3	4	5	6
48	53	Badarpur	South East Delhi	1012	189
49	36	Bijwasan	South West Delhi		
50	46	Chhatarpur	South Delhi	2207	103
51	38	Delhi Cantonment	New Delhi	720	210
52	47	Deoli	South Delhi	1108	
53	33	Dwarka	South West Delhi	986	415
54	50	Greater Kailash	South Delhi	1287	275
55	41	Jangpura	South East Delhi	964	340
56	51	Kalkaji	South East Delhi	1551	263
57	42	Kasturba Nagar	South East Delhi	1813	47
58	43	Malviya Nagar	South Delhi	1456	140
59	21	Matia Mahal	South West Delhi	735	
60	34	Matiala	South West Delhi	1881	261
61	45	Mehrauli	South Delhi	1743	267
62	18	Model Town	North Delhi	1589	48
63	35	Najafgarh	South West Delhi	45	
64	40	New Delhi	New Delhi	1673	1300
65	54	Okhla	South East Delhi	1063	231
66	37	Palam	South West Delhi	626	123
67	44	R.K. Puram	New Delhi	1595	305
68	39	Rajinder Nagar	New Delhi	1278	155
69	49	Sangam Vihar	South East Delhi	849	
70	52	Tughlakabad	South East Delhi	1249	415
				94966	12946
					300
					13246

Annexure-A

List of work done w.e.f 2017 to till date in Legislative Assembly at Janak Puri, Delhi under this Division HMD (S-W), M-123

Sl. No.	Agreement No..	Name of Work	Agency Name	Amount of Work Done
1	2	3	4	5
1	29/EE/PWD/ M-123/2017-18	A/R & M/O Janak Puri Super Speciality Hospital, C-2B. Janak Puri, New Delhi dg. 2017-18 SH: White Washing, Distempering, Painting of Hospital.	Shri Kulbir Singh	Rs. 3553163/-
2	64/EE/PWD/ M-123/2017-18	A/R & M/O Janak Puri Super Specialty Hospital Society C-2B, Janak puri New Delhi dg. 2017-18 SH: Supply of Material.	Shri. Rajesh Kumar	Rs. 1212559/-
3	04/EE/PWD/ M-123/2018-19	EOR to Janak Puri Super Specialty Hospital Society C-2B, Janak Puri New Delhi. SH: Making Composit Pit and Development Work in Cafeteria.	Shri Rajendra Prasad Gautam	Rs. 285562/-
4	17/EE/PWD/ M-123/2018-19	A/R & M/O Janak Puri Super Specialty Hospital C-2B Janak Puri, New Delhi dg. 2018-19 SH: Comprehensive maintenance of Janakpuri Super Specialty Hospital (JSSH C-2B) New Delhi.	Shri Nurul Hak	Rs. 2937652/-
5	21/EE/PWD/ M-123/2018-I9	EOR to Janak Puri Super Specialty Hospital, Janak Puri, New Delhi. (SH: Re-alignment of existing drains and sump well remodeling in basement).	Shri Anil Kumar	Rs. 836571/-

6	22/EE/PWD/ M-123/2018-19	EOR 10 Janak Puri Super Speciality Hospital Society C-2B, Janak Puri, New Delhi. SH: Modification of Manifold Room in basement.	Shri Anil Kumar	Rs. 405270/-
7	25/EE/PWD/ M-123/2018-19	EOR to Janak Puri Super Speciality Hospital Society C-2B, Janak Puri, New Delhi SH: Repairing of Toilet.	Shri Kulbir Singh	Rs. 1008289/-
8	26/EE/PWD/ M-123/2018-19	EOR to Janak Puri Super Speciality Hospital Society C-2B, Janak Puri, New Delhi. (SH: Making glass cabinet at Nursing Station of ward.	Sh. Delite Hi Tech Furniture Industries Pvt. Ltd.	Rs. 2004439/-
9	36/EE/PWD/ M-123/2018-19	EOR to Janak Puri Super Speciality Hospital, C-2B, Janak Puri. New Delhi. SH: Rectifying seepage through passage road over electric panel.	Shri Nurul Hak	Rs. 954391/-
10	64/EE/PWD/ M-123/2018-19	A/R & M/O Janak Puri Super Speciality Hospital Society C2B, Janak Puri, New Delhi dg. 2018-19 SH: Repairing Sanitary pipes in shaft and suspended LA pipes at basement & fixing of MS Ladder and platform in Toilet shall and Misc. Civil work etc.	Shree Pal Singh	Rs. 20151677/-
11	67/EE/PWD/ M-123/2018-19	A/R & M/O Janak Puri Superspeciality Society. C-2B Janak Puri, New Delhi SH: Cleaning of sewerline/drainage lines by mechanical means of JSSH Janak Puri, New Delhi, GGSH Raghubir Nagar, DDUH Hari Nagar and Dispensaries under HSW-IV & HSW-VII.	M/s Himalaya Construction Company	Rs. 1200931/-

Annexure-'A'

जनकपुरी विधान सभा क्षेत्र में स्कूलों में बनाए जा रहे कमरों का विवरण

Sl. No.	Name of School	School	Nos. of Rooms
1.	Janakpuri, C-Block, SKV No. 2	1618022	12
2.	Janakpuri, A-Block, No. 2, GGSSS	1618064	56
	Total		68

214. श्री विजेन्द्र गुप्ताः क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में 23 फ्लाई ओवरों के निर्माण का दावा किया था;

(ख) सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में जितने भी फ्लाईओवर निर्मित किये हैं, उनकी सूची दें;

(ग) ऐसे कौन–कौन से फ्लाईओवर हैं, जिनकी परिकल्पना वर्तमान काल में की गई हो और उसे साकार किया गया हो; और

(घ) बाहरी रिंग रोड पर मुकरबा चौक से वजीराबाद तक प्रस्तावित पांच ओवरब्रिज की वर्तमान स्थिति क्या है?

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः (क) जी हां, यह सत्य है;

(ख) कुल फ्लाईओवरों, ऐलिवेटिड रोड एवं ब्रिजों को मिला कर 25 फ्लाईओवर निर्मित किये जा चुके हैं; (Annexure-I)

(ग) निम्नलिखित 5 ब्रिजों की परिकल्पना एवं construction दोनों पिछले 4 वर्ष की अवधि के अंतर्गत ही करके पूर्ण किया गया है। इसके अतिरिक्त 3 फ्लाईओवरों एवं 1 underpass की परिकल्पना इन्हीं 4 वर्षों में करके construction शुरू किया है; (Annexure-II) और

(घ) बाहरी रिंग रोड पर विकासपुरी से वजीराबाद तक 4 ओवर ब्रिज प्रस्तावित थे, जिसमें मुकरबा चौक से वजीराबाद तक 4 फुटओवर ब्रिज हैं। चारों फुटओवर ब्रिजों में लिफ्ट लगाने के कार्य के अलावा बाकी सभी कार्य पूरे कर लिए गये हैं व आम जनता के उपयोग के लिए प्रयोग के तौर पर (Trail Run) उपलब्ध करा दिए गये हैं। लिफ्ट लगाने व अन्य विकास कार्य 30 नवम्बर 2019 तक पूरे कर लिये जाएंगे।

विकासपुरी पर पांचवें फुटओवर ब्रिज का सभी कार्य पूर्ण हो गया है।

ANNEXURE-I

List of Corridors/Flyovers/Bridges and Underpasses

Sl. No.	Name of Corridor/Flyover	Length (in mtr)	Remarks
1	Elevated road over Barapullah Nallah starting from Jawaharlal Nehru Stadium to Aurobindo Marg	2038	Completed
2	Ramp-A (Down Ramp at Sarai Kale Khan for traffic coming from INA and going to Ashram and Noida)	1433	Completed
3	Ramp-B (Up Ramp for traffic coming from Ashram/Noida side and going to INA)	299	Completed
4	Ramp-C (Up Ramp for buses coming from Ashram side and going to Sarai Kale Khan Bus Depot)	486	Completed
5	Ramp-D (Up Ramp Near Thyagraj Stadium for traffic going to Sarai Kale Khan)	331	Completed
6	Ramp-E (Loop for traffic coming from Dhaula Kuan Side via Ring Road and going to Sarai Kale Khan)	517	Completed
7	Ramp-F (Down Ramp for traffic coming from JLN Stadium side and going towards Pragati Maidan side)	360	Completed
8	Ramp-G (Down Ramp traffic coming from JLN Stadium side and going towards Pragati Maidan side)	314	Completed
9	Flyover at Mayur Vihar (Phase-I)	1050	Completed

10	Elevated Corridor between Azadpur to Premvari Pul on Ring Road,		completed
11	Elevated Corridor from Vikaspuri to Meera Bagh	3400	Completed
12	Elevated Corridor from Mangolpuri to Madhuband Chowk	2400	Completed
13	Elevated Corridor from Madhuban Chowk to Mukarba Chowk	2400	Completed
14	Flyover at Balswa	800	Completed
15	Flyover at Burari	800	Completed
16	Flyover at Mukundpur	1200	Completed
17	Libaspur at Jagatpur	2000	Completed
18	Loops at Mukundpur	2100	Completed
19	Libaspur Bridge	80	Completed
20	Signature Bridge	8000	Completed
21	RTR Flyover on Outer Ring Road	2850	Completed
22	Bridge on Barapullah from Chandulal Balmiki Marg to Kidwai Nagar Colony at Entry No. 03	40	Completed
23	Bridge on Barapullah Nallah to connect elevated road of East Kidwai Nagar	50	Completed
24	Bridge on Barapullah to connect Thyagraj Stadium to South Extension	50	Completed
25	Bridge for Pilanji Village	50	Completed

ANNEXURE-II

List of Corridors/Flyovers/Bridges and Underpasses Completed

Sl. No.	Name of Corridor/Flyover	Length (in mtr)	Remarks
1.	Bridge on Barapullah from Chandulal Balmiki Marg to Kidwai Nagar Colony at Entry No. 03	40	Completed
2.	Bridge on Barapullah Nallah to connect elevated road of East Kidwai Nagar	50	Completed
3.	Bridge on Barapullah to connect Thyagraj Stadium to South Extension	50	Completed
4.	Bridge for Pilanji Village	50	Completed
5.	Bridge on Shahadara drain to connect Noida Link Road to Mayur Vihar (Phase-I)	65	Completed

List of Corridors/Flyovers/Bridges and Underpasses Inprogress

Sl. No.	Name of Corridor/Flyover	Length (in mtr)	Remarks
1	Barapullah Corridor (Phase-HI) from Sarai Kale Khan to Mayur Vihar	3500	Under Construction

2	Flyover at Shastri Park	700	Under Construction
3	Flyover at Seelampur	1200	Under Construction
4	Bridge on Shahadara drain to connect Noida Link Road to Mayur Vihar (Phase-I)	65	Completed
5	Construction of underpass at Ashram Chowk	700	Under Construction
6	Widening of Bridges on Najafgarh Drain at Tri Nagar/Inderlok, Karampura and Rampura, Delhi	300	Under Construction
7	Construction of two numbers of vehicular half underpasses between Wazirabad & Jagatpur and one number pedestrian subway near Gandhi Vihar on Outer Ring Road, Delhi	300	Under Construction
8	Construction of Bridge on Supplementary Drain on NH-10, Nangloi, Delhi	100	Under Construction
9	Construction of Bridge on Najafgarh drain at Basaidarapur	150	Under Construction
10	Construction of Additional bridge on Supplementary drain near SLFS Plant near Mukarba Chowk	60	Under Construction

215. श्री जगदीश प्रधानः क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बी ब्लॉक स्टैंड यमुना विहार और ब्रिजपुरी चांद बाग यू टर्न के बीच फुट ओवर ब्रिज बनवाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पर कार्य शुरू हो गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह कार्य कब तक शुरू हो जायेगा, पूर्ण विवरण दें?

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः (क) फुट ओवर ब्रिज बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यहां से मेट्रो रूट प्रस्तावित है;

(ख) उपरोक्त 'क' अनुसार लागू नहीं;

(ग) उपरोक्त 'क' अनुसार लागू नहीं; और

(घ) उपरोक्त 'क' अनुसार लागू नहीं।

216. श्री जगदीश प्रधानः क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि किराड़ी, घेवरा तथा नरेला मंडी में रेलवे क्रासिंगों पर प्रस्तावित पुल बनाए जाने का टाल दिया गया है;

(ख) यदि हां, दिल्ली सरकार ने किन कारणों से इनके निर्माण के लिए फंड रोके हुए हैं;

(ग) क्या यह सत्य है कि सुल्तानपुरी में भी पुल का कार्य पूरा हो जाने के बावजूद भी रोक दिया गया है;

(घ) इसके क्या कारण हैं; और सरकार किस प्रकार सुनिश्चित कर रही है कि उपरोक्त चार महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही अड़चनों को यथाशीघ्र दूर किया जाए?

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः (क) यह सत्य नहीं है। ये कार्य उत्तर नगर निगम, दिल्ली (North MCD) द्वारा किया जाना प्रस्तावित था।

इन रेलवे ओवरब्रिज/रेलवे अंडरब्रिज के निर्माण के लिए उत्तर नगर निगम दिल्ली द्वारा शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के फंड के तहत रुपए 282.70 करोड़ के अनुसार डीडीए को प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय अनुमति जारी कराने हेतु जमा किया था। इन अनुमानों में रुपए 111.82 करोड़ रुपये जमीन की कीमत भी सम्मलित है।

डा. उदित राज, सांसद, उत्तर पश्चिम दिल्ली ने अपने पत्र सं. 2991 दिनांक 29.11.2018 को मुख्य मंत्री, दिल्ली सरकार को अपने अर्द्धसरकारी पत्र द्वारा इन रुपए 111.82 करोड़ रुपये जमीन की कीमत के भुगतान के लिये लिखा है।

इस पत्र पर कार्यवाही करते हुए मंत्री, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार के कार्यालय पत्र सं. 2242 दिनांक 12.02.2019 द्वारा लोक निर्माण विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु कहा गया। क्योंकि यह तीनों रेलवे ओवरब्रिज/रेलवे अंडरब्रिज के निर्माण के कार्य लोक निर्माण विभाग के कार्य क्षेत्र में आते हैं। अतः इन परियोजनाओं को लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना चाहिये, जिसके लिये इन परियोजनाओं पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही

प्रारंभ कर उनकी प्रारम्भिक संरचना (Pre-feasibility) अध्ययन किया गया है और अब रेलवे विभाग से विचार–विमर्श (Liasioning) किया जा रहा है;

(ख) इन रेलवे ओवर ब्रिज/रेलवे अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में इन सभी योजनाओं के लिए रेलवे विभाग से विचार–विमर्श (Liasioning) किया जा रहा है;

(ग) यह योजना लोक निर्माण से सम्बन्धित नहीं है; और

(घ) यह योजना लोक निर्माण से सम्बन्धित नहीं है।

प्रश्न (क) में दिए गए तीनों ब्रिजों का निर्माण रेलवे लाइन के उपर या नीचे से किया जाना है, इसीलिए इस सम्बन्ध में मामला रेलवे के साथ उठाया जा रहा है।

217. श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पूरी दिल्ली में सीसीटीवी लगाने का वायदा किया था;

(ख) क्या यह सत्य है कि दिल्ली के विभिन्न भागों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का दायित्व लोक निर्माण विभाग द्वारा लिया गया है;

(ग) राजौरी गार्डन विधान सभा क्षेत्र में सीसीटीवी लगाने के कार्य की

औपचारिकताएं पूरी होने के उपरांत भी सीसीटीवी न लगाए जाने का क्या कारण है;

(घ) अभी तक किन–किन क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है यह प्रगति पर है; और

(ङ) राजौरी गार्डन विधान सभा क्षेत्र में सीसीटीवी लगाने का कार्य कब तक शुरू हो जायेगा?

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः (क) यह नितिगत मामला है जिसका उत्तर सचिवालय स्तर पर दिया जाना उचित होगा;

(ख) जी हां, दिल्ली के विभिन्न भागों में आरडब्ल्यूए तथा एमए एवं दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का दायित्व लोक निर्माण विभाग को दिया गया है;

(ग) राजौरी गार्डन विधान सभा क्षेत्र में सर्वे का कार्य प्रगति पर है। शीघ्र ही राजौरी गार्डन विधान सभा क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे;

(घ) सीसीटीवी कैमरे लगाने के कार्य अनुसंलग्नक–ए के अनुसार प्रगति पर है; और

(ङ) यह अनुमान है कि माह नवम्बर, 2019 में राजौरी गार्डन विधान सभा क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का कार्य शुरू किया जायेगा एवं दिसम्बर, 2019 के अंत तक पूरा कर दिया जायेगा।

Annexure-'A'

Sl. No.	AC No.	AC Name	District	Site Survey Status (as on 13.08.19)	No of Cameras Installed
1	2	3	4	5	6
1	67	Babarpur	Shahdra	1896	453
2	22	Ballimaran	Central Delhi	771	164
3	2	Burari	Central Delhi	1654	244
4	20	Chandni Chowk	Central Delhi	874	3
5	61	Gandhi Nagar	East Delhi	175	
6	23	Karol Bagh	Central Delhi	1928	103
7	56	Kondli	East Delhi	1656	4
8	60	Krishna Nagar	East Delhi	1668	2
9	58	Laxmi Nagar	East Delhi	1734	46
10	57	Patparganj	East Delhi	1444	444
11	64	Rohtas Nagar	Shahdra	1540	210
12	19	Sadar Bazar	Central Delhi	1523	388
13	63	Seemapuri	Shahdra	1795	765
14	62	Shahdara	Shahdra	730	92
IS	3	Timarpur	Central Delhi	1243	207
16	55	Trilokpuri	East Delhi	1083	259
17	59	Vishwas Nagar	Shahdra	0	

18	5	Badli	North Delhi	2000	554
1	2	3	4	5	6
19	28	Hari Nagar	West Delhi	1851	400
20	30	Janakpuri	West Delhi	950	275
21	26	Madipur	West Delhi	2000	109
22	25	Moti Nagar	West Delhi	2000	455
23	11	Nangloi Jat	West Delhi	1779	285
24	24	Patel Nagar	West Delhi	1567	302
25	27	Rajouri Garden	West Delhi	416	
26	65	Seelampur	North East Delhi	1349	379
27	15	Shakur Basti	West Delhi	2055	416
28	29	Tilak Nagar	West Delhi	771	102
32	32	Uttam Nagar	West Delhi	2060	563
30	31	Vikaspuri	West-Delhi	1303	178
31	7	Bawana	North West Delhi	1706	30
32	66	Ghonda	North East Delhi	1115	
33	68	Gokalpur	North East Delhi	0	
34	70	Karawal Nagar	North East Delhi	2336	
35	9	Kirari	North West Delhi	1431	4
36	12	Mangol Puri	North west Delhi	1898	29
37	8	Mundka	North West Delhi	1850	
38	69	Mustafabad	North East Delhi	1658	
39	1	Narela	North West Delhi	861	4

40	6	Rithala	North West Delhi	2030	45

1	2	3	4	5	6
41	13	Rohini	North West Delhi	894	
42	14	Shalimar Bagh	North West Delhi	248	12
43	10	Sultan Pur Majra	North West Delhi	1934	
44	16	Tri Nagar	North West Delhi	2439	30
45	17	Wazirpur	North West Delhi	2412	
46	4	Adarsh Nagar	North Delhi	1592	112
47	48	Ambedkar Nagar	South Delhi	1317	191
48	53	Badarpur	South East Delhi	1012	189
49	36	Bijwasan	South West Delhi		
50	46	Chhatarpur	South Delhi	2207	103
51	38	Delhi Cantonment	New Delhi	720	210
52	47	Deoli	South Delhi	1108	
53	33	Dwarka	South West Delhi	986	415
54	50	Greater Kailash	South Delhi	1287	275
55	41	Jangpura	South East Delhi	964	340
56	51	Kalkaji	South East Delhi	1551	263
57	42	Kasturba Nagar	South East Delhi	1813	47
58	43	Malviya Nagar	South Delhi	1456	140

59	21	Matia Mahal	South West Delhi	735	
1	2	3	4	5	6
60	34	Matiala	South West Delhi	1881	261
61	45	Mehrauli	South Delhi	1743	267
62	18	Model Town	North Delhi	1589	48
63	35	Najafgarh	South West Delhi	45	
64	40	New Delhi	New Delhi	1673	1300
65	54	Okhla	South East Delhi	1063	231
66	37	Palam	South West Delhi	626	123
67	44	R.K. Puram	New Delhi	1595	305
68	39	Rajinder Nagar	New Delhi	1278	155
69	49	Sangam Vihar	South East Delhi	849	
70	52	Tughlakabad	South East Delhi	1249	415
				94966	12946
					300
					13246

218. श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा राजौरी गार्डन विधान

सभा क्षेत्र के अंतर्गत बनाई गई सड़कें अच्छी गुणवत्ता की नहीं हैं तथा, मानदंड के अनुसार नहीं बनाई गई है;

(ख) क्या सरकार की इन सड़कों के पुर्नविन्यास एवं पूर्ण रूप से रख–रखाव की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो इन सड़कों के पुर्नविन्यास एवं रख–रखाव का कार्य कब तक शुरू कर दिया जाएगा?

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः (क) लोक निर्माण विभाग द्वारा राजौरी गार्डन विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत बनाई गई सड़कें अच्छी गुणवत्ता की है तथा मानदंड के अनुसार ही बनाई गई है। यदि किसी सड़क संबंधी कोई शिकायत है तो इस कार्यालय के संज्ञान में लाया जाये जिससे उसकी जांच करायी जा सके;

(ख) सरकार की राजौरी गार्डन विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सड़कों के पुर्नविन्यास एवं पूर्ण रूप से रख–रखाव निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाता है। बिटूमन की सड़कों पर 5 साल बाद पुनः सतहीकरण जरूरत के अनुसार कराया जाता है एवं कंक्रीट की सड़कों की मरम्मत समय–समय पर कराई जाती है। इसकी प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है तथा जहां पर कार्य अपेक्षित है, वह किया जाता है। राजौरी गार्डन विधान सभा क्षेत्र की छोटी–बड़ी 14 सड़कों पर सुदृढ़ता (Strengthening) का कार्य करवाया जाना बाकी है, जिस पर कार्यवाही की जा रही है (लिस्ट संलग्न); और

(ग) सुदृढ़ता (Strengthening) का कार्य अगले 10 माह में शुरू करवा दिया जायेगा तथा दिशा–निर्देशों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

संलग्न

सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
WZ-15, दिल्ली सरकार,
जनकपुरी, नई दिल्ली–58
फोन नं.:–011–25996187

आपके सपनों को साकार
करते हुए आपके लिये
दिल्ली का निर्माण करते हुए
E-mail: nepwddelhiwr15@gmail.com

Assistant Engineer
Public Works Department
Sub Divi. WR-15
Govt. of NCT of Delhi
Janak Puri, New Delhi-58
Phone No.:-011-25996187

No.-54(Works)/A.E./WR-15/PWD/66 Dated:-11/03/2019

Reminder

To,

Executive Engineer
West Road-1, P.W.D.
R.R. Lines, Dhaula Kuan
New Delhi-110010

Subject: Regarding Requirement of Benkelman Test for Strengthening of Roads.

Sir,

With reference to the above mentioned subject. Due to the miserable condition of these roads and there, is always a heavy traffic on these roads. These, roads are broken at many places. The following roads are required strengthening. These roads are handed over by MCD in 2012 and after that no Strengthening/Micro-surfacing work has been carried out in these roads and also for Najafgarh Road in meeting of. Task Force team No.2 has-desired the carpeting of road as S.No. 19 vide. No. 1315-55/SO/DCP/T/WR dt. 12.04.2018 and wide Hon'ble MLA, Rajouri Garden's letter no MLA-RG/

OL/02-19/214 dated 04.02.2019 has desired the carpeting of roads (copy enclosed) so. Benkelman Test is required in these following roads:-

Sl. No.	Name of Road	Road Length	Last Stre. Date	Due Stre. Date	Status
1	80' Road (Chowkhandi Road)	1.000	May-2033'	May-2018	Letter already Send to Div. Lt 126 Dt. 19.06.18
2	Tanki Wala Marg	0.200	14.11.2013	Mar-2018	
3	Road No. 28	0.500	30.01.2012	Mar-2017	
4	Najafgarh Road	1.950	18.04.2013	Mar-2018	
5	Sakti Mandir Marg	0.200	10.01.2014	May-2018	
6	100' Road (New Khayala Road)	0.700	06.10.2012	Feb-2018	Letter already Send to Div. Lt 267 Dt. 24.12.18
7	Arya Samaj Marg	0.120	Dec-2013	Dec-2018	
8	AD-1 to BF-31 (Tagore Garden)	0.600	14.11.2013	Dec-2018	
9.	DE-131 to cmmunity Hall Road	0.220	Dec-2013	Dec-2018	
10	Devki Mandan Marg	0.780	14.11.2013	Dec-2018	
11	Major Sudesh Marg	2.000	10.01.2014	Jan-2019	
12	Major Suresh Gadok Marg	0.600	10.01.2014	Jan-2019	
13	Keshav Marg	0.600	Jan-2014	Jan-2019	
14	Sant Berwa Marg with Titarpur Drain	0.600	28.11.2012	Aug-2019	

This is for your information & necessary action.

MANJINDER SINGH SIRSA
MLA, Delhi Legislative Assembly
Rajouri Garden, Delhi
Ph: 011-25226400, 23736489
(M) : 98100-94333
E-mail: mssirsa@gmail.com

मनजिन्दर सिंह सिरसा
विधायक, दिल्ली विधान सभा
राजौरी गार्डन क्षेत्र
फोनः 011–25226400, 23736489
मो.: 98100–94333
ई–मेलः mssirsa@gmail.com

REF.NO-MLA-RG/01/02-19/214 Dated 04.02.19

EE (WR-1)
R.R. Line, Dhaula Kuan
New Delhi

Subject: Laying of new PWD roads at Rajouri Garden AC-27.

Sir.

It seems that all the PWD roads at Rajouri Garden AC-27 have finished their life and required to be re laid.

Please get all roads checked and look in to the year they wer laid and where ever needed please build up new roads as soon as possible.

Thanking you.

(Manjineer Singh Sirsa)

219. श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः क्या **माननीय लोक निर्माण मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्राथमिकता–1, के अंतर्गत कक्षा–कक्ष निर्माण के संदर्भ में क्या कमरों के निर्माण संबंधी शिक्षा निदेशालय द्वारा एए एवं ईएस में कोई पूर्व शर्त है;

(ख) अनुमति आवश्यक होने पर पूर्व अनुमोदन के बिना कितनी बढ़ी हुई निर्माण लागत अनुमत्य है;

(ग) प्राथमिकता–1, के अंतर्गत प्रति वर्गमीटर निर्माण लागत कितनी है और प्रति कमरा निर्माण लागत कितनी है;

(घ) क्या सक्षम प्राधिकरण से ऐसे अनुमोदन प्राप्त किये गये थे;

(ङ) यदि नहीं, तो लोक निर्माण विभाग के संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है;

(च) देरी होने पर लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार के विरुद्ध कौन–कौन से दंड लगाए गए हैं;

(छ) क्या लोक निर्माण विभाग द्वारा विनिर्देशों के अनुसार कार्य किया गया है;

(ज) क्या लोक निर्माण विभाग के विनिदेशों के अनुसार सभी तलों पर भवन के सामने पाइप लगाकर लोक निर्माण विभाग द्वारा जल निकासी प्रणाली निर्मित की गयी है; और

(झ) प्राथमिकता–2 के अंतर्गत लागत अनुमानों की तुलना में प्राथमिकता 1, के अंतर्गत कौन से अतिरिक्त संघटक शामिल किये गये हैं, नये संघटकों एवं व्यय की सूची सहित पूर्ण विवरण दें?

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः (क) प्राथमिकता–1 के अंतर्गत कक्षा–कक्ष निर्माण के संदर्भ में कमरों के निर्माण संबंधी शिक्षा निदेशालय द्वारा से प्राप्त प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति (A/A & E/S) एवं स्वीकृति आदेश जिसमें शर्तें वर्णित है, की प्रति संलग्न है (अनुसंलग्नक–A);

(ख) प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति की राशि से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकती है;

(ग) अनुसंलग्नक–'B' के अनुसार संलग्न है;

(घ) जी हां;

(ङ) लागू नहीं है;

(च) सक्षम अधिकारी द्वारा EOT & Levy of compensation अलग–अलग मामले के अनुसार तय किया जाता है;

(छ) जी हां;

(ज) अर्धस्थायी संरचना (SPS) भवनों से जल निकासी हेतु पूर्व प्रचलित तरीकों के अनुसार रैन वाटर स्पाउट्स लगाए गये हैं; और

(झ) RWH, STP/Septic Tanks, Furniture अतिरिक्त संघटक प्रस्तावित है जिनका निष्पादन अभी नहीं हुआ है, इसलिए लागत उपलब्ध नहीं है।

ANNEXURE-'A'

GOVT. OF NCT DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION
(ESTATE BRANCH)
LUCKNOW ROAD : DELHI-54

Sanction Date: 15.12.2015
Issue Date: 21.12.15

Sanction Group 2015000502 3056-3058
No. F.16/Estate/Zone -6/Priority-I/2015/

Executive Engineer, Education 1st Floor MSO Building, I.P. Estate, New Delhl-2 PWD Education M-06 District-North East

Sub:- **Construction of 625 Additional Classrooms under jurisdiction of Zone-6 of DDE North East District (Priority-I) of 16 Nos. Schools, amounting to the tune of Rs. 86.10 Crore out of which Rs. 68.00 Crores (for the Financial year 2015-16) and Rs.18.10 Crores, for 2016-17.**

Sir,

With reference to letter No. 23/0l/15/CE(Edu.)/M/PWD/31 of the Executive Engineer, CBMD, PWD, Govt. of Delhi. I am directed to convey the Admn. Approval/sanction of Finance Department, Delhi for Incurring an expenditure amounting to **Rs. 680000000 (Sixty Eight Crore)** out of which **Rs. 122400000 (Twelve Crore Twenty Four Lac)** is debitable to the Major Head 4202 98 00 53 C/o Bldgs for Sec. Schools (SCP) and Rs. 557600000 (Fifty Five Crore Seventy Six Lac) Is debitable to the Major Head 4202 99 00 53 C/o Bldgs for Sec Schools in demand no. 11 of GNCTD during the year 2015-16 for above mentioned work at **Total Number of 16 Govt. Schools of Zone-6 North East District i.e. School ID-1106018.** Delhi subject to the following conditions:- a) That the total expenditure Incurred during the current financial year should not exceed beyond the fund available In the budget/R.E. i.e. Rs. 141.00 Crore by Finance Deptt. b) That PWD shall observe all codal formalities. c) That the escalation in cost will not be allowed under any circumstance. d) In no case additional funds will be provided to PWD. e) That the work shall be completed within the stipulated period. f) PWD has to submit the status report regarding above mentioned work to Education Department from time to time.

The Executive Engineer, concerned will submit monthly progress report to this office about execution/completion of work.

This issue with the concurrence of the Pr. Secretary Finance, Govt. of NCT of Delhi vide U.O.No.183/DS4 Dated 04.12.2015.

Yours faithfully

Shashi Kaushal
[Spl. Director of Education (Finance)]

Copy forwarded to:-

1. Office of Chief Engineer (Education) Maintenance PWD, Govt. of NCT of Delhi, 1st Floor MSO Building, I.P. Estate, New Delhi-110002.
2. Office of Executive Engineer, Education North East, Delhi.
3. The, JDE (IT) for upload the sanction order on official website.
4. The, DDE North East, RPVV, B-Block, Yamuna Vihar, Delhi.

Copy for Information:-

1. PS to Principal Secretary (Finance), Delhi Secretariat, New Delhi.
2. PS to Director of Planning, Planning Department, Delhi Secretariat, New Delhi.
3. PS to Principal Secretary (Education), Old Secretariat, Delhi.
4. PS to Director of Education, Old Secretariat, Delhi.

Shashi Kaushal
[Spl. Director of Education (Finance)]

PRIORITY-I WORKS

As per Final Execution

Finally Constructed Equivalent Rooms	7137 Rooms
Final Expenditure	Rs 1245 Crores
Total Built Up Area (=7137*761sqft)	5431257 sqft
Cost per sqm	**Rs. 24665/sqm**
Cost per Sqft	**Rs. 2292/sqft**
Cost per Equivalent Room	**Rs 17.44 lakhs**** (including common area like Corridor, Staircase etc.)
Area of One Equivalent Room (including common area like Corridor, Staircase etc.)	**70.73 sqm** **761 sqft**
Area of One Class Room of size 6.6m*6.6m	**43.56 sqm** **469 sqft**

Cost of one Classroom Rs. 10.75 Lakhs**

****NOTE:-*** This cost includes components of Building Cost, Development Cost, Bulk Services (Compound Lighting, External Service Connection), Fire Fighting System, Under Ground Tank, Overhead Water Storage Tanks, RO System, Richer Specifications like Granite, Vitrified Tiles, GRC Cladding, False Ceiling, Ceramic Chalk Board, SS Railing, Drainage, Sewerage, Septic Tanks etc.

220. श्री जरनैल सिंहः क्या **माननीय उद्योग मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली में कुल कितने औद्योगिक क्षेत्र हैं और इनके रख–रखाव की जिम्मेवारी किस–किस विभाग की है, पूर्ण विवरण दिया जाये;

(ख) किस औद्योगिक क्षेत्र में किस–किस प्रकार की गतिविधियां मान्य हैं और किस–किस प्रकार की गतिविधियां मान्य नहीं हैं, उसका ब्यौरा दिया जाये; और

(ग) क्या यह सत्य है कि दिल्ली के मायापुरी इलाके के औद्योगिक क्षेत्र में इस वर्ष वहां चल रहे उद्योगों को बंद करने के लिए सख्त कार्रवाई की गई थी;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे;

(ङ) क्या बंद हुए उद्योगों के पुनर्वास के लिए सरकार की तरफ से कोई नीति बनाई जा रही है; और

(च) यदि हाँ, तो उसका विस्तृत विवरण क्या है?

माननीय उद्योग मंत्री : (क) दिल्ली में कुल 33 योजनाबद्ध और अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र हैं। (29 औद्योगिक क्षेत्र और 4 फ्लेटिड फैक्ट्रीज कोम्लेक्स)। DIDOM अधिनियम, 2010 के अनुसार, 24 औद्योगिक क्षेत्रों में रखरखाव और विकास की जिम्मेदारी डीएसआईआईडीसी को सौंपी गई थी। (जिनमें से 20 औद्योगिक क्षेत्र और 4 फलेटिड फैक्ट्रीज़ कॉम्लेक्स है)। हालांकि 33 औद्योगिक क्षेत्रों में से केवल 12 औद्योगिक क्षेत्रों का पट्टा प्रशासन डीएसआईआईडीसी के पास है। शेष 12 क्षेत्रों में डीडीए लीज़ प्रशासन का प्रबंधन जारी रखता है और 12 क्षेत्रों से ग्राउंड रेट/कन्वर्जन चार्ज के लिए राजस्व प्राप्त करता है। डीएसआईआईडीसी को इन 12 औद्योगिक क्षेत्रों से कोई राजस्व नहीं मिल रहा है। लीज एडमिनिस्ट्रेशन स्थानांतरण करने के लिए डीडीए से मैटर टेकअप किया हुआ है। **सूची संलग्न है**;

(ख) मास्टर प्लान दिल्ली 2021 के अनुसार वर्जित सूची वाले उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी उद्योग स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्रों में नियमानुसार चलाये जा सकते हैं;

(ग) जी हां, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश 807/2018 QA NO. साथ में QA NO. 996/2018 के पालन हेतु दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974, के तहत उन इकाइयों के खिलाफ कार्यवाही की है जो कि इन नियमों का अनुपालन नहीं कर रही थी। इन इकाइयों को बंद करने के आदेश दिये गये हैं। जिन इकाइयों ने वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 एवं जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974, के तहत नियमों का पालन करना शुरू कर दिया है उन्हें खोल दिया गया है;

(घ) जैसा कि उपरोक्त है;

(ङ) जी नहीं; और

(च) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

संलग्न

List of 24 Industrial Areas

Sl. No.	Name of Industrial Area	Lease Administration	Maintenance Agency
1	2	3	4
1	Narela Industrial Area	DSIIDC	DSIIDC
2	Bawana Industrial Area	DSIIDC	DSIIDC
3	DSIIDC Sheds Nangloi	DSIIDC	DSIIDC

1	2	3	4
4	Flatted Factory Complex at Jhilmil Industrial Area	DSIIDC	DSIIDC
5	Functional Industrial Estate for Electronics, A-Block, Okhla Industrial Area	DSIIDC	DSIIDC
6	Functional Industrial Estate for Electronics S-Block, Okhla Industrial Area	DSIIDC	DSIIDC
7	Patparganj Industrial Area	DSIIDC	DSIIDC
8	Badli Industrial Area	DSIIDC	DSIIDC
9	Okhla Industrial Estate, Phase-III	DSIIDC	DSIIDC
10	Flatted Factories for Leather Goods, Wazirpur Industrial Area	DSIIDC	DSIIDC
11	Flatted Factories Complex at Rani Jhansi Road	DSIIDC	DSIIDC
12	Flatted Factories Complex, Okhla Industrial Area	DSIIDC	DSIIDC
13	Rajasthani Udyog Nagar Industrial Area	DDA	DSIIDC
14	G.T. Karnal Road Industrial Area	DDA	DSIIDC
15	Lawrence Road Industrial Area	DDA	DSIIDC
16	Wazirpur Industrial Area	DDA	DSIIDC
17	Udyog Nagar Industrial Area	DDA	DSIIDC

1	2	3	4
18	a) Naraina Industrial Area Phase-I	DDA	DSIIDC
	b) Naraina Industrial Area Phase-II	DDA	DSIIDC
19	D.L.F. Industrial Area, Moti Nagar	DDA	DSIIDC
20	Najafgarh Road Industrial Area	DDA	DSIIDC
21	Jhilmil Industrial Area	DDA	DSIIDC
22	Kirti Nagar Industrial Area	DDA	DSIIDC
23	a) Mangolpuri Industrial Area Phase-I	DDA	DSIIDC
	b) Mangolpuri Industrial Area Phase-II	DDA	DSIIDC
24	a) Mayapuri Industrial Area Phase-I	DDA	DSIIDC
	b) Mayapuri Industrial Area Phase-II	DDA	DSIIDC

221. श्री पवन कुमार शर्माः क्या **माननीय उद्योग मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर के अंतर्गत राजस्थानी उद्योग नगर, एसएमए और एसएसआई के नाम से तीन औद्योगिक इकाइयां लगी हुई हैं;

(ख) क्या मंत्रालय के पास उक्त सभी औद्योगिक इकाई से संबंधित आंकड़े मौजूद हैं;

(ग) क्या सभी फैक्टरियां दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियमों/शर्तों का निर्वाह कर रही है; और

(घ) क्या उक्त फैक्टरियों द्वारा लाइसेंस बनवाने व उसका नवीनीकरण करवाने संबंधी प्रक्रिया पूर्ण रूप से अमल किया जा रहा है?

माननीय उद्योग मंत्रीः (क) हां यह सत्य है;

(ख) जी नहीं;

(ग) जी हां। सभी उद्योग निर्धारित नियमों (वायु अधिनियम) जल अधिनियम, पर्यावरण अधिनियमों) के अनुरूप चलते हैं। और यदि नहीं चलते हैं तो नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है; और

(घ) जी हां, जो उद्यमी नियमों का पालन नहीं करते पाये जाते हैं, उनके विरुद्ध दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 416/417 के अनुसार कार्यवाही की जाती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त क्षेत्र में अधिकांश उद्यमियों ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा फैक्ट्री लाइसेंस ले रखा है।

222. श्री प्रवीण कुमारः क्या **माननीय श्रम मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या निर्माण कार्यों से जुड़े श्रमिकों और उनके बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) क्या निर्माण कार्यों से जुड़े श्रमिकों के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी कोई सर्वेक्षण कराया गया है?

माननीय श्रम मंत्रीः (क) हां, निर्माण कार्यों से जुड़े श्रमिकों के केवल बच्चों को प्राथमिक शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। और यह सहायता कक्षा–1 से 8 तक रुपए 500/– प्रति माह दी जाती है; और

(ख) निर्माण कार्यों से जुड़े श्रमिकों के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

223. श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः क्या **माननीय गृह मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) त्रि–नगर विधान सभा क्षेत्र में स्थित निजी अस्पतालों, बैंक्वेट हॉल, होटल, रेस्टोरेंट सभी प्रकार की फैक्टरियों जैसे दाल मिल, आटा मिल, मसाला कम्पनी, कोल्ड स्टोरेज, मीट फैक्ट्री का पूर्ण विवरण उपलब्ध करे;

(ख) उन सभी के लिए निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानक क्या है, प्रत्येक केटेगरी का संपूर्ण विवरण दें;

(ग) इन सभी को किस आधार पर फायर सेफ्टी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट/एनओसी दिया जाता है;

(घ) त्रि नगर विधान सभा क्षेत्र में स्थित जिन भवनों को अग्निशमन विभाग द्वारा एनओसी/क्लीयरेंस सर्टिफिकेट दिए गए हैं उन सभी के नाम और पता सहित विस्तृत ब्यौरा दे; और

(ङ) उपरोक्त सभी निजी अस्पतालों, बैंक्वेट हॉल, होटल, रेस्टोरेंट सभी प्रकार की फैक्टरियों जैसे दाल मिल, आटा मिल, मसाला कम्पनी, कोल्ड स्टोरेज, मीट फैक्ट्री?

माननीय गृह मंत्रीः (क) दिल्ली अग्निशमन सेवा के पास उपलब्ध रिकॉर्ड दिल्ली अग्नि शमन सेवा एक्ट व दिल्ली अग्नि सेवा रूल्स 2010 के अनुरूप वर्गीकृत किये गए हैं, त्रि–नगर क्षेत्र में स्थित निजी अस्पतालों, बैंक्वेट हॉल, होटल, रेस्टोरेंट सभी प्रकार की फैक्टरियों जैसे दाल मिल, आटा

मिल, मसाला कम्पनी, कोल्ड स्टोरेज, मीट फैक्ट्री की सूची संलग्न है (संलग्न–1);

(ख) निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानक, दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली फायर सर्विस एक्ट 2007 व रूल्स 2010 के अंतर्गत नियम 33 में वर्णित 20 अग्नि सुरक्षा मानक, भवन के प्रकार/केटेगरी व ऊंचाई के अनुसार बिल्डिंग बाई लॉज़ व नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार निर्धारित किये जाते हैं;

(ग) दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली फायर सर्विस एक्ट 2007 व रूल्स 2010 के अंतर्गत कार्य करती है। जो भवन रूल 27 के अंतर्गत आते हैं उनके नक्शे जो कि दिल्ली बिल्डिंग बाई लॉज़ के अनुरूप बनाये गए हो और पूर्ण विवरण दिया गया हो, लोकल अथॉरिटी के द्वारा इस विभाग को रूल 34 के अंतर्गत अग्रेषित किये जाते हैं। वर्तमान में यह प्रक्रिया ऑनलाइन चल रही है। ऐसे भवनों को फायर सेफ्टी गाइडलाइन्स जारी किये जाते हैं तत्पश्चात् रूल 33 में दिए गए फायर सेफ्टी प्रावधानों/किये जाते हैं तत्पश्चात् रूल 33 में दिए गए फायर सेफ्टी प्रावधानों/उपकरणों का निरीक्षण किया जाता है और संतोषजनक न पाए जाने पर त्रुटि पत्र जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो भवन पूर्व निर्मित है उनमें प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संदर्भ मिलने पर उपरोक्त नियमानुसार ही कार्यवाही की जाती है;

(घ) सूची संलग्न है (संलग्नक–2)*; और

(ङ) रूल 33 में दिए गए फायर सेफ्टी प्रावधनों/उपकरणों का निरीक्षण किया जाता है और संतोषजनक न पाए जाने पर त्रुटि पत्र जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो भवन पूर्व निर्मित है उनमें प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संदर्भ मिलने पर उपरोक्त नियमानुसार ही कार्यवाही की जाती है।

---

*www.delhiassembly.inc.in पर उपलब्ध।

224. श्री डी. पंकज पुष्करः क्या **माननीय गृह मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली फॉरेंसिक लेब के विभिन्न लेबोरेटीज के पास 1 मार्च, 2015 से 31 जुलाई, 2019 तक जांच हेतु कितने मामले आए;

(ख) उक्त सभी जांचों में सामान्यतः रिपोर्ट तैयार करने में कितना समय वांछित होता है;

(ग) उक्त जांचों में सामान्यतः रिपोर्ट तैयार करने में कितना समय वांछित होता है;

(घ) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें सेम्पल की जांच एवं रिपोर्ट तैयार होने में 365 दिन से अधिक समय लगा; और

(ङ) उक्त क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में होने वाली हानि का क्या आकलन है?

माननीय गृह मंत्रीः (क) दिल्ली फॉरेंसिक लेब ने 01 मार्च, 2015 से 31 जुलाई, 2019 तक पच्चपन हजार दो सौ तीन (55203) मामले प्राप्त किए;

(ख) और (ग) सामान्यतः एक केस की जांच करने में एक से दो महीने का समय लगता है केस प लगने वाला समय केस की प्रकृति एवम् केस की जटिलता पर निर्भर रहता है;

(घ) ऐसे मामले जिनमें सेम्पल की जांच एवं रिपोर्ट तैयार होने में 365 दिन से अधिक समय लगा, की संख्या चार हजार नौ सौ इक्कसठ (4961) है; और

(ङ) यह सूचना विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

225. श्री पवन कुमार शर्मा: क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आदर्श नगर विधान सभा में कुल कितनी बिल्डिंग नक्शे से और कितनी बिना नक्शे से बनी है;

(ख) नक्शे से व बिना नक्शे से बनी सभी बिल्डिंगों का विवरण दिया जाए;

(ग) बिल्डिंग के नक्शे पास करने की प्रक्रिया का पूर्ण विवरण क्या है; और

(घ) किसी बिल्डिंग का नक्शा जमा करने के उपरांत यह कितने समय में पास होता है?

माननीय शहरी विकास मंत्री: (क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम:** उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार आदर्श नगर विधान सभा के अंतर्गत दिनांक 01.09.2017 से 19.08.2019 तक क्षेत्रीय भवन विभाग सिविल लाइन जोन द्वारा कुल 80 भवनों के नक्शे स्वीकृत किये गये हैं विवरण अनुलंग्नक "क" पर संलग्न है तथा भवन मुख्यालय द्वारा Online ID No. 10043595 के तहत 01 नक्शा श्रीमती लालदेवी, पता बी–49, राजनबाबू रोड, आदर्श नगर का पास किया गया है।

दिनांक 01.09.2017 से 19.08.2019 तक क्षेत्रीय भवन विभाग सिविल लाइन जोन द्वारा कुल 201 भवनों को बिना नक्शे के बनने के आधार पर बुक किया गया है*;

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम:** विवरण अनुलंग्नक 'ख' पर संलग्न* है;

---

*www.delhiassembly.inc.in पर उपलब्ध।

(ग) **उत्तरी दिल्ली नगर निगमः** बिल्डिंग के नक्शे MPD-20201 और UBBL-2016 के अंतर्गत संशोधित एवं समय–समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों/नीतियों/परिपत्रों के अनुसार पंजीकृत वास्तुकारों द्वारा आवेदन को विधियुक्त पाये जाने पर ऑनलाइन स्वीकृत किये जाते हैं। जब कि 105 वर्ग मीटर तक के आवासीय प्लॉट जो कि अनुमोदिन ले–आउट/विशेष क्षेत्रों/अनाधिकृत नियमित कालोनी/ग्रामीण आबादी/लाल डोरा/विस्तांरित लाल डोरा/पुनर्वास कॉलोनियों और स्लम एवं जेजे समूह/पुर्नवास कॉलोनियों का एक हिस्सा है, एलबीजेड में आने वालों को छोड़कर, इन उपविधियों के अंतर्गत UBBL-2016 के अध्याय 41 में दी गई 'सरल' योजना के तहत ऑनलाइन संस्वीकृत माना जाता है; और

(घ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगमः** आवेदन पत्र के विधियुक्त पाये जाने पर अधिकतम तीस दिनों में नक्शें को स्वीकृत किया जाता है।

226. श्री सुखबीर सिंह दलालः क्या **माननीय मुख्य मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विभिन्न विभागों द्वारा सेवाएं विभाग/दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भेजे गए ऐसे रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध करें जिनके बारे में अभी तक विज्ञापन नहीं दिया गया है;

(ख) इन रिक्त पदों को भरने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड कब तक विज्ञापन दे देगा;

(ग) भर्ती संबंधी विभिन्न न्यायालयों में कितने न्यायालयी मामले लंबित हैं;

(घ) सेवा विभाग द्वारा सेवा विभाग से संबंद्ध विभागों द्वारा हॉयर किए

गए एडवोकेटों की और जिन मामलों में उन्हें पेश होना है, उनका विवरण देते हुए और प्रत्येक सुनवाई के लिए उन्हें भुगतान किए गए शुल्क का पूरा विवरण दीजिए;

(ङ) दिल्ली सरकार के सेवा विभाग द्वारा किसी एडवोकेट की सेवाएं किराये पर लेने संबंधी दिशा–निर्देश बताइये;

(च) दिल्ली सरकार द्वारा किसी एडवोकेट को किराये पर लेने के लिए भुगतान किये जाने वाला प्रति सुनवाई अधिकतम शुल्क (फीस) कितनी है;

(छ) दास ग्रेड–2 में अभी–अभी भर्ती किए गए अधिकारियों को विभाग आबंटन की प्रक्रिया क्या थी;

(ज) क्या यह सत्य है कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को विधान सभा के किसी सदस्य को किसी सूचना न देने का कोई अधिकार है जो विधान सभा की कार्यवाही के भाग के रूप में हो;

(झ) यदि हां, तो संबंधित दिशा–निर्देश उपलब्ध कराइए; और

(ञ) यदि नहीं, तो पिछले सत्र के दौरान मुण्डका प्रश्नकर्त्ता विधायक द्वारा मांगी गयी जानकारी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ट) दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के पूछताछ केन्द्र पर सुधार न किए जाने के क्या कारण हैं?

(उक्त प्रश्न का उत्तर संबंधित विभाग से प्राप्त नहीं हुआ।)

227. श्री पंकज पुष्करः क्या **माननीय उप मुख्य मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली सरकार को विभिन्न विभागों से रिक्तियां भरने के 31 जुलाई, 2019 तक कब–कब और कितने अनुरोध प्राप्त हुए;

(ख) 31 जुलाई, 2019 तक उपलब्ध करवाए हुए अनुरोधों पर कब तक प्रक्रिया पूरी हो जानी अपेक्षित थी;

(ग) विभिन्न विभागों द्वारा रिक्तियों को भरे जाने के संबंध में आए अनुरोधों की वर्तमान प्रगति क्या है;

(घ) इन रिक्तियों के भरे जाने में हुई देरी के लिए क्या कारण हैं, पूर्ण विवरण दें; और

(ङ) उक्त देरी के कारण विभिन्न विभागों में कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है, इस जनहित की हानि के लिए कौन–कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं?

(उक्त प्रश्न का उत्तर संबंधित विभाग से प्राप्त नहीं हुआ।)

अनुपूरक अनुदान माँगों (2019–20) का प्रस्तुतीकरण, विचार एवं पारण

Hon'ble Spaker: Question hour is over now.

And Now voting on the supplementary demands 2019-20, माननीय उप मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री–श्री मनीष सिसोदिया जी।

माननीय उप मुख्य मंत्री (श्री मनीष सिसोदिया): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2019–20 के लिए सप्लीमेंटरी डिमांड्स सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ लेकिन साथ–साथ सदन के संज्ञान में लाने के लिए, क्योंकि सप्लीमेंटरी डिमांड्स आमतौर पर बहुत यूजअल और बहुत

रूटीन डिमांड्स होती हैं जो थोड़ा बहुत बजट में हमें करनी पड़ती हैं हर साल, कोई भी, साल में होती हैं। लेकिन इस वर्ष सदन की सूचना के लिए विशेष उल्लेखनीय बात ये है कि जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने और उसके बाद कैबिनेट ने डिसीजन लिया था, कैबिनेट को डिसीजन लेना है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अनाउंस किया था जिसके बारे में और महिला सुरक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें बसेज में और मैट्रो में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा करने का जो प्रस्ताव था, उस पर अभी काम चल रहा है। मैट्रो वाले प्रस्ताव में क्योंकि मैट्रो को अपने सिस्टम्स दुरुस्त करने में, मैट्रो को अपना सिस्टम्स उसमें ढ़ालने में टाइम लगेगा, बसेज का जल्दी हो जाएगा लेकिन हम, सरकार इंतजार कर रही थी कि एक बार उसके लिए बजट आ जाए तो हम विशेष रूप से इस सदन के समक्ष जो आज मैं सप्लीमेंटरी ग्रांट रख रहा हूँ, इसमें जो 140 करोड़ रुपये की ग्रांट्स तो फ्री बस राइड के लिए है, महिलाओं के लिए और 150 करोड़ की ग्रांट फ्री मैट्रो राइड के लिए है, तो ये भी इसमें शामिल है। इसके अलावा 47 करोड़ की अतिरिक्त ग्रांट है जो आरआरटीएस कॉरिडोर है, उसमें सरकार को योगदान देना है और 142 करोड़, अगेन महिला सुरक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, बसों में जो मार्शल लगाए जा रहे हैं, उनके लिए 142 करोड़ रूपए की ग्रांट उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो 140 करोड़ की ग्रांट बसेज के लिए, दोनों तरह की जो डीटीसी और कलस्टर बसेज हैं उनके लिए, दोनों के लिए 140 करोड़ रुपये की ग्रांट है और 150 करोड़ की ग्रांट डीएमआरसी के लिए है, जो फ्री मैट्रो के लिए है। तो मैं आपकी अनुमति से ये डिमांड्स सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।

माननीय अध्यक्षः अब सदन Supplementary Demands पर Demand-wise विचार करेगाः

DEMAND NO. 2 (GeneralAdministration)

जिसमें Revenue में 64 करोड़ 95 लाख रुपये हैं, सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ, Supplementary Demand No. 2 पास हुई।

DEMAND NO. 3 (Administration of Justice)

जिसमें Revenue में 71 करोड़ 50 लाख रुपये हैं, सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ, Supplementary Demand No. 3 पास हुई।

DEMAND NO. 4 (Finance)

जिसमें Revenue में 1 लाख रुपये हैं तथा Capital में 5 करोड़ 50 लाख रुपये हैं, कुल राशि 5 करोड़ 51 लाख सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ, Supplementary Demand No. 4 पास हुई।

DEMAND NO. 5 (Home)

जिसमें Revenue में 3 करोड 30 लाख रुपये हैं, सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ, Supplementary Demand No. 5 पास हुई।

DEMAND NO. 6 (Education)

जिसमें Revenue में 1 लाख रुपये हैं सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ, Supplementary Demand No. 6 पास हुई।

DEMAND NO. 7 (Medical & Public Health)

जिसमें Capital में 25 करोड़ 93 लाख 53 हज़ार रुपये हैं सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ, Supplementary Demand No. 7 पास हुई।

DEMAND NO. 8 (Social Welfare)

जिसमें Revenue में 450 करोड़ 13 लाख रुपये हैं तथा Capital में 47 करोड़ 50 लाख रुपये हैं, कुल राशि 497 करोड़ 63 लाख सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ, Supplementary Demand No. 8 पास हुई।

DEMAND NO. 9 (Industries)

जिसमें Revenue में 7 लाख 50 हज़ार रुपये हैं सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ, Supplementary Demand No. 9 पास हुई।

DEMAND NO. 10 (Development)

जिसमें Revenue में 1 लाख रुपये हैं सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ, Supplementary Demand No. 10 पास हुई।

DEMAND NO. 11 (Urban Development & Public Works)

जिसमें Revenue में 662 करोड़ 31 लाख रुपये हैं तथा Capital में 2 लाख रुपये हैं, कुल राशि 662 करोड़ 33 लाख सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ, Supplementary Demand No. 11 पास हुई। हाउस ने कुल मिलाकर Revenue में 12 अरब 52 करोड़ 29 लाख 50 हज़ार रुपये एवं Capital में 78 करोड़ 95 लाख 53 हज़ार रुपये, कुल राशि 13 अरब 31 करोड़ 25 लाख 3 हज़ार रुपये की Supplementary Demands को मंजूरी दे दी है।

The Delhi Appropriation (No. 3) Bill, 2019
(Bill No. 03 of 2019)

माननीय अध्यक्षः अब माननीय उप मुख्यमंत्री "The Delhi Appropriation (No. 3) Bill, 2019" को House में Introduce करने की permission माँगेंगे।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः Hon’ble Speaker Sir, I seek permission of the House to introduce ‘The Delhi Appropriation (No. 3) Bill, 2019’ to the House.

माननीय अध्यक्षः माननीय उप मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ।

माननीय अध्यक्षः अब माननीय उप मुख्य मंत्री Bill को सदन में Introduce करेंगे।

विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण

माननीय उप मुख्य मंत्रीः Hon'ble Speaker Sir, I introduce 'The Delhi Appropriation (No. 3) Bill, 2019' to the House.

माननीय अध्यक्षः अब Bill पर Clause-wise विचार होगा।

प्रश्न है कि खण्ड–2, खण्ड–3 व Schedule बिल का अंग बनें,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ, खण्ड–2, खण्ड–3 एवं Schedule बिल का अंग बन गये।

प्रश्न है कि खण्ड–1, Preamble और Title Bill का अंग बनें,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ, खण्ड–1, Preamble और Title Bill का अंग बन गये।

अब माननीय उप मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि ‘The Delhi Appropriation (No. 3) Bill, 2019’ को पास किया जाए।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः Hon’ble Speaker, Sir, the House may now please pass ‘The Delhi Appropriation (No. 3) Bill, 2019’

माननीय अध्यक्षः माननीय उप मुख्य मंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ, ‘The Delhi Appropriation (No. 3) Bill, 2019’ पास हुआ।

विशेष उल्लेख (नियम–280)

माननीय अध्यक्षः बहुत–बहुत धन्यवाद। 280 में श्री नारायण दत्त शर्मा जी।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः अध्यक्ष जी, जो अनस्टार्ड क्वेश्चन आज 50 से ज्यादा.. 55 क्वेश्चन के जवाब नहीं आए हैं...

माननीय अध्यक्षः किसके?

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः जो अनस्टार्ड क्वेश्चन हैं 162 तक का जवाब है उसके बाद और क्वेश्चन हैं 200 के आसपास..

...(व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः नहीं है भाई, 162 के बाद नहीं दिया गया।

माननीय अध्यक्षः इसमें एक बार चेक कर लीजिए। नहीं हैं तो मैं देखता हूँ बाद में।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः हाँ 162 के कोई जवाब नहीं हैं और 227 क्वेश्चन जो लिखवा लिए।

माननीय अध्यक्षः श्री नारायण दत्त शर्मा जी, नारायण दत्त शर्मा नहीं आए? अखिलेश त्रिपाठी।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः धन्यवाद, अध्यक्ष जी कि आपने अति महत्वपूर्ण विषय में आज जो अपने क्षेत्र की समस्या उठाने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान, सदन का ध्यान एमएलए फंड से एमसीडी द्वारा किए जाने वाले कार्यों की तरफ दिलाना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, ये केवल मेरी विधान सभा की बात, समस्या नहीं है बहुत सारे सदस्यों साथियों से चर्चा हुई है और सारे लोग इससे पीड़ित हैं। मैं सेंक्शन लैटर भी लेके आया हूँ। ये सेंक्शन लेटर 21.06.2019 का है। मैं आपकी अनुमति से इसको पढ़ के ही बताता हूँ सेंक्शन ओपन जिम इक्विपमेंट इन जैन कालोनी आर. पी. बाग। सेंक्शन हुआ है ये 21.06.2019 को आज तक इसका अभी तक क्या स्टेट्स है, बार बार मीटिंग में होता है कि भई हो गयी। वर्क ऑर्डर मैं पढ़ दूँ, तो बताता रहता हूँ। ऐसे ही संगम पार्क में लगना था। इसी तरीके से जिम लगना था डीटीसी कालोनी में, इसी तरीके का जिम के. ब्लाक माडल टाउन में लगना था। इसी प्रकार का जिम कल्याण विहार में लगना था और इसी प्रकार का जिम मालवा टैक्सी स्टैंड डेरावाल नगर में लगना था। सीसी कालोनी रामलीला पार्क में लगना था। प्रियदर्शनी पार्क गुजरावाला टाउन में लगता था। इसी प्रकार का जिम गुलाबी बाग में लगना

था। अध्यक्ष जी, ये तो जिम की बात थी, ऐसे ही 12 जगहों पर मल्टीपल स्टेशन लगाने के लिए भी इनको एमसीडी को 03.08.2018 को पैसे जा चुके हैं।

अध्यक्ष जी, ये तीसरी बार है जब हमने सदन में एमएलए फंड से हो रहे कामों में लेट की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित कर चुका हूँ। लेकिन क्या कारण है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम यहाँ उठाते हैं और जस के तस, वही तीन ढाक के पात रह जाते हैं। तो आज मैं आपके माध्यम से अनुमति चाहता हूँ और एक प्रस्ताव लाना चाहता हूँ कि क्यों न एमएलए फंड से हो रहे कामों में देरी को बीच ऑफ प्रिविलेज इस सदन का माना जाए और ऐसा प्रस्ताव पास किया जाए कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो एमएलए फंड से हो रहे कामों में लेट कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं जो डिपार्टमेंट उन लोगों को बीच ऑफ प्रिविलेज समझ करके इस सदन में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि जनता का जो पैसा है, जो जनता का पैसा है, वो सही समय पे यूटिलाइज हो पाए। डेढ़ डेढ़ साल दो–दो साल, तीन–तीन साल से जो है, काम को लटका के रखा है। तो मेरा ये निवेदन है। मैं और सदस्यों से भी आज निवेदन करना चाहता हूँ कि ये प्रस्ताव सदन के सामने पूरी रखी जाए और इसको पास किया जाए कि इससे सदन का ब्रीच ऑफ प्रिविलेज माना जाए।

माननीय अध्यक्षः अखिलेश जी, मुझे जानकारी दी गयी अभी सैक्रटरी साहब द्वारा ये पहले सौरभ भारद्वाज जी द्वारा ये आया था प्रिविलेज का यहाँ मोशन पास हो चुका है और वो भेजा भी जा चुका है आप इसमें लिख के दे दीजिए प्रिविलेज कमेटी को ये रेफर हो जाएगा और ये प्रिविलेज का मैटर बनेगा। श्री बग्गा जी।

श्री एस.के. बग्गाः धन्यवाद अध्यक्ष जी कि आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान पूर्व निगम पार्षद के कार्यों की तरफ दिलाना चाहता हूँ। मेरी विधान सभा एसी–7 कृष्णा नगर में एसडीएम ऑफिस शास्त्री नगर दिल्ली–31 के सामने एक पूर्व निगम पार्षद ने पीडब्ल्युडी की जगह पर कई वर्षो से कब्जा कर रखा है। वहाँ पर कई किराएदार बैठा रखे हैं लाखों रुपये का किराया हर महीने का खा रहा है। 5–6 महीने पहले पीडब्ल्युडी द्वारा जगह को तोड़ा गया। लेकिन पीडब्ल्युडी ने जगह का कब्जा वापिस नहीं लिया, न ही चारदीवारी आदि की और फिर पूर्व निगम पार्षद वहाँ से किराया खा रहा है। गाय रखी हुई हैं, दूध बेचता है। पानी का प्लांट चक्कर लगा रखा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि पीडब्ल्युडी को बोलें कि अपनी जगह का कब्जा तो वापिस लें। पूर्व निगम पार्षद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इसने डीडीए के भी कई प्लाट घेरे हैं जो मैंने खाली कराएँ हैं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ताः अध्यक्ष जी, धन्यवाद कि आपने 280 में बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, मैं अपने यहाँ की जो पीडब्लुडी का जो डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आदरणीय मंत्री जी भी बैठे हुए हैं कि जो लाइट्स हैं, उनका भी रख–रखाव अच्छे तरीके से नहीं हो रहा; कब चालू हो रही हैं, कब बंद हो रही हैं, लगातार हमें कंप्लेंट करनी पड़ रही है। आजकल वो कहते हैं कि जी, आप टीपीडीडीएल के अंदर कंप्लेंट करें जो ऑनलाइन नंबर है, उस पर करें। बहुत तकलीफ उसकी वजह से होती है। वही गढ़्ढ़ों के हालात हैं कि बार– बार कहने के बावजूद

उन गड्ढ़ों को भरा नहीं जा रहा। पीडब्लुडी कह रही है कि एक बड़ा टेंडर लगाएँगे। पूरी बरसातें निकलने को आ गयी, कब बड़ा टेंडर लगाएँगे, कब वो खड्ढ़े भरेंगे?

और तीसरी कहानी उन हब्स की हैं जो सेंटर वर्ज पर लगे हैं या जो पीडब्लुडी के पेड़ हैं, उन पर, हम कहते हैं कि ट्री–गार्डस लगा दो। नये–नये पेड़.. हमने तकरीबन 2000 पेड़ पीडब्लुडी ने खुद लगाए मेरी विधान सभा के लिए लेकिन क्योंकि ट्री–गार्डस नहीं लगाए, उनको कहीं से भी सेफगार्ड नहीं किया तो कभी गाय खा गयी तो कभी लोगों के पैरों के नीचे वो कुचल गये और पीडब्ल्युडी ये कहती है कि जी, हमारे पास में तो ट्री–गार्डस नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो क्योंकि माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं और पीडब्ल्युडी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो बहुत सारे काम बहुत अच्छी तरीके से हो सकते हैं। मैंने तीन कामों पर कहा है सर, रोड के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर और लाइट के ऊपर अगर आप ध्यान दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, श्री सुरेन्द्र सिंह जी, कमांडो।

श्री सुरेन्द्र सिंहः धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने नियम–280 के तहत कैंट विधान सभा का मुद्दा उठाने का मौका दिया।

मैं इस सदन का ध्यान जो है, दिल्ली कैंट विधान सभा की तरफ दिलाना चाहता हूँ। दिल्ली कैंट विधान सभा क्षेत्र में रहने वाली जो सिविल पॉपुलेशन है, लगभग 60 हजार की आबादी यहाँ पर रहती है जिसमें छः गाँव हैं, दो झुग्गी कलस्टर हैं, दो बाजार हैं। इन गाँवों में रहने वाले निवासियों का जो भी विकास का कार्य होता है, वो दिल्ली छावनी के माध्यम

से किया जाता है। दिल्ली छावनी बोर्ड रक्षा मंत्रालय के माध्यम से वहाँ पर चुनाव कराती है। बोर्ड के सदस्य भी चयनित किये जाते हैं। कैंट के क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय ने इनको आठ वार्ड में जो है ना विभाजित किया हुआ है। यह क्षेत्र आर्मी का क्षेत्र कहलाता है जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से और जो है सिविल पॉपुलेशन को आर्मी क्षेत्र में प्रवेश नहीं होने दिया जाता जिसके कारण सिविल जनता के जो विकास के कार्य हैं, उनमें बाधाएँ आती हैं। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय जी, से और दिल्ली सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि दिल्ली कैंट के क्षेत्र में रहने वाली सिविल जनता के विकास कार्यों और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए छः गाँवों; सीबी नारायणा, पुरानी नांगल, झरेड़ा, ईस्ट मेहराम नगर, वेस्ट मेहराम नगर, प्रह्लादपुर एवं दो झुग्गी कलस्टर; क्रिबी पैलेस, बरॉर स्क्वैयर तथा दो बाजार उनको नगर निगम में शामिल किया जाए ताकि सिविल जनता के विकास के कार्य हों सकें और साथ ही मैं कहना चाहूँगा अध्यक्ष जी, जो सीबी नारायणा गाँव है, वो तो पूरा का पूरा सिविल लैंड है और आधा गाँव जो है, एमसीडी के अंदर ही आता है और जो सीबीडी का क्षेत्र है, जो दिल्ली कैंट में जो क्षेत्र आता है, उसमें भी सर, जो है ना दो गलियाँ जो हैं, एमसीडी के अंदर आती हैं और बाकी गलियाँ दिल्ली कैंट बोर्ड के अंदर आती हैं। तो दिल्ली कैंट बोर्ड में वहाँ के लोगों को काफी असुविधाएँ हो रही हैं। साथ ही जो है सेंटर गवर्नमेंट ने भी एक हाई पॉवर कमेटी बनाई हुई है, इस क्षेत्र को सिविल में शामिल करने के लिए, एमसीडी में शामिल करने के लिए। तो मैं आपके माध्यम से और पूरे सदन के माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि इनको रिकमंड किया जाए कि उस एरिया को सिविल एरिया घोषित किया जाए, धन्यवाद, जयहिन्द।

माननीय अध्यक्षः श्री विजेन्द्र गर्ग।

श्री विजेन्द्र गर्गः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के माध्यम से भाजपा शासित एमसीडी का ध्यान उनके द्वारा दिल्ली में दी जाने वाली सेवाओं की ओर दिलाना चाहता हूँ।

अध्यक्ष जी, चाहे पार्क की समस्या हो, गलियों नालियों की हो, सड़कों की हो या सफाई की व्यवस्था हो, एमसीडी के द्वारा दी जाने वाली ये सेवाएँ बिल्कुल जर्जर हालत में हैं और दिल्ली की जनता आज इन सेवाओं की कमी की वजह से त्राहि–त्राहि कर रही है।

अध्यक्ष जी, बहुत सी समस्याएँ लेकिन आज मैं मुख्यतः दो समस्याओं की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। दिल्ली के अंदर जो ढ़लाव बने हैं; कूड़ेदान, वो इतनी जर्जर और बदतर हालत के अंदर हैं कि वहाँ चार–चार दिन तक कूड़ा नहीं उठाया जाता और बारिश के मौसम में जब पानी उस कूड़े पर पड़ता है; ओपन है, दीवारें टूटी हुई हैं, छत नहीं है। जब उस पर पानी गिरता है तो वो कूड़ा बुरी तरह से सड़ता है और उसके पास से निकलना भी दूभर हो जाता है और तरह तरह की बीमारियाँ, मच्छर, मक्खी पूरे क्षेत्र का रहना वहाँ पर दुश्वार हो जाता है। अध्यक्ष जी, इन कूड़ेदानों पर कूड़े की वजह से सैकड़ों गायों का जमावड़ा रहता है और वहाँ गायों के जमावड़े की वजह से कूड़ा सड़क पर होने की वजह से ट्रैफिक इतना बाधित रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र राजेन्द्र नगर में एक अभी हाल में एक एक्सीडेंट हुआ; एक गाय कूड़ेदान से निकलकर के तेजी से आई, उसने एक 30 साल के जवान व्यक्ति को मोटर साइकिल के ऊपर वो जा रहा था वहाँ से, उसने आकर के उसकी छाती पर सींगों से हमला किया और उस व्यक्ति की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। तीन बच्चियों का पिता.. वो बच्चियाँ बेसहारा हो गयी, उसका परिवार बेसहारा हो गया है। ये सिर्फ और

सिर्फ गायों की वजह ये है कि कूड़ेदान पर गाय इक्ट्ठी रहती हैं तो ये बहुत गंभीर समस्या दिल्ली के लिए बनती जा रही है। पूरा ट्रैफिक बाधित है। आए दिन दुर्घटनाएँ होती हैं। बीमारियाँ फैल रही हैं। मैं इस सदन के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि एमसीडी को कड़े निर्देश देकर के इन कूड़ेदानों का रख–रखाव ठीक किया जाए और आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाए, धन्यवाद, जयहिन्द, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः करतार सिंह जी।

श्री करतार सिंह तंवरः धन्यवाद, अध्यक्ष जी कि आपने 280 के तहत मुझे बोलने का अवसर दिया।

अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान छतरपुर विधान सभा के एक बहुत ही गंभीर विषय की तरफ दिलाना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, छतरपुर विधान सभा में काफी गाँव और अनअथॉराइज कालोनीज हैं; भाटी, असोला, डेरामांडी, जोनापुर, मैदानगढ़ी, नेबसराय आदि गाँव। बापू संभव कालोनी, जवाहर कालोनी, भीम बस्ती, शांति कालोनी, संजय कालोनी भाटी माइन्स जैसी कुछ कालोनियों पर और इन सभी गाँवों पर एक बहुत ही खतरनाक एक विषय बना हुआ है, इनके डिमोलिशन का। अध्यक्ष जी, ये वो गाँव हैं जो 500 वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं। कोई 400 वर्ष पुराना गाँव है, कोई 500 वर्ष पुराने गाँव हैं, इनमें और ये कालोनीज भी जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, ये 1960 से लेकर और 1970–75 के बीच में यहाँ पर बसी हैं।

अध्यक्ष जी, इन गांवों का कुछ पार्ट ग्राम सभा पर था और कुछ पार्ट लालडोरा पर था। कालोनियाँ पूरी ही ग्राम सभा पर बसी हुई थी। अध्यक्ष जी, ग्राम सभा की जो जमीन है, वो गाँव की जमीन होती है। दिल्ली में और भी ऐसे बहुत गाँव होंगे जो ग्राम सभा पर बसे हुए हैं लेकिन 1996

में एक बहुत बड़ी गलती उस टाइम की सरकार से हुई। जो भी गाँव ग्राम सभा पर बसे हुए थे, उन सभी गाँवों का पार्ट और ये कालोनियाँ, ये सभी ग्राम सभा में जो दर्ज था, जहाँ पर आबादी दर्ज थी, उसको फॉरेस्ट में डाल दिया गया। अध्यक्ष जी, गाँव सभा की जो जमीन थी, वो गाँव की जमीन होती है। गाँव उस पर बसे हुए हैं। अब इतनी बड़ी गलती उस समय सरकार ने की जो उस समय के प्रतिनिधि थे। उस समय भाजपा की सरकार थी, भाजपा के ही चुने हुए प्रतिनिधि थे। उन्होंने इस तरह कोई ध्यान नहीं दिया। अब आकर एक बड़ी समस्या खड़ी हो गयी है। कुछ लोग कोर्ट में चले गये और वहाँ से एक आर्डर हो गया एनजीटी से और एनजीटी से ऑर्डर हुआ है; ये जो क्षेत्र आता है, ये करीब दस हजार मकान इसमें आते हैं। इन दस हजार मकानों को तोड़ने का ऑर्डर।

अध्यक्ष जी, पिछले एक महीने से लगातार संकट का समय वहाँ पर चल रहा है। कई बार प्रोग्राम फिक्स हुए हैं। जैसे तैसे उनको अभी रोका गया है। तो मैं आपके माध्यम से ये चाहता हूँ कि ऐसे गाँव जो मुगल शासन के समय के बसे हुए हैं; 500–400 वर्ष पुराने जो कालोनियाँ 50 से 60 वर्ष 70 वर्ष पहले की बसी हुई हैं, जिनको एक तरफ तो हम रेगुलराइज करने जा रहे हैं। ये उस लिस्ट के अंदर भी हैं और दूसरी तरफ उनके डेमोलिशन के आर्डर हो चुके हैं। 60 से 70 हजार की आबादी है जो इसमें प्रभावित है। ये जमीन सारी ग्राम सभा की जमीन थी, डीएलआर एक्ट के तहत थी और डीएलआर एक्ट में ही इसको ग्राम सभा से फॉरेस्ट में डाला गया है।

अध्यक्ष जी, इसमें एक प्रोविजन है कि आज भी इस जमीन को फॉरेस्ट से वापिस डिनोटिफाइ करके ग्राम सभा में लाया जा सकता है और इन सब लोगों को, ये आबादी करीब 60 से 70 हजार की बनती है, इसको

न्याय दिलाया जा सकता है। तो अध्यक्ष जी, मेरा आपसे एक ही आग्रह है, आपसे विनती है कि जो भी कानून के तहत आता है, एक तो कोर्ट को हम ये बतायें कि इसमें उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी, उससे ये गलती हुई थी कि उन्होंने गाँव को, बसे हुए गांवों को उन्होंने जो है, फोरेस्ट में डाल दिया था, जो नहीं होना चाहिए था। हम वहाँ पर ये बताएँ और जो आज प्रावधान हो सकता है, वो सरकार करे। जो भी कंपीटेंट अथॉरिटी है, जो भी कंपीटेंट अधिकारी है और ऐसा प्रोविजन है कि हम इसको वापस ग्राम सभा में कर सकते हैं, तो मैं आपसे माध्यम से चाहता हूँ कि इन जमीनों को, जितनी भी ये कॉलोनीज हैं, जितने ये गाँव हैं, इन सभी गाँवों की वो जमीन जो गलती से ग्राम सभा से फॉरेस्ट में डाली गयी हैं, इसको डिनोटिफाइ करके और वापस ग्राम सभा में करके इन लोगों को न्याय दिलाया जाये, बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः महेन्द्र गोयल जी। आप दोनों विषय एक ही साथ ले लीजिए।

श्री महेन्द्र गोयलः हाँ जी।

माननीय अध्यक्षः दोनों विषय एक ही साथ ले लीजिए।

श्री महेन्द्र गोयलः ठीक है। धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे 280 के तहत बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान एक मानवता की ओर दिलवाना चाहूँगा। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन उठाया था। माननीय समाज कल्याण मंत्री इस ओर थोड़ा ध्यान देंगे कि जिन बच्चों के पिता गुजर जाते हैं। माता की तो पेन्शन लग जाती हैं, लेकिन घर में बच्चे एक होते हैं, दो होते हैं या तीन होते हैं, उन बच्चों के लिए सरकार की तरफ से कोई प्रावधान नहीं

है और जिनके माँ–बाप दोनों के दोनों गुजर जाते हैं, इसके अंदर सदन पूरा का पूरा मानवता के लिए हाजिरी लगाता है, जबकि विपक्ष के साथियों को भी यहाँ पे बैठा होना चाहिए था। मैं जगदीश जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन के टाइम पे यहाँ पे आ गये क्योंकि मानवता की बात कर रहे हैं हम। ऐसा प्रावधान जरूर होना चाहिए, कानून के अंदर जरूर संशोधन होना चाहिए। इसके ऊपर जरूर चर्चा होनी चाहिए कि जिन बच्चों के सर से पिता का साया उठ जाता है या माता का भी साया उठ जाता है या दोनों का उठ जाता है तो उस पोजिशन के अंदर उन बच्चों की भी पेन्शन लगनी चाहिए ये मानवता का और सरकारों की जिम्मेवारी है। उन बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए भी सरकार की तरफ से प्रावधान होना चाहिए। दिल्ली यूनिर्वसिटी के अंदर भी उन बच्चों को जैसे हम किसी भी कोटे के तहत मानो एस.सी./एस.टी या ओबीसी कोटे के तहत बच्चों को एडमिशन देते हैं, ऐसे बच्चों को भी प्राथमिकता के आधार पर उन बच्चों को उन कॉलेजों के अंदर भी वो एडमिशन मिलना चाहिए और नौकरियों के अंदर भी प्रावधान होना चाहिए कि ऐसे बच्चों को वो पहले मिले।

माननीय अध्यक्षः महेन्द्र जी करिए, करिए, इसको फटाफट करिये अपना विषय पूरा।

श्री महेन्द्र गोयलः मानवता की बात कर रहे हैं सर।

माननीय अध्यक्षः नहीं, विषय आ गया ये। सारा विषय आ गया।

श्री महेन्द्र गोयलः और ये मैं मंत्री जी से... आप चाहें तो ये आश्वासन इस बात के लिए दे सकते हैं कि कानून के अंदर संशोधन लाके इस ओर ये ध्यान देंगे और एक चीज और मैंने आपके सदन पटल पर भेजी है।

अध्यक्ष महोदय, 15 अगस्त के दिन लोग पतंग उड़ा रहे थे। खुशियाँ मना रहे थे। चाइनीज मांझे से.. एक बच्चा है, जिसका अखबारों के अंदर जिक्र आया है। टीवी के ऊपर बहुत जिक्र हुआ है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत जिक्र हुआ है। ये बच्चा इंजीनियर था। चाइनीज मांझे से उसके गले के अंदर... वो जब स्कूटर चला के पीरागढ़ी चौक के पास में एलिवेटेड रोड पे आ रहा था, तो पतंग के डोर ने उसके गले की नस काट दी और ऑन द स्पॉट उस बच्चे की डेथ हो गयी। ये बच्चा इंजीनियर था। इसके पिता की पहले डेथ हो चुकी थी। मैं माननीय समाज कल्याण मंत्री से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इस परिवार को कोई भी सहायता राशि आप अपने मंत्रालय से, मुख्य मंत्री साहब के राहत कोष से और मैं तो सदन के सदन के साथियों से भी अपील करना चाहूँगा कि कहीं पर बाढ़ आ जाती है तो हम अपनी सैलरियों से कुछ दे देते हैं तो हमारे जितने भी विधायक हैं, ऐसे परिवार के लिए... क्योंकि इस परिवार के अंदर एक बूढ़ी माँ है और दो बेटी है। यदि हम अपने सैलरी से पाँच–पाँच हजार या दस दस हजार रुपये का इस परिवार को सहायता राशि भेजने का ये...

माननीय अध्यक्षः महेन्द्र जी, आप सरकार से बात करिये।

श्री महेन्द्र गोयलः आपके माध्यम से यदि पास हो जायेगा तो देख लेंगे।

माननीय अध्यक्षः नहीं नहीं, महेन्द्र जी, सरकार से बात करिये।.

श्री महेन्द्र गोयलः सरकार से... चलिये। सरकार से मेरा ये अनुरोध है कि ऐसे परिवार के लिए जो ये बच्चा गुजर गया है, एक इकलौता सहारा था। इसके बाद एक बूढ़ी माँ है और दो परिवार हैं, दो बेटी हैं, तो उनके

लिए कोई भी सहायता राशि का प्रावधान किया जाये। ये मेरा आपसे आग्रह है। इस ओर ध्यान जायेगा तो एक मानवता के लिए बहुत बड़ा कार्य होगा क्योंकि हमारी सरकार गरीबों के लिए, पूरे दिल्ली के क्षेत्रवासियों के लिए पूरा का पूरा काम कर रही है मानवता का। तो इस परिवार की ओर भी ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जय हिंद जय भारत।

माननीय अध्यक्षः मैं महेन्द्र गोयल जी, इस विषय पर...

श्री महेन्द्र गोयलः ये मेरी विधान सभा का नहीं है, सर। ये दूसरी विधान सभा का व्यक्ति है।

माननीय अध्यक्षः महेन्द्र जी, ये विषय नहीं है किस विधान सभा का विषय है ये। आप बैठिए प्लीज। मैं महेन्द्र गोयल जी इस विषय में एक बात जोड़ रहा हूँ। दिल्ली सरकार ने चाइनीज मांझे पर पाबंदी लगाई हुई है, उसके बावजूद भी दिल्ली में कैसे बिक रहा है, इसकी जितनी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, होनी चाहिए और जिसका जिक्र महेन्द्र जी ने किया है। अगर ये जाँच का विषय; वो मांझा किस दुकान से खरीद कर लाया, उस परिवार ने, परिवार का व्यक्ति, उसके विरूद्ध क्या कार्रवाई पुलिस ने की, इसकी पूरी जाँच, मैं आग्रह कर रहा हूँ चीफ सेक्रेटरी द्वारा होनी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी द्वारा पुलिस को निर्देश दिये जाने चाहिए कि चाइनीज मांझा कहाँ–कहाँ बिक रहा है, उन पर क्या–क्या फाइन और जुर्माने हो रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई हुई नहीं इस पर।

श्री महेन्द्र गोयलः जी, मैं आपकी नॉलेज में और चीज दे देता हूँ।

माननीय अध्यक्षः नहीं महेन्द्र जी, हो गया।

श्री महेन्द्र गोयलः एक सेकण्ड।

माननीय अध्यक्षः नहीं और विषय आपने इसमें...

श्री महेन्द्र गोयलः नहीं—नहीं, और विषय नहीं ले रहा मैं इस चीज को जोड़ रहा हूँ। अभी तक हमारा कोई भी सरकारी तंत्र इस परिवार से मिलने तक के लिए नहीं गया जब कि ये मीडिया की भी सुर्खियाँ बन चुका है; प्रिंट मीडिया की सुर्खियाँ बन चुका है, लोगों के अंदर चर्चा का विषय है। वहाँ के डीएम की जिम्मेदारी बनती है कि इस परिवार से संपर्क करके इनको सहायता राशि देने का सबसे पहले प्रावधान होना चाहिए था।

माननीय अध्यक्षः चलिए। पंकज पुष्कर जी।

श्री पंकज पुष्करः माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद।

मैं दिल्ली विधान सभा क्षेत्र का जो तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र है, वो बहुत अधिक छात्रों की सघनय उपस्थिति का क्षेत्र है। इस विषय में विगत चार वर्षों में दो—तीन बार उठा चुका हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही गंभीरता के साथ पूरे सदन के सामने विषय रखना चाहता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय का क्षेत्र और इसके अलावा पूरा दिल्ली आधे से ज्यादा देश के युवाओं की संकल्पना का, उनके स्वप्न की जगह है कि अपनी शिक्षा और रोजगार की उम्मीद के साथ वो दिल्ली आते हैं और उनके साथ मैं तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र के विशेष संदर्भ के साथ की बात बता रहा हूँ कि उनके साथ जो एक दोहरा वर्ताव होता है, उनको एक तरीके से जो उनके मूलभूत नागरिक अधिकार हैं, उनसे वंचित किया जाता है। उनको जो एक न्यूनतम सुरक्षा किसी शहर में चाहिए, उनसे वंचित किया जाता है। उनके जो राजनैतिक अधिकार होने चाहिए, वो नहीं मिल पाते हैं। उनके जो उपभोक्ता के अधिकार हैं... वो यहाँ आते हैं, अपनी माँ—बाप की गाढ़ी पसीने की कमाई लेके आते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन उनको जो एक उचित

एक सुरक्षा मिलनी चाहिए, एक बाजार के अंदर, वो नहीं मिल पाती है। वो मैं रेखाँकित कर रहा हूँ और उनको एक आतंक के और भय के माहौल में रहना पड़ता है। ये सारे विषय सदन के सामने मैं रख रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर चार लाख से ज्यादा स्टुडेंट वो रहते हैं, जो कि दिल्ली के पढ़े हुए बच्चे हैं, नौजवान हैं और वो वहाँ स्कूलों के ऊपर लर्निंग में पढ़ते हैं। दुर्भाग्य ये है कि उपनिवेशवाद की एक पैदाइश दिल्ली युनिवर्सिटी एक्ट है और वो चाहते हुए भी दिल्ली सरकार के दिल्ली के क्रॉंतिकारी शिक्षा मंत्री के अधिकार में नहीं आता कि वो उनके साथ न्याय कर सकें, लेकिन एक संकल्प के तौर पर इस पूरे सदन का समर्थन इस बात पर चाहिए कि इस दिल्ली में रहने वाली तीन करोड़ जनता, उसके सारे युवा और इसके अलावा देश भर से आने वाले युवाओं के साथ अगर न्याय करना है, उनको शिक्षा दी जानी हैं, उनको उनके सामाजिक, राजनीतिक, नागरिक अधिकार दिये जाने हैं, इस पर एक संकल्प की जरूरत है। इस पर वो करने की जरूरत है कि हमको दिल्ली युनिवर्सिटी एक्ट जो एक कॉलोनियल एक्ट है, सेंटर गवर्नमेंट के हक में है, उसमें हम शिथिलता के लिए संवैधानिक स्तर पर प्रयास कर सकें, पहली बात, और दूसरी बात जो दिल्ली सरकार अभी अपने स्तर पर कर सकती है वो ये कि दिल्ली में जो भी नौजवान आये, उसको उसके मतदाता अधिकार मिलें, ये आप माननीय विधान सभा अध्यक्ष महोदय आपसे अनुरोध रहेगा।

आपके माध्यम से ये चीफ मिनिस्टर महोदय हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय और हमारे चीफ इलैक्षन आफिसर महोदय को ये संकेत जाए, ये एडवाइजरी जाए कि दिल्ली में जो दो वर्ष, चार वर्ष, पाँच वर्ष, छह वर्ष के लिए नौजवान आता है। उसके मताधिकार मिल सकें, उसको यहाँ रहने का अधिकार मिल

सके। मैं माननीय अपनी पूरी कैबिनेट से आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा कि उसको यहाँ रहने की सुविधा मिल सके जिसमें कि पूरी तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय प्रषासन ये जो केन्द्र के विश्वविद्यालय हैं, वो असफल हो गए हैं। वो उसको रहने की जगह नहीं दे पाते, हॉस्टल नहीं दे पाते और इसी तरह उनको लाइब्रेरी रीडिंग रूम नहीं मिलते। एक लंबी प्रक्रिया है। माननीय समाज कल्याण मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं मेरे, उनकी सुरक्षा खतरे में है। सीसीटीवी कैमरे के प्रावधान किए जा रहे हैं। उनको उचित दर पर खाने की सुविधा नहीं मिल पाती, पीने का पानी नहीं मिल पाता। ये दिल्ली विधान सभा का प्राथमिक क्षेत्राधिकार नहीं है। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि दिल्ली विधान सभा दिल्ली की 3 करोड़ आबादी और...

माननीय अध्यक्षः पंकज जी कन्क्लूड करिए, कन्क्लूड करिए।

श्री पंकज पुष्करः उसके अंदर आने वाले छात्रों का प्रतिनिधित्व करती है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन ये है कि दिल्ली में आने वाले सारे युवा छात्रों, उनके पूरे नागरिक अधिकारों का सम्मान हो। उनको जो सुविधा दिल्ली की सरकार दे सकती है, वो देना सुनिश्चित करे। ये मेरा बहुत आग्रह के साथ अनुरोध था, बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः नरेश बाल्यान जी। नहीं है, दो मिनट रुक जाइए। मुझे करने दीजिए। एन.डी. शर्मा जी। भई सोमदत्त जी, सोमनाथ जी, अगर ऐसे हाथ उठायेंगे, समय खराब होगा। मैं क्रमबद्ध ले रहा हूँ सबको। मेरे पास चार बजे तक का समय है, जितने पूरे होंगे, मैं करूंगा। एन.डी. शर्मा जी।

श्री एन.डी. शर्माः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। मेरी विधान सभा के अंदर सात लाख के करीब आवाम रहती है और पूर्व के दो नेताओं ने 21 साल

तक वहाँ शासन किया। एक भी पार्क नहीं बना पाए। अब मैं दिल्ली सरकार के अंतर्गत उस पार्क को... दिल्ली सरकार की जमीन है, ग्राम सभा लैंड है। उस पर मैं पार्क बना रहा हूँ। वहीं के कुछ भू–माफियाओं, नेताओं के वो, डीएम के यहाँ रोज शिकायत करते हैं। उस पार्क को बनते हुए पार्क को रुकवा दिया है। जिसको मैं फ्लड डिपार्टमेंट से बना रहा हूँ। तो मैं प्रार्थना करता हूँ सम्मानित सदन से कि उस आवाम के लिए जो वर्षों तक इंतजार करती रही पार्क के लिए, जिन नेताओं को पहले अपना मत देती रही, उन नेताओं के घरों में पार्क हैं, उनके फार्म हाउस हैं। लेकिन अपनी विधान सभा को पार्क नहीं दे पाए वो। आज अगर आम आदमी पार्टी की सरकार उनको पार्क दे रही है तो वो वहाँ के भू–माफिया उस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और उस पार्क को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। कहीं न कहीं मुझे लगता है, हमारे कुछ अधिकारी पॉलिटिकल प्रेशर में आकर उसमें रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ सदन से कि कम से कम डीएम को निर्देश दें कि आवाम के हित में जो पार्क बनाया जा रहा है दिल्ली सरकार की जमीन पर, उसको बनने दें। एक तरफ ग्रीन भारत की बात करते हैं, ग्रीन दिल्ली की बात करते हैं। दूसरी तरफ उस ग्रीनरी को और उसको रोकना चाहते हैं। तो मैं ये ही कहना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा में कम से कम एक पार्क मिल पाए आम आदमी की सरकार के द्वारा।

माननीय अध्यक्षः इसको लिखकर दे दीजिए मुझे अलग से। श्री सोमदत्त जी।

श्री सोमदत्तः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान बीएसईएस बिजली कंपनी की कार्य प्रणाली की ओर दिलाना चाहता हूँ और मेरी असेंबली सदर बाजार में काफी संख्या में लोगों के आवेदन डॉमेस्टिक

बिजली कनेक्षन के लिए पेंडिंग है। जिनको बीएसईएस ने 15 मीटर हाइट वाली क्लॉज... कि जो बिल्डिंग 15 मीटर से भी ऊपर होगी। इस वजह से खारिज कर दिए हैं। जब कि बिजली और पानी हर आदमी का बेसिक राइट है और मेरा आपसे निवेदन है जब मैंने बीएसईएस में पता किया तो मुझे मालूम पड़ा कि ये क्वेश्चन... ये मेटर सिर्फ मेरी असेंबली का ही नहीं है। पूरी दिल्ली में लाखों लोगों के कनेक्शन इस वजह से पेंडिंग चल रहे हैं और इस इशू के ऊपर जल्दी से जल्दी इसका समाधान कराया जा सके। ताकि लोगों को राहत मिले और वैलिड इलैक्ट्रिसिटी कनेक्शन उनको मिल पाए, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्तः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे एक गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान देश के राष्ट्रीय पक्षी मोर के मरने के ऊपर दिलाना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, अभी पिछले दो महीने से लगातार एक पार्क है मेरे क्षेत्र में जिसको कहते हैं सिटी फॉरेस्ट और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है। वहाँ पर पिछले दो महीने में करीबन 12–13 मोर मर चुके हैं और इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से भी पूर्व मंत्री इमरान जी से भी मिला और उन्होंने डिपार्टमेंट के जो एचओडी है, ईश्वर सिंह जी है। उनको बुलाकर आदेश दिए दो–तीन बार। मैंने उनको कॉल करके कहा लेकिन उन्होंने किसी इस विषय को गंभीर न लेते हुए न तो वहाँ से कुत्तों को हटवाया। बल्कि इस पर कोई कार्य नहीं किया। उसके बाद मैंने लगातार फोन किए। उन्होंने मेरे फोन उठाने बंद कर दिए और अभी कुछ दिन पहले हमारे मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी के पास भी क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनके पास आ गया है। उनसे भी मुलाकात हुई तीन

बार। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया बल्कि एक बार मेरे सामने ही कहा ईश्वर सिंह जी को कि आप ये कुत्ते जो मोर मार रहे हैं, इसको रूकवाइए। ये बहुत गंभीर है और अजय दत्त जी फोन करते हैं तो उनके फोन को उठाइए। तो ये ईश्वर सिंह जी... मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतने एडमेंट क्यों है। न तो ये फोन उठाते हैं, न ही ये राष्ट्रीय पक्षी जो मर रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं और दो मंत्रियों के कहने के बावजूद ये कोई काम नहीं कर रहे हैं और ये हमारी सरकार के किसी भी व्यक्ति का जो हमारे और भी बाकी के मेंबर्स हैं, उनका भी ये कहना है कि ये सुनते नहीं है। तो मैं आपकी आज्ञा से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनका जो केस है प्रिविलेज को और पिटिशन कमेटी दोनों को रेफर किया जाए जिससे कि इनसे पूछा जाए कि आप एक तो काम नहीं कर रहे हैं और जो विधायकों के अधिकार क्षेत्र है और अगर वो फोन करते हैं, आप फोन नहीं उठा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है और मेरा आपसे विशेष अनुरोध है...

माननीय अध्यक्षः हो गया, अजय दत्त जी, पूरा हो गया।

श्री अजय दत्तः एक सेकेंड अध्यक्ष जी, बस आपसे एक अनुरोध है मेरा विशेष कि अगर इसी तरीके से राष्ट्रीय पक्षी मरते रहेंगे... पहली बात तो दिल्ली में राष्ट्रीय पक्षी है नहीं। तो ये हम सबका दायित्व बनता है पूरे सदन का और अध्यक्ष होने के नाते आपका भी कि उनको बचाया जाए और ईश्वर सिंह को हिदायत दी जाए कि इमिडिएट बेसिस पर वहाँ से कुत्तों को निकाला जाए, धन्यवाद, जय हिन्द।

माननीय अध्यक्षः मो. इषराक खान जी, हाजी साहब। बोलने दीजिए।

श्री मो. इशराक खानः सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम वालेकुम। सदर साहब शुक्रिया कि बहुत–बहुत मुझे 280 में बोलने का मौका दिया। साढ़े चार साल में पहली बार मैं बोल रहा हूँ।

माननीय अध्यक्षः शुरू करिए, बोलिए–बोलिए हाजी साहब। समय न खराब करिए बोलिए, तुरंत बोलिए।

मो. इशराक खानः सर, पूरी दिल्ली के लिए मैं बात कर रहा हूँ पूरी दिल्ली की। बिजली के लिए जो पहले 15 मीटर के ऊपर मीटर लग रहे थे। आज साढ़े सतरह मीटर कर दिया है, 17 मीटर। उसमें पार्किंग दे दी है। तो गरीब आदमी को कोई फायदा नहीं पहुँचता उसका। उसका फायदा पहुँच रहा है बड़े अमीर आदमियों को, जो 1000 गज की साइड बना रहे हैं, 100 गज की साइड बना रहे हैं, 500 गज की साइड बना रहे हैं। वो तो पार्किंग नीचे दे रहे हैं जो गरीब आदमी है 15 गज के, 20 गज के मकान के अंदर रहता है, 25 गज के मकान के अंदर रहता है, 4–5 फुट की गली है। उस गरीब आदमी के 4–4, 5–5 बच्चे हैं, उस गरीब आदमी ने 4–4, 5–5 मंजिल मकान बना लिए हैं। तो उस गरीब आदमी को तो फायदा ही नहीं पहुँचा। मेरी अपील है कि उन लोगों को बगैर पार्किंग के 17 मीटर के ऊपर इजाजत दी जाए मीटर लगाने की।

माननीय अध्यक्षः हो गया? ठीक है। चलिए–चलिए।

श्री मो. इशराक खानः दूसरी बात, ये 70 परसेंट गरीब आदमी है।

माननीय अध्यक्षः हाजी जी, हो गया।

श्री मो. इशराक खानः दूसरा एक मेरी विधान सभा के अंदर बहुत गरीब विधान सभा है मेरी। लड़कियों का कोई स्कूल वहाँ पर कॉलेज नहीं है। 12वीं क्लास के बाद में वहाँ पर लड़कियां घर बैठ जाती हैं। तीसरा बहुत मेहरबानी है अरविंद जी की कि विधान सभा के अंदर जो भी मैने कहा, वो अरविंद जी ने करवा दिया। सात सौ करोड़ रुपये लगवा दिये, शुक्रिया, बहुत–बहुत मेहरबानी।

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ भारती जी। बहुत संक्षेप में रखिएगा, जितना लिखा है।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 280 में अपनी बात रखने का मौका दिया, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

मैं ये बात पहले भी कई बार सदन में उठा चुका हूँ और आज भी इस पर चर्चा हुई सदन के अंदर।

डेकंजेशन दिल्ली का एक बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई है। चाहे वो पीडब्ल्युडी का रोड हो, एमसमडी का रोड हो। चारों तरफ ट्रैफिक जाम है और कई साथियों ने आज भी उठाया कि ये जो डेकंजेशन है, उसका मुख्य कारण ये है कि वहाँ पर इन्क्रोचमेंट है और बहुत हैवी इन्क्रोचमेंट। जब भी किसी साथी ने इस बात को पुलिस के साथ या एमसीडी के साथ उठाने का प्रयत्न किया तो कहा कि जी, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और एमसीडी के इन्क्रोचमेंट तो अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि...

माननीय अध्यक्षः भई सोमनाथ जी, जो आपने लिख कर दिया है, उससे अतिरिक्त जा रहे हैं।

श्री सोमनाथ भारतीः मैं डेकंजेशन की बात कर रहा हूँ।

माननीय अध्यक्षः नहीं कर रहे न आप। इसमें आपने इन्कलेव, सफदरजंग इन्कलेव का लिख कर दिया है। फाइव वाइन लिखा है।

श्री सोमनाथ भारतीः मेरे पास दो 280 था सर।

माननीय अध्यक्षः मेरे पास आपका जो लगा है, मैं उसको ले रहा हूँ।

श्री सोमनाथ भारतीः मेरे पास दो हैं।

माननीय अध्यक्षः मेरे पास कॉपी नहीं है इसकी। मेरे पास जिसकी कॉपी है, उसको पढ़िए। अब ये समय खराब हो गया इसमें एक और चला जाता।

श्री सोमनाथ भारतीः सर, ये आपसे मैं आपके जरिए इस बात को उजागर करना चाहता हूँ कि जो पीडब्ल्युडी रोड पर जो अधिकार हैं, वो क्यों एमसीडी के पास हैं। अगर पीडब्ल्युडी रोड के ऊपर इन्क्रोचमेंट है, उसका अधिकार क्षेत्र पीडब्ल्युडी के पास होना चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा? इसमें चूँकि मुसीबत क्या है कि पीडब्ल्युडी रोड सिर्फ नाममात्र के लिए हमारी सरकार के पास हैं। उसमें एडवरटाइजमेंट का राइट, उसके ऊपर पार्किंग का राइट, उसके ऊपर तह बाजारी का राइट, ये सब कुछ एमसीडी के अधीन आता है। जितनी हमें सुननी पड़ती है जनता की कि भई, ये तो पीडब्ल्युडी का रोड है, इसका इन्क्रोचमेंट तो आप हटाइए। तो मैं आपके जरिए इस बात को सदन के सामने रखना चाहता हूँ कि कुछ रेजल्यूशन पास किये जाए, कुछ एमेंडमेंट की जाए जिससे कि इस बात को सरकार को कम्युनिकेट कर पाएँ कि जो पीडब्ल्युडी के रोड्स हैं, उसका

पूरा अधिकार पीडब्ल्युडी के पास होना चाहिए। आज गालियाँ हमें पड़ती हैं। और माननीय एलजी महोदय ने भी कह दिया... मुझे एक बार लिखित में कह दिया कि भई, पीडब्ल्युडी का जो रोड है, वो दिल्ली सरकार के पास सिर्फ रख–रखाव के लिए है। ये बड़ा मुसीबत वाला मामला है। भई, अगर हम... मैं चूंकि अपने विधान सभा के लिए कहा था कि *'एवरी पीडब्ल्युडी रोड वी वॉण्ट टु बि रेस्टोर्ड टु इट्स ओरिजनल विड्थ'* तो कहते हैं, ''नही जी, ये तो आप माँग ही नहीं सकते, एमसीडी करेगी।'' तो मैं आपके जरिए से कहना चाहता हूँ कि *स्टार्टिंग विद माई कॉन्स्टिट्एन्सी पॉसिबली ऐण्ड देन वी केन हैव एक्रॉस दिल्ली। दिस इज अ रूल* कि पीडब्ल्युडी का जो रोड है, वो पूर्णरूपेण पीडब्ल्युडी के पास हा। चाहे वो इन्क्रोचमेंट का हो, चाहे वो तहबाजारी का हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइटस का हो, चाहे वो मेन्टेनेंस का हो, चाहे वो एडवरटाइजमेंट राइटस का हो, चाहे पार्किंग का राइटस हो। तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि हम लोगों ने खूब गालियाँ सुन ली, पूरे अधिकार क्षेत्र में अपने विधान सभा के अंदर। आपके पास जो पीडब्ल्युडी है, वो भी नहीं सम्भल रहा। तो मैं इस 280 के माध्यम से इस बात को आपके सामने रख रहा हूँ और इसका समाधान चाहता हूँ कि पीडब्ल्युडी रोड का अधिकार क्षेत्र पीडब्ल्युडी को मिले और साथ में ऐक्रॉस दिल्ली चाहे वो एमसीडी का रोड हो, उस पर भी इन्क्रोचमेंट की जो भारी समस्या है, जिसके कारण आज ट्रैफिक बाधित हो रही है और ट्रैफिक की बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई है हर विधान सभा क्षेत्र के अदंर। इसका समाधान आपके जरिए हो। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री प्रवीण जी। बहुत संक्षेप में। मैं..

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सरिता सिंह जी, जब सदन बैठता तो हमको याद आता है। हम कभी लिखकर देते हैं?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, कभी लिखकर देते हैं अपना? नियम– 54, 55 में कभी लिखकर देते हैं। चलिए, अब बोलने दीजिए प्रवीण जी को।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सरिता जी, बैठिए प्लीज। प्रवीण जी, बोलिए।

श्री प्रवीण कुमारः अध्यक्ष महोदय, बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने 280 पर बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, इस पूरे सदन का ध्यान मैं एक बहुत बड़े मर्डर केस की तरफ ले जाना चाहूँगा। जिसमें अभी पिछले महीने एक प्रीति माथुर जो कि एक दलित बेटी थी 19 साल की, उसका निर्मम हत्या भोगल क्षेत्र में कर दी गई। उसको करीबन 100 मीटर के दायरे में दौड़ा–दौड़ा कर एक व्यक्ति ने उसका खून कर दिया। इस केस में जहाँ वो मृत हुई, उसके जस्ट 50 मीटर की दूरी पर पुलिस बूथ था। उस पुलिस बूथ के पास उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन मैं अभी तक इस केस में सारी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है लेकिन फिलहाल में अभी तक किसी भी पुलिस वाले पर किसी भी तरीके से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ईवन लाइन हाजिर भी नहीं हुआ। कोई कान्स्टेबल भी लाइन हाजिर नहीं हुआ। कोई एसएचओ का तबादला नहीं हुआ। किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन नहीं हुआ। और वहाँ के माननीय सांसद जो हैं, जिनके पास पुलिस आती है, वो अभी तक सो रहे हैं। तो इस तरीके की लापरवाही जो कि किसी भी दलित

समाज की बेटी के साथ अगर होती है। वो खैर! बीजेपी वाले मंदिर तोड़ने में लगे हुए हैं, लगातार दलित पर अत्याचार करने में लगे हुए हैं। लेकिन किसी भी दलित समाज की बेटी के ऊपर ऐसा अगर अत्याचार हो, क्या पुलिस वालों की जवाबदेही नहीं बनती है? क्या पुलिस वालों को इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या पुलिस वाले सस्पेंड नहीं होने चाहिए? अगर पचास मीटर की दूरी पर अगर पुलिस बूथ बना है तो उसमें एसएचओ लाइन हाजिर होना चाहिए। ऐसे को सस्पेंड होना चाहिए, पूरा स्टाफ थाने का, चौकी का पूरा स्टाफ बदला जाना चाहिए, बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः नरेश यादव जी। बहुत संक्षेप में। इसके बाद सरिता जी।

श्री नरेश यादवः धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे नियम 280 में बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा महरौली है। महरौली बहुत ही ऐतिहासिक विधान सभा है। महरौली कभी हमारे देश की राजधानी मानी जाती थी और वहाँ पर बहुत ही ऐतिहासिक मॉन्युमेंटस हैं, जैसे कुतुबमीनार है जो कि वर्ल्ड फेमस है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन की दरगाह है, योग माया मंदिर, जहाज महल, जफर महल, झरना, आम बाग, गंधक की बावली, शमशी तालाब ऐसे बहुत सारे मॉन्युमेंटस वहाँ पर हैं। और गुरूद्वारा बंदा सिंह; बहादुर जी का गुरूद्वारा है जो पूरे देश में एक ही गुरूद्वारा है और बहुत ही ऐतिहासिक स्थान वो माना जाता है। बहुत ही पवित्र स्थान महरौली को माना जाता है। वहाँ पर फूल वालों की सैर होती है। जो जवाहर लाल नेहरू जी के टाइम से स्टार्ट हुई थी। उससे पहले का भी बहुत इतिहास है महरौली का। तो अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर महरौली की आज

स्थिति देखी जाए तो बहुत ही बदतर है। वहाँ अगर आप जाएँ तो जाम लगा रहता है। सारी नालियाँ ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सारा गंद महरौली के अदंर ही है। उसका कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। बहुत तंग गलियाँ हैं। पानी की सुविधा भी हम देने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार हम लोग अरविंद जी से मीटिंग करके उसमें काफी हमने ठीक किया। 80 प्रतिशत तक पानी की समस्या ठीक की है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो वहाँ पर डेवलपमेंट हुई है, उसका कोई सैटिस्फैक्शन नहीं है मुझे। ऐज ए विधायक मुझे बड़ा अफसोस होता है ये देखकर कि इतनी ऐतिहासिक जगह होने के बाद भी हम इसको डेवलप नहीं कर पा रहे हैं।

अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि महरौली के लिए क्योंकि बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, उसके लिए एक महरौली डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाए। उस बोर्ड के तहत सारी एजेन्सीज को लिंक करके उसका एक डेवलपमेंट प्लान बनाया जाए।

अध्यक्ष जी, वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आज जाम की है। लोग महरौली में लगभग चार से पाँच लाख लोग वहाँ पर रहते हैं। चाहे वोट कितनी भी हों। लेकिन हकीकत ये ही है कि वहाँ पर गाड़ियां निकलने की जगह नहीं। लोगों को पैदल चलते वक्त भी एक दूसरे से टच होकर निकलना पड़ता है। ये माहौल है वहाँ पर। ये हकीकत मैं बयान कर रहा हूँ।

अध्यक्ष जी, मेरा सरकार से ये निवेदन है कि वहाँ पर एक तरफ जो आम बाग साइड है। वहाँ पर डीडीए का काफी एरिया लगता है। डीडीए ने किशनगढ़ से लेकर और आम बाग तक एक फिरनी रोड निकाला है। जिससे थोड़ी सी सांस महरौली के लोगों को मिली है। लेकिन एक तरफ

जो अरूणा आसफ अली मार्ग है, वहाँ से महरौली कुतुब मीनार तक जो हमारा अरविंदो मार्ग है, वहाँ तक एक अल्टरनेट रूट निकाला जाए जो कि डेसू रोड को टच करेगा, वार्ड नम्बर–दो को टच करेगा और वहाँ पर एक बस टर्मिनल भी है। बस टर्मिनल की बात भी मैं इसी सदन में कई बार उठा चुका हूँ। उसकी भी हालत बहुत जर्जर है। जब कि आप देखो, वहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। टूरिज्म की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बस टर्मिनल की वजह से भी बहुत जबरदस्त वहाँ जाम लगता है।

माननीय अध्यक्षः अब कन्क्लूड करिए नरेश जी। कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री नरेश यादवः उसका एक अल्टरनेटिव रूट अगर बस टर्मिनल का भी निकाल दिया जाए तो बहुत सुविधा होगी।

अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि महरोली के ऊपर अगर हम थोड़ा सा डेवलपमेंट के लिए एक प्लान करके और वहाँ पर अल्टरनेटिव रूटस निकाल दें, महरोली डेवलपमेंट बोर्ड बना दें तो एक अच्छे तरीके से वहाँ की डेवलपमेंट हो सकती है। एक छोटा सा मुद्दा और है...

माननीय अध्यक्षः नरेश जी, अब नहीं प्लीज। प्लीज

श्री नरेश यादवः अध्यक्ष जी, एक ग्राउंड है...

माननीय अध्यक्षः प्लीज, नहीं अब नहीं।

श्री नरेश यादवः अध्यक्ष जी, एक ग्राउंड है। वहाँ स्कूल...

माननीय अध्यक्षः मैंने देखो समय दिया है तो उसकी...

श्री नरेश यादवः एक मिनट सर। एक ग्राउंड है स्कूल का बहुत ही पुराना स्कूल है उस ग्राउंड को वहाँ की पूरी जनता... बीचों–बीच मैहरोली में है, वहाँ पर योगा, वॉक करने के लिए इस्तेमाल करती है जोकि सालों से है।

अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि वहाँ पर कुछ एक प्लान आ रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट का; कमरे बनाने का। पूरे महरोली के हजारों लोग इकट्ठे हो के मेरे पास आए थे कि उसको वो हमारी लाइफ लाइन है, वहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलती है, उसको वहाँ पर एज ए वो पार्क और ग्राउंड ही रहने दिया जाए, वहाँ कोई प्लान न बनाया जाए। यही मेरी निवेदन है आपके माध्यम से सरकार से कि महरोली के ऊपर कुछ एक प्लान बना के उसको डेवलप किया जाए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः सरिता जी, बहुत संक्षेप में। समय हो गया है।

सुश्री सरिता सिंहः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे 280 के तहत अपने क्षेत्र की समस्या को रखने का मौका दिया। जो मैंने 280 में लगाया था, वो तो ये था कि जो भी दिल्ली सरकार क्योंकि मेरी अपनी विधान सभा में 95 परसेंट काम मुझे एमसीडी से कराना पड़ता है क्योंकि अथॉराइज्ड विधान सभा है और एमसीडी को जो भी फंड हम दिल्ली सरकार के द्वारा देते हैं, चाहे वो एमएलए लैड के थ्रू हो, या मुख्य मंत्री सड़क पुनर्निर्माण योजना के थ्रू हो या ट्रांस यमुना बोर्ड के थ्रू हो, मेरी अपनी विधान सभा में कई ऐसे काम है जिसका सैंक्शन एमसीडी को आठ महीने पहले, नौ महीने पहले, एक साल पहले किया जा चुका है परन्तु एमसीडी द्वारा आज भी उस कार्य का वर्क ऑर्डर तक रिलीज नहीं हुआ है। वर्क ऑर्डर भी रिलीज नहीं हुआ और जिनका हार थक के अगर वर्क ऑर्डर

रिलीज भी हो जाता है तो काम को खत्म होने में छः से आठ महीने लग जाते हैं।

तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि इन सारे कामों को जो दिल्ली सरकार एमसीडी को पैसा दे रही है, वो एमसीडी कमिटी को रेफर किया जाए और कमिश्नर को तलब किया जाए और टाइम लाइन डिसाइड की जाए कि दिल्ली सरकार अगर पैसा सैंक्शन कर रही है; चाहे वो एमएलए लैड के माध्यम से हो, चाहे वो मुख्य मंत्री सड़क पुनर्निर्माण योजना के तहत हो या ट्रांस यमुना बोर्ड के थ्रू हो, जो भी पैसा एमसीडी को दिया जा रहा है, वो टाइम बाउंड तरीके से उसका वर्क ऑर्डर किया जाए और टाइम बाउंड तरीके से उसको एंड का रूप दिया जाए जब काम खत्म हो और मेरे को लगता है कि ईस्ट दिल्ली के हम जितने विधायक हैं, हम सबकी सबसे बड़ी पीड़ा यही है। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको कमिटी को हैंड ओवर किया जाए और कमिटी इस पे डे–टू–डे बेसिस पे इसकी रिपोर्ट मंगवाए और इसको एंड तक पहुंचाए।

दूसरा, जो अभी सोम नाथ भाई ने बताया; पीडब्ल्युडी को लेके बहुत बड़ी समस्या है। जनता हम से ये सवाल पूछती है कि ये रोड आपका है, इस रोड से एंन्क्रोचमेंट क्यों नहीं हटता? मेरे विधान सभा क्षेत्र में, लोनी रोड सबको पता है, बहुत बड़ा बोटलनेक है। अगर हमें लोनी गोल चक्कर से शाहदरा चौक तक जाना है, वो रोड कहने को पीडब्ल्युडी के पास है पर जैसे ही उसमें एन्क्रोचमेंट हटाने की बात आती है, उसमें कोई कार्रवाई करने की बात आती है, पीडब्ल्युडी डिपार्टमेंट द्वारा, एमसीडी द्वारा ये कह दिया जाता है कि 'आप इसकी मेन्टेनिंग एजेंसी हैं, *यू आर नॉट द लैण्ड ओनिंग एजेन्सी।*' इसपे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि एक शॉर्ट नोटिस में एक

चर्चा करायी जाए और इसको आप इस सदन के दौरान इसपे किसी एक निष्कर्ष पे पहुँचे, बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः सदन की कार्रवाई टी ब्रेक के लिए स्थगित की जाती है, साढ़े चार बजे तक। धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही चायकाल के लिए साढ़े चार बजे तक स्थगित की गई)

सदन अपराह्न 4.33 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) *पीठासीन हुए*।

श्री सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, अहम मुददा है। देश के सैनिकों को ले के।

माननीय अध्यक्षः बैठिए प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, मुझे आज का बिजनेस।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः कमांडो जी, आप मिलटरी मैन हैं। बैठ जाइए प्लीज। मैं ऐलाउ नहीं कर रहा हूँ। प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं कुछ भी ऐलाउ नहीं कर रहा हूँ इसमें। श्री जितेन्द्र सिंह जी तोमर, श्री मदन लाल जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री राजेन्द्र पाल जी।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि...

माननीय अध्यक्षः भाई साहब, बैठिए प्लीज। प्लीज, बैठिए कमांडो जी। माननीय मंत्री जी बोलने के लिए खड़े हो गये हैं अब।

श्री सुरेन्द्र सिंहः एक मिनट के लिए सर।

माननीय अध्यक्षः तोमर जी, दो मिनट माननीय मंत्री जी कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं। कमांडो साहब, बैठिए प्लीज, बैठिए। प्लीज, बैठिए। नहीं ये अगर बहुत महत्वपूर्ण मुददा था, मैंने बहुत कुछ आज एडॉप्ट किया है। ये पहले दे देते। नहीं, बैठिए अब, चलिये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः कमांडो साहब, ये ठीक नहीं है तरीका। मैं बड़ी पीड़ा के साथ कह रहा हूँ, ये ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंहः नहीं बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। कमांडो जी मैं ये...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, बैठ जाइए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बैठ जाइए। मैं सारी चर्चाएँ करवा लेता हूँ, बिजनेस छोड़ देता हूँ। मैं बिजनेस छोड़ देता हूँ। ये कोई बात है! ये नहीं, ऐसे नहीं चलता है। इतना महत्वपूर्ण मुददा था इसको देते 53, 55 में, किसी नियम में देते मुझे।

...(व्यवधान)

श्री नितिन त्यागीः बाद में समय दे दीजियेगा।

माननीय अध्यक्षः नहीं, कोई समय नहीं है इसके लिए। ऐसे तो सदन को हाइजैक करने की कोशिश कर रहे हैं आप। कमांडो जी, मैं अभी कुछ नहीं, इस मुददे को मैं नहीं लूँगा। मैं इस मुददे को अब नहीं लूँगा, प्लीज।

श्री सुरेन्द्र सिंहः सर, दो मिनट का टाइम दे दीजिये।

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री जी खड़े हैं, उनको बोलने दीजिए। माननीय मंत्री जी।

श्री सुरेन्द्र सिंहः बहुत इंपोर्टेंट मुददा है सर, शहीदों का। बाकी तो वोट के लिए..

माननीय अध्यक्षः कमांडो जी, माननीय मंत्री जी खड़े हैं, बोल रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप बिल्कुल सुन नहीं रहे हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः कमांडो जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कमांडो जी, मैं रिकवेस्ट कर रहा हूँ, बैठ जाइए प्लीज।

माननीय समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य

माननीय समाज कल्याण मंत्री (श्री राजेन्द्र पाल गौतम)ः माननीय अध्यक्ष जी, क्वेश्चन ऑवर के दौरान हमारे कुछ साथियों ने एक क्वेश्चन रेज किया था कि अगर किसी पेंशनर जो सीनियर सिटीजन पेन्शन लेते हैं, उनके ऐकाउंट में एक साल के अंदर एक लाख रुपया आ जाता है तो उनकी पेन्शन काट दी जाती है। तो उसके बारे में मैं बता दूँ जो डिस्ट्रिक्ट आफिसर है, उनको डिस्क्रीशन दी गयी थी पहले और चूँकि ये एक गंभीर मुददा और सबके द्वारा उठाया गया है, उनके डिस्क्रीशन को

को विदड्रा करने का, सेक्रेटरी को आदेश दे दिया गया है और इसके बारे में रूल बनाया जा रहा है कि अगर बाई चांस किसी के ऐकाउंट में आ जाये... सपोज करो, किसी ने 50 हजार की एफडी करा रखी थी वो एफडी मैच्योर होती है और वो एक लाख इस तरीके से आ जाता है तो ऐसे केसेज में उसकी पेन्शन बंद करने की बजाय उसकी जानकारी लिखित में ले के और उसको कंटीनयू रखें, तो ये रूल जल्दी ही हम बना के दे देंगे और ये डिस्क्रीशन उनकी कैंसिल की जा रही है।

...(व्यवधान)

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः सभी को हो जायेगा लागू ये, धन्यवाद।

प्रतिवेदनों पर सहमति

माननीय अध्यक्षः यह सदन दिनांक 23 अगस्त 2019 को सदन में प्रस्तुत सरकारी आश्वासन समिति के दूसरी प्रतिवेदन से सहमत है, ऐसा जितेन्द्र तोमर जी, मदन लाल जी अपना प्रस्ताव रखें।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ये सदन दिनांक 23 अगस्त 2019 को सदन में प्रस्तुत सरकारी आश्वासन समिति के दूसरे प्रतिवेदन से सहमत है।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ।

याचिका समिति के तीसरे प्रतिवेदन से श्री सौरभ भारद्वाज जी, श्री पंकज पुष्कर जी। हाँ, सौरभ भारद्वाज जी।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, पेटीशन कमेटी की छठी असेबली में ये थर्ड रिपोर्ट है और आज हम लोग इसको सदन में रख रहे हैं। फ्राइडे को, हमने 23 तारीख को इसको हमने हाउस में सामने रखा था और आज हम हाउस को इस कमेटी की रिपोर्ट के बारे में बहुत ब्रीफली बताना चाह रहे हैं।

अध्यक्ष जी, ये मामला जो है एसडीएमसी के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से संबंधित है और ये पेटीशन जो है, हमें पिछले साल दिसंबर 2018 के अंदर मिली थी और ये पेटीशन एक आरडब्ल्यूए से मिली थी और इसी तरीके की एक और पेटीशन कुछ दिनों बाद दूसरी आरडब्ल्यूए से मिली और ये दो आरडब्ल्यूए की पेटीशन ये थी कि साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉपोरेशन एक पीपीपी स्कीम चलाता है जिसके अंदर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ एक पब्लिक पार्टनरशिप, पब्लिक प्राईवेट पार्टनर के अंदर आरडब्लूएस को पैसा दिया जाता है कि आप इस पार्क को खुद मेन्टेन करें और इसके एवज में आपको पैसा दिया जायेगा। और इस तरीके की स्कीम में दिल्ली सरकार भी चलाती, एसडीएमसी भी चलाती है। मुझे लगता है और एमसीडीज भी चलाती होंगी। एमसीडी के अंदर बहरहाल ये स्कीम जो है, 2010 के अंदर शुरू हुई और कई आरडब्ल्यूएज जिसके अंदर पैसा लेती आ रही है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इन आरडब्ल्यूएज को पैसा देने वाली स्कीम्स का भी दुरूपयोग जो है, वो देखने में आया है। हमें शिकायत ये मिली थी कि एमसीडी के कुछ अफसरों ने गलत तरीके से चलती हुई आरडब्लूएज की वैलमेन्टेंड पार्कस को ये कह के उनसे छीन लिया कि ये पार्कस मेन्टेंड नहीं हैं। ऐसा ई–ब्लॉक, आरडब्ल्यूए और

एस–ब्लॉक आरडब्ल्यूए, इनके बारे में पैटीशन मिली थी। और इनसे छीन के इस तरीके के पार्कस को नयी ऑर्गनाईजेंशंस को देने की बात इसके अंदर आई थी। इसकी जाँच पेटीशन कमेटी ने 6–7 बार पैटीशन कमेटी की मीटिंग करके की और इसकी ऑन द स्पॉट हमने एक इंस्पेक्शन भी की। और इसके अंदर जो निकल के आया है अध्यक्ष जी, वो ये है कि ये आरडब्लुए जिनकी समस्या हमारे बीच में आई थी। ई–ब्लॉक आरडब्लूए और एस–ब्लॉक आरडब्ल्यूए, ये दिल्ली की प्रतिष्ठित आरडब्ल्यूएज हैं और अगर कभी अखबार के अंदर आरडब्ल्यूएस से जुड़ी हुई समस्याओं का जिक्र होता है या दिल्ली के नागरिकों की समस्याओं का जिक्र होता है तो ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि इन आरडब्लूएज के रिप्रेजेंटेटिव्स का कोड अखबारों के अंदर अक्सर देखा जाता है। ये वो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो आरडब्ल्यूए मूवमेंट जो दिल्ली के आरडब्ल्यूए मूवमेंट जो कई साल पहले शुरू हुई, उसके टॉर्च बेयरर्स माने जाने वाले लोग हैं। और न्यूटल तरीके के लोग हैं जिनको इस तरीके से हैरास करके इनसे पार्क छीने गये। और जब हमने इसकी जाँच कराई कि ये जो पार्क इनसे छीनने का जो जो तरीका है, तो उसके अंदर इस तरीके की ऐनॉमली और इस तरीके की इर–रेग्युलेरिटी सामने आयी कि ऐसा लगता है कि जब हम लोग स्कूल–कॉलेज के अंदर जाते थे और एग्ज़ाम के अंदर चीटिंग करते वक्त कहा जाता था कि नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत है, तो इसके अंदर जो गड़बड़ी की है और जिन अफसरों ने जिस तरीके की गड़बड़ी की है, उसको देख के ऐसा लगता है कि गड़बड़ी करते वक्त एमसीडीके एफसर ये मानते हैं कि हमारी इस गड़बड़ी को कोई देखेगा ही नहीं। हमारी इन फाइल्स को कोई पढ़ेगा ही नहीं और हमारी अगर कंपलैंट की जायेगी तो किसकी ऐसी हिम्मत है कि हमारी फाइल के अंदर किसी चीज को कोई आदमी ये कह सके कि भई, आपने ये गड़बड़ कर रखी है, आपने

ये गड़बड़ कर रखी है, आपने ये गड़बड़ कर रखी है। मतलब कोई आदमी एक बार इनकी फाइल खोलके देखेगा तो वो हैरान हो जायेगा। मैं आपको मसलन चीज बताता हूँ कि अगर आप किसी आरडब्लूएस से उसका पार्क छीन रहे हों। तो पहले चीज तो ये होती है कि उसकी कोई शिकायत करे। इसके अंदर कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायतकर्ता नहीं है। दूसरा तरीका ये होता है कि फिर आप उसको नोटिस दें और आप कहें कि भई, हम आपको नोटिस दे रहे हैं कि आपका पार्क ठीक से मेन्टेंड नहीं है। वो नोटिस इनकी एमसीडी की फाइल में तो लगा हुआ था मगर वो नोटिस किसको दिया गया, इसका कोई उसके अंदर लिखा हुआ नहीं था। वो नोटिस डिस्पैच तक नहीं हुआ है एमसीडी द्वारा। वो नोटिस किसको रिसीव हुआ, उसका कोई संज्ञान नहीं है उसके अंदर। फिर उस नोटिस देने के बाद आपने उसकी इंस्पेक्शन की। उस इंस्पेक्शन में आपने आरडब्लूएस से किसी को बुलाया। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तीन एमसीडीके अफसरों ने खुद ही, मेरा ये मानना ये है रिपोर्ट को लिखते हुए जब हमने माना है कि ऐसा लगता है कि खुद ऑफिस में बैठके ही उस रिपोर्ट को बना दिया गया। उसके बाद उस आरडब्लुए के पीपीपी कॉन्ट्रेक्ट को कैंसिल करते वक्त आप एक रिपोर्ट के आधार पे कहते हैं कि हम आपका ये पीपीपी कॉट्रेक्ट कैंसिल करते हैं। तो आप आरडब्लूए को चिठ्ठी लिख के बताते हैं कि हमने आपका कॉन्ट्रेक्ट कैंसिल कर दिया। वो चिठ्ठी भी आरडब्लुए के अंदर किसी को रिसीव नहीं हुई। एमसीडी से पूछा गया कि आपने क्या कभी ये नोटिस डिस्पैच किया तो उनके पास डिस्पैच रजिस्टर के अंदर उसकी कोई एंट्री नहीं है। यहाँ तक कि जिन तारीखों पे आप इस नोटिस को दिखा रहे हैं, अपनी जो आपकी एमसीडी की या किसी भी सरकारी दफ्तर की जो फाइल होती है, वो दो तरीके से होती है। एक तरफ नोटिंग साइड चलती है, एक तरफ कम्युनिकेशन

साइड चलती है। तो आप कम्यूनिकेशन साइड में जो कम्यूनिकेशन किसी और संस्था के साथ करते हैं, उसकी नोटिंग साइड में जिक्र करते हैं कि हमने एक नोटिस बनाया। इस नोटिस का ड्राफ्ट किया गया। इसको डिस्पैच किया। तो कम्यूनिकेशन साइड में तो आखिरी के अंदर अपनी गड़बड़ को छुपाने के लिए झूठे सच्चे नोटिस लगा दिये गये। मगर जो आपकी नोटिंग साइड है, उसके अंदर कोई जिक्र नहीं है। कम्यूनिकेशन साइड में आप दिखा रहे हैं कि आप 3 मई को आप नोटिस दे रहे हैं कि आपका पार्क खराब है। और नोटिंग साइड के अंदर आप पूरी की पूरी जुलाई के महीने में, जून के महीने में, अप्रैल के महीनें में ये फाइल चला रहे हैं कि ये पार्क वैलमेन्टेंड है और इनको पैसा दे दिया जाये। तो ये कैसे संभव है कि जब आप एक पार्क के लिए नोटिस दे रहे हैं किसी संस्था को कि आपका पार्क खराब है, उसी दौरान आपकी नोटिंग साइड के अंदर ये चल रहा है कि इनका पार्क वैलमेन्टेंड है इनको पैसा दिया जाये। और ढ़ेरों गड़बड़ियाँ हैं इस पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है, इसके अंदर ढ़ेरों गड़बड़ियाँ देखी गई। यहाँ तक कि इतनी ब्लेटेंट मिस्टेक्स हैं कि आप जिस आरडब्लूए का कॉन्ट्रेक्ट कैंसिल कर रहे हैं, वो आप 10 अक्टूबर, 2018 को उसको लिख के कह रहे हैं कि आपका कॉन्ट्रेक्ट हम कैंसिल कर रहे हैं, 10 अक्टूबर, 2018 को और आप उससे दो महीने पहले दूसरी आरडब्लूए की पहले ही फाइल चला चुके हैं कि हम इसको नहीं, इसको ये पार्क दे रहे हैं। तो जब आपने कैंसिल ही नहीं किया तो आपने दूसरे को कैसे देना शुरू कर दिया? और दूसरी संस्था को कैसे पता चल गया कि आप इस संस्था का पार्क कैंसिल करना चाह रहे हैं। तो इतनी कनाइवेंस है। जो कोई भी फाइल देखेगा तो आप कहेंगे कि मतलब कि इतनी बड़े लेवल पे जो गड़बड़ी हैं, वो सामने आती हैं और इसके अलावा जब आप दूसरी एक नई एसोसिएशन को जो आरडब्लूए भी नहीं है, एक आप चलती हुई

आरडब्लूए से पार्क छीन के एक नयी ऑर्गनाइजेशन को जब आप पार्क दे रहे हैं, उसके अंदर ढ़ेरों गड़बड़ियाँ हैं। पुरानी आरडब्लूए को जब आपने पार्क दिया था तो उसके अंदर आपने.. आपको मैं फाइल दिखाऊँगा उसमें है कि इस पार्क का एरिया जो है, वो प्वाईंट 995 एकड... मतलब एक एकड़ से थोड़ा कम। मगर आप उसी पार्क को जब आप दूसरी आरडब्लुए को दे रहे हैं तो आपने एरिया बढ़ा के उसको 1.67 एकड़ कर दिया। ताकि इस नयी सोसाइटी को हम ज्यादा पैसा दे सकें। मतलब पैसे का जो.. एसडीएमसी बार–बार कहती है, ''हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है,'' उसका मिसएप्रोप्रिएशन इसके अंदर साफ देखने को मिलता है और उससे भी बड़ी बात ये है कि जब हमने इनकी ओरिजनल फाइल मंगाई तो ये घबरा गये और इन्होंने उसके अंदर दोबारा से उंगलियों से करैक्ट किये। हाथ से काट के 1.67 को काट के प्वाईंट 995 किया। 1.67 को काट के प्वाईंट 995 किया। क्योंकि इनको लगा कि अब पैटीशनर वहाँ पे बैठे होंगे। आपने जमीन बढ़ा दी, पैसे बढ़ा दिये तो उसको दोबारा घटा दिया जाये। दोबारा से हाथ से कटिंग की गई। हमने ऑन ओथ वहाँ पे जो कमीश्नर साहब की जगह आती थी। दो अधिकारी ज्यादातर उनके तरफ से आते थे। एक मिस्टर आर के वर्मा थे वो डीसी थे। फिर वो गये तो उनकी जगह एक निधि श्रीवास्तव थी, वो भी डीसी हैं आईएएस अधिकारी हैं। हमने निधि श्रीवास्तव जी से ऑन ओथ पूछा, कसम खिला के पूछा कि आप ये बताइये क्या ये संभव है कि एक पार्क जिसकी आपने एक पेमेंट अप्रूव कर दी कि इसका इतना एरिया है लिहाजा इसको इतने हजार रूपये हम देंगे। वो अप्रूव हो गयी कंपीटेंट अथोरिटी से। क्या कोई आदमी उसको हाथ से काट सकता है? हाथ से काट के फिगर चैंज कर सकता है? इतनी जगह ये किया हुआ है। निधि जी ने कहा, ''ये तो कहना बड़ा मुश्किल है।'' हमने पूछा कि भई इसका क्या प्रोसिजर है? कोई प्रोसिजर

तो होगा। अगर मैन्युअल कटिंग हो रही है, इसका क्या प्रोसिजर है? निधि जी कह रही हैं, ''ये भी कहना मुश्किल है।'' फिर हमने उनसे पूछा कि आप ये बताइये कि जब आपकी कंपीटेंट अथॉरिटी ने बढ़ी हुई फीगर पास कर दी तो आप उसको बैक डेट में कैसे काट सकते हैं? ऑन ऑथ उन्होंने बोला, ''जी नहीं, ये गलत है।'' ये जो करैक्शन थी, ये कंपीटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल से पहले की करेक्शन है। ऑन ऑथ पूछा। हमने उनको तीन बार वार्निंग दी। आईएएस अधिकारी हैं, कमेटी के अंदर तीन बार वार्निंग दी गयी कि देखिए, आप ऑथ पे बोल रहे हैं। आप झूठ न बोलें। आप गलत बयानी यहाँ न करें। क्या ये करैक्शन जो हैं, अप्रूवल से पहले की हैं या अप्रूवल के बाद की है? अध्यक्ष जी, उन्होंने तीनों बार ऑथ पे कहा कि नहीं, ये करैक्शन जो हैं, ये अप्रूवल से पहले की हैं। उसके बाद फिर हमने उन्हीं की फाइल का एक नोट दिखाया, जो बाद में ये नोट लिखा गया था जिसके अंदर लिखा है अध्यक्ष जी, उनकी नोटिंग में, 'As per the report on page no. 3/NAnd 4/N, the expenditure sanctioned of the Amount of 40,080/- rupees approved from the competent Authority which is not appropriate and verified sanctioned amount is 23,730/-. Submitted for the competent Authority.'

कहने का मतलब ये है कि बाद में करैक्शन करके फिर कंपीटेंट अथोरिटी को भेजा गया कि अब हमने गल्ती से बढ़ी हुई पैसे के ऊपर अप्रूवल ले लिया था तो हमें कम करना है। कहने का मतलब अध्यक्ष जी, ये है कि एक सीनियर अधिकारी एक आईएएस अधिकारी अगर कमेटी के आगे ऑन आथॅ कमेटी को मिसगाइड करने की कोशिश करे, हमें गुमराह करने की कोशिश करे तो इससे बड़ा अवमानना का मामला नहीं बनता कि आपके कागज ही आपके खिलाफ गवाही दे रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं और कमेटी के आगे झूठ बोल रहे हैं और ये जितने भी ये अधिकारी

हैं, इनको हमने कई बार मौके दिए कि भई, आपके जो अधिकारी है, जिन्होंने पूरा का पूरा षडयन्त्र रचा कि आपने झूठे कागजों की ट्रेल बनाने की कोशिश की, अच्छी संस्थाओं को हैरास करने की कोशिश की, झूठी नई बनी हुई संस्थाओं को आपने ज्यादा पैसा देके पैसा मीन्स एप्रोप्रिएट करने की कोशिश की। आप उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करें। इतनी बार बातचीत करने के बाद भी उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की गयी। इनके विजिलेन्स डिपार्टमेन्ट की खुद की रिपोर्ट ने माना कि हाँ, अधिकारियों ने गड़बड़ की। तो अध्यक्ष जी, ये रिपोर्ट जो है, इसके अन्दर हमने ये जो रिपोर्ट आपके आगे पेश की है। ये हाउस के सामने है और मुझे लगता है, ये बहुत ब्लेटेन्ड है। बहुत ब्लेटेन्ड है कि इस तरीके से फाइलों के साथ छेड़खानी की जाती है, टैम्परिंग ऑफ रिकार्ड किया जाता है और ये एग्जाम्पल सिर्फ हम आपके सामने इसलिए रखना चाह रहे हैं कि ये पेटीशन कमेटी जो है, हर मामले की छानीबीन नहीं कर सकती। हरेक चीज को हम इन्वेस्टीगेट नहीं कर सकते। मगर इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। हमारी कोशिश रही कि अगली बार जो विधान सभा का सत्र होगा, उसके अन्दर पेटीशन्स कमेटी की एक दर्जन रिपोर्ट हम आपके आगे पेश करेंगे, अलग–अलग डिपार्टमेन्ट से सम्बन्धित। जिसके अन्दर हम दिखाएंगे कि किस तरीके से अधिकारी और डिपार्टमेन्टस अपनी पॉवर का मिसयूज कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी ये जो जवाबदेही की संस्कृति है, ये एकाउन्टीबिल्टी की जो पूरी की पूरी परम्परा है, वो इस हाउस के अन्दर हम स्थापित करें। इसके अन्दर हमने तीन रिकमन्डेशन्स किए हैं, वो रिकमन्डेशन्स मैं आपको बता देता हूँ। पहली रिकमन्डेशन ये है कि ये जो आर.डब्लू.ए. थी; ई ब्लॉक और एस ब्लॉक। सेम अध्यक्ष जी, एस. ब्लॉक के साथ भी किया गया। जिसको बाद में उन्होंने

पलटा है कि इनकी आर.डब्लू.ए. जो है, इसको वापिस पीपीपी स्कीम के अन्दर इनका पार्क दिया जाए।

दूसरा, चीफ सेक्रेटरी साहब ये निर्देश दिए जाएँ कि वो इन अधिकारियों के ऊपर एप्रोप्रिएट पनिशमेन्ट देकर इनके ऊपर कार्रवाई करें। इसके अन्दर कुछ डिप्टी डाइरेक्टर और एक एडिशनल डिप्टी डाईरेक्टर के लेवल के अधिकारी हैं। इनका नाम आर.के.सिंह और नरेश तोमर हैं। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी साहब को ये भी आदेश दिया जाए यहाँ से कि वो इन कमेटी की रिकमन्डेशन्स के ऊपर एक्शन–टेकन रिपोर्ट आपके माध्यम से सदन के अन्दर पेश करें। इसके आगे प्रिविलेज की प्रोसीडिंग्स के लिए भी हमने इस रिपोर्ट के अन्दर रिकमन्डेशन की है कि कुछ अधिकारियों के ऊपर प्रिविलेज का मामला चले।

अध्यक्ष जी, मेरा मानना ये है कि अगर कोई अधिकारी ओथ के ऊपर हाउस के अन्दर झूठ बोलता है, कमेटी को मिसलीड करता है तो न सिर्फ उसके ऊपर प्रिविलेज का मामला चलना चाहिए बल्कि उनके ऊपर परजरी का कोर्ट के अन्दर, क्रिमिनल कोर्ट के अन्दर, उनके ऊपर परजरी का मामला भी चलना चाहिए, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री अखिलेशपति त्रिपाठी।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। अभी सौरभ भाई सारा वृतान्त बता रहे थे कि किस तरीके से एक नमूना दक्षिण दिल्ली नगर निगम के द्वारा पेश किया गया। बेहतरीन फाइलों में छेड़छाड़ और किस तरीके से एक बहुत रेपुटेड आर.डब्लू.ए. जिसके बारे में मीडिया रिपोर्टिंग भी लगातार होती रहती है, उनके कन्डक्ट को खराब करने की कोशिश की गयी।

अध्यक्ष जी, हम लोगों ने देखा कार्रवाई के दौरान कि पहले तो जब एसडीएमसी के लोग आए तो वो बचते रहे कि हाँ, जी जैसा कहेंगे, हम कर देंगे। अभी कोई फाइल मंगाने की जरूरत नहीं है लेकिन कमेटी ने तय किया कि इस मामले के तह तक जाना चाहिए; आखिर क्या रीजन है कि ऐसा किया जा रहा है। तो सबको समझ में आया कि कुछ विशेष लोगों के दबाव में कुछ विशेष काम किया गया। या तो कारण ये था और या तो कारण ये था कि इसमें बहुत बड़े करप्शन की बू आती है। अपने पद का दुरूपयोग करते हुए किसी को लाभ पहुँचाना इसका उदाहरण इस कमेटी के जॉच के दौरान सामने आया कि एक आर.डब्लू.ए. जिसके बारे में उसके दो महीने पहले मीडिया में दिखाया जा रहा है कि ये दिल्ली का सबसे बढ़िया पार्क है। दो महीने बाद एसडीएमसी रिपोर्ट दे रही है कि ये सबसे खराब पार्क है। जब ऑनरेबल कमेटी ने उनसे रिपोर्ट माँगा कि भई, आपने केन्सेलेशन किया है तो उसकी कोई प्रोसीजर हुई होगी। उन्होंने कहा जी, हमने नोटिस दिया था। कमेटी ने जानना चाहा, भई, नोटिस दिया था तो किसको दिया, किस डाक से दिया? तो बोला उन्होंने कि जी, हमने तो ऐसे भेज दिया था। एक आदमी लेके चला गया था। फिर से ऑनरेबल कमेटी ने पूछा कि भई, आपने भेजा होगा तो फाइल नोटिंग तो कहीं होगी। ये उन्हें नहीं पता था कि फाइल की जॉच भी हो जाएगी। उस नोटिस को देने की, उनके फाइल में कोई नोटिंग साइड में कोई नोटिंग ही नहीं है। ये भी है और एक तरफ तो षडयन्त्र चल रहा है कि उनसे लेकर के दूसरे को दे दिया जाएगा और उसी दौरान एक आरडब्लूए और वाईसाफ रेजीडेन्ट करके वहॉ गठित कराई जाती है और प्रोसीजर जब तक चल रहा हो, उसके पहले ही उनको हैण्डओवर कर दिया जाता है। पहले जमीन एक एकड़ से कम थी। अब 1.67 एकड़ हो जाती है। जब पैसा ज्यादा देने की बात पकड़ी जाती है फाइल में

तो उसको हाथ से काट दिया जाता है और लगातार कमेटी में झूठ बोला जाता है। मतलब एक हो तो बताया जाए अध्यक्ष जी, बस एक हो। एक आदमी को डिफेम करना, गलत तरीके से उसे जो मेन्टेन कर रहा था, उससे पार्क छीन लेना, आउट ऑफ द वे जाकर के अधिक पैसा देने के लिए जमीन की पैमाइश ज्यादा दिखा देना, जो नोटिस देना, वो केवल नोटिस साइड में रहे फाइल के, जहाँ नोटिंग होनी थी, उस साइड में नहीं होना। ये बहुत बड़ा करप्शन की तरफ इशारा करता है। मैं तो मानता हूँ कि इसको विजिलेन्स में भी रेफर करना चाहिए अध्यक्ष जी, इस मामले को। क्यों? क्योंकि ऐसा क्या कारण था? मुझे लगता है, बहुत बड़ा पैसे का हेर–फेर भी किया होगा उन्होंने। ऐसा क्या कारण था कि आप इतना बड़ा–बड़ा रिस्क वाला काम कर रहे हैं। इतने गलत काम कर रहे हैं। कमेटी के सामने झूठ बोले जा रहे हैं। तो मैं इस रिपोर्ट का समर्थन करता हूँ। इस मॉग के साथ कि इस मामले को विजिलेन्स इन्क्वायरी के लिए भी सीवीओ को, दिल्ली सरकार जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको भी भेजने का कष्ट करें सदन के माध्यम से, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री पंकज पुष्कर जी।

श्री पंकज पुष्करः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहूँ, उससे पहले सबसे पहले मैं आपके आसन के प्रति, माननीय स्पीकर महोदय, आपके निर्देशन में ये विधान सभा और इस विधान सभा की समितियॉ जिस तरह काम कर रही हैं, वो आने वाला समय इतिहास में दर्ज करेगा। इस बात को मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ और इस अवसर पर खासतौर से पेटीशन कमेटी, प्रिविलेज कमेटी और अनेक अन्य कमेटियों के जो माननीय अध्यक्ष गण हैं, उनकी जो भूमिका है, वो कितनी प्रशंसनीय है, इस पर कभी विशेष विस्तार से बात की जाए और इसी अवसर पर हमारा

जो आपका सचिवालय है, हमारे बहुत योग्य अधिकारीगण हैं। हमारे आदरणीय सचिव हैं और पूरा जो उनका सचिव मंडल है। उन्होंने कितना अनूठा, कितनी मेहनत और कितनी निष्पक्षतापूर्वक और कितनी निष्ठापूर्वक कार्य किया है, ये आज की कार्रवाई में दर्ज हो। आदरणीय मुरगन जी और सभी अपने जो हमारे उपसचिव हैं, उनका मैं विशेष उल्लेख करते हुए ये बात कहना चाहूँगा और उसके आलोक में आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि समितियॉं किस तरह से भारतीय संविधान के एक बहुत ही मजबूत पक्ष की सेवा कर रही हैं और इस पर्टिकुलर मामले में किस तरह की हैं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र चेक एण्ड बैलेन्स के सिद्धान्त पर और थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पॉवर पर टिका हुआ है। बुनियाद ये है कि लोकतंत्र में कोई भी एब्सल्यूट नहीं है। हर किसी की मर्यादाएँ हैं। हर किसी के अधिकार है। सीमाएँ भी हैं।

माननीय महोदय, एक और बुनियादी सिद्धान्त भारत के महान लोकतंत्र का है। भारत के महान संविधान का है कि सुप्रीमेसी ऑफ लेजीस्लेचर ओवर एक्जीक्यूटिव.. कि जनता सर्वोपरि है और जनता की जो सर्वोच्चता है, वो प्रतिनिधित्व विधान सभा और संसद करती है। उसके सामने जवाबदेह है। कोई भी कार्यपालिका हो, चाहे वो राजनैतिक पक्ष हो, चाहे उसका प्रशासनिक कार्यपालिका हो। इन सारे मूल्यों की रक्षा करने का काम किसका है? इन सारे का अभिभावक संविधान है और हमारा माननीय न्यायपालिका जो है, उसकी गार्जियन है।

लेकिन हर विधान सभा और हमारी संसद के ऊपर दायित्व है कि वो इन मूल्यों को बढ़ावा दे। माननीय महोदय, आपकी बनाई हुई समितियॉं,

आपके मार्गदर्शन में जिस तरह काम कर रही हैं, वो इन संवैधानिक मूल्यों, इन संवैधानिक संस्थाओं, इन संवैधानिक प्रक्रियाओं को बचाने का काम कर रही है और उसी के अंतर्गत ये चीज है। माननीय महोदय, ये जब सारा पूरा विषय पेटिशन कमेटी के समक्ष आया तो पेटिशन कमेटी ने एक अतिशय मेहनत करते हुए उसके सारे अधिकारियों और सभी माननीय सदस्यों ने असामान्य तरीके से बहुत अधिक समय और ऊर्जा उसमें लगाई और बहुत सारे एमएलए द्वारा एक दिन में साथ–साथ मीटिंग, सात–सात, आठ–आठ बजे तक मीटिंग चलाना, ओवरनाइट हमारे अधिकारियों ने कई बार काम किया है। उसके माध्यम से ये निकलकर आया कि जो आम आदमी के सामने एक उम्मीद की किरण है, के कहीं उसकी सुनवाई होगी। वो कहाँ जाए? न्यायालयों के सामने मामलों की पैंडेंसी का हालत ये है कि हमारे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि वो चिंतित हैं कि कैसे मामलों का निपटारा किया जाए। पेटिशन कमेटी या कोई भी समिति बहुत ज्यादा मामलों को नहीं ले सकती, वो कुछ मामलों को दृष्टांत के तौर पर, उदाहरण के तौर पर ले सकती है। तो कुछ मामलों को याचिका समिति ने बहुत गंभीरता से लिया जिससे कि हम जड़ से जा के, गहराई में जा के एक समाधान का, एक रास्ता खोल सकें, एक उम्मीद की किरण पैदा कर सकें, उम्मीद की एक खिड़की खोल सकें कि हमारी व्यवस्था में एक आदमी, एक सच्चा आदमी, कानून को मानने वाला आदमी भागीदार महसूस कर सके, सुरक्षित महसूस कर सके। तो ये जो बहुत सम्मानित आरडब्ल्युए आपके माध्यम से याचिका समिति के पास आई, वो दिल्ली के सर्वाधिक प्रतिष्ठित और सेवा करने वाले लोगों में से है। तो उनकी बातों को पूरी जाँच के बाद याचिका समिति ने हर संभव उपाय से जाँचा, खुद मौके पर जाकर फिजिकल वैरीफिकेशन किया, विजिट किया सभी माननीय सदस्य

और अधिकारीगण उसमें उपस्थित रहे। छः उसकी मीटिंग्स हुई, बहुत ही एक–एक चीज के थ्रैड वेयर जिसको कहते हैं गहराई में जाना, अलग से अधिकारियों के साथ मीटिंग करना, ये संभव हुआ। माननीय अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी समिति के, उन्होंने अपनी बहुत अद्भुत प्रतिभा के साथ, जो एक क्रॉस वैरिफिकेशन का काम होता है, वो किया और इसके बाद ये संभव हुआ, कि याचिका समिति अपने एक नीर–क्षीर विवेक के साथ एक न्यायसंगत कुछ रिक्मंडेशंस तक पहुंची है और वो आपके सामने प्रस्तुत है। माननीय महोदय, जो आम आदमी की उम्मीद को बचाने वाले मूल्य हैं कि व्यवस्था में जवाबदेही का सिद्धांत होगा, कोई भी सर्वोपरि नहीं है, हर कोई जवाबदेह है, पारदर्शिता होगी और माननीय महोदय, एक रूल ऑफ लॉ है, कानून सर्वोपरि है, उससे बंध के चलना है, ये सारी चीजें स्थापित की गयी और इस अवसर पर हमारा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ जिसने बताया कि चुनी हुई विधायिका सर्वोपरि है, आज उसको क्राँतिकारी सलाम करने का दिन है। मुझको वो आदरणीय मुख्य सचिव और अपने प्रमुख सचिव याद आते हैं जिन्होंने कि समिति से जुड़े मामले को न्यायपालिका तक ले गए और जब न्यायपालिका का वो आदेश/निर्देश हमारे सामने आया कि विधायिका चुनी हुई विधायका सर्वोपरि है, चुनी हुई विधायिका की समिति के सामने उत्तरदायी होना, हर लोकसेवक का, हर पब्लिक सर्वेंट का एक धर्म है, इन मूल्यों को रि–स्टेट किया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा।

माननीय अध्यक्षः पंकज जी, कन्कलूड करिए प्लीज।

श्री पंकज पुष्करः इन चीजों को ध्यान में रखते हुए माननीय महोदय, सारे तथ्य जो हैं, समिति के अध्यक्ष महोदय, सौरभ जी द्वारा रख दिए गए हैं। तो जो रिकमंडेशनस सदन के सामने हैं, सदन के सामने उस पूरी

अनुशंसाओं में एक अमेंडमेंट प्रस्तावित करना जरूरी है। मैं आपकी अनुमति से वो अमेंडमेंट रखना चाहता हूँ।

Speaker Sir, I move that the 3rd report of the committee on petitions presented to the House on 23rd August, 2019 be amended as follows :

1. that the word, voice of the citizens may be replaced by voice of residents, E-Block, GK-I in the report.

माननीय अध्यक्षः पेज नम्बर?

श्री पंकज पुष्करः जी दो–तीन जगह है, दो–तीन जगह पूरी रिपोर्ट में आता है; ऐण्ड

Second which is 4th recommendation be amended and read as under which is 4th recommendation; Privilege proceedings should be initiated against Ms. Nidhi Srivastava, IAS then DC, SDMC and Mr. R.K. Singh, Dy. Director of Horticulture, SDMC, willfully misleading the committee and thereby committee breach of privilege and contempt of the House.

माननीय महोदय, ये करते समय एक पत्र सदन में वितरित किया गया है जिसमें कि मुझको खुशी है और हम इसको दर्ज करना चाहते हैं कि अडिशनल कमिश्नर हॉर्टिकल्चर के माध्यम से समिति की जो छः मीटिंग्स की मूल भावना थी, उसके अनुपालन में कुछ काम किया गया है, इसको दर्ज किया जाए और मैं अनुरोध करता हूँ कि समिति की जो अनुशंसाएँ हैं, इस अमेंडमेंट के साथ स्वीकार किया जाए। और मैं ये बात दोहराना जरूरी समझता हूँ कि समिति के सभी सदस्य और इस सदन के सभी सदस्यों की ओर से कि हम सभी अपने अधिकारी, सभी संस्थाओं जिसमें कि एमसीडी के तीनों निकाय शामिल हैं और सभी फैक्ट जिसमें कि देहली म्युनिसिपल एक्ट है, उसके पुरजोर समर्थन में, सम्मान में है, लेकिन ये

सारी चीजें एक संवैधानिक मर्यादा के अंदर काम करना शुरू करें और म्युनिसिपल रिफॉर्म का रुका हुआ एजेंडा तेजी से आगे बढ़े, हमारी सारी व्यवस्था के सभी अंग उत्तरदायी बनें, इस अनुरोध के साथ इस विधान सभा की सभी समितियाँ काम करेंगी मेरी अपेक्षा है और ये समिति की ये अनुशंसा स्वीकार की जाए अमेंडमेंट के साथ, ये अनुरोध है, धन्यवाद महोदय।

माननीय अध्यक्षः श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। ये पीटिशन कमेटी के लिए दिल्ली का ये विधान सभा बहुत गम्भीर मुद्दे यहाँ पर आते हैं जिसके लिए हमें तो कभी मौका ही नहीं दिया जाता। आज इसमें ये भी नहीं मेन्शन किया गया कि ये केवल एक अपनी निजी जो उनकी अपनी विधान सभा का इशू है, उसको आप इस तरह से और उसमें ये कहा जाए, आपकी अपनी निजी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी कॉर्पोरेशन के साथ। कॉर्पोरेशन का पार्क दिया, एनओसी दी, नहीं दी। एक मेरा भाई कह रहा है कि इसमें बहुत बड़ा घपला दिख रहा है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः उनको बोल लेने दीजिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मुझको मेरी बात करने दीजिए।

माननीय अध्यक्षः पुष्कर जी, दो मिनट।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है।

माननीय अध्यक्षः पुष्कर जी, उनको बोलने दीजिए। आपने कमेंटस...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः एक सेकंड अजय दत्त जी, बैठ जाइए, पुष्कर जी, बैठिए। जब ये कमेटी का निर्णय हुआ है..

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त जी, ऐसे नहीं चलेगा प्लीज।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मैं इसी निगम का सदस्य रहा हूँ। अध्यक्ष जी, मेरी जानकारी में एक एकड़ तक के पार्क केवल आरडब्ल्यूए को दिये जा सकते हैं। तब था। अब हो सकता है कुछ चेंज है। वैसे मेरी जानकारी में चेंज आई नहीं है। एक एकड़ तक का पार्क दिया जा सकता है और एक एकड़ का तब छः हजार दिया जाता था, अब आठ हजार दिया जाता होगा। मैं प्रजुमिंगली कह रहा हूँ क्योंकि छः हजार तो मुझे याद है, मैं कमेटी में था और मैं उस कमेटी का सदस्य रहा हूँ। अब छः हजार रुपया पर मंथ एक मेंटेनेंस के लिए एक एकड़ के पार्क का दिया जाएगा। उसमें बहुत बड़ा घपला हो गया, छः हजार रुपया महीने वाले में बहुत बड़ा घपला हो गया; एक एकड़ से अधिक पार्क आरडब्ल्यूए को दिया नहीं जा सकता। तो एक आरडब्ल्यूए को छः हजार रुपए महीने की जगह दूसरे आरडब्ल्यूए को दिया गया और बहुत बड़ा घपला हो गया, उसकी जाँच–पूछ होनी चाहिए, सीबीआई से, सीडब्ल्यू.. सबसे होनी चाहिए जरूरी है।

पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि सबसे पहले आज जरूरी ये था, इस विधान सभा को ये बताना जरूरी था कि ये किस विधान सभा क्षेत्र का एरिया है। ई. ब्लॉक कहा गया, जी. ब्लॉक ये जो भी ब्लॉक कहा गया, किस विधान सभा क्षेत्र का इशू है, एक।

दूसरा, ये विधान सभा, कैसे ये बात कह रही है इस पीटिशन कमेटी

'The issue of NOC to RWA of Shri Rajan Chaddha in accordance to the scheme of Delhi Park and Garden Society of GNCTD.' आप ये कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि आप उनको एनओसी देंगे, हम आपको लिखकर दे रहे हैं, आप उसी को एनओसी देंगे, एकॉर्डिंग टू द लॉ, ये काम आपका तो नहीं है। न तो पेटिशन कमेटी का, न विधान सभा का है। आप अपने निजी स्वार्थों के लिए अगर आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ये विधान सभा की एक गरिमा है जिसको हम सबको बचाना है, हमारा फर्ज बनता है। हम सभी चुने नुमाइंदे हैं। ऐसा नहीं है अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं है तो आप मेरे गले में आएँगे, ऐसा नहीं है। बात गलत हो सकता है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, आप भी गलत हो सकते हैं। लेकिन आज हमें विचारने की जरूरत ये है कि क्या विधान सभा को ऐसे मसलों के अंदर जो निजी तौर पर आपकी इगो के कारण खड़े हुए हों, उनके ऊपर हम ऐसे खड़ा करें और ये कहें कि ये एनओसी इसको ही दी जाए, इसका राइट है। आप बताइए मैं और आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो उसका राइट था; पुरानी आरडब्ल्युए का राइट है या नई आरडब्ल्युए का राइट है? हू आर यू ऐण्ड मी टु डिसाइड? इसके लिए एक कार्य–प्रणाली बनी हुई है। उस कार्य–प्रणाली का ये काम है। उस कार्य–प्रणाली के काम के ऊपर आपको किन्तु–परन्तु है। आपके पास राइट हैं, आप एक चुने हुए नुमाइंदे हैं, लेकिन आप पेटिशन कमेटी के माध्यम से ये कैसे कह सकते हैं, इसको दें। आप देखिए, 'Issue of NOC to RWA of Shri Rajan Chadda in accordance to the scheme of Delhi Park and Garden Society of GNCTD.'

मुझे अध्यक्ष जी, मैं जरूर आपके माध्यम से ये जानना चाहूँगा, विधान सभा के अंदर आज से पहले कौन सी पेटिशन कमेटी ने पिछले 50 सालों में ये रेजलूशन पास करके अडॉप्ट किया है, जहाँ एक निजी आदमी को,

उसको एनओसी देने के लिए, उसको पार्क हैंड ओवर करने के लिए इस विधान सभा का इस्तेमाल किया गया हो या कोई भी काम देने के लिए। कल को टैंडर व्यवस्था को खत्म कर दिया जाएगा, कहा जाएगा, ये पेटिशन कमेटी ने डिसाइड कर दिया, उसको दे दो काम। ये कैसी व्यवस्था हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं?

आपको मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये हाउस की गरिमा के खिलाफ है। हमारा बस नहीं है, हम तो दो मेंबर हैं।

हम हाँ कहें या न कहें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये भी काले अक्षरों में लिखा जाएगा। अगर हम इसमें अपनी बात को न रखते तो यह भी हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए जाते। ये आज 6 हजार रुपये महीने की..

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः उनको...

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः चोरी तो चोरी है। चोरी तो यहाँ टांसपोर्ट में नुकसान भुगता है आपने..

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है।

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ भारती जी।

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः चोरी तो चोरी है। चोरी और सीना जोरी, दो चीजें न करें ये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप चोरी का समर्थन कर रहे है?

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हम भी अपनी बात करेंगे।...**(व्यवधान)**

माननीय अध्यक्षः आप इस चोरी का समर्थन कर रहे है?

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः नहीं, मैं चोरों का क्यों समर्थन करूंगा?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः समर्थन ही हो रहा है ये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ये समर्थन हो रहा है।

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः चोरी करने वालों को पकड़ो।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः ये चोरी है। चोरी ये है कि आप जबरदस्ती एक एनओसी को काम करना चाहते हैं, चोरी ये है।

माननीय अध्यक्षः हो गया?

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः नहीं, मेरी बात नोट कर लीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हाँ।

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः चोरी ये है कि आप एक मनमर्जी की आरडब्लूए को इस हाउस के माध्यम से एनओसी देना चाहते हैं, चोरी ये है। ये चोरी है और सीना जोरी है। ये दो–दो चीजें हैं क्योंकि आपके पास नम्बर हैं इसलिए आप ये ज्यादती कर रहे है। मैं महसूस करूँगा, आप दीजिए, आप इसको पास कीजिए और हम भी ये देखेंगे कौन सा कानून इसको लागू करता है।

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हमें कोर्ट में जाना पड़े, कचहरी में जाना पड़े, हम लोगों को बताएँगे कि कैसे हाउस को हस्तेमाल किया जाता है, अपने निजी लोगों के स्वार्थ के लिए, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः हाँ, सौरभ जी कुछ कहना...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, अखिलेश जी, भई सौरभ जी खड़े हुए है, अखिलेश जी, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अखिलेश जी, मैंने सौरभ जी को इजाजत दी है,

आपको इजाजत नहीं दी बोलने की।

श्री सौरभ भारद्वाजः मुझे बहुत खुशी है अध्यक्ष जी, कि हमारे एक मैम्बर ने इसके ऊपर सवाल उठाया और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने इसके अंदर दिलचस्पी ली। और ये सवाल बड़ा वाजिब है कि क्यों इस आरडब्लुए का मामला उठाया गया और क्या किसी निजी स्वार्थ के लिए कमिटीज का इस्तेमाल किया गया। हालाँकि ये बात अलग है। एक बार कमिटीज के लिए मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने पहले भी ऐसा बयान मीडिया में दिया है, जिसके लिए इनके ऊपर एक विशेषाधिकार समिति के अंदर मामला चल रहा है, वो एक अलग मामला है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई आपने बोला है ना सब कुछ।

श्री सौरभ भारद्वाजः ये धमकी नहीं है, सच्चाई है ये।

माननीय अध्यक्षः अब दूसरा बोलता है तो... आपने बोला है ना सारा।

श्री सौरभ भारद्वाजः हाँ, अब दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है कि ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे, क्यों ऐसा है कि एक छोटी सी आरडब्लुए के पार्क के छीनने के मामले में अपोजिशन जो है, वो तिलमिला रही है। ये बहुत अजीब है। मैं कोशिश कर रहा था कि ये जो पूरा का पूरा मामला है, इसको गैर राजनैतिक रखा जाए। मगर इनके तिलमिलाने से ये बात साबित होती है कि ये मामला गैर राजनैतिक नहीं है, ये मामला राजनैतिक है और ये एक विकृत मानसिकता दिखाता है जो लगभग पूरी एमसीडी के अंदर व्याप्त है।

अध्यक्ष जी, अगर आपको छोटा सा फंक्शन भी एमसीडी के पार्क में कराना हो तो आपको एमसीडी काउंसलर के पैर पड़ने पड़ते हैं, कई जगह पैसे देने पड़ते है, वर्ना आप उस एमसीडी के पार्क में फंक्शन नहीं करा सकते। क्योंकि आपने ऐसे प्रावधान एमसीडी के अंदर बना रखे हैं कि एमसीडी काउंसलर का एनओसी उसके अंदर जरूरी है। सोचिए अध्यक्ष जी, कि कितनी अजीब बात है कि सरकारी पार्क के अंदर अगर आपको कोई फंक्शन कराना है, चाहे रिलीजिएस फंक्शन कराना है, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम कराना है, उसके अंदर एमसीडी के काउंसलर के एनओसी की जरूरत होती है। ये मामला उस एनओसी का नहीं है। ये मामला उससे भी बड़ा है। ये मामला ये है; मैं आज साफ–साफ कर देता हूँ कि ये जो दो आरडब्लुएज हैं, जीके–1–एस ब्लॉक और जीके–1–ई ब्लॉक, बहुत सारे लोग समझते होंगे कि इसके अंदर शायद कोई राजनैतिक मामला है, ये आरडब्लुएज ओवर ऑल न्यूट्रल आरडब्लुएज हैं और समस्या ये है कि ये आरडब्लुए जब अपनी फंक्शन के अंदर उस एरिया की मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट को बुलाते हैं, जो मीनाक्षी लेखी जी हैं, तो वहाँ की जो लोकल काउंसलर हैं, उनको वो बर्दाश्त नहीं है, उनका नाम शिखा राय है। तो ये मामला दो एक ही पार्टी की महिलाओं के झगड़े का मामला है, मैं इनको बता दूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भाई साहब, अब थोड़ा होने दीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, अब सिरसा जी, इसीलिए दिक्कत आती है। तो वो बात कह रहे हैं, अब सुन लीजिए सारी चीज, सुन लीजिए सारी चीज।

...(व्यवधान)

श्री सौरभ भारद्वाजः मैं बताता हूँ।

...(व्यवधान)

श्री सौरभ भारद्वाजः अब समस्या ये है...

...(व्यवधान)

श्री सौरभ भारद्वाजः सुनो–सुनो। तो ये मामला ये है कि क्योंकि लोकल काउन्सलर को इन दो आरडब्ल्यूएज से नाराजगी थी तो उन्होंने कहा कि ये एक आरडब्ल्यूए एक एरिया में कैसे काम करती है। इसलिए काम करती है कि ये होली, दिवाली के ऊपर फंक्शन कराते हैं। वहाँ पर आप योगा का काम कराते हैं। ये सब काम कराते हैं और इस तरीके से आरडब्ल्यूए लोगों के साथ मिलकर काम करती है। तरीका ये है कि इस आरडब्ल्यूए से इसका पार्क छीन लिया जाए और एक नई सोसायटी रजिस्टर कर दी जाए, किन्ही भी लोगों की और इनसे पार्क छीनकर वो जो पार्क है, वो किसी एक नई सोसायटी को दे दिया जाए तो आरडब्ल्यूए के हाथ अपने आप कट गए। एक चुनी हुई आरडब्ल्यूए, जहाँ हर दो साल के अंदर इलेक्शन होते हैं, उनसे ये पार्क छीनकर आप एक नई किसी ऑर्गनाइजेशन को दे दें और फिर वो आरडब्ल्यूए जो चल रही है, बीसियों सालों से चल रही है, वो डिफंक्ट हो गयी क्योंकि पार्क आपने एक नई सोसायटी को दे दिया।

समस्या ये है कि यहाँ पर आपको किसी से पार्क छीनना है और वो पार्क छीनना है जिसकी फोटो अखबारों में इसलिए आती है कि *दीज पार्क्स आर वन ऑफ द बेस्ट मेन्टेन्ड पार्क्स ऐट साउथ दिल्ली।*

अध्यक्ष जी, उन पार्कों की फोटो आती है कि ये पार्क दिल्ली के सबसे

खूबसूरत पार्क हैं, जो आरडब्लूए मेन्टेन करती है। उनके लिए आप एक झूठी रिपोर्ट बनाते हैं कि ये पार्क मेन्टेन नहीं थे। अब आपको झूठी रिपोर्ट बनानी है तो नोटिस देना है, नोटिस अगर दे दोगे तो आरडब्लुए वाले तुरंत आ जाएँगे कि जी, बताओ इस पार्क के अंदर क्या कमी है? आ जाओ, वो तो फेसबुक लाइव कर देंगे। तो कागजों के अंदर नोटिस देने हैं, वो किसी से रिसीव नहीं कराने। छः महीने तक ऐसे नोटिस झूठे दिए जाएँगे जो सिर्फ कागजों में लगाए जा रहे हैं। एक पार्क जो .995 एकड़ का था, क्योंकि एक ईमानदार आरडब्लुए काम कर रही थी, अब किसी नालायक आरडब्लुए को आपको उसको देना है तो उसको डेढ़ गुणा, पौने दो गुणा करना है तो आपने उसको 1.67 कर दिया। आपसे फाइल मंगा ली गयी तो आपकी चोरी पकड़ी गयी। तो आपने कहा, ''अरे! वहाँ फाइल दिखानी पड़ेगी।'' फिर हाथ से फाइल में करेक्शन करनी पड़ गई। करेक्शन को छुपाने के लिए बड़े–बड़े आईएएस ऑफीसर आकर झूठ बोल रहे हैं। अब देखिए, ऐसे लोग तो यहाँ पर बैठे हैं जो कुछ हजार का करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो कई करोड़ों का घोटाला करके करोड़पति बने बैठे हैं। नाम पर उनके सजाएँ हो रखी हैं, उनके घरवालों को... कन्विक्ट हैं, 420 के मुकदमें के अंदर। मगर वो रईस बनकर घूम रहे हैं। तो ये तो छोटी–छोटी चोरियों से आदमी शुरू होता है, फिर कई हजार करोड़ की चोरियाँ करता है। फिर पैसे से टिकट भी खरीदी जाती है, विधायक भी बना जाता है, रसूखदार बनाया जाता है, यहाँ पर शोर मचाया जाता है, फिर गर्दन नीचे करके फोन देखा जाता है क्योंकि गर्दन ऊपर करते ही, फिर गर्दन ऊपर करते ही कहेंगे कि क्यों जी, क्या हुआ?

माननीय अध्यक्षः सौरभ जी, अब कन्क्लूड करिए, कन्क्लूड करिए।

...(व्यवधान)

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, मेरा यही है, आखिरी में मैं यही कहूँगा, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। अखिलेश जी अब, अखिलेश जी बैठ जाइए प्लीज। आप बैठ जाइए अब।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अखिलेश जी, प्लीज बैठिए।

अब श्री पंकज पुष्कर जी द्वारा याचिका समिति के तीसरे प्रतिवेदन में दिए गए संशोधन सदन के सामने हैं;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

संशोधन पारित हुए।

अब श्री सौरभ भारद्वाज जी प्रस्ताव करेंगे कि याचिका समिति के संशोधित तीसरे प्रतिवेदन से सदन सहमत है।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, मैं ये प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन दिनांक 23 अगस्त, 2019 को सदन में प्रस्तुत याचिका समिति के संशोधित तीसरे प्रतिवेदन से सहमत है।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

प्रस्ताव पास हुआ।

अल्पकालिक चर्चा नियम 55, श्री जरनैल सिंह जी, दिल्ली में सीसीटीवी लगाने से संबंधित मुद्दों के संबंध में चर्चा प्रारम्भ करेंगे।

अल्पकालिक चर्चा (नियम–55)

श्री जरनैल सिंहः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। दिल्ली की बहन बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा मामला, दिल्ली के हर दिल्लीवासी की सुरक्षा से जुड़ा मामला, सीसीटीवी कैमरा, इस पर चर्चा के लिए समय देने के लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष जी, मेरे को ध्यान है, जब पिछले चुनाव में हम वोट माँगने जा रहे थे तो जो हमारा घोषणापत्र था, ये उसके अहम पॉइंट्स में से एक पॉइंट था और मेरे को आज इस चीज की बहुत खुशी है कि जब दुबारा वोट माँगने जाएँगे तो जो रिपोर्ट कार्ड हमारे हाथ में होगा, उसमें से 100 में से 100 नम्बर वाला रिपोर्ट कार्ड हम लेकर जाएँगे। जितने वायदे किए थे, लगभग सभी वायदे पूरे हो चुके हैं। आजकल सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं; दिल्ली की गली–गली में। पहले बोला जा रहा था... जी, बोलते थे जी, पानी फ्री करेंगे तो कहते थे जी, ''पानी फ्री नहीं हो सकता।'' बिजली के रेट हाफ करेंगे तो कहते थे जी, ''ये कभी नहीं हो सकता।''

सरकारी स्कूल बढ़िया करेंगे, ''ये भी नहीं हो सकता।'' सरकारी अस्पताल बढ़िया करेंगे, ''ऐसा तो हो ही नहीं सकता।'' पर वो कहते हैं जी, 'एचीवर्स नेवर एक्सपोस देमसेल्व्स, देयर एचीवमेंटस एक्सपोज देम।' तो आज ये काम खुद बता रहे हैं, इस बदलाव की राजनीति को कि ये वो राजनीति है, जैसे डेवेलप्ड कंट्रीज के अंदर होती है कि जब उम्मीदवार अगली बार जाता है तो लोग उससे माँगते है, जी, पिछली बार जो वायदे किए थे, उसका आप हिसाब लेकर आओ। यहाँ बेशक ऐसा न होता। पिछले चुनाव में तो हमने ही देखा, लोगों ने अपने ही वायदों को जुमले कह दी और सारी चीजें खत्म कर दी। पर मेरे को इस चीज की तसल्ली है कि इस बारी जब हम जा रहे हैं तो हम अपना रिपोर्ट कार्ड साथ लेकर जा रहे हैं। खैर, दिल्ली की गली–गली में सीसीटीवी कैमरे लगना शुरू हो चुके हैं और लोग इस चीज को लेकर बहुत खुश हैं और लगने के साथ–साथ अध्यक्ष जी, उन कैमरों से चोरियाँ तक पकड़ी जानी शुरू हो चुकी हैं। तो मैं अपने तिलक नगर के सभी निवासियों की तरफ से कि लगभग कई सौ कैमरे तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र में लग चुके हैं। दिल्ली सरकार के मुख्य मंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का, सारे मंत्रिमण्डल का और पीडब्ल्युडी मिनिस्टर साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा।

थोड़ी सी दिक्कत आ रही है अध्यक्ष जी, कि बड़ी स्लो स्पीड से लग रहे हैं। हमने 2000 कैमरे लगाने हैं और दिन की लगभग 25–30 कैमरे की एवरेज आ रही है। तो मंत्री जी भी यहाँ पर बैठे हैं, थोड़ा स्पीड अगर बढ़वा दें क्योंकि पिछली दफा सी.एम. साहब ने बोला अगर 2000 कम पड़ रहे हैं तो वो 2000 कैमरे हम और दे रहे हैं। तो टाइम रहते सारे कैमरे लग जाएँ। पहले तो समय होता था अध्यक्ष जी, लोग डरते थे चोरी–चकारी करने से पर अभी जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हो, वहाँ डरते हैं। पहले

तो लोगो को था जी, कि गुनाह करके कहाँ छुपाएंगे गालिब, ये जमीन और आसमाँ सब उसी का है। पहले लोगों को दिल में ऐसी फीलिंग थी पर अभी सीसीटीवी कैमरा लगा हो तो लोगों को लगता नहीं, यहाँ कोई अपराध भी करना और सीसीटीवी कैमरा होने से अपराधों पे रोक भी लग रही है। तो जहाँ एक तरफ मैं धन्यवाद करता हूँ मुख्य मंत्री जी का, सारे मंत्रिमण्डल का, वहीं पीडब्ल्युडी मिनिस्टर साहब से दर्खास्त भी करता हूँ कि थोड़ा काम को फास्ट करवाएँ। आपने चर्चा प्रारंभ करने का मौका दिया, इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। बहुत संक्षेप में हम सभी बोलेंगे जो नाम आए हैं मेरे पास, उनको मैं समय दे सकूँ। श्री गुलाब सिंह जी नहीं हैं। श्री जगदीप सिंह जी।

श्री जगदीप सिंहः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे यह जो प्रोजेक्ट है, इसपे बोलने का मौका दिया। सर, ये सुरक्षा की जो तीसरी आँख दिल्ली सरकार द्वारा लगाई जा रही है, इसका जितनी तारीफ की जाए, उतनी कम है। सीसीटीवी इंस्टालेशन जो है, एक बहुत संघर्षमयी प्रोजेक्ट रहा। जहाँ पर पहले दिन से लेके इसको एक्जीक्यूट करने तक बहुत सारी रूकावटें ब्यूरोक्रेसी के द्वारा लगाई गयी। लेकिन उनका रुकावटों के बावजूद भी आज जो है, 613 करोड़ रुपये का ये प्रोजेक्ट पास हो के दिल्ली सरकार द्वारा जो है, पूरी दिल्ली में लगाया जा रहा है जहाँ पर 1,40,000 कैमरे पहले लगेंगे और 1,40,000 कैमरे का अप्रूवल हमारे पीडब्ल्युडी मिनिस्टर ने और दे दिया है, जहाँ पर हर विधान सभा में 2000 से ऊपर कैमरे लगाए जाएँगे और सरकारी स्कूलों में भी ये सुविधा दी जाएगी ताकि बच्चे जो हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, क्या है। पैरेंट्स हम लोग जो है, घर पे बैठके इसको देख सकें? सर, उस दिन अजेश यादव जी ने एक बहुत अच्छा एक्जाम्पल इसपे बताया था

कि किस तरीके से मोबाइल की चोरी उनके यहाँ पकड़ी गई। कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कीर्ति नगर में किस तरीके से मोबाइल की चोरी उनके यहाँ पकड़ी गई। कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कीर्ति नगर में शिवचरण गोयल जी के यहाँ पर इसी तरीके से एक कार वाले ने झूठा आरोप लगाया है। पहले उसने गाड़ी को ठोक दिया दूसरी गाड़ी में और जब वहाँ पुलिस आ गयी तो उसने बोला जी, मेरे से पैसे छीने जा रहे हैं और मुझे मारा गया है। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में देखने से पता चला कि उसने वाकई उस गाड़ी को टक्कर मार दी थी, उसको नुकसान पहुँचा दिया था; दूध का दूध, पानी का पानी हो के ये जो है, क्राइम वहाँ पे सामने नजर आ गया। तो सीसीटीवी कैमरे लगाने के अनेक फायदे जो हैं, वो अभी पूरी तरीके से ये प्रोजेक्ट पूरा एक्जीक्यूट भी नहीं हुआ है लेकिन उसके फायदे आने शुरू हो गए हैं और दिल्ली हमारी जो है, वो एक पहली स्टेट है जहाँ पर पूरे हिन्दुस्तान में कैमरे लगाए जा रहे हैं। पूरे हिन्दुस्तान में कहीं पर इतने... पूरे हिन्दुस्तान की बात छोड़िए, वर्ल्ड में सिर्फ पाँच ऐसी सिटीज हैं, जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए है; बीजिंग, लंदन, शिकागो, होस्टन और न्यूयॉर्क और छठी हमारी दिल्ली है, जहाँ पर ये कैमरे लगाए गए हैं और दिल्ली सरकार का और हमारे पीडब्ल्युडी मिनिस्टर सत्येन्द्र जैन भाई का, हम लोग सब लोग उनका बहुत–बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो दिल्ली इतना...

माननीय अध्यक्षः चलिए।

श्री जगदीप सिंहः अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं और जहाँ पर आज ही अखबार में आया है कि दिसम्बर तक यहाँ पर वाई फाई भी पूरे तरीके से लग जाएगा तो दिल्ली जो है, एक वर्ल्ड की एक हाईटेक सिटी बनके हमारे सामने आएगी। हमारे प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा है, वो हमारे मुख्य मंत्री उस सपने को पूरा करते हुए जा रहे हैं।

धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने हमें बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। श्री राजेश गुप्ता जी अनुपस्थित। श्री सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत—बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे चर्चा में हिस्सा लेने का मौका दिया। सीसीटीवी इंस्टालेशन दिल्ली में इसका एक इतिहास है। मुझे याद है कि जब एक कॉस्टेबल ने चांदनी चौक के इलाके में चोरी की थी और कुछ पैसे लेते हुए पकड़े गए थे। तो उसको बचाने के लिए हाईकोर्ट के अन्दर सेन्ट्रल गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने लड़ाई लड़ी थी और कहा था कि नहीं.. नहीं... और वहीं से मुद्दा शुरू हुआ था कि भई एसीबी आपके पास में है और मुझे ये भी याद है कि उस वक्त ये भी चर्चा हुई थी कि अगर वो सीसीटीवी कैमरा होता, अगर लग चुका होता तो वहाँ पे हमारे पास एविडेंस मिल चुके होते और उस एविडेंस के आधार पे उस कॉस्टेबल को सजा मिल चुकी होती। उस इतिहास के अन्दर, इस पूरे यात्रा में कई सारे पड़ाव हैं और क्या—क्या नहीं आए, यहाँ था कि आए कि जी, एक बार एस एसओपी बन गया, उस एसओपी के आधार पे कहा गया कि नहीं, जहाँ जहाँ लगेगा, वहाँ वहाँ पहले एनओसी लिया जाएगा। आपको क्षेत्र के एरिया के पुलिस के माध्यम से आपको एनओसी मिलेगा तब जा करके वहाँ लगेगा। तो ये बड़ी चिंता का विषय हो गया पूरी दिल्ली में की भई जहाँ जहाँ लगेगा, पहले वहाँ ये खतरा पैदा हुआ, उन लोगों को खास करके जिन लोगों को इसकी आदत पड़ गयी थी कि भई किसी कौने में खड़ा हो करके पैसे ले लो। किसी करप्शन के पैसे ले लो। लेकिन आज जब 1,40,000 कैमरे पूरे दिल्ली में लग रहे हैं पहले चरण में और बड़े खुशी की बात है, दूसरे चरण में

1,40,000 और लगेंगे तो तीन लाख कैमरे करीब–करीब लग करके दिल्ली में चप्पा–चप्पा हर कौना सीसीटीवी कैमरे तीसरी आँख से मॉनिटर किया जाएगा और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी की हिम्मत होगी कि इस तीसरी आँख के होने के बावजूद कोई वहाँ पर खड़ा हो करके करप्शन का पैसा एक्सेप्ट कर ले, कोई गलत काम कर ले।

लेकिन इसकी शुरूआत मुझे याद है कि सीसीटीवी कैमरे को... हमने इतनी बार कहा कि लगा देंगे, लगा देंगे, लगा देंगे और हम सबको जिल्लत झेलनी पड़ी कि भई, कब लगाओगे। ये झूठ बोल रहे हो और पार्टियों की तरह ये भी तो तुम्हारा जुमलेबाजी तो नहीं है, ये खूब जिल्लत झेलनी पड़ी। लेकिन जब ये माननीय मुख्य मंत्री जी ने और हमारे साथियों ने खूब मेहनत करके इस प्रोजेक्ट को पास करवा लिया और आरडब्ल्युएज की बाकायदा एक मीटिंग बुला करके माननीय मुख्य मंत्री जी ने वो जो एसओपी बनाया गया था, जिसके जरिए कहा गया था कि भई आरडब्लयुएज या उन लोकेशंस के लिए पहले लोकल पुलिस से लेना पड़ेगा एनओसी, उसको फाड़ दिया गया। तो बड़ा ऐतिहासिक काम दिल्ली में माननीय मुख्य मंत्री के हाथों हो रहा है और रेड टेपिज्म का बहुत बड़ा सबूत इसके जरिए आगे आया कि किस तरह से उन अधिकारियों ने भी दिल्ली के अन्दर जो चल रहा है जैसे कि अभी एमसीडी की बात आई अगर इस तरह के कैमरे वहाँ पे लगे होते तो एमसीडी का भी जो एक रवैया रहा है कि भई, खूब चले भ्रष्टाचार और उसपे भी लगाम होता। दिल्ली के अन्दर वूमन सिक्योरिटी के नाम पे बाकी पार्टियों ने जो मजाक किया।

अध्यक्ष महोदय, हम सबको याद दिल्ली के अन्दर निर्भया कांड हुआ। उस निर्भया कांड के अन्दर कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं रहा प्रूफ करने के लिए। वो अलग बात है कि वो जो एक्यूज्ड थे उनको सेंटेंस हुआ। लेकिन electronic evidence being the best evidence possible in the court of law that could have been possible only after installation of CCTV cameras.

अध्यक्ष महोदय, अगर आप अपने शास्त्रों की बात कर लें, अपने वेदों की बात कर लें, ऋषि मुनियों की बात कर लें तो वहाँ भी इस बात को बाकायदा कहा गया, 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।' जहाँ नारी की पूजा होती है, वहीं देवता बसते हैं। आज कहाँ से कहाँ आ गए! अभी अभी न्यूज में पढ़ रहा था कि कहीं झगड़े पे कहीं किसी ने छेड़छाड़ कर दिया और उसके बाद एक हत्या भी हो गयी तो समाज का जो ये नया प्रारूप आया है, जो नया रूप आया है, उसमें एक ऐसा माहौल जहाँ कि हर वक्त डर लगा रहता है, हर पिता को, हर भाई को डर लगा रहता है कि भई कहीं कुछ मेरी बेटी के साथ, मेरी बहन के साथ गलत न हो जाए।

तो मैं आज आपके माध्यम से सरकार को बहुत बधाई देना चाहता हूँ... मेरा ख्याल है, पूरी दुनिया भर में ऐसा एक बार इतनी बड़ी संख्या में कोई सीसीटीवी कैमरे का इंस्टालेशन नहीं हुआ होगा। तो इसके लिए भी बधाई के पात्र हैं और अभी पीछे चार दिन पहले जैसे सौरभ कह रहे थे, वो भाजपा का कोई आरडब्लुए ऐसा ही कोई रहा। अब सीसीटीवी कैमरा लग रहा है, इंट्रेस्ट सबको है क्योंकि उस आरडब्लुए के साथी, सबको ये कह रहे हैं भइया, जिस भी क्षेत्र में आरडब्लुए है, वो कहता है, हमारे यहाँ भी लगवाओ। तो आज जो ये हो गया कि भई, जो भी आरडब्लुए किसी और पार्टी की तरफ है, उसको भी हमारे पास आना पड़ रहा है कि भइया जी, हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगा दो, ये बड़ा अच्छा रहा। तो सीसीटीवी कैमरों के कारण वो आरडब्लुए जो कि किसी और पार्टी की ओरिएंटेड थे, किसी और पार्टी की तरफ थे, उनको भी आज हमारे पास आना पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः कन्क्ल्यूड करिए सोमनाथ जी, कन्क्ल्यूड करिए प्लीज।

श्री सोमनाथ भारतीः चार दिन पहले जब ये सीसीटीवी कैमरा लगा और चूंकि कैमरा लगते के साथ लाइव हो रहा है। उस लाइव कैमरे से इतने अच्छे रिजोल्यूशन में कैप्चरिंग करी फेस को और गाड़ी के नंबर को कि पुलिस भी अवाक थी के अब तक के जो सीसीटीवी कैमरे लग रहे थे दिल्ली के अंदर, उस पर इतनी क्लीयरिटी से कुछ रिकार्डिंग नहीं हो रहा है। तो मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्य मंत्री जी का और माननीय जैन साहब का और ये एक बड़ा युनिफिकेशन वाला काम हुआ है ये कि पॉलिटिक्स के अंदर मतलब सीसीटीवी कैमरे में पूरे क्षेत्र में एक ऐसा चीज हो गया कि हर कोई माँग रहा है, हर कोई कह रहा है। तो हम साथियों को जो थोड़ी बहुत मुसीबत होती थी क्षेत्र के अंदर कि भई कोई और पार्टी कुछ कह रही है, किसी और पार्टी के सपोर्टर कुछ कह रहे हैं तो पहली बार सारे सपोर्टरों को आकर के कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ भी कैमरा लगाएँ और मैं आखिरी में, चूँकि ये एक सपना पूरा हुआ, जैसा हमारे पिछले वक्ताओं ने कहा करीब करीब सौ परसेंट हमने सब जितने भी वादे किये थे, सारे पूरे कर दिये। तो अब ये जो काम की राजनीति के प्रेरणास्रोत श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो ऐसी सरकार और ऐसी विधान सभा और ऐसे विधायक और ऐसे मंत्री जिन्होंने कि सिर्फ और सिर्फ काम के आधार पर राजनीति की है और वो सारे काम चाहे कैमरा हो, उस पर हिंदू भी आएंगे, मुसलमान भी आएंगे, सिख भी आएंगे, ईसाई भी आएंगे। चाहे वाईफाई स्पॉट्स हो, हमारा कोई भी काम जो शिक्षा वाला काम है, उस पर भी सारे धर्म के लोग आएँगे, हर जाति के लोग आएंगे तो इकलौती पूरे हिन्दुस्तान में ऐसी पार्टी आम आदमी पार्टी हुई जिसके किए गए काम, धर्म और क्षेत्र और जाति से ऊपर उठकर हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी बात है!

माननीय अध्यक्षः चलिए, अब कन्क्लूड करिए सोमनाथ जी, प्लीज।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से इस बात को जाहिर करना चाह रहा था और अंततः कहना चाहता हूँ कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।' जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर के है तो माननीय केजरीवाल साहब को और पूरे मंत्री मंडल को इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ, तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इन कैमरों के लगने के बाद दिल्ली के अंदर जो वुमेन सिक्योरिटी और महिला सुरक्षा हो पाएगी, वो अद्वितीय होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे वक्त दिया।

माननीय अध्यक्षः श्री जगदीश प्रधान जी।

श्री जगदीश प्रधानः अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद कि आपने सीसीटीवी कैमरे के ऊपर चर्चा कराई। मैं सिर्फ दो बात कहना चाहता हूँ कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है और बहुत दुख हो रहा है कहते हुए, बड़ी पीड़ा के साथ कह रहा हूँ कि विपक्ष के चार साथी हैं, चार सदस्य हैं, किसी विधान सभा में भी एक भी कैमरा आज तक नहीं लगा है और मैं बड़े दुख के साथ आपको कहना चाहता हूँ..

...(व्यवधान)

श्री जगदीश प्रधानः नहीं, जो मैं कह रहा हूँ आपसे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई सोमनाथ जी, उनको कह लेने दीजिए।

श्री जगदीश प्रधानः सोमनाथ भारतीय जी,. आपके हाथ जोड़ने पड़ेंगे,

हमारे यहाँ भी कैमरे लगवा दो आप। मैं भी वही बात कहना चाह रहा हूँ।

माननीय अध्यक्षः भई सर्वे तो इनको करवाना है।

श्री जगदीश प्रधानः के मेरी विधान विधान सभा में जो टीम कैमरा लगाने आई, उसको ये कहा गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता। मुझे नाम लेते हुए शर्म आ रही है कि बहुत ही हाई लेवल के आदमी ने ये कहना कि मुस्तफाबाद विधान सभा में कैमरे नहीं लगाने हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपसे प्रार्थना है, मेरी आप यहाँ निर्देश दें कि इस तरह की दुर्भावना न रखी जाए। हर विधान सभा 70 की 70 में दिल्ली के लोग रहते हैं और सबमें वो लगने चाहिए। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी विपक्ष के साथी हैं, जितने सदस्य हैं, उन सबके यहाँ भी सीसीटीवी कैमरे टाइम से लगवाए जाएँ। मैं ये सच्चाई बता रहा हूँ। यहाँ कहा गया है, मेरी विधान सभा.. मैं नाम नहीं ले रहा हूँ कि नाम लेना उचित नहीं है।

माननीय अध्यक्षः चलिए हो जाएगा, धन्यवाद। प्रमिला जी, प्रमिला टोकस जी।

श्रीमती प्रमिला टोकसः धन्यवाद अध्यक्ष जी कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने शुरू किये और मुझे लगता है कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार माननीय मुख्य मंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल जी ने कितने महापुरूषों के जो सपने थे, उनको साकार किया है। सपने उन्होंने देखे और उनको पूरा हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया और ये अध्यक्ष जी खाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं है, आज हमारी दिल्ली में न कोई

बच्चा सुरक्षित है, न कोई महिला सुरक्षित है, न कोई बुजुर्ग सुरक्षित है, न कोई व्यापारी सुरक्षित है, न कोई दुकानदार सुरक्षित है, न कोई छात्र सुरक्षित है। तो ये सबकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये सीसीटीवी कैमरे सभी वर्गों के लिए हैं। सभी जातियों के लिए हैं और अध्यक्ष जी, जो सीसीटीवी कैमरे हैं जो पहले कोई इंसान अपने घर पर लगवाता था तो कहीं पर कुछ ऐसी वारदात होती थी तो पुलिस वाले जिस घर में सीसीटीवी कैमरा लगता था, उनको इतना परेशान करते थे, इतना परेशान करते थे कि सीसीटीवी कैमरा अपने घर पर लगाने के लिए अपनी सुरक्षा के लिए, वो भी डरते थे और आज ये जो हमारा सीसीटीवी कैमरा है, जो ये पूरी दिल्ली में लगे हैं, इसका जो पासवर्ड होगा, वो दिल्ली पुलिस के पास भी होगा ताकि जिस घर पर लगेगा या जो आरडब्लुए के पास उसका पासवर्ड होगा, उनको परेशान न करके वो खुद जो भी कुछ घटना घटेगी, वो खुद उस पर संज्ञान ले सकता है। अगर संज्ञान नहीं ले सकता है तो जो लोकल आरडब्लुए है, वो उनको बार–बार उस चीज के लिए अवगत कराएगी ताकि जो अब रवैया रहा, दिल्ली पुलिस का कि वो किसी भी चीज पर एक्शन नहीं लेती.. अभी मेरे भाई प्रवीण जी ने अभी 280 में जिक्र किया कि 50 मीटर पर पुलिस की चौकी थी और एक लड़की को जो 19 साल की थी, उसको मार दिया और पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। मुझे लगता है कि सीसीटीवी कैमरा लगने के बाद पूरी दिल्ली सुरक्षित होगी, अपराध मुक्त होगी और सुरक्षित दिल्ली बनेगी। और अध्यक्ष जी, इसमें पूरे एक महीने की रिकार्डिंग होगी जिसमें पुलिस वाले अपना बिल्कुल भी पल्ला नहीं झाड़ेंगे। बार–बार जो घटनाएँ होती हैं, इतनी चोरियां होती हैं।

अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र आर.के. पुरम क्षेत्र में दिन में चोरियां होती हैं। महिलाएँ डरती हैं अगर वो बच्चों को स्कूल लेने जाती हैं और जब घर

में आती हैं तो घर में चोरी हो जाती है। अगर मार्किट जाती हैं तो घर में चोरी हो जाती है। बेटी की शादी के लिए गहने वगैरह बनाए जाते हैं। उसको, जब तक वो मार्किट से आती हैं तब तक पूरा घर साफ हो जाता है और अध्यक्ष जी, जो चोरी हो जाता है, वो वापिस नहीं मिलता। चाहे उसमें गहने हों या कुछ भी चीज वो वापिस नहीं देता है।

अध्यक्ष जी, इतनी मुश्किल से महिलाएँ एक एक पैसा जोड़ के अपनी बेटी के लिए गहने बनवाती हैं और जब इस तरह की वारदात होती है तो बड़ा दुःख लगता है। उस माँ की पीड़ा शायद आप भी समझते होंगे क्योंकि जिस प्रकार से उसने पीड़ा अपनी हमें बताई तो हमें भी इतना दुःख हुआ लेकिन हम पुलिस के पास भी गए पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। जो भी उनकी ज्वैलरी चोरी हुई, कोई ज्वैलरी नहीं मिल। अध्यक्ष जी, जब किसी की गाड़ी चोरी होती है तो अपनी पचास इच्छाओं को मारकर अपनी गाड़ी की इच्छा को पूरी करता है। अगर गाड़ी चोरी हो गयी तो गाड़ी नहीं मिलेगी। अगर किसी के पास बाइक है, बाइक चोरी हो जाती है, अध्यक्ष जी, जो बाइक लेता है, वो भी अपनी और इच्छाओं को मारकर बाइक लेता है। उसकी बाइक नहीं मिलती। अध्यक्ष जी, जो भी एक बार चोरी हो जाती है, दोबारा वो चीज मिलती नहीं है। और जो पार्कों में जो महिलाएँ घूमने जाती थी, सुबह शाम जो वहाँ पर नशा बिकता था या नशा होता था, वहाँ पर या गलियों में, मोहल्लों में या मार्किट में, वो सब मुझे लगता है, इस सीसीटीवी कैमरे लगने से जो वो अपराध थे, वो कम होंगे। जो शरारती अवैध शराब बिकती थी, उन पर मुझे लगता है की जो दारू बिकती थी, उस पर भी कंट्रोल होगा।

अध्यक्ष जी, जो सीसीटीवी कैमरे माननीय मुख्य मंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने इतने... वैसे तो हमारे सारे ही मुद्दे थे, वे अहम थे पर

एक जो भी मुद्दा होता, वो अपने आप में और अहम बन जाता है जब हमारा दूसरा पहले वाला जो मुद्दा है, वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। तो उसके बाद वाला मुद्दा और अहम बन जाता है।

तो मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ भी देती हूँ कि दिल्ली को सुरक्षित करने के लिए हमारे माननीय प्रधान मंत्री तो स्वच्छ भारत की वो करते हैं, लेकिन असल में जो हमारे माननीय मुख्य मंत्री स्वच्छ दिल्ली की, सीसीटीवी कैमरा लगना एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

अध्यक्ष जी, इसमें अगर सीसीटीवी कैमरा एनवीआर में कुछ दिक्कत भी आती है तो अध्यक्ष जी, कैमरा दो दिन की रिकार्ड अपने आप कर लेता है और कैमरे को एनवीआर को कोई छेड़छाड़ करता है तो उसका जो मैसेज है, वो सभी आरडब्ल्युए के पास दिल्ली पुलिस के पास पीडब्ल्युडी के पास सबके पास मैसेज आएगा कि आपके कैमरे को कोई छेड़ रहा है। कोई शरारती तत्व उसके साथ कोई छेड़खानी कर रहा है।

माननीय माननीय अध्यक्षः आप कन्क्लूड करिये, कन्क्लूड करिये, प्लीज।

श्रीमती प्रमिला टोकसः अध्यक्ष जी, सीसीटीवी कैमरे खाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं है, पूरी दिल्लीवासियों के लिए सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है।

अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया और माननीय मुख्य मंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का और पूरी कैबिनेट का भी बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतना अहम मुद्दा सॉल्व किया, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः पंकज पुष्कर जी। बहुत संक्षेप में रखिये पंकज जी।

श्री पंकज पुष्करः मैं संक्षेप में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अभूतपूर्व अवसर पर अपने जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका एक बड़ा विशेष मैं पहलू समझ पा रहा हूँ कि नायक वो होता है, सेनापति वो होता है जो कि सीधा तरीका भी जानता हो और जो काम सीधे तरीके से नहीं हो, उसके उपाय भी जानता हो।

सीसीटीवी कैमरे का काम करवाना आसान नहीं था। ये सब में जिस तरीके से पूरे हिन्दुस्तान में एक उपनिवेशवाद से आया हुआ पुलिस का मॉडल है और ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, न्याय दिलवाने का काम है; यहाँ पर विदेशियों का राज्य रहा। काले अंग्रेज छोड़ गये वो, तो इसलिए जो न्याय देने की पूरी व्यवस्था गरीब और आम आदमी के बाहर रखी गयी। दिल्ली के अंदर दिक्कत ये थी कि पुलिस अपने हाथ में नहीं थी। दिल्ली के मुख्य मंत्री दिल्ली के दिलों पर राज करने वाले अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में सीधे पुलिस नहीं थी। सीधे न्याय देना उनके हाथ में नहीं था, लेकिन उसका तरीका निकाला।

माननीय महोदय, ये आने वाला वक्त बतायेगा कि ये कितना क्रॉंतिकारी काम सीसीटीवी के माध्यम से हुआ है। मैं पूरे सदन और पूरे दिल्लीवासियों से कहना चाहता हूँ कि आप कल्पना कीजिए सन 1984 के उन चार दिनों को याद कीजिए जब पूरे दिल्ली की सड़कों पर नरसंहार हो रहा था। सच्चे और बहादुर सिक्ख नौजवानों को मारा जा रहा था। माननीय महोदय, अगर उस समय या उससे पहले दिल्ली का मुख्य मंत्री कोई अरविंद केजरीवाल जैसे सच्चा आदमी होता तो वो नरसंहार करने की हिम्मत नहीं होती किसी गुंडों की और लुटेरों की। क्योंकि उनको पता होता कि उनको कोई देख रहा है। उनको पता होता कि ऊपर वाला देख रहा है। गोधरा में कांड हुआ। गुजरात में नरसंहार हुआ। किसी को ये ध्यान नहीं आया

कि कैसे आम आदमी को, कानून की रक्षा करने वाले को मजबूत किया जाये। सीसीटीवी लगाना छोटा मोटा काम नहीं है। ये आम आदमी को उसकी सुरक्षा को उसके हाथों में देने का क्रांतिकारी काम है।

माननीय महोदय, सीसीटीवी कैमरा यानी कि ऊपर वाला। गजब का काम किया हमारे मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कि ऊपर वाला और साधारण आदमी के बीच जो तार जोड़ने का काम किया केजरीवाल जी ने इस माध्यम से किया, माननीय महोदय, न केवल ये किया बल्कि ऊपर वाला देख रहा है और उस ऊपर वाले का पासवर्ड उसके हाथ में... सीधा तार जोड़ दिया कि कोई डर, कानून को तोड़ने वाले के मन में रहे कि उसको कोई देख रहा है और जिसको वो सता रहा है कभी उसके हाथ में वो सबूत हो सकता है, जो कि उसको सलाखों के पीछे पहुँचा सकता है। पुलिस को अपने हाथ पैर नहीं होते हुए भी पुलिस रिफॉर्म में बहुत बड़ा क्राँतिकारी काम करना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत बड़ा क्राँतिकारी काम करना और वो सबूत जो होगा, उसका भी लोकतंत्रीयकरण कर दिया, डेमोक्रेटाइजेशन, डिसेंट्रलाइज कर दिया कि वो एविडेंस भी रहेगा। एक हाथ में नहीं रहेगा, वो चार हाथों में रहेगा। वो आरडब्ल्युए के हाथ में भी रहेगा, वो पीडब्ल्युडी हैडक्वार्टर में भी रहेगा, वो पुलिस के हाथ में भी रहेगा और जिसके घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसके हाथ में भी रहेगा। बहुत जोरदार सलाम करने को मन करता है इसके शिल्पकार, हमारे आदरणीय सत्येन्द्र जैन जी को, सारे अधिकारियों को कि उन्होंने केजरीवाल जी की इस भावना को.. पूरा सदन इस बात को माने कि किस तरीके से दिल्ली को रास्ता दिखाने का काम किया है।

मैं केवल चंद शब्दों में आखिरी बात ये कि जब वो कनेक्शन टूटे ऊपर वाले से तुरंत मैसेज, तुरंत चिट्ठी कि ऊपर वाला देख रहा था, कल तक

देख रहा था आज नहीं। तुरंत चिट्ठी, तुरंत मैसेज अब तुरंत उसको सही करने का प्रावधान। तो महोदय, ये पूरा जो पुलिस रिफॉर्म का एक बहुत रुका हुआ एजेंडा है, अंग्रेजी राज्य की बनायी गयी पुलिस, अंग्रेजी राज्य का बनाया हुआ हुआ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसको लोकतंत्र के रास्ते पर बैठाने, बढ़ाने का एक.. क्रॉंतिकारी काम के शुरूआती कदम हैं। यकीनन पूरा काम अभी नहीं हुआ।

माननीय अध्यक्षः पुष्कर जी, कन्क्लूड करिये प्लीज।

श्री पंकज पुष्करः बस दो पंक्ति अध्यक्ष महोदय, मैं कहके मैं बैठ जाऊँगा कि हालत वो है, एक बार मुस्कुरा दीजिएगा कि कहा कि राबर्ट, ''इसको लिक्विड आक्सीजन में डूबो दो। लिक्विड इसको जीने नहीं देगा और आक्सीजन मरने नहीं देगा।''

तो वो अभी जब पूरी–पूरी तरह हाथ बनेंगे, लेकिन न्याय आम आदमी को मिलेगा। सीसीटीवी कैमरे से ये सुनिश्चित होगा। बहुत जोरदार सलाम सत्येन्द्र जैन जी को, बहुत जोरदार अभिवादन, क्रॉंतिकारी अभिवादन अपने माननीय मुख्य मंत्री... आने वाला इतिहास बतायेगा कि कितना बड़ा काम हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।

माननीय अध्यक्षः श्री अजय दत्त जी। अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी धन्यवाद, आज आपने मुझे इस गंभीर और रेव्युल्यूशनरी विषय पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी ये रेव्युल्यूशन...

...(व्यवधान)

श्री अजय दत्तः एनी वे, तो अध्यक्ष जी ये सबसे पहले तो मैं अरविंद केजरीवाल जी हमारे मुख्य मंत्री साहब और सत्येन्द्र जी हमारे मंत्री साहब

का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो भी आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा, वो सब पूरा किया और बहुत सारे ऐसे क्रॉंतिकारी काम किये जो मैनिफेस्टो में नहीं थे लेकिन वो भी पूरे किये। तो आम आदमी पार्टी एक ऐसी सरकार है, जो कहा, वो किया और ये जो कैमरे लगाये जा रहे हैं अध्यक्ष जी, उससे तीन बहुत महत्वपूर्ण विषय और इश्यूज जो सॉल्व हो रहे हैं। एक तो पुलिस जब भी क्राइम होता है, उसमें पुलिस 90 परसेंट कहती है कि मेरे पास सबूत नहीं है। तो आज पुलिस को सबूत एक जगह नहीं, चार जगह अवेलेबल हैं। पुलिस और कोर्ट सबूतों पर चलता है और वो सबूत अवेलेबल है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटना... अध्यक्ष जी, मैं एक छोटी सी तीन साल पहले मेरे ऑफिस के सामने एक बहुत गंभीर घटना घटी।

एक व्यक्ति का मर्डर हुआ मेरे आफिस के सामने और मेरे ऑफिस में जो कैमरे लगे हुए थे, वहाँ से डीवीआर निकालकर ले गये और उस व्यक्ति को सजा हो गयी। अम्बेडकर नगर ऐसी विधान सभा है, जहाँ बहुत क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। चाकू, छूरी, गोली चलना, ये तो आम बात है। जब से कैमरे लगने शुरू हुए, मैंने पुलिस से भी बात की और देखा कि वहाँ आज चोर–उच्चके जो बहुत ज्यादा गोलियाँ चलाना, चाकू निकालना, किसी की चैन छीनना ये रेट कम हुआ है और इसका रेशियो कम हुआ है। करप्शन रेट जो है, वो कम हुआ है और हमारी माताओं–बहनों को भी एक बहुत विश्वास के साथ आज ये लगता है कि अगर मैं कहीं निकल रही हूँ तो मुझे कैमरे देख रहे हैं और उन कैमरों के माध्यम से वो लोग जो पहले अपराध करके भाग जाते थे, उनको पकड़ने की प्रक्रिया है। तो उनके अंदर भी एक विश्वास पैदा हुआ है और मुझे इस बात का भी गर्व है कि हमारी सरकार ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मनीष जी आ गये,

मनीष सिसोदियो ने उप मुख्य मंत्री साहब ने स्कूलों के अंदर तक कैमरे लगा दिये हैं, जहाँ एक–एक बच्चे की निगरानी होती है और टीचर्स तक की निगरानी होती है कि कौन आया कौन गया, कौन पढ़ा रहा है और कौन पढ़ रहा है। तो दिल्ली के अंदर एक बहुत ही बड़ा आविष्कार हुआ है कैमरे के कारण बड़ा रेवुल्यूशनरी चेंज आया है। एंड मैं अपनी सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि दिल्ली.. मैं कई बार चाइना गया, साउथ कोरिया गया।

माननीय अध्यक्षः आप कंक्लूड करिए अजय दत्त जी, आप फिर...

श्री अजय दत्तः तो वहाँ जब गए तो पता चला कि एक व्यक्ति पर जहाँ से भी वो निकल रहा है 16 कैमरे उसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो दिल्ली भी एक ऐसी बहुत सुंदर सिटी बनने जा रहा है। जहाँ पर कोई भी व्यक्ति निकले तो कम से कम 15 कैमरे उस पर नजर रखें और हमारी सरकार का ये मानना है कि दिल्ली को विश्व का सबसे सुंदर शहर बनाना है। इस आशा के साथ दिल्ली सरकार मुख्य मंत्री साहब का धन्यवाद। जय हिन्द जय भारत।

माननीय अध्यक्षः श्री मनोज कुमार जी।

श्री मनोज कुमारः बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी जो इतने महत्वपूर्ण विशय पर चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर दिया।

मैं सबसे पहले दिल्ली के लाड़ले, चहेते मुख्य मंत्री साहब को धन्यवाद करता हूँ, सत्येन्द्र जैन साहब को धन्यवाद करता हूँ, उप मुख्य मंत्री साहब को धन्यवाद करता हूँ, पूरे मंत्रिमंडल को कि उन्होंने वो सपना दिल्ली में साकार करके दिखाया जो असंभव था। जिसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। आज जो चर्चा साढ़े चार साल बाद यहाँ पर हो रही है।

शायद आज से तीन–साढ़े तीन साल पहले ये धन्यवाद वाला सेशन हो गया होता। परन्तु जितनी भी अड़चने आईं जो माननीय मुख्य मंत्री साहब ने... वो कहते हैं कि हमने जो अपना चुनाव का घोषणा–पत्र लिखा, उसको हम गीता, बाईबल, कुरान से भी ज्यादा मानते हैं। आज वो साक्ष्य सामने आ गए, वो संभव हो गया और वो प्रूफ हुआ कि हमने वाकई में उसको गीता, कुरान समझा और अपने वो सारे वादे पूरे किए जो उसमें लिखकर जनता को दिए थे। सीसीटीवी कैमरे से ये तो निष्चित तौर पर अपराध में बहुत अंकुश लगेगा और मैं बड़ा खुश हुआ जब मेरी विधान सभा में कैमरे लगने का काम शुरू हुआ। क्योंकि मैं अपराध की वजह से बहुत पीड़ित भी हूँ क्योंकि मेरी विधान सभा जो है, वो बिल्कुल बॉर्डर की विधान सभा है। अभी पीछे यूपी के अंदर बहुत ज्यादा क्राइम जब बढ़ा तो एसएसपी ने पूरा नौएडा को टाइट किया तो वहाँ से कुछ न कुछ असामाजिक तत्व वहाँ से पैदल ही उस तरफ आ जाते हैं मेरी विधान सभा में। एक जगह तो ऐसी भी है मयूर विहार फेज–3 में जहाँ पर हमारी सीआरपीएफ का कैंप है और उसके बराबर में भांग का ठेका खोला गया है और उसका शटर जो खुलता है, वो दिल्ली के अंदर खुलता है। आए दिन रोज अपराध वहाँ पर बढ़ रहे थे। परन्तु अब जब से कैमरे लगने शुरू हुए हैं, तो कहीं न कहीं उन पर लगाम लगना शुरू हुआ। लोगों को ये भय तो हुआ है कि हाँ जी, मुझे कैमरा नोटिस कर रहा है या कैमरा मुझे देख रहा है। तो अपराध में वो कमी जो दिल्ली के अंदर आने वाली है.. भले ही पुलिस हमारे पास न हो, पर हम सीसीटीवी के माध्यम से दिल्ली में क्राइम रेट कम कर पायेंगे और हमारी बहन–बेटियाँ जो खुद को असुरक्षित महसूस करती थी, उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण कदम ये है कि अब सीसीटीवी कैमरे होने की वजह से वो ये डर नहीं होगा कि कौन हमारे साथ चेन स्नेचिंग करके भाग गया, कौन मोबाइल लेकर भाग गया।

अभी डेढ़ महीने पहले की घटना है मैं खुद न्यू कोंडली से निकला। तो कुछ महिलाएँ हैं जो बेचारे..

माननीय अध्यक्षः मनोज जी, कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री मनोज कुमारः बस कुछ एक मिनट का समय लूँगा अध्यक्ष जी, बस ये घटना के बाद मैं खत्म करता हूँ। वो महिला नौएडा से निकली पीछे से दो बाइक वाले आए और उससे मोबाइल छीना और भाग गए। मेरी कार मैं ही ड्राइव कर रहा था स्कॉर्पियो से, जब मैं उसके पीछे भागा। तो बिना हेलमेट के नौएडा मोड से वो रेड लाइट जंप करते हुए भाग गए। मैंने एसीपी को फोन किया, एसएचओ को फोन किया कि जी, आपने जहां–जहां नौएडा मोड़ पर कैमरे लगे हैं, उनकी मॉनिटरिंग आपके पास में है, सीसीटीवी कैमरे फुटेज निकालें और वो दोनों लड़के एक बाइक पर थे पल्सर पर बिना हेलमेट थे, छोटी उम्र के लड़के थे 17–18 साल के, तो आप करें। परन्तु डेढ़ महीना हो गया अध्यक्ष जी, दो बार बोल चुका हूँ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कम से कम हमारे जो कैमरे हैं, उनकी रिकार्डिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। पुलिस के पास होगी, आरडब्ल्यूएज के पास होगी, आईपी एड्रेस डालेंगे, वो अपने मोबाइल में देख पायेंगे। वाई–फाई कैमरे हैं। न नेट बंद होने का खतरा, न बिजली जाने का। कैमरे 24 बाई 7 चलेंगे जिससे दिल्ली सुरक्षित होगी और सुंदर भी बनेगी। बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया। जय हिन्द, जय भीम, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद–धन्यवाद। श्री रामचन्द्र जी ने बहुत दिनों बाद हाथ खड़ा किया है। उनको पाँच मिनट अलाऊ करते हैं, बहुत संक्षेप में, रामचन्द्र जी।

श्री रामचन्द्रः अध्यक्ष जी, आपने हम एक नाचीज विधायक को आज रामचन्द्र को मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करते हैं और प्रभु से दुआ करते हैं कि हे मालिक, आपकी इसी तरह से हमेषा ये कुर्सी सजी रहे बीसियों साल।

तो आज सिर्फ और सिर्फ चर्चा हो रही है सीसीटीवी कैमरों के लिए। तो मैं अपने सीएम साहब को, डिप्टी सीएम साहब को और सत्येन्द्र जैन साहब को और गोपाल राय जी को दिल से धन्यवाद करता हूँ। उस मालिक से, उस परमपिता से, उस माँ भवानी से दुआ करता हूँ कि हे प्रभु, इनको कोई हिला न पाए ताकि दिल्ली के लोगों को इस तरह से जो सुरक्षा दे रहे हैं। जब सीसीटीवी कैमरा की बात समझायी हमारे इन सीएम साहब ने और मंत्रियों ने तो उस समय पूरी दिल्ली के लिए वो पीड़ा इनके दिल में थी और वो पीड़ा सहन की है कि पूरे भारत के अंदर कभी किसी सीएम ने नहीं और किसी मंत्री ने इस तरह से पीड़ा सहन नहीं की। एक एलजी साहब के घर में जहाँ आदर और सम्मान को हमारे मंत्री और सीएम साहब का, पानी–चाय तक को नहीं पूछा। ऐसे समय में तो मैं ज्यादा न कहकर... ये दिल्ली के भाई–बहनों के लिए ये सब सहन कर रहे थे। उस मालिक ने इनकी बात सुनी और दिल्ली के अंदर वो सुरक्षा कर दी पूरी दिल्ली के लिए एक ऐसा सिपाही घर–घर के सामने बिठा दिया जो अच्छे–अच्छे की हवा निकल जाएगी, गलत काम करने की हिम्मत नहीं होगी। तो ज्यादा न कहकर मैं पुनः अपने सभी डिप्टी सीएम, सीएम साहब का और मंत्रियों का स्वागत करते हुए अपनी बात ज्यादा नहीं बढ़ायेंगे, जय हिन्द जय भारत।

माननीय अध्यक्षः श्री आदर्श शास्त्री जी। बहुत संक्षेप में, आदर्श जी।

श्री आदर्श शास्त्रीः बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी कि आपने इस अहम मुद्दे पर बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्षः नहीं जो एबसेंट है अपने समय पर, वो एबसेंट है।

श्री आदर्श शास्त्रीः सदन में ये जो सीसीटीवी कैमरा पर चर्चा हो रही है। सबसे पहले तो सदन की ओर से दिल्ली के हर नागरिक की ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, सत्येन्द्र जी का सभी का बहुत–बहुत धन्यवाद कि ऐतिहासिक कदम देश में अगर कहीं पहली बार उठाया जा रहा है तो दिल्ली में उठाया जा रहा है। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि पूरे देश में मैं पिछले दो दिन में थोड़ा–सा रिसर्च कर रहा था। पूरे देश में दिल्ली के अलावा अगर कुछ नंबर के कुछ कैमरा लगे हैं, तो वो बम्बई में लगे हैं और बम्बई में लगभग 10 हजार कैमरा केवल लगे हैं। और गर्व होता है ये कहते हुए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के माध्यम से कुछ ही चंद महीनों में लगभग तीन लाख कैमरा सीसीटीवी के यहाँ लग जायेंगे। ये बहुत बड़ी बात है दिल्ली देश की राजधानी भी है। यहाँ पर इस तरह का ये काम हो रहा है। मुझे याद है अध्यक्ष जी, 2015 के चुनाव से पहले जब चर्चा होती थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मनीश जी ने हम लोगों को जिम्मेदारी दी थी, घोषणा–पत्र बनाने की। उस समय अरविन्द जी का, मनीष जी का ये कहना था कि सीसीटीवी कैमरा दिल्ली के हर नागरिक के, माताओं के, बहनों के, बच्चों के, बेटियों की सुरक्षा का बहुत अहम मुद्दा है और इसको अहम दर्जा मिलना चाहिए। घोषणा–पत्र में जो हुआ और आज वो काम हम लोगों के बीच में हो रहा है। मैं मनीष जी को भी बहुत–बहुत धन्यवाद इस बात का देना चाहता हूँ कि एक तरफ सीसीटीवी कैमरा कालोनी में, गलियों में, मोहल्लों में लग रहा है और उससे घरों के बाहर की सुरक्षा महिलाओं की बेटियों की; कोई नौकरी करने जाता है, पढ़ाई करने जाता है, वो तो होगी ही, साथ में एक अपने दायरे से बाहर सोचने

वाली बात कि स्कूलों में भी जो हमारे बच्चे जब पढ़ते हैं, उन स्कूलों में बच्चों की भी निगरानी हो, उनकी भी सुरक्षा बनी रहे, उसके लिए जो एक हजार लगभग सरकारी स्कूल हैं, उसमें भी जो सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की बात है, उसका भी मैं बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत–बहुत बधाई देता हूँ कि माता–पिता जब अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। गाँव से कहीं से आए दिल्ली में आकर बसे अच्छे भविष्य की कामना करके तो साथ में उन्होने ये भी सोचा कि बच्चों को स्कूल में भेजेंगे, वहाँ पर उनका भी भविष्य अच्छा बनेगा तो स्कूलों का काम तो जैसे हो ही गया। साथ में उनकी निगरानी और उनकी सुरक्षा की बात भी सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से की जा रही है। साथ में सत्येन्द्र जैन जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि सीसीटीवी कैमरा की बहुत बात हम सब लोग करते हैं। मगर शायद सत्येन्द्र भाई ने इस बात का ध्यान रखा कि आधुनिक टैक्नोलोजी का उपयेाग करते हुए ये सीसीटीवी इस तरह के लगाए जा रहे है। कई बार आरडब्ल्युए वाले भी बोलते हैं कि भाई साहब, इसका रिकार्डिंग कहाँ है, क्या है? और लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती है जानकर कि ये लेटेस्ट टैक्नोलॉजी, दूरदर्शी सोच के साथ वाई–फाई के साथ इन्टिग्रेट करके इसमें डेटा कनैक्शन होने के साथ इस तरह की टैक्नोलोजी के माध्यम से ये कैमरे लगाए जा रहे हैं। ये सरकार की दूरअंदेशी और आगे की भविष्य की तैयारी को भी दिखाता है। हम लोगों के सामने सबके रखता है।

अंत में, मैं ये ही बताना चाहूँगा। एक छोटा सा उदाहरण है। डीसीपी साहब हमारे इलाके के द्वारका के जो हैं, उनका एक दिन मुझे फोन आया। उन्होंने मुझे बोला कि आदर्श जी, मैं कैमरा लगवाना चाहता हूँ। मैं पिछले दो साल से परेशान हूँ। एमपी फंड से कैमरा लगवाने की कोशिश की। उसमें 19 कैमरा लग पाये। हम लोगों ने दिल्ली पुलिस के माध्यम से कैमरा

लगवाये, उसमें 30 कैमरा लगवा पाये। क्या आप हम लोगों की मदद कर सकते है? उसके बाद हम लोगों ने उनसे लिस्ट ली और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये कैमरा लगवा दीजिए। उसी के अगले चरण में पन्द्रह दिन में, दस दिन पहले हमारी विधान सभा के एसएचओ का फोन आया तो मैने कहा एसएचओ साहब, आप आज कैसे याद कर रहे हैं? आप तो आम आदमी पार्टी के हमारे विधायकों को हम से बात करते नहीं हैं। हम ही लोग आपको फोन करते हैं। कहते हैं, ''सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी मजबूरी है। आप जानते हैं मेरे हाथ बंधे हैं। मगर आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ।'' मैने कहा, ''बताइए।'' कह रहे हैं कि आपकी सरकार, माननीय मुख्य मंत्री जी ये सब कैमरा लगवा रहे हैं। गलियों में लग रहा है, हर जगह लग रहा है। मेरा एक आपसे निवेदन है कि जहाँ पर भी क्राईम रेट ज्यादा है, उसकी सारी सूचना हमारे पास थाने में होती है। अगर अन–ऑफिशियली किसी तरह आप की साझेदारी हमारे साथ हो जाए और हम जो जगह आपको बताएँ, उन पर भी कैमरा लग जाए तो ये बहुत–बहुत महत्वपूर्ण काम होगा सुरक्षा बढ़ाने में। मैंने उस दिन एसएचओ को बोला कि सही मायने में आप अब मान गए कि किस तरह से माननीय मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सोच को आपने सलाम किया और उसी का नतीजा ये है कि आज इतना सब होने के बावजूद भी आप आम आदमी पार्टी की, अरविंद जी की सरकार के पास आ रहे हैं कि सुरक्षा के लिए हमें अपना काम करने के लिए दिल्ली सरकार से सहयोग की जरूरत है और हमारे यहाँ भी कैमरा लगाइये। ये सही मायने में अरविंद केजरीवाल जी की और इस सरकार की सोच को सलाम है। एक बार फिर बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, कि आपने मुझे अपनी बात करने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्षः सदन का समय आधा घण्टा बढ़ा लिया जाए।

श्री तोमर जी। बस तोमर जी, उसके बाद माननीय मंत्री जी। मैं आपकी जगह दो ले चुका हूँ।

श्री जितेन्द्र तोमरः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सीसीटीवी पर हो रही चर्चा में हिस्सा लेने का मौका दिया, इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। ये वाकई एक बहुत कॉन्तिकारी कदम है आम आदमी पार्टी सरकार का कि दिल्ली, पूरी की पूरी दिल्ली में चप्पे–चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे होंगे। लगने शुरू हो गए हैं। डेढ लाख कैमरे अभी लग रहे हैं। डेढ लाख का प्रोपेाजल तैयार है, वो भी साथ लगेंगे। साथ–साथ जो हमारे 1031 दिल्ली सरकार के स्कूल हैं, उनमें भी कई सवा लाख कैमरे लगाने का मनीष जी ने प्रोविजन कर दिया, वो भी लग रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी जरूरत थी। क्योंकि तेजी से यहाँ पर क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा था दिल्ली के अंदर। ये जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था ही हमारा कि महिला सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था हमारी सरकार का। हमारा एक वादा भी था लेकिन आज हम देखते हैं तो महिलाएँ बिल्कुल... महिलाएँ क्या पुरूष कोई भी मोबाइल फोन लेकर हम बात कर रहे हैं, सड़क पर कोई मोबाइल लेकर झपट कर भाग जाता है। बहन बेटियाँ हमारी बाहर निकल रही हैं, पार्क जा रही हैं, चैन स्नेचिंग हो जाती है। ये तमाम चीजों पर अंकुश लगाने के लिए आज बहुत जरूरत थी इस बात की कि हमारी दिल्ली के अंदर इतने सारे कैमरे लगें ताकि किसी क्रिमिनल की, किसी भी असमाजिक तत्व की किसी भी अपराधी की इतनी हिम्मत ना हो कि वो अपराध करने का प्रयास भी कर पाये। इस लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे मुख्य मंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी को हमारे उप मुख्य मंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी को, जिन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हालाँकि बहुत सारी हर्डल्स आईं, बहुत सारी अड़चनें आईं। बहुत कोशिश की हमारे जो हमारे विपक्षी दल हैं,

भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की। तीन साल तक हमारा कैमरा का जो प्रोजेक्ट है, वो लटका रहा। कभी किसी माध्यम से, कभी एलजी के माध्यम से कि लाईसेंस बनेगा, कभी फाइल दबाने के माध्यम से। लेकिन ये तो दो प्रोजेक्ट हमारे थे, ये बहुत परेशान करते हैं। हमारे जो विपक्षी दल हैं उसको। एक हमारा सीसीटीवी कैमरे का प्रोजेक्ट और एक हमारा मोहल्ला क्लीनिक का प्रोजेक्ट। ये बहुत परेशान करते है। इनको रात को नींद भी नहीं आती है कि साहब, ये प्रोजेक्ट लाने के बाद क्या कर दिया अरविंद केजरीवाल ने! तो तीन साल लग गए। हमको लगातार तीन साल साढे तीन साल लगे दिल्ली सरकार को तब जाकर हम लोग सफल हो पाए कि कैमरे लगने का मार्ग प्रशस्त हुआ और आज बहुत बधाई देना चाहता हूँ दिल्ली सरकार को मैं कि पूरी दिल्ली में कैमरे लगने शुरू हो गए हैं। कैमरे लगने से बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। महिला सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वो तो रहेगी ही। साथ–साथ पूरी दिल्ली सुरक्षित हो जाएगी। तमाम जो बाइक चोरी हो जाती है, बहुत सारे हर रोज सुनने को मिलता है। पुलिस तो रिपोर्ट लिखती भी नहीं है उसकी। तमाम पता लगता है दस–दस, पन्द्रह–पन्द्रह गाड़ियों की बैटरी इकट्ठी चोरी हो गई। सुबह जब हम उठते हैं तो किसी सोसाइटी से फोन आता है कि भाई साहब, आज बीस गाड़ियों की बैटरी चोरी हो गई। सुबह–सुबह फोन आता है भाई साहब, वो बहिन जी जा रही थी बाहर पार्क और वो चैन स्नैच हो गई। वो मेरा बेटा जा रहा था सड़क पर बात करते हुए फोन पर, फोन छीन कर भाग गया कोई। इन तमाम चीजों पर अंकुश लगेगा। और साथ–साथ जो एक चीज और बड़ी बात होने वाली है। हमारी जो विपक्षी पार्टियाँ है ना; कांग्रेस और बीजेपी। इनको बड़ी आदत है शराब बाँटने की। बहुत शराब बाँटते हैं इलैक्शन के अंदर। इस बार ये होने वाला है, जो कैमरे लगा दिये दिल्ली सरकार ने, उससे कम से कम शराब.. बंटनी तो

बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये होने वाला है। तो मनीष जी, मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपको, अरविंद जी को हमारे पीडब्ल्युडी मिनिस्टर साहब को जो अभी लगवा रहे हैं, कैमरे लगवाने का काम बड़ी तेजी से कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जो हम सेवेन्टी प्वाइंट एक प्रोग्राम लेकर हम लोग चले थे। ये सरकार ने बीडा उठाया था, ये घोषणा पत्र जारी किया था कि हम 70 काम करेंगे और मैं ये कहना चाहता हूँ, 69वाँ काम सीसीटीवी कैमरे का, 70 वाँ काम वाई–फाई का अभी सात हजार हॉट स्पॉट डिवाईसेज लग रहे हैं, उनके टेंडर होने जा रहे हैं। एक दो महीने में वो भी हो जाएगा। वो हमारे वादे में नहीं था भाई साहब। हमने 70 वादे किये थे उसमें बिजली हाफ करने की बात की थी। ये 71वां वादा है जो पूरा हुआ है। इसके लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए। 71वां वादा ये पूरा किया कि 200 यूनिट बिजली का बिल्कुल जीरो कर दिया। बिल माफ कर दिया। ये 71वां वादा था। 70 वादे तो पूरे किये। जितने वादे किये, सारे पूरे किये। एक फालतू भी करके दिखाया। इसका नाम है अरविंद केजरीवाल! जिनकी क्षमता की पूरी दुनिया कायल है। आज जिनका पूरा देश कायल है। और तमाम जो हमारे विपक्ष के नेतागण हैं। जो हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, वो केजरीवाल के नाम पर उनको नींद नहीं आती रात को। कहते हैं, 'कल पता नहीं क्या धमाका करने वाला है!' क्योंकि जिस तरीके का क्रॉन्तिकारी काम लगातार.. कभी कैमरे का हो गया, कभी मोहल्ला क्लीनिक का हो गया, कभी बिजली का हो गया, कभी पानी का हो गया। तमाम चीजें जो हर चीज जब नई चीज निकलती है तो इनको बड़ा दर्द होता है कि ये क्या हो गया। ये केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं। कल क्या करने वाले हैं। अभी कल की, परसों की बात है, एक कार्यक्रम था किसी बैंक्वेट हॉल में। वहाँ पर कई सारे नेता थे। बीजेपी के भी थे, कॉंग्रेस के भी थे, मैं भी था वहाँ पर। वहाँ चर्चा चल रही थी। लोग कह रहे थे,

''सर, अब क्या धमाका होने वाला है अगला?'' मैने कहा, ''वाई–फाई का तो हो गया, आने वाला है। कह रहे हैं, ''नहीं वाई–फाई का तो हमें तो लग गया है लेकिन अब अगला क्या धमाका होने वाला है? कुछ ना कुछ करेंगे जरूर अरविंद जी।'' मैंने कहा, अरविंद जो भी करते हैं, जनहित के लिए करते हैं, लोगों के हित के लिए करते हैं, दिल्ली के लोगों के हित के लिए करते हैं। और आप लोग अपने हित के लिए करते हो। आप जो कुछ करते हो वो करते हो कि हम कितना पैसा बना लें। और वो ये करते हैं कि हम कितना पैसा अपने लोगों में बांट दें। कितने लोगों को अपना फायदा दे दें।'' तो पुनः बहुत–बहुत बधाई, बहुत शुभ कामनाएँ। बहुत–बहुत धन्यवाद दिल्ली सरकार को, हमारे मुख्य मंत्री जी को, हमारे उप मुख्य मंत्री जी को, हमारे लोक निर्माण मंत्री जी को। इस बहुत सुन्दर कार्य के लिए बहुत–बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप अपने समय पर नहीं थे, क्या करूँ मैं। नहीं, प्लीज। बहुत हो गया, राजेश जी, प्लीज। माननीय सत्येन्द्र जैन जी, शहरी विकास मंत्री। या तो दो घंटे समय बढ़ा लो, मैं सब को समय दे दूँगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः चलिए राजेश गुप्ता जी। बोलिए–बोलिए, आप बोलिए। हाँ मैं कर रहा हूँ। दो मिनट रुक जाइए। चलिए भई संक्षेप में रखिए, राजेश जी।

श्री राजेश गुप्ताः अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से दिल्ली के मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्री और जो कैमरे लगाने के पीडब्ल्युडी के हमारे मंत्री सत्येन्द्र जैन जी, उनका बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि जैसा आदर्श

भाई ने कहा कि पूरी दुनिया में बात सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया में हर गली, हर कोन में अगर कैमरे लगाने की बात और छोटी छोटी बस्तियों में, झुग्गियों में कभी भी ये सोचा भी नहीं गया था कि वहाँ पर कभी कैमरे लग जायेंगे। झुग्गियों तक में भी कैमरे लग रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एकदम से रोकेंगे वो तो एक चीज है, लेकिन कभी–कभार बहुत छोटे बच्चे आपने देखा होगा, 12 साल के, 13 साल के, 14 साल के बच्चे को घुमा फिरा के किसी उनके दिमाग में डाल के उनसे चोरी कराई जाती है। लेकिन वो बच्चे जब आज उस कैमरे की वजह से अभी हमारे भाई अजेश यादव जी चले गए, उन्होंने एक स्टोरी बताई थी अभी परसों वो बता रहे थे कि उनके यहाँ पे क्योंकि सबसे पहले कैमरे लगे थे और उन्होंने उसको कैच किया जब कैमराज् के अंदर देखा गया तो गली के ही बच्चे निकले, जो वो चोरी कर रहे थे। उन बच्चों को बुलाया गया, पूरी पंचायत बैठी वहाँ पर गाँव में। तो ये हुआ कि इन बच्चों को समझाया जाए, इनके माँ–बाप को बताया जाए, ये तो अच्छे घर के बच्चे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कल का जो वो छोटा सा बच्चा, जो कल को एक बहुत बड़ा चोर या डाकू बन सकता था, उसको भी हम रोक रहे हैं। ये छोटी सी चीज जो हाथ के हाथ हम पकड़ रहे हैं, वो अलग है, लेकिन आने वाला जो समय है पाँच साल, 10 साल, 20 साल वाला, उसके अंदर भी बहुत बदल रही है।

तीसरी और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, वो ये कि हमारे एक साथी ने कहा कि 1984 में अगर कैमरे होते, उस टाइम तो शायद कैमरे नहीं थे, लेकिन 2002 में थोड़े से आ गए थे और मुजफ्फरनगर में सारे आ गए थे, कठुआ में शायद कैमरा होता तो कुछ और होता। तो मेरा यही

कहना है कि शायद आने वाले समय में जो बहुत खतरनाक चीजें कोई पार्टी जो इसकी एक्सपर्ट है, कर सकती है तो सारी चीजें इससे बहुत अच्छी तरीके से रुक सकती हैं। मैं इस दूरअंदेशी सोच को सलाम करता हूँ और अपने मुख्य मंत्री और मंत्री जी को बहुत—बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत—बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भावना जी, जल्दी करिए।

सुश्री भावना गौड़ः अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत शुक्रिया, आज तो बड़े वाला शुक्रिया आपके लिए सर।

कोई भी राजनैतिक दल जब चुनाव लड़ने के लिए जाता है तो स्वाभाविक तौर पे अपना घोषणा पत्र तैयार करता है। 2015 में आम आदमी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र तैयार किया जिसमें ये तय किया कि पूरी दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरा पूरी दिल्ली के अंदर लगाए जाएँगे।

अध्यक्ष महोदय, 21 जून, 2017 को दिल्ली सरकार की कैबिनेट से इस प्रस्ताव को पास किया गया। लोकतंत्र के द्वारा चुनी गयी सरकार में सीसीटीवी कैमरे को लेकर के किस तरह से उपद्रव मचाया गया; माननीय उपराज्यपाल जी की तरफ से और हमारे विपक्ष की तरफ से, उसको बताने की कत्तई कोई आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, महिला आयोग की अध्यक्ष माननीय स्वाति मालीवाल जी ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया कि दिल्ली के अंदर प्रत्येक दिन लगभग छः बच्चियों के साथ में बलात्कार होता है और कम से कम 500 शिकायतें उनके दफ्तर में दर्ज की जाती हैं जो केवल और केवल महिलाओं से संबंधित होती हैं और उनका स्वयं का

कहना है कि दिल्ली के प्रत्येक कोने के अंदर हमें सीसीटीवी कैमरा लगाने चाहिए और उसके अंदर महिलाओं से हमें बातचीत करनी चाहिए कि सीसीटीवी कैमराज् को कहाँ—कहाँ लगाया जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय अरविन्द जी ने भी कहा कि सीसीटीसी कैमरा अगर पूरी दिल्ली के अंदर लगेंगे तो लगभग 50 प्रतिशत क्राइम में कमी आएगी। अध्यक्ष महोदय, ये सीसीटीवी कैमरा पूरी दिल्ली के अंदर लगाना कोई शौक या दिखावे का विषय नहीं है, बल्कि पूरी दिल्ली को सुरक्षित करने का मामला है। हमारी सरकार ने आरडब्ल्युए, मार्केट ऐसोसिएशंस और महिलाओं से बातचीत करके उनके द्वारा जो सुझाव आएंगे, उन सुझावों पर आधारित नीति बनाई है। उनके उस नीति पर आधारित कैमरे पूरी दिल्ली के अंदर लगाए जाएँगे। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने ये साफ किया है के आरडब्ल्युए और आम लोगों की सहमति से ही कैमरों की लोकेशन फाइनल की जाएगी। अलग अलग इलाकों में आरडब्ल्युए की जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई जाएगी, इसके अलावा सभी नागरिकों को बुलाया जाएगा जिसमें विधायक, आरडब्ल्युए के पदाधिकारी, पीडब्ल्युडी के पदाधिकारी, भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि. के पदाधिकारी और लोकल थाने के प्रतिनिधि भी वहाँ पर मौजूद होंगे। आरडब्ल्युए सीसीटीवी कैमरे की लोकेशन को लेकर के विधायक से भी संपर्क कर सकती है और पीडब्ल्युडी के अधिकारियों से भी संपर्क कर सकती है और इसके बाद में वो जगह को वहाँ पर फाइनल किया जाएगा। बस, आधा मिनट तो रहता है सर, अभी। सीसीटीवी वीडियोज़ को देखने का अधिकार पाँच तरह के लोगों को प्राप्त होगा; आरडब्ल्युए के अधिकारी, स्थानीय पीडब्ल्युडी के अधिकारी, सीसीटीवी लगाने वाली कंपनी और लोकल पुलिस थाने के एसएचओ या पीडब्ल्युडी का कंट्रोल रूम। सीसीटीवी के नजदीक एक बॉक्स लगाया जायेगा। इस बॉक्स में डीवीआर, यूपीएस और वाईफाई मौजूद होगा। वाईफाई की मदद से मोबाइल पर सीसीटीवी की

लाइव फीड को देखा जा सकेगा, सीसीटीवी में पाच से छः यूनिट बिजली खर्च होगी। जिस मकान के बाहर सीसीटीवी लगाया जायेगा, उस मकान के बिजली के बिल से यह यूनिट घटा दी जाएगी, सीसीटीवी पर खर्च हुई बिजली का भुगतान स्वयं दिल्ली सरकार करेगी। साथ ही साथ दो महीने तक की सीसीटीवी फुटेज को स्टोर किया जा सकेगा। सीसीटीवी से छेड़छाड़ होने पर या उसके खराब होने पर सबको एसएमएस किया जाएगा। इसके रख—रखाव की जिम्मेवारी अगले पाँच साल तक कैमरा लगाने वाली कंपनी की होगी।। किसी खराबी की हालत में कैमरा लगाने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि. 24 घंटे के भीतर इसको ठीक करवाएगी और नहीं तो 500 रुपये प्रति कैमरा रोजाना पेनल्टी देगी। सीसीटीवी कैमरा में चार मेगापिक्सल का कैमरा लगेगा जिसे रात में भी देखना संभव होगा। मैं धन्यवाद दूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी का और साथ साथ में एक धन्यवाद माननीय उप मुख्य मंत्री जी के लिए भी बनता है जिन्होंने दिल्ली सरकार ने उनकी सहमति से लगभग 1028 स्कूलों में 597 करोड़ रुपये की लागत से लगभग डेढ लाख सीसीटीवी कैमरा लगाने का प्रावधान किया है। ये कैमरे प्रत्येक क्लासरूम में और स्कूल के मैदान में लगाए जाएंगे, फुटेज का 30 दिन का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा और इसके पीछे तर्क केवल यही है कि प्रत्येक अभिभावक इस बात को देख सके कि उसका बच्चा स्कूल में सुरक्षित है या नहीं। एक बार पुनः अपनी तरफ से, अपनी पूरी विधान सभा पालम विधान सभा की तरफ से और पूरी दिल्ली की तरफ से माननीय अरविन्द जी को, माननीय मनीष जी को और उनके पूरे केबिनेट को ये जो एक ऐतिहासिक, एक क्रॉन्तिकारी फैसला उन्होंने लिया है दिल्ली को सुरक्षित बनाने का, मुझे लगता है कि प्रत्येक लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार जो लोगों के द्वारा चुनकर के आई है, उन्हें सबसे पहले उनको सुरक्षित करना वहाँ के नागरिकों को उनका पहला धर्म है तो उस धर्म को हमारी

सरकार किस तरीके से पूरा कर रही है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँगी अपनी सरकार को।

माननीय अध्यक्षः श्री मदन लाल जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं अब नहीं, इसके लिए मैं मेज थपथपा रहा हूँ। आपने दो मिनट में पूरा कर दिया।

श्री मदन लालः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। सरकार ने इस बार आते ही सबसे पहला काम जो किया था, वो सीसीटीवी कैमरे लगाने की शुरूआत करने का। भले ही महीनों और साल लगे हों और मुझे उर्दू के एक शायर का एक शेर याद आता है,

गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में।
वो तिफ्ल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले।

तो ये सरकार रेगुलर सरकार नहीं थी। न पिछली वाली सरकार चाहे वो बीजेपी की रही हो, चाहे कॉंग्रेस की रही हो जो लगातार एक जैसे काम करके अपना समय काटती रही, इस सरकार ने ऐसा न करके उससे कहीं बढ़ के वो ऐसे काम किए जो पहले कभी किसी ने सोचे नहीं थे, किए नहीं थे। चाहे वो होम डिलीवरी का सवाल हो, चाहे वो बिजली और पानी का मसला हो, चाहे वो सीसीटीवी लगाने का सवाल हो। और सबसे ज्यादा आज जो 1 लाख 40 हजार कैमरे लगाने का काम इस सरकार ने किया है और उसको बढ़ा के अब 2 लाख 80 हजार कर दिया है, उससे न केवल सरकार का दावा कि इसके बाद लोग अपने आप को

सुरक्षित समझेंगे, अब लोगों ने भी जहाँ जहाँ कैमरे नहीं लगे हैं, वहाँ शिकायत करनी शुरू कर दी है कि हमारे यहाँ कैमरे लगाओ क्योंकि हमारा जीवन अभी सुरक्षित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, पीछे 22 तारीख को मुझे दिल्ली कमीशन फॉर वूमेन से एक चिट्ठी मिली। एक महिला ने शिकायत कर दी कि साहब मेरी गली में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं जिससे मेरी बेटी को, मुझे और मेरे परिवार को बहुत ज्यादा डर लगने लगा है। तो वो डर इसलिए लगने लगा है कि अब लोगों को लग रहा है कि जब कैमरे लग रहे हैं तो उनका जीवन और सुरक्षित होगा। उनको और ज्यादा सिक्योरिटी मिलेगी। और ये पहली बार मर्तबा हुआ है जब लोगों ने अपने आप से ये महसूस करके कि अब हम सुरक्षित होने लगेंगे, सीसीटीवी की बढ़–चढ़ कर माँग करनी शुरू कर दी है।

अध्यक्ष महोदय, पीछे दो महीना पहले डिफेंस कालोनी के अध्यक्ष राजेन्द्र मलिक का मुझे सुबह–सुबह टेलीफोन आया, ''भाई साहब, मेरी दुकान के आगे से मेरी गाड़ी चोरी हो गयी। वो डिफेंस कालोनी के प्रेजिडेंट भी हैं मार्किट एसोसिएशन के और थोड़ी देर बाद बोले पर भगवान का शुक्र है, वहाँ सीसीटीवी कैमरे जो हमने लगा रखे हैं, वो उसकी रेंज में है।'' मैंने बोला, ''अच्छी बात है। आप पुलिस को कंप्लेंट कर दो।''

अध्यक्ष महोदय, उन्होंने पुलिस को कम्पलेण्ट की और कोई तीन चार घंटे के बाद मुझे बड़ी मायूसी से कहा, ''अरे भाई साहब, वो तो सारे के सारे कैमरे सारे बंद पड़े हैं।'' तो ये फर्क था उस कैमरों में और इन कैमरों में जो ये सरकार लगा रही है, जो दिल्ली की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा रेपूटेड कंपनी; भेल कंपनी को, जो हमारी फौज को माल

सप्लाई करते हैं, उसको दिया है और न केवल वो कैमरे भेल कंपनी को दिये हैं बल्कि उसमें ऐसे प्रोविजन कराये हैं कि वो कैमरा न कभी बंद होगा और बंद होगा तो चार घंटे के भीतर भीतर वो नया रिप्लेस किया जायेगा उसके एक एलर्ट होगा और उसमें वो ऐसी खूबियाँ हैं जिससे अब किसी को ये चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो कैमरा बंद मिला, चोरी होने के बाद। इस सरकार को चाहे 14 मई 2018 को हमारे माननीय मुंख्यमंत्री जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सारे मिनिस्टर कैबिनेट और सारे एमएलए को उस चिलचिलाती धूप में चाहे मुख्य मंत्री जी के निवास से एलजी के घर तक जाना पड़ा हो, चाहे भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा, पर इस सरकार ने अपनी हिम्मत में कहीं कमी नहीं आने दी और अंतोगत्वा ये सिद्ध कर दिया अगर वो तिफ्ल नहीं जो घुटनों के बल चले, ये तिफ्ल नहीं है। ये हार नहीं मानने वाले हैं और चाहे भले कितनी ही मुसीबत आती हो, इन्होंने जो कहना है, वो करना है और जो करना है, वो कर के दिखा दिया है। आज पूरी दिल्ली में जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सर, मैं धन्यवाद करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ ऐसी सरकार को पर एक और प्रार्थना भी करना चाहता हूँ कि स्कूल के जो बच्चे सरकारी स्कूल की बसों में, प्राइवेट बसों में, प्राइवेट वेन्स में अपने घरों से बच्चे जो स्कूल जाते हैं, कभी कभी उनको चाहे वो रास्ते में हों, चाहे वो आते जाते हों, एक असुरक्षा की भावना बनी रहती है। मेरा निवेदन है सरकार से कि वो उन बच्चों को, उन माँ बाप की तकलीफों को ध्यान में रखते हुए जिस तरह वो पूरी की पूरी दिल्ली को सुरक्षित कर रहे हैं आज सीसीटीवी कैमरे से, उसी तरह इन वेन्स में और बसों में इस प्रोवीजन की भी शुरूआत करें। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय उप मुख्य मंत्री जी का शिक्षा मंत्री जी हैं... दिल्ली का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का पहला ऐसा स्कूल है; हेमूकलानी शहीद हेमूकलानी स्कूल

जहाँ 190 कैमरे लगा के उन्होंने वर्ल्ड में कीर्तिमान स्थापित किया है और वहाँ के हर कलास रूम की फोटो हर क्लास रूम को अब माँ– बाप अपने घर में बैठ के देख सकते हैं जिससे उनमें एक भावना पैदा हुई है कि बच्चे को कैसी पढ़ाई मिल रही है, बच्चे को कैसा माहौल मिल रहा है और बच्चा प्ले ग्राउण्ड में कहाँ घूम रहा है और अब बच्चे को भी एक अपने आप में एक समझ आ रही है कि उसे स्कूल में अगर पढने के लिए भेजा है तो उसे अपनी क्लास में अटेन्टिव रहना पड़ेगा। यहाँ स्कूल के टीचर्स को भी अटेन्टिव रहना पड़ेगा। मैं सैल्यूट करता हूँ उनकी सोच को कि उन्होंने न केवल दिल्ली की सरकारी स्कूलों में बल्कि हेमूकलानी शहीद हेमूकलानी स्कूल में जो पहल की है, जो सारी दुनिया में उदाहरण है। वहीं मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे घोषणा की है कि नवंबर 2019 तक सारे स्कूलों में ये पूरे सीसीटीवी कैमरे लगा दिये जायेंगे। मैं उससे बहुत ज्यादा धन्यवाद देता हूँ अपनी सरकार को सारे मिनिस्टर्स को और अपने साथियों को जो इसमें लगातार हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। मैं एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा अपनी सरकार से वो स्कूल के बच्चों का, उनके पेरेंटस का ध्यान रखते हुए स्कूल की बसों में और स्कूल की जो वैनस जा रही हैं उनमें सीसीटीवी कैमरे का प्रबंध जरूर करायें जिससे लोगों में और सुरक्षा की भावना पैदा होगी। आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्यू।

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री जी। श्री सत्येन्द्र जैन जी।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाये जा रहे हैं। पहली बात तो ये कैमरा लगाने की जो यात्रा रही, बहुत ही लंबी रही। साढ़े तीन साल लगभग हमें

लगे इसको स्टार्ट कराने में और सभी को याद भी होगा लगभग एक साल पहले मुख्य मंत्री जी, गोपालराय जी, मनीष जी और मैं हम चारों के चारों एलजी हाऊस में बैठे थे और मनीष जी को और मुझे सीसीटीवी कैमरा लगवाने के लिए अनशन करना पड़ा था। सीसीटीवी कैमरे न लगने देने का कारण समझ से बाहर हैं... मतलब क्या लाजिक थे वो, समझ से बाहर थे। एक ही बात कही जा रही थी कि भई लाइसेंस लो। सीसीटीवी कैमरे के लिए पूछा गया। भई, पूरे संसार में कहीं लाइसेंस होता है तो बता दीजियेगा। हिंदुस्तान में क्या पूरे संसार में जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कहीं पर भी उसका लाइसेंस नहीं होता कि आप पुलिस से जाकर लाइसेंस लो जी कि कैमरा लगाना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये सीसीटीवी कैमरे तो अब से पहले, काफी पहले लग चुके होते। अगर इसके अंदर अड़ंगे न अड़ाये जाते। दिक्कतें वहीं हैं जो हमारे सारे साथियों ने बताई कुछ पोजीटिव भी हैं, कुछ नेगिटिव भी हैं। अब देखो, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के अंदर पैसा बांटना होता है, शराब बांटनी होती है तो उनको लगता है, आम आदमी पार्टी वाले ऐसा तो कुछ काम करते नहीं। तो उनको सीसीटीवी लगने से कोई दिक्कत है नहीं, बाकी पॉलिटीकल पार्टी को इससे बहुत सारी तकलीफ है कि अगर कैमरे में आ गये तो लोग देखेंगे। दूसरा, उससे भी बड़ी तकलीफ ये है कि हमने जो कैमरे सेलेक्ट किए, जो लगाए, वो उस तरह के कैमरे नहीं है कि एक तार काट दी तो सारे कैमरे बंद। कई जगह आरडब्लयूएस ने कैमरे लगाए; बीस–बीस, पचास– पचास कैमरे लगाये। तो चोर आते हैं, कुछ भी करना हो तो एक तार काट देते हैं, सारे कैमरे गुल हो गए, काम खत्म हो गया। बिजली चली गयी तो कैमरा काम नहीं कर रहा होता है या बिजली की तार काट दो या वैसे कैमरे की तार काट दो तो काम बंद हो जाता है। लेटेस्ट टैक्नोलोजी के कैमरे लगाये जा रहे हैं; फोर जीबी एचडी कैमरा है, वाई फाई एनेब्लड है।

जब भी वाई फाई स्टार्ट होगा, वाई फाई से काम हो सकता है और वायरलैस है, इसमें कोई तार नहीं है। एक चीज और भी है जैसे एक सोसाइटी में 50 कैमरे लगे या 40 कैमरे लगे, कोई आदमी वैनडलिज्म भी अगर करेगा तो ज्यादा से ज्यादा एक कैमरा तोड़ लेगा तो बाकी जो 49 हैं, वो काम कर रहे हैं। उसको एक आदमी कई कैमरों में अलग अलग जगह कैद हो सकता है, इस बात का ध्यान रखा गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई भी कैमरा किसी भी वजह से बंद होता है, काम करना बंद कर देता है तो इमीडेटली चार जगह उसका एसएमएस से पता लगेगा कि भई कैमरा बंद हो गया है या कैमरे के साथ कोई छेड़खानी की जा रही है। पुलिस के पास जो आरडब्ल्यु है, उसके पास पीडब्ल्युडी के कंट्रोल रूम में और जो कंपनी मेन्टेन कर रही है, उस कंपनी को तुरंत पता लगेगा कि भई कैमरे के साथ छेड़छाड़ की है। अक्सर ऐसा होता है। बहुत सी जगह कैमरे लगे होते हैं। जब कोई वारदात हो जाती है तो कैमरों में देखो, तो कहेंगे, ''कैमरा तो काम ही नहीं कर रहा था।'' ''कब से नहीं कर रहा था?'' कहते हैं, ''कई महीनों से काम नहीं कर रहा था।'' तो ये लेटेस्ट टैक्नोलॉजी लेकर आई है कि कभी भी कैमरा बंद होगा तो तुरंत पता लगेगा और पाँच साल की, एक साल की नहीं, पांच साल की मेन्टेनेन्स इन्क्लूड है और पाँच साल के साथ इसके साथ—साथ दिल्ली सरकार जो जिनके घर पर कैमरा लगेगा, बिजली का बिल दिल्ली सरकार देगी पूरा का पूरा। तो सदस्यों को मैं क्लीयर कर देता हूँ, एक कैमरे की जो इनडीविजुअल कैमरे की जो खपत है लगभग छः यूनिट आती है और एक बाक्स की लगभग बीस यूनिट आती है। मेक्सिमम बता रहे हैं हम लोग। तो एक बाक्स और चार कैमरे तो 44 यूनिटस बनती है तो हमने 50 यूनिटस का फैसला किया है कि एक दो यूनिट ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो 50 यूनिट का आपको डिसकाऊंट मिलेगा जो भी जिस

घर पर वो कैमरा लगेगा। कैमरे दो लगें, चार लगें, तीन लगें उसके हम हिसाब नहीं लगा रहे हैं। मैक्सिमम के हिसाब से हमने ये हिसाब लगा लिया है कि 50 यूनिटस सबको डिसकाऊंट मिलेगा तो वो उसको पैसा जो स्लैब है, बिलिंग का स्लैब है, उसको भी फर्क नहीं पड़ेगा जो सब्सिडी है, वो भी मिलती रहेगी। उसको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। दो, चार, पाँच, दस बीस यूनिट का बेनिफिट ही होगा। तो कैमरा जो लगाएँगे, उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, मैं ये आपको क्लीयर करना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ।

इसी तरह से जो रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिग एक महीने की रिकॉर्डिग उसके अंदर रहेगी, पूरे एक महीने की और एक महीने की रिकॉर्डिग भी एचडी क्वालिटी की, फोर जीबी की, फोर जीबी की एचडी क्वालिटी की रिकॉर्डिंग है। अगर उसकी क्वालिटी को थोड़ा रेडयूस कर दिया जाये, नार्मल कर दिया जाये तो वो दो–तीन महीने की भी रह सकती है। तो हमने हाइएस्ट क्वालिटी की रिकॉर्डिंग को... आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं; लगभग 50 मीटर दूर से आप किसी का चेहरा पहचान सकते हैं। गाड़ी का नंबर पढ़ सकते हैं। इतनी क्वालिटी अच्छी होगी उसकी। तो ये हमने कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय, कैमरे जो हैं, एक लाख 40 हजार लगने स्टार्ट हो चुके हैं और मैं सदन को बताना चाहूँगा कि जो दूसरा हमने एक लाख 40 हजार के लिए काम स्टार्ट किया है, उसका भी टेण्डर आज अपलोड कर दिया गया है। आज वो टेण्डर भी हो गया है। आशा है, देखियेगा, पूरे देश में या संसार में कैमरे जगह–जगह लगे हैं। हिंदुस्तान में तो इतने नंबर कि खैर, बात ही नहीं उठती है। पर मैं सदन को बताना चाहूँगा, पूरे संसार में किसी भी शहर के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर, किसी

भी बड़े शहर के अंदर, किसी भी सरकार ने अपने फंड से इतने बड़े स्केल पर कैमरे आज तक नहीं लगाये हैं। दो लाख 80 हजार कैमरे जो लग रहे हैं, ये हिंदुस्तान में पहली बार ही नहीं है, संसार में पहली बारी लग रहे हैं इतने बड़े स्केल के ऊपर। लंदन की बात बार–बार की जाती है कि लंदन के अंदर बहुत कैमरे लगे हैं। लंदन के अंदर सरकारी कैमरे बहुत कम हैं जो सरकार ने लगाये हैं और सरकार ने जो लगाये, वो सालों में लगाये, एक दिन में नहीं लगाये, दसियों साल में लगे। हम सारे के सारे कैमरे एक साल में लगा रहे हैं। दो लाख 80 हजार कैमरे लगा रहे हैं, पहली बात।

दूसरी बात, लंदन में जो कैमरे लगे, उन्होंने एक लॉ बनाया कि भई सबके लिए कम्पलसरी कर दिया कि जो भी हैं, खुद लगाओगे तो बहुत सारे एस्टेबलिशमेंट को उन्होंने कम्पलसरी कर दिया कि आप लगायेंगे और वो प्राइवेट कैमरों को जोड़ के कहते हैं। जब दिल्ली के अंदर दो लाख 80 हजार सरकारी कैमरे लग जायेंगे तो बहुत सारे लोग कुछ अपने भी लगा लेंगे और हो सकता है कि दिल्ली देश में ही नहीं, संसार के अंदर सीसीटीवी सर्विलांस का नंबर वन हो जाये और जो हमारा जो सिस्टम लगाया है वाई– फाई अनेबल्ड है। जब कभी भी सैंट्रलाइज सर्विलेंस हम करना चाहेंगे, जैसे–जैसे वाई–फाई नेटवर्क बढता जायेगा, पुलिस चाहेगी तो जिस मर्जी कैमरे को वो सैंट्रल कंट्रोल रूम में वो देख सकती है। तो ये फैसिलिटी हम उसके अंदर लेके चल रहे हैं। आने वाले कई सालों तक इस टैक्नोलोजी से काम किया जा सकता है और जो लेटेस्ट टैक्नोलॉजी कोई और भी आयेगी, इससे इंटीग्रेट किया जा सकता है। हम ये कैमरे के अंदर प्रोविजन रखकर चल रहे हैं कि कोई और नयी टैक्नोलॉजी आ जाती है तो उसको भी यूज कर सकेंगे। और मैं पूरे सदन को विश्वास

दिलाना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द सभी कैमरों को जल्द से जल्द लगाया जायेगा।

एक चीज का मैं और विपक्ष में भी आज तो कम से कम उन्होंने कहा कि कैमरे लग रहे हैं, अच्छी बात है। पहली बारी कहा उन्होंने, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद दूँगा। और पूरी दिल्ली में कैमरे लगाये जायेंगे। हाँ, ये बात अलग है, कहीं पे पहले थोड़ा पहले लग रहे हैं, कहीं पे थोड़ा बाद में लग रहे हैं। सब जगह लगाए जाएँगे, धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः माननीय उप मुख्य मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी।

माननीय उप मुख्य मंत्री (श्री मनीष सिसोदिया): अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज सदन ने सरकार की सबसे महत्वपूर्ण और दिल्ली की सबसे महत्वाकांक्षी योजना पर अपने विचार भी रखे। माननीय सदस्यों ने, पक्ष–विपक्ष ने सबने और सभी ने बहुत इत्मिनान से इसकी तारीफ भी की कि सुकून का एक काम हो रहा है। दिल्ली में नागरिकों की तरफ से... क्योंकि यहाँ इतने लोग बैठे हैं; पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो सभी एक तरह से पब्लिक के सेंस आफ दा सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम कानून की दृष्टि से देखें तो मतलब ये जो कैमरे हैं, ये महिला सुरक्षा के प्वाइंट आफ व्यू से लगाये जा रहे हैं। दिल्ली में लॉ ऐण्ड ऑर्डर – कानून व्यवस्था की दृष्टि से लगाये जा रहे हैं। अगर कानूनों की दृष्टि से देखें तो सीआरपीसी, सीआईपीसी सब पढ़ लीजिए, बहुत सारे कानून हैं, उन कानूनों को देख के लगता है हमारे शहर में तो महिलाएँ बहुत सुरक्षित होंगी। पर जमीनी हकीकत इसके उल्टे है। इसीलिए यह कहा जाता है कि कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। खाली उसका पालन होना बहुत जरूरी है। और कानून के पालन होने के लिए

सबसे जरूरी है कि जो लोग कानून तोड़ें, उन पर नजर रखी जाये और उनके मन में एक डर पैदा किया जाये कि कानून तोड़ोगे तो पकड़े जा सकते हो। कानून तोड़ोगे तो सजा मिलेगी... सजा मिल सकती है। ये डर उनके मन में बैठाना बहुत जरूरी है और ये सीसीटीवी कैमरे सिर्फ महिला सुरक्षा के संदर्भ में नहीं दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर में उसको एस्टेबलिश करने में जो अपराधी हैं, किसी भी तरह का अपराध करते हैं उनके मन में डर पैदा करने में काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं हैं। इस चुनी हुई सरकार के हाथ में नहीं होता है। लेकिन एक विजन है इसके पीछे और इसमें मैं आज कहूँगा कि आज जितनी तारीफ यहाँ सरकार की हो रही है, उतनी ही तारीफ विधायकों की भी होनी चाहिए या उतना क्रेडिट इसको जाता है विधायकों को कि जब ये फाइलों में और ब्यूरोक्रेसी में और तानाशाही में अटका हुआ था प्रोजेक्ट तो जाके विधायकों ने एलजी साहब के यहाँ धरना दिया था। शायद दिल्ली का तो ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जहाँ विधायकों ने एलजी साहब के यहाँ धरना दिया और प्रोजेक्ट पास कराके लेके आये वहाँ से और ये उस समय की बात है जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का कांस्टीट्यूशन बैंच का फैसला नहीं आया था। तो उस वक्त वहाँ से फाइलें क्लीयर हुई। उसके बाद जो भी डिसिजन लिए गये, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद फाइलें वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ी और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास वो बहुत सारे अधिकार आ गये जिनकी वजह से ये फैसले तुरंत लिए जा सके। तो आज मैं कह सकता हूँ कि एक–एक विधायक जब ये प्रोजेक्ट इंपलीमेंट हो रहा है तो इसलिए... क्योंकि कुछ लोगों ने सोचा.. आदर्श जी अभी जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से उस दौरान जब मेनिफेस्टो बन रहा था, इस पिछले चुनाव में, उस दौरान भी सीसीटीवी की बात होती

थी। हमारे कई साथी बार–बार उसका जिक्र करते रहते थे कि कैसे इसको लाया जाये। फिर जब अटक गया प्रोजेक्ट तो सबने मेहनत की। तो सबका अलग–अलग तरीके से योगदान है और इसलिए आज मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे पिक्चर चलती रहती हैं किसी के मौहल्ले में भी किसी भी विधान सभा में सीसीटीवी लगता है तो सब लोग ऐसे सैलीब्रेट कर रहे होते हैं जैसे बीस साल पहले किसी के घर में फोन आता था तो सैलीब्रेट करते थे। नहीं... वो खुशी मैं विधायकों के चेहरों पे, उनके फोटोग्राफ में वहाँ की जनता पे देखता हूँ, जनता के चेहरों पर कि वो उसी तरह का उत्सव का माहौल होता है, जैसे पहले होता था ना, बीस–पच्चीस साल पहले किसी के घर में एमटीएलएल का फोन आ जाता था लोग सैलीब्रेट करते थे, ''बधाई हो, आपके यहाँ फोन आ गया।'' तो आज ये हो रहा है, ''बधाई हो भई, आपके यहाँ सीसीटीवी आ गया।'' तो वो सेलिब्रेशन मैं जनता के अंदर देख रहा हूँ। आज बहुत जरूरी चीज थी इसकी वजह से जैसा सत्येन्द्र जी ने बताया बहुत हाइटेक बहुत कंपैटिबल टू न्यू और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कैमरा सैटअप निकल के आ रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो कैमरे लग रहे हैं। ढाई लाख, दो लाख 80 हजार कैमरे सड़कों पे लग रहे हैं, गलियों में और स्कूलों में लग रहे हैं। स्कूल के क्लास रूम में अंदर तक कैमरे लग रहे हैं। बड़े इंट्रेस्टिंग एग्ज़ापल्स आ रहे हैं। कई विधायक साथियों ने भी दिये। मैं भी अखबार में पढ़ रहा था। पीछे एक बड़े नेशनल डेली में हिन्दुस्तान टाइम्स में शायद रिपोर्ट भी हुआ कि कार चोरी हुई तो जो सीसीटीवी कैमरे लगाये गये, उनकी मदद से पुलिस ने और वहाँ के लोगों ने जिसकी कार चोरी हुई, उसने उसको ट्रेल करके और उस कार को जब्त करवाने में वापिस हासिल करवाने में सीसीटीवी की फुटेज ने बड़ी मदद की।

मैं अपनी विधान सभा का उदाहरण दे सकता हूँ कि वहाँ एक जिस चौक पे सबसे पहला सीसीटीवी कैमरा लगा और वहाँ उसके बाद 8–10 कैमरे और उन गलियों में लग गये। तो मैं वहाँ ऐसे ही घूमने गया मैंने पूछा भई क्या फायदा हुआ, कुछ फर्क पड़ रहा है? तो वहाँ एक लड़की ने बोला जो आफिस वगैरह जाती है शायद, उसने आगे आ के बोला कि भइया, सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि जब मैं बस में पकड़ती थी ना वहाँ, तो बीच में चौक पे लड़के खड़े रहते थे। सिगरेट पीते होंगे, कुछ करते होंगे। आजकल वो नहीं खड़े होते सीसीटीवी से। हाँ, तो वो जो लफंगई होती थी नुक्कड़ों की, वो एक तरह से बंद हो गयी। एक लड़की बता रही है... वहाँ के एक मौहल्ले की काम करने वाली लड़की बता रही है। मैंने और लोगों से भी पूछा, अलग–अलग विधान सभा में भी जाता हूँ। बाकी सबसे भी फीडबैक मिलता है। अपनी विधान सभा में पूछता हूँ। किसी ने मुझे बताया कि जी, वो अब दिल्ली है हर तरह के लोगों का जीवन है। झुग्गियों में सीसीटीवी का जिक्र किया। झुग्गियों में से मुझे किसी ने बताया कि झुग्गियों में सीसीटीवी लगने का फायदा ये हो रहा है ना, वहाँ से साइकिल चोरी हो जाती थी। तो अब साइकिल चोरी नहीं हो रही। वहाँ लोग 20 हजार, 10 हजार कमाने वाला आदमी वो अगर 2–3 हजार की साइकिल लेके अपना जीवन चला रहा है, उसकी अगर साइकिल चोरी हो गयी तो उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा नुकसान है। वो कहाँ से दूर... सीसीटीवी उसको मदद कर रहा है। उसके अंदर एक रात को जब वो सोता होगा तो अब थोड़ा चैन की नींद सोता होगा कि मेरी साइकिल चोरी नहीं होगी। बहुत लड़के बताते हैं, मौहल्ले के कि जी, पेट्रोल चोरी हो जाता था। हम सोच नहीं सकते... मैं बड़े–बड़े क्राइम की बात नहीं कर रहा हूँ। पेट्रोल चोरी हो जाता था। जी, बाइक नीचे खड़ी

करनी पड़ती है, तीसरी मंजिल पे जाके लड़का रहता है किराये पे, कहीं नौकरी कर रहा है आईटीओ पे कहीं, नेहरू प्लेस में कहीं, क्नॉट प्लेस में। अब वो सुकून से सोता है रात को कि नीचे मेरी बाइक खड़ी है, उसमें से पेट्रोल चोरी नहीं होगा।

ये फर्स्ट हैण्ड रिपोर्ट है जो लोग दे रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम ऐसा सोच रहे हैं। ये ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं जो जनता की बीच से निकल के आ रहे हैं। क्योंकि पार्किंग है नहीं इलाकों में। अब पार्किंग नहीं है तो लोग सोचते हैं, 'भई कहाँ.. सड़क पे ही गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये हकीकत है यहाँ। कानूनी मानें, गैर–कानूनी मानें, गाड़ियाँ तो खड़ी हैं।

तो इस चेन स्नेचिंग का किसी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, यहाँ पे जिक्र किया। अजेश जी ने जो उदाहरण बताया, मैं उसको ठीक से अगर समझाऊँ तो किसी आदमी का मोबाइल गिर गया और जैसे ही वो गिरा, आगे गया तो दो लड़कों ने उठा लिया। अब उसने जाके देखा होगा 'भई, मेरा मोबाइल गिर गया। बाइक पे मैं जा रहा था।' वो वापिस आया। मोबाइल तो अब गिर गया बाइक से गिर गया। तो उसने सीसीटीवी... उसको पता था कि यहाँ सीसीटीवी लगे हैं। उसने सीसीटीवी फुटेज निकलवायी, खंगाली तो पता चला दो लड़कों ने उठाया। अब वो दो लड़के भी आसपास के ही मौहल्ले के होंगे, गाँव का मामला था पहचान लिये। उन दो लड़कों के पास पहुँच गये भई तुमने मोबाइल उठाया। अब सीसीटीवी में दिख रहे थे, कैसे कहते, ''नहीं जी, मैंने नहीं उठाया।'' ''बताओ बेटा, कहाँ है।'' ''अब बताओ बेटा कहाँ.?'' उनसे पूछा , समाज ने ही पूछा। समाज इकठ्ठा था। बोले ''जी, हमने तो वहाँ फलाँ दुकान पे बेच दिया।'' अब बेच दिया तो वहाँ पहुँच गये। उनसे वो पैसे वापिस करवाये तुरंत आधा घंटे के अंदर–अंदर। कहाँ कोर्ट कचहरी, कहाँ अदालतें.. सब वहीं जस्टिस हो गया।

इसे जस्टिस कहते हैं। ये जस्टिस है। फैसला करने की जरूरत नहीं है इसमें। इसमें कानून में सीएसआई, सीआरपीसी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। समाज खड़ा हुआ उन्होंने कहा, ''बेटा, वो कहाँ बेचा?'' ''वहाँ बेचा जी।'' हो गया, मोबाइल। मिल गया उसका मोबाइल। मोबाइल मिलना, समाज ने भी कहा भई देखो लड़कों को मोबाइल मिला था पड़े हुए, इनकी कोई ज्यादा गलती नहीं है। वरना ये आगे भड़क के वो हो जायेंगे। उसको भी रोक दिया। तो लड़कों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस तरह की बहुत... पुलिस वाले खुश हैं। अभी आदर्श जी ने बताया। जहाँ भी सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। मैं कई जगह गया सीसीटीवी कैमरे लगने के शुरूआत में। वहाँ कोई न कोई पुलिस वाला होता ही है। वो सबसे आ के पहले कहता है, ''भाई साहब, ये काम आपने हमारे लिए बड़ा अच्छा कर दिया। हैं।'' मतलब इतने पॉजीटिव उनके चेहरे पर है। हाँ, कम से कम 10 जगह तो मैं अपनी विधान सभा में अलग–अलग जगह जा चुका हूँ जहाँ सीसीटीवी लग रहे हैं। हर जगह कोई न कोई पुलिस वाला होता ही है वहाँ। क्योंकि पब्लिक गैदरिंग होती है। वो पुलिस वाला कहीं न कहीं कान में ये जरूर कहता है, भाई साहब ये काम सर, आपने बहुत अच्छा करवा दिया।''

...(व्यवधान)

माननीय उप मुख्य मंत्रीः हाँ, हाँ तो वो स्पॉट बता रहे हैं कि डार्क स्पॉट कहाँ–कहाँ हैं तो पुलिस बहुत खुश है।

एक बड़ा इंटरेस्टिंग... हमारे यहाँ पांडव नगर में हमारी विधान सभा में इलाका है, अभी जन्माष्टमी थी। तो हमारे यहाँ एक सीसीटीवी लगा है मंदिर के सामने... जहाँ भी जनता ने लगवाये। तो वो मंदिर की जो समिति है, उनके सदस्य का मेरे पास वटसअप आया, मैं उसको अभी पढ़ रहा था।

उसने लिखा है, सर, पहले बोला मैं इतने दिन से यहाँ जन्माष्टमी पे और और समय पे पूजा पाठ होता रहता है। अब क्योंकि सीसीटीवी लग गया है मंदिर के सामने और मंदिर के अंदर भी जहाँ चप्पलें वगैरह उतारी जाती हैं। बोला पहली बार ऐसी जन्माष्टमी आई है जिसमें चप्पल चोरी की शिकायत नहीं आयी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिसको हम बहुत यहाँ बड़े–बड़े एसी कमरों में बैठके अपनी सेफ ज़ोन में बैठे हुए लोग सोच समझ नहीं सकते हैं; सरकार में बैठे हुए लोग, अफसर, नेता, मंत्री सबकी समझ. .. अच्छा हो रहा है लेकिन फिर भी जब तक जनता के बीच में नहीं जाओ, समझ में नहीं आता। और जब अब आप कानून बनाते रहिये, कहते रहिये हमारे पास में इतनी मोटी किताब आईपीसी की है, उससे मोटी किताब सीआरपीसी की है। उससे बड़ी संख्या में हमारे पास जज हैं। उससे बड़ी संख्या में हमारे पास अदालत है। उससे बड़ी संख्या में कहीं वकील है। आदमी के घर में चप्पल चोरी से रोना पड़ रहा है और सारे मिल के उसकी चप्पल चोरी जन्माष्टमी के दिन नहीं रोक पाये, एक सीसीटीवी ने रोक दिया। मतलब वो आयोजन समिति का आदमी मुझे कह रहा है कि मंदिर समिति का, संचालन समिति का, तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं।

स्कूलों में मैं गया तो स्कूलों में जब सीसीटीवी लगवाये तो हमने बच्चों से पूछा कि भई क्या फायदा हो रहा है तो मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था। एक बच्चे ने मुझे बताया। मैं तो गया, वहाँ जाके कई बार उलटा पूछता हूँ कि यार, ये सीसीटीवी लगवा दिए हैं। यहाँ पर सरकार ने मुझे बताया, बच्चों ने बन्द करवाना है। मैं तो आपके लिए आया हूँ बन्द करवाने के लिए। बन्द करवा दें सीसीटीवी? बोला, ''सर, मत करवाइए।'' मैंने पूछा, ''क्या नहीं करवाएँ?'' तो एक बच्चे ने कहा, ''सर, जबसे सीसीटीवी लगा मेरी पेन्सिल चोरी नहीं हो रही है। अब आपकी बड़ी–बड़ी अदालतों में बड़े–बड़े कानून ग्रन्थों में कानूनगाहों में उस बच्चे की पेन्सिल पर तो कोई ध्यान दे नहीं रहा है। किसके पास समय है और उस बच्चे की जिन्दगी

का पेन है सर। मेरी पेन्सिल चोरी हो जाती है, मैं स्कूल में जाता हूँ। वो कितना मतलब... वो पेन्सिल लाता है। उसकी मम्मी उसको पेन्सिल छील के देती होगी। वो चोरी हो जाती है। तो ये छोटी–छोटी से लेके चेन स्नैचिंग से लेके, महिला छेड़छाड़ से लेके, नुक्कड़ पर खड़े होने वाले, लफंगई से लेके, कार चोरी से लेके, अपराधी को पकड़ने से लेके ये सारी चीजें जिस तरह से जितना इसका डाइमेन्शन है.. बुलिंग होती थी स्कूलों में। टीचर की हत्या कर दी गयी। हमारे ही स्कूल में एक छात्र के द्वारा की गयी। दिल्ली सरकार के स्कूल में। ये सारी चीजें कहीं न कहीं मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में सोचूँ मैं। इसी विधान सभा से हूँ। 25 परसेन्ट बजट एजूकेशन पर खर्च कर रहे हैं। बहुत अच्छे क्वालिटी के डेस्क, बहुत अच्छी क्वालिटी के पंखे, ट्यूब लाइट सब बढ़िया फेसिलिटीज लगा रहे हैं। वहाँ से हम जाते थे स्कूलों में तो टूटे हुए हैं। ''क्या हुआ जी?'' ''रात को चोरी हो गयी।'' अब सीसीटीवी अन्दर कमरे तक में लग रहे हैं। आदमी पकड़ा जाएगा। स्कूल के अन्दर परिन्दा भी पंख मारेगा तो कम से कम सीसीटीवी में कैप्चर होगा। मेरे मोबाइल में भी है। मैंने कहीं से अभी तक 63 स्कूलों में लीज लाइन बिछ चुकी है और सीसीटीवी लगने का काम पूरा हो गया है। जो आपने एक किया, मदन लाल जी। अब 63 स्कूल हो गये हैं उसके। और नवम्बर तक सारे के सारे स्कूलों में हो जाएगा। तो ये काम चल रहा है तेजी से। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सदन का धन्यवाद करते हुए कि इस महत्वाकांक्षी योजना पर, महत्वपूर्ण योजना पर चर्चा की कि इस विधान सभा से इस तरह की योजनाएँ निकलती रहेंगी। हम सब मिलके इस तरह की योजनाओं को अमल में लाते रहेंगे। सरकार के हाथ में जो है, उससे आगे बढ़के काम करती रहेगी। काम बहुत सारे हुए हैं। सीसीटीवी उनमें से एक है लेकिन सीसीटीवी... मुझे लगता है दिल्ली की सुरक्षा के लिए और दिल्ली के आम लोगों की जिन्दगी से जुड़ी सुरक्षा की जरूरतों के लिए एक बहुत बड़ा काम हुआ है, हो रहा

है और मैं इसके लिए दिल्ली के लोगों को भी बहुत–बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत–बहुत शुभकामनांए देना चाहता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः बहुत–बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, मुझे आपको यह सूचित करते हुए हर्ष हा रहा हैं कि दिल्ली विधान सभा अनुसंधान केन्द्र के फेलोशिप प्रोग्राम का दिनांक 2 सितम्बर, 2019 प्रातः 10.00 बजे को औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। इसके लिए 50 फेलोज तथा 90 एसोसिएट फेलोज के कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया जारी है। इसमें से 35 फेलोज तथा 70 एसोसिएट फेलोज को विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में शोध और अध्ययन कार्यो के लिए तैनात किया जाएगा। फेलोज और एसोसिएट फेलोज से प्राप्त अध्ययन रिपोर्ट को विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों के बेहतर विकास तथा उपलब्ध संसाधनों के समुचित सदुपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इनके अध्ययन कार्य के आधार पर माननीय सदस्य विधान सभा और इसकी समितियों को बहुमूल्य सुझाव दे सकते हैं।

मैं आप सबको 2 सितम्बर के लिए आमंत्रित करता हूँ। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे उन्हें यथासंभव सहायता और सहयोग प्रदान करें। इसके लिए मैं श्री सोमनाथ भारती जी का भी बहुत–बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सदन का ध्यान, माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर पिछली बैठक में ही खींचा था और वो बधाई के पात्र हैं।

इससे पहले कि मैं सदन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित करूँ, स्वस्थ संसदीय परम्पराओं का निर्वाह करते हुए।

श्री सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, दो मिनट बोलने दीजिए।

माननीय अध्यक्षः नहीं, अब नहीं, प्लीज। आप मुझे लिख के दे दीजिएगा। मैं कमेटी को रेफर कर दूँगा। नहीं अब इसको नहीं।

इससे पहले कि मैं सदन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित करूँ, स्वस्थ संसदीय परम्पराओं का निर्वाह करते हुए सदन के नेता और माननीय मुख्य मंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, माननीय उप मुख्य मंत्री श्री मनीष सिसोदिया, सभी मंत्रीगण, श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।

इसके अलावा विधान सभा सचिव तथा सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ साथ दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव व उनके समस्त अधिकारियों, दिल्ली पुलिस, खुफिया एजेंसियों, सीआरपीएफ बटालियन–55 तथा लोक निर्माण विभाग के सिविल, इलेक्ट्रिकल व हॉर्टिकल्चर डिवीजन, अग्नि शमन विभाग आदि द्वारा किए गए सराहनीय कार्य के लिए भी उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ आज शायद सदन का सबसे बढ़िया दिन रहा होगा। लगभग 50 सदस्यों ने.. डबल भी हुआ है, आज चर्चा में भाग लिया है। विधान सभा की कार्यवाही को मीडिया के माध्यम से जन–जन तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाने वाले सभी पत्रकार साथियों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।

अब माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि वे राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हों।

(राष्ट्रगान)

माननीय अध्यक्षः अब सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है।

(माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की गयी।)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2965/41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।